

**Clear Direction  
Consistent Growth**

**बैंक ऑफ़ इंडिया  
Bank of India**

**BOI**



**वार्षिक रिपोर्ट 2011-12  
ANNUAL REPORT 2011-12**

विषय सूची	पृष्ठ संख्या	CONTENTS	PAGE NO.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	3	Chairman & Managing Director's Statement	38
निदेशक रिपोर्ट	6	Directors' Report	41
कंपनी अभिशासन रिपोर्ट	73	Corporate Governance Report	73
तुलन-पत्र	97	Balance Sheet	97
लाभ एवं हानि खाता	99	Profit & Loss Account	99
लेखे पर टिप्पणियां	116	Notes on Account	116
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	143	Auditors' Report	143
बैंक का समेकित वित्तीय विवरणपत्र	145	Consolidated Financial Statement of the Bank	145
बासल II (स्तम्भ 3) प्रकटीकरण (समेकित)	185	Basel II (Pillar 3) Disclosures (Consolidated)	185
वार्षिक आम बैठक की सूचना	218	Notice of the Annual General Meeting	218
परोक्षी फार्म	221	Proxy Form	222
उपस्थिति पत्र	223	Attendance Slip	223
दृष्टिकोण, ध्येय स्टेटमेंट एवं गुणवत्ता संबंधी नीति	224	Vision, Mission Statement and Quality Policy	224

निदेशकगण Directors		सांविधिक लेखा परीक्षक Statutory Auditors	
आलोक मिश्रा Alok K Misra अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	एन. शेषाद्री N. Seshadri कार्यपालक निदेशक Executive Director	एम. एस. राघवन M. S. Raghavan कार्यपालक निदेशक Executive Directors	अग्रवाल एंड सक्सेना Agarwal & Saxena कर्णावट एंड कंपनी Karnavat & Co.
उमेश कुमार Umesh Kumar	पी.के. पंडा P.K. Panda	के. के. नायर K. K. Nair	चतुर्वेदी एवं शाह Chaturvedi & Shah
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia	हरविंदर सिंह Harvinder Singh	पी. एम. सिराजुद्दीन P. M. Sirajuddin	एल. बी. झा एवं कंपनी L B Jha & Co
उमेश कुमार खेतान Umesh Kumar Khaitan	प्रमोद भसीन Pramod Bhasin		शंकरन एवं कृष्णन Sankaran & Krishnan
			एसआरबी एंड एसोशिएट्स SRB & Associates

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India	महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Government of India Undertaking)	प्रस्तावित लाभांश	₹ 7/- प्रति शेयर (70%)	Proposed Dividend	₹ 7/- per share (70%)
<b>प्रधान कार्यालय</b> स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला संकुल, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. फोन नं.: 66684444 वेबसाइट: www.bankofindia.co.in	लेखा बंदी	23.06.2012 से 29.06.2012	Book Closure	23.06.2012 to 29.06.2012
<b>HEAD OFFICE</b> Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. Phone: 66684444 E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in Website: www.bankofindia.co.in	वार्षिक आम बैठक की तिथि एवं समय	शुक्रवार 29.06.2012 3.00 P.M.	Date & Time of AGM	Friday 29.06.2012 3.00 P.M.
	वार्षिक आम बैठक का स्थान	बैंक ऑफ इंडिया आडिटोरियम स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला संकुल, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	AGM Venue	Bank of India Auditorium Star House, C-5, 'G' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

## महाप्रबंधक GENERAL MANAGERS

### प्रधान कार्यालय HEAD OFFICE

1. श्री विवेकानंद दास	Shri Vivekananda Das
2. श्री ए.पी. घुगल	Shri A.P. Ghugal
3. श्री ए. के. अनंदेश्वरन	Shri A.K. Anandeswaran
4. श्री सुशील कुमार	Shri Sushil Kumar
5. श्री एन. सी. खुल्बै	Shri N.C. Khulbe
6. श्री एस. के. दत्ता	Shri S.K. Datta
7. श्री पी.के. टाटारिया	Shri P.K. Tataria
8. श्री भुपिंदर नय्यर	Shri Bhupinder Nayyar
9. श्री आर.के. गोयल	Shri R.K. Goyal
10. श्री आर. एन. तायल	Shri R. N. Tayal
11. श्री आर. रविचंद्रन	Shri R. Ravichandran
12. श्री एस.सी. अरोड़ा	Shri S.C. Arora
13. श्री डी. पी. भटेजा	Shri D.P. Bhateja
14. श्री रवि कुमार	Shri Ravi Kumar
15. श्री गौरी शंकर	Shri Gauri Shankar
16. श्री बी.बी. जोशी	Shri B.B. Joshi
17. श्री आर.ए. शंकर नारायणन	Shri R.A. Sankara Narayanan
18. श्री आर. के. वर्मा	Shri R.K. Verma
19. श्री पुष्पिंदर सिंह	Shri Pushpinder Singh
20. श्री राजीव सक्सेना	Shri Rajiv Saxena
21. श्री सी. एम. भनोत	Shri C.M. Bhanot
22. श्री देबाशीष चक्रवर्ती	Shri Debashish Chakraborty

## महाप्रबंधक GENERAL MANAGERS

### नेशनल बैंकिंग ग्रुप NATIONAL BANKING GROUP

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. श्री आर.सी. खुराना      | Shri R.C. Khurana       |
| 2. श्री टी. बालासुब्रमणियन | Shri T. Balasubramanian |
| 3. श्री पी.एस. रावत        | Shri P.S. Rawat         |
| 4. श्री राकेश सेठी         | Shri Rakesh Sethi       |
| 5. श्री प्रेम कुमार        | Shri Prem Kumar         |

### बृहत कॉर्पोरेट LARGE CORPORATE

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. श्री डी. लक्ष्मीनारायणा | Shri D. Laxminarayana |
| 2. श्री ए.के. हांडा        | Shri A.K. Handa       |

### विदेशी केन्द्र OVERSEAS CENTRES

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. श्री नरेन्द्र प्रसाद | Shri Narendra Prasad |
| 2. श्री जी.सी. तिवारी   | Shri G.C. Tewari     |
| 3. श्री मुनीर आलम       | Shri Munir Alam      |

## अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

आपके इस महान संस्थान की 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है।

यह गौरव की बात है कि अनेक चुनौतियों के होते हुए भी आपके बैंक ने एक और चुनौतीपूर्ण वर्ष में बेहतरीन वृद्धि दर्शायी है। आपके बैंक की उपलब्धियों को बेहतर ढंग से उजागर करने के लिए मैं इस वर्ष के कारोबारी वातावरण और बैंक के कामकाज का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वर्ष 2011-12 वैश्विक और घरेलू दोनों ही स्तरों पर अत्यधिक चुनौतियों से परिपूर्ण वर्ष रहा। विश्व आउटपुट वृद्धि में भारी कमी देखी गयी। जो आउटपुट वर्ष 2010 में 5.3% था वह वर्ष 2011 में गिरकर 3.9% हो गया। ऐसा मुख्य रूप से सतत एवं गहन कर्ज संकट के कारण यूरोपीय देशों के निम्न स्तरीय कार्यनिष्पादन के कारण हुआ। उन्नत अर्थव्यवस्था में जीडीपी ग्रोथ, यूएसए में स्थिति में मामूली सुधार के बावजूद वर्ष 2010 में 3.2% के तुलना में 2011 में घटकर 1.6% तक हो गयी। उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्था उन्नत देशों की प्रतिकूल उदघटनाओं से प्रभावित हुई और वृद्धि में मंदी के फलस्वरूप वह 2010 में 7.5% से घटकर 2011 में 6.2% पर आ गयी।

यूरो एरिया में बैंकिंग एवं सरकारी बान्डों के बाज़ार भारी दबाव में रहे और बैंक द्वारा परिस्थितियों का लाभ न उठा पाने के कारण वैश्विक वित्तीय बाज़ार अस्थिर रहे किंतु दृढ़ और अभूतपूर्व नीति संबंधी कार्रवाइयों व यूरोपीयन सेंट्रल बैंक की तरलता के सम्मिश्रण की कार्रवाइयों से वैश्विक बाज़ार की अवधारणों में वर्ष की समाप्ति के आते-आते सुधार भी आने लगा।

घरेलू स्तर पर, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान वृद्धि दर प्रत्येक क्रमागत तिमाही में धीमी रही। पूरे वर्ष की जीडीपी वृद्धि 2010-11 में 8.4% की तुलना में 6.5% रही। विनिर्माण सेक्टर की वृद्धि दर में भी गिरावट आने से जो दर वर्ष 2010-11 में 7.6% थी उसकी तुलना में वह 2.5% तक ही रह गयी। माइनिंग में नकारात्मक वृद्धि दर (-0.90%) और निर्माण कार्यों में आयी मंदी ने समग्र आर्थिक विकास को नीचे लाने में अपनी भूमिका निभाई और बैंकिंग सेक्टर के ऋणों में वृद्धि को भी रोका। सुकून की बात यह रही कि मुद्रास्फीति, जो खाद्य और गैर-खाद्य मुद्रास्फीति दोनों के प्रभाव के कारण नवम्बर, 2011 में लगभग दोहरे अंकों को छूने लगी थी, वर्ष के अंत तक वह लगभग 7% तक आ गयी।

वर्ष 2011-12 में निर्यातों में 20.9% की अच्छी खासी वृद्धि हुई लेकिन उच्चतर आयात वृद्धि और रुपये के मूल्यहास की वजह से व्यवसाय घाटा और ज्यादा बढ़ गया। वर्ष 2010-11 में जो व्यवसाय घाटा यूएसडी 118.6 बिलियन था, वह वर्ष 2011-12 में बढ़कर यूएसडी 184.9 बिलियन हो गया। चालू खाता घाटा, जीडीपी के अप्रैल से दिसंबर तक की अवधि में 4.0 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, रूपया दबाव में आ गया। जुलाई, 2011 को प्रति यूएसडी ₹ 43.94 के उँचाई से यह 15 दिसंबर, 2011 को 54.23 के निचले स्तर पर आ गया, इस प्रकार इसमें 19% का मूल्यहास हुआ।

वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न वित्तीय बाजारों का कार्यनिष्पादन भी यूरोपीयन गहन ऋण संकट के कारण प्रभावित हुआ। प्रतिकूलता के कारण पूँजी की वृद्धि

और बढ़ोत्री के जोखिम को बढ़ाया। इक्विटी बाज़ार भी मंदी का शिकार हो गया और वर्ष के दौरान सूचकांक में 10.5% की गिरावट आयी। वर्ष 2011-12 में तरलता की स्थितियाँ भी खराब ही रही। लगातार उच्च मुद्रास्फीति और वर्ष के दौरान 5 बार आरबीआई द्वारा रेपो दरों में वृद्धि और सरकार द्वारा उच्चतर उधारों के कारण वर्ष 2011-12 में ब्याजदर भी उँची बनी रही। वर्ष 2011-12 में उच्च राजकोषीय फिसलनें भी दर्ज हुई जिसकी वजह राजकोषीय घाटा 4.6% के वजटीय स्तर की तुलना में 5.9% तक बढ़ गया।

बैंकिंग प्रणाली की क्रेडिट ग्रोथ में भी मंदी ही रही। यह औद्योगिक और निवेश गतिविधियों की सुस्ती में भी परिलक्षित हुई। वर्ष 2010-11 में क्रेडिट ग्रोथ 21.05% थी लेकिन इस वित्तीय वर्ष में यह 19.3% की ही रही। अलबत्ता बैंकिंग प्रणालियों की जमाराशियाँ जरूर बढ़ीं और वर्ष 2010-11 के 15.9% की तुलना में इनमें 17.4% की वृद्धि हुई।

वर्ष 2011-12 के दौरान आरबीआई की मौद्रिक नीति सम्बंधी रवैया जनवरी, 2012 तक लगातार कठोर ही बना रहा। इसका लक्ष्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और मुद्रास्फीतिक अपेक्षाओं को रोकना था। तत्पश्चात, मुद्रास्फीति की रफ्तार को कम करने और वृद्धि की गति को पटरी पर लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक तटस्थ रुख अपनाया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने तरलता संबंधी घाटे की स्थिति को साधने के लिए कतिपय स्वतः-स्फूर्त उपाय जैसे खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) और सीआरआर में कटौती भी किए।

शुरू में, बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज दर को 3.50% से बढ़ाकर 4.0% किया गया जिसका बाद में अ-विनियमन कर दिया गया। एनपीए एवं पुनर्संचित खातों के प्रावधान संबंधी मानकों को सख्त किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक की महत्वपूर्ण उद्घटनाओं में एक महत्वपूर्ण घटना यह रही कि एनपीए के लिए प्रणाली संचालक पहचान की शुरुआत की गयी अर्थात् सिस्टम के माध्यम से ही एनपीए का अभिनिर्धारण किया जाने लगा है जिसके फलस्वरूप बैंक के एनपीए में वृद्धि हुई और जिसके लिए प्रावधान करना पड़ा और उसका अच्छा खासा प्रभाव लाभप्रदता पर भी पड़ा।

बचत बैंक जमाराशियों में वृद्धि और बचत बैंक जमाराशि के अ-विनियमन से बैंकों को मीयादी जमाराशियों की दर को भी बढ़ाना पड़ा। आरबीआई की पॉलिसी संबंधी दरों में बढ़ोत्री के फलस्वरूप ऐसा करना लाजिमी था। इसकी वजह से लागत में वृद्धि हुई और उससे एनआईएम प्रभावित हुआ। बैंक की लाभप्रदता पर न्यूनतर एनआईएम और एनपीए के लिए प्रावधानीकरण का गहरा प्रभाव पड़ा। सरकार द्वारा कैपिटल इन्फ्यूजन के बावजूद अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पूँजी के मुहाने पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

### वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए दृष्टिकोण:

यह प्रत्याशा है कि वित्तीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2012 के दौरान फिर से प्रगति के पथ पर लौटने की दिशा में अग्रसर है। अलबत्ता, वैश्विक वृद्धि दर कम ही रहने की सम्भावना है। हालाँकि यूएसए में रिकवरी की गति वर्ष 2012 में बनी रहने की अपेक्षा है, तथापि वैश्विक वृद्धि जो वर्ष 2011 में 3.9% थी, वर्ष 2012 में लगभग 3.5% तक रहने की सम्भावना है। ऐसा यूरो जोन में स्थित देशों

की हल्की आर्थिक मंदी के कारण माना जा रहा है। उच्च अर्थव्यवस्था में वर्ष 2012 के दौरान 1.4% की वृद्धि होने की सम्भावना है। इसमें वर्ष 2013 में हल्के से सुधरे हुए कार्यनिष्पादन की सम्भावना है जबकि उभरती हुई अर्थव्यवस्था में वृद्धि वर्ष 2011 में 6.2% की तुलना में वर्ष 2012 में लगभग 5.7% तक ही रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2012-13 का घरेलू समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण सकारात्मक लगता है। यह माना जा रहा है कि इस वर्ष की जीडीपी वृद्धि दर में थोड़ी सी वृद्धि होगी और यह 7.3% तक रहेगी जबकि यह वर्ष वित्तीय वर्ष 2011-12 में 6.5% थी। समग्र मुद्रास्फीति परिदृश्य में हल्के से सुधार की सम्भावना है। इस वर्ष के अंत तक थोक मूल्य सूचकांक 6.5% के आसपास रहेगा। विनिर्माण और माइनिंग क्षेत्रों में भी दिए गए आधार प्रभाव से कुछ सुधार होने के आसार हैं। सेवा क्षेत्र एक बार फिर समग्र आर्थिक वृद्धि की सहायता करेगा। नवीनतर भौगोलिक देशों को निर्यात के विविधीकरण के बावजूद, भारतीय निर्यातों में वृद्धि वर्ष 2012-13 में कम ही रहने की सम्भावना है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्रत्याशित उच्चतर जीडीपी वृद्धि और उच्च औद्योगिक कार्यनिष्पादन से बैंक वर्ष वित्तीय वर्ष 2012-13 में बेहतर कार्यनिष्पादन करके दिखा सकेगा। अलबत्ता निकट भविष्य में बैंकों के लिए कतिपय चुनौतियाँ रहेंगी। बैंकों को बेसल-III के कार्यान्वयन के कारण पूँजी की जरूरत पड़ेगी, अनुभवी व्यक्तियों की अधिवर्षिता के कारण मानव संसाधन से संबंधित मसले भी उनके सामने रहेंगे, इसके साथ-साथ बचत बैंक और एनआरई जमाराशियों के अविनियमन के सन्दर्भ में एनआईएम को सुधारना होगा और आस्तियों के हेल्थ और एनपीए प्रबंधन पर सतत् निगरानी रखनी होगी।

### बैंक का कार्यनिष्पादन

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान की 14.3% की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 24.3% की उच्चतर परिचालनात्मक लाभ में वृद्धि दर्ज की। बैंक का परिचालन लाभ जो वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 5384 करोड़ था, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 6,694 करोड़ हो गया। प्रावधानों में 38.7% के उछाल के बावजूद, बैंक के निवल लाभ में 7.6% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 2,489 करोड़ का निवल लाभ हुआ था जबकि वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹ 2,678 करोड़ का निवल लाभ हुआ। वर्ष 2011-12 में गैर ब्याज वाली आय वर्ष 2010-11 में ₹ 2,642 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 3321 करोड़ हो गयी, इस प्रकार इसमें 25.7% की वृद्धि दर्ज की गयी।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बैंक की प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹ 47.35 की तुलना में ₹ 48.98 के उच्चतर स्तर पर रहा। प्रतिशेयर बही मूल्य में भी सुधार हुआ। यह 31 मार्च, 2011 तक की स्थिति के अनुसार ₹ 283.24 था जो 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति के अनुसार बढ़कर ₹ 326.52 हो गया। आय अनुपात में लागत में भी काफी कमी आयी। वित्तीय वर्ष 2010-11 में यह 48.49% थी जो वित्तीय वर्ष 2011-12 में घटकर 42.47% ही रह गयी।

आपके बैंक की निवल मालीयत में भी वृद्धि हुई यथा 31 मार्च, 2011 को यह ₹ 15,500 करोड़ थी जो यथा 31 मार्च, 2012 को बढ़कर ₹ 19,225 करोड़ हो गयी है। पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) बेसल-II के मुताबिक यथा 31 मार्च, 2012 को 11.95% था।

बैंक का वैश्विक कारोबार मिश्र यथा 31 मार्च, 2011 को ₹ 5,15,040 करोड़ से बढ़कर यथा 31 मार्च, 2012 को ₹ 5,69,710 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया। बैंक की कुल जमाराशियाँ यथा 31 मार्च, 2011 की ₹ 2,98,886 करोड़ से बढ़कर यथा 31 मार्च, 2012 को ₹ 3,18,216 करोड़ हो गयी, इस प्रकार इनमें 6.5% की वृद्धि हुई। सकल अग्रिम भी 16.4% की वृद्धि के साथ पिछले वर्ष के ₹ 2,16,154 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,51,494 करोड़ हो गए। कासा डिपॉजिट भी यथा 31 मार्च, 2012 को बढ़कर ₹ 81,352 करोड़ हो गयी। कासा अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार परिलक्षित हुआ और वह मार्च, 2011 के 29.18% से बढ़कर मार्च, 2012 में 34.25% पर आ गया। बैंक के अन्तरराष्ट्रीय परिचालनों में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन रिकार्ड किया गया और उनमें जमाराशियों में 51.9% और अग्रिमों में 44.2% को वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गयी। बैंक ने लागत प्रभावशीलता और लाभप्रदता के अनुरूप कारोबार का विस्तार करने का एक सूझबूझ भरा निर्णय लिया। निःसन्देह इससे बैंकिंग प्रणाली की तुलना में बैंक की जमाराशियों एवं अग्रिमों में तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी कम वृद्धि हुई लेकिन इससे समेकन और बेहतर लाभप्रदता दर्ज करने में काफी सहायता मिली।

मुझे यह सूचित करते हुए भी अपार प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक बोर्ड न इस वर्ष के लिए ₹ 7/- प्रतिशेयर (70%) की दर पर लाभांश घोषित किया है।

### वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान की गयी पहलें:

आपके बैंक ने कारोबार की वृद्धि को तीव्र करने और ग्राहक सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए। इन नूतन पहलों से कुछ मुख्य पहलें इस प्रकार हैं:

- ❖ वर्ष 2011-12 के दौरान 9.03 मिलियन नए ग्राहकों को शामिल किया गया जिससे कुल ग्राहक आधार 54.08 मिलियन तक का हो गया।
- ❖ इस वर्ष के दौरान कारोबारी विकास को बढ़ावा देने और बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के लिए तीन आंचलिक कार्यालय (अमृतसर, ग्वाहाटी एवं नवी मुंबई) और 25 बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ऑफिस और खोले।
- ❖ वर्ष 2011-12 के दौरान 510 नयी शाखाएं खोली गयीं जिसके फलस्वरूप घरेलू शाखाओं की संख्या 4000 हो गयी। वर्ष 2011-12 के दौरान 255 नए एटीएम भी खोले गए और जिसके फलस्वरूप यथा 31 मार्च, 2012 को एटीएमों की कुल संख्या भी 1680 हो गयी।
- ❖ बैंक ने ऋण आवेदनों की त्वरित प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न वर्टिकलों में कई विशेषीकृत प्रोसेसिंग सेन्टर्स स्थापित किए हैं। वर्ष के अंत तक बैंक के 20 एसएमई सेन्टर, 21 रिटेल बिजनेस एवं 52 एग्रि प्रोसेसिंग सेन्टर थे।
- ❖ वर्ष के दौरान, बैंक ने "ब्रांच ऑफ़द फ्यूचर" मॉडल की लॉन्चिंग की परियोजना पर काफी काम किया है। इन नई मॉडल शाखाओं को बनाने का प्रयोजन ग्राहक के अनुभव और कारोबारी कार्यनिष्पादन दोनों में ही महत्वपूर्ण सुधार लाना था। इन नई मॉडल शाखाओं को बनाने से बैंक में काम के नए तरीके संस्थापित करने में सहायता मिलेगी। प्रारम्भ में, प्रायोगिक आधार पर, हरेक एनबीजी में एक ऐसी शाखा खोली गई। धीरे-धीरे बैंक ऐसी मॉडल शाखाओं की संख्या में वृद्धि करेगा।



- ❖ आपका बैंक वित्तीय समावेशन की पहलों के कार्यान्वयन में आगे रहने वालों में है। इसके तहत, वर्ष 2011-12 के दौरान 18.10 लाख नए नो फ्रिल खाते खोले गए जिसके फलस्वरूप नो फ्रिल खातों को कुल संख्या 63 लाख हो गयी। ठीक इसी प्रकार, 2000 अतिरिक्त कारोबारी संपर्की नियुक्त किए गए। वर्ष की समाप्ति पर कारोबारी सम्पर्कियों की कुल संख्या 3813 हो गयी है। बैंक ने 2992 गाँवों के लक्ष्य के समक्ष 8592 गाँवों का 100% वित्तीय समावेशन किया है।
- ❖ बेरोजगारी की समस्या और ग्रामीण नौजवानों की कुशलता के विकास को साधना के उद्देश्य से बैंक ने आरएसईटीआई के तहत 'स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान' के रूप में 42 प्रशिक्षण केन्द्र पहले ही खोल दिए हैं। इसके अलावा, 'अभय' नामक नए वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र भी खोले गए हैं जिसके फलस्वरूप इनकी संख्या 5 से बढ़कर 31 हो गयी है। ये केन्द्र वित्तीय शिक्षा और ऋण परामर्श का काम करते हैं।
- ❖ बैंक ने निधियों के तुरंत अंतरण के लिए उत्कृष्ट वैकल्पिक डिलीवरी चैनल के रूप में मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग (बीटीएम) सुविधा की शुरुआत की है। यह सुविधा ग्राहकों को कहीं से भी और किसी भी समय माबाइल फोन के माध्यम से धन अंतरण की सुविधा मुहैया कराती है।
- ❖ आपके बैंक की परियोजना वित्त एवं समूहन गतिविधि भी और बेहतर हुई है और घरेलू समूहन (सिंडीकेशन) में अखिल भारतीय बैंकिंग बलूमबर्ग लीग तालिका में 5 से 6 हो गयी है।
- ❖ बेहतर म्युचुअल फंड उत्पादों से ग्राहकों की सेवा करने के विचार से आपके बैंक की आस्ति प्रबंधन कारोबार में फिर से प्रवेश करने की योजना है। इस प्रयोजन के लिए बैंक ने एक्सए निवेश प्रबंधकों के साथ भागीदारी की है जो आस्ति प्रबंधन कारोबार का मार्केट लीडर है।
- ❖ अक्टूबर, 2011 में न्यूजीलैंड में बैंक की अनुषंगी खोलकर बैंक के अन्तरराष्ट्रीय परिचालनों का और विस्तार किया गया। बैंक यूगांडा, बोटस्वाना एवं कनाडा में अपनी अनुषंगियां स्थापित करने की प्रक्रिया में है। बैंक, जोहैनसबर्ग और हो चि मिन सिटि में स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालयों को भी पूर्ण शाखा के रूप में अपग्रेड कर रहा है।
- ❖ कार्य कुशलता को बढ़ाने और बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने मानवीय संसाधनों की महत्ता को समझते हुए वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न संवर्ग और वेतनमानों के अपने कार्यबल में 4651 स्टाफ सदस्यों को और शामिल किया और बैंक के 18746 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया।

आपके बैंक ने अपने कार्यनिष्पादन की मान्यता के रूप में वर्ष के दौरान कई पुरस्कार भी अर्जित किए हैं, प्राप्त पुरस्कारों में से कुछ इस प्रकार हैं:

- बैंक ऑफ़ इंडिया को इकोनॉमिक टाइम्स/ए.सी.नेल्सन कम्पनी सर्वे द्वारा


रेटेड किया गया है-

- मोस्ट ट्रस्टिड ब्रांड (एमटीबी) 2011
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकिंग कैटेगिरी - दूसरा
- टॉप सर्विस ब्रांड के तहत - 11वां
- भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों को उधार देने में बैंक के कार्यनिष्पादन की अभिस्वीकृति करते हुए द्वितीय सर्वोत्तम अवार्ड प्रदान किया है। बैंक को सीजीटीएमएसई की संपार्श्विक रहित उधार देने की योजना के तहत सूक्ष्म एवं छोटे खातों की अधिकतम संख्या को कवर करने के लिए "सर्वोत्तम निष्पादन बैंक" के रूप में मान्यता प्रदान की है।
- सीआईओ ग्रीन आईटी अवार्ड
- बैंक ऑफ़ इंडिया को 'ग' क्षेत्र में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ।

आगे कदम बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, बैंक कारोबार में और वृद्धि करने, अपने ग्राहकों की संख्या को बढ़ाने और एसएमई, रिटेल एवं ग्रामीण कारोबार के स्तर को उँचा उठाने के लिए भरपूर प्रयास करता रहेगा, देश के समग्र विकास में योगदान देने के लिए वित्तीय समावेशन की पहलों को और आगे बढ़ाएगा। आईटी समर्थित सेवाएं (आईटीईएस) ग्राहक संतुष्टि के स्तर को उँचा करने के लिए अनेक प्रकार से अहम् भूमिकाएं निभाएंगी। लगातार संतुलित वृद्धि के लिए भर्ती, प्रशिक्षण एवं पदारोहण योजना द्वारा मानव संसाधनों को बढ़ाया जाएगा।

वर्ष के दौरान पदत्याग करने वाले कार्यपालक निदेशक श्री बी.ए. प्रभाकर तथा निदेशकगण श्री तरुण बजाज, श्री जी. महालिंगम, श्री एम.एन. गोपिनाथ, श्री प्रकाश पी. मल्या और डॉ. शांता चावड़ा के प्रति, उनके मूल्यवान योगदान हेतु, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बैंक को बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार से उत्कृष्ट सहायता और बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। हमारे ग्राहक और शेयरधारकों ने हम पर अपना अटूट विश्वास रखा है और ऐसा हमारे स्टाफ सदस्यों के अथक प्रयासों से ही सम्भव हो पाया है। मैं बैंक की ओर से और साथ ही अपनी ओर से भी सभी शेयरधारकों को धन्यवाद देता हूँ और प्रत्याशा रखता हूँ कि उनका संरक्षण, दिशानिर्देश और सहयोग आगे भी मिलता रहेगा।

सादर,



दिनांक : मई 14, 2012

(आलोक मिश्रा)


## निदेशक रिपोर्ट

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मण्डल, अंकेक्षित लेखा विवरण और नकदी प्रवाह विवरण सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।


### कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें

#### वित्तीय मानदण्ड

- गत वर्ष की तुलना में 24.33% वृद्धि के साथ परिचालनगत लाभ ₹ 6,694 करोड़ रहा।
- शुद्ध लाभ ₹ 2,677 करोड़। पिछले वर्ष की तुलना में 7.59% की वृद्धि दर्ज हुई।
- पूँजी पर्याप्तता अनुपात पिछले वर्ष (बासल II के अंतर्गत) के 12.17% की तुलना में 11.95% रहा।
- निवल मालियत ₹ 18,759 करोड़। मार्च 2011 की तुलना में 21.03% की वृद्धि हुई।



- प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 326.52 (पिछले वर्ष ₹ 283.24)
- 31.03.2012 को सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 2.34%
- 31.03.2012 को निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 1.47%
- बैंक का कुल कारोबार (जमा + अग्रिम) ₹ 5,69,710 करोड़ पर जा पहुंचा, इस प्रकार इसमें ₹ 54,670 करोड़ (10.61%) की वृद्धि दर्ज हुई।
- बैंक की कुल जमा राशियाँ ₹ 19,330 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 3,18,216 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई अर्थात् 6.47% की वृद्धि हुई। स्वदेशी जमाओं में कम लागत वाली जमाओं का हिस्सा 31.03.2011 के 29.18% की तुलना में 31.03.2012 को 34.25 % है।
- बैंक का कुल सकल ऋण 16.35% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2,51,494 करोड़ तक पहुंच गया।



- शुद्ध समायोजित बैंक ऋण का 36.67 % भाग प्राथमिकता क्षेत्र उधार का रहा और शुद्ध समायोजित बैंक ऋण में कृषि ऋण का हिस्सा 14.54% रहा।
- एसएमई क्षेत्र का ऋण ₹ 30,045 करोड़ से बढ़कर ₹ 32,270 करोड़ हो गया, जिसमें 7.41% की वृद्धि दर्ज हुई।
- योजनाबद्ध खुदरा ऋण में 14.82% की वृद्धि हुई, जो ₹ 16,649 करोड़ से बढ़कर ₹ 19,116 करोड़ हो गया।
- पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात ऋण में ₹ 791 करोड़ अर्थात् 10.50% वृद्धि दर्ज हुई। जो 31.03.2012 को ₹ 8,128 करोड़ पर पहुंच गया।

#### नये उत्पाद एवं सेवाएं

- विदेशी केन्द्रों पर एनआरई/एनआरओ खाते खोलने के लिए एनआरआई ग्राहकों के लिए वेलकम किट की शुरुआत।
- बचत बैंक खातों में ब्याज का परिकलन 1 अप्रैल 2010 से मासिक उत्पाद से दैनिक उत्पाद आधार में परिवर्तित किया गया है।
- वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश तथा सिफारिशों के अनुसार बैंक की कार्पोरेट वेबसाइट (अंग्रेजी) विकलांग व्यक्तियों के योग्य बनाई गई है।
- बैंक ने बचत बैंक पास बुक (होरिजेंटल फार्मेट) का नया फार्मेट प्रारंभ किया है, जो वर्तमान फार्मेट (वर्टिकल फार्मेट) जहाँ दो पृष्ठों पर विवरण मुद्रित होते हैं, उसकी तुलना में उसी पृष्ठ पर लेन-देन के विवरण मुद्रित होंगे।
- भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की आवश्यकतानुसार बैंक पास बुक एवं खातों के विवरण पर हेल्प लाईन नंबर मुद्रित कर रहा है।



- बैंक ने डेबिट सह-एटीएम कार्ड के लिए इन्स्टा-पिन जारी करना प्रारंभ किया है। इससे ग्राहक की रि-पिन प्राप्त न होने की शिकायतें दूर होंगी और साथ ही रि-पिन सृजित करने और मेल भेजने के प्रयास और खर्च में बचत होगी।
- डायमंड ग्राहकों को खाते का तिमाही समेकित विवरण पीडीएफ फॉर्मेट में ई मेल के माध्यम से भेजा जाता है।
- धोखाधड़ी निवारण के उपाय के रूप में एसएमएस अलर्ट - स्टार संदेश सृजित किया जाता है और सभी ग्राहकों को जिन्होंने सभी डिलीवरी चैनल से (इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम/पीओएस) सभी नामे लेन-देन, ₹ 25,000/- और उससे अधिक के सभी नामे समाशोधन लेन-देन, ग्राहक प्रवृत्त सभी नामे अंतरण एवं ₹ 10,000/- और उससे अधिक के नकद भुगतान, ₹ 10,000/- और उससे अधिक के सभी नामे ईसीएस लेन-देन, सभी नामे आरटीजीएस लेन-देन और चेक बुक जारी करने के निवेदन स्वीकार करने पर पावती के लिए बैंक के पास मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड कराये हैं।
- इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को नामांकन सुविधा के साथ ऑन लाईन मीयादी जमा करने की सुविधा।
- इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का उपयोग करने वालों के लिए हॉट लिस्टिंग/रिसेट/अनलॉक/नामे सह एटीएम कार्ड पिन बदलने की सुविधा।
- वार्षिक कर विवरण देखना (फार्म 26 ए एस)
- स्टार ई ट्रेड - ऑन लाईन शेयर ट्रेडिंग - गुप्ता इक्विटी के साथ एकीकरण।
- बैंक का डेबिट सह-एटीएम कार्ड रखने वाले ग्राहकों के लिए ऑन लाईन ई-भुगतान की सुविधा का विस्तार किया गया है इससे ग्राहक क्रेडिट कार्ड एवं इंटरनेट बैंकिंग खातों के अलावा अपने डेबिट कम एटीएम कार्ड का ई भुगतान के लिए उपयोग कर सकेंगे।
- डिलीवरी चैनल के नवीनतम विकल्प के रूप में मोबाइल बैंकिंग सुविधा आरंभ की गई है जो वस्तुतः ग्राहकों को किसी भी समय कहीं से भी मोबाइल फोन से बैंकिंग क्रियाकलाप करने को स्वीकार करती है। यह सुविधा सभी खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को दी गई है और इसमें जमा शेष पूछताछ, अंतिम पॉच लेन-देन, चेक की स्थिति, निधि अंतरण एवं मोबाइल भुगतान जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
- बैंकों के बीच स्टार कनेक्ट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से आरटीजीएस/एनईएफटी के उपयोग से ऑन-लाईन निधि अंतरण।
- आटो पे के लिए बीओआई स्टार ई भुगतान या विभिन्न उपयोगी सेवाओं/बिलों का ऑन-लाईन भुगतान।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के लिए ई भुगतान।
- शेयरों में व्यापार के लिए स्टार ई-शेयर व्यापार।
- ई-भाड़ा भुगतान।
- विदेशी व्यापार लाइसेंस फीस महानिदेशक (डीजीएफटी) का ऑन लाइन भुगतान।

- रेल्वे एवं हवाई जहाज की टिकटों की ऑन लाईन बुकिंग।
- शिक्षा ऋण के लिए ऑन लाइन आवेदन।
- किसी भी डीपीओ में खाता रखने वाले खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक द्वारा आईपीओ निर्गमों के लिए अवरूद्ध आवेदन की बोली सह आवेदन पत्र (आसबा) ऑन लाइन करने के लिए प्रावधान।
- बीओआई - बीटीएम (मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग की शुरुआत)
- माइक्रो एटीएम एवं बायोमैट्रिक पिन प्रमाणीकरण के साथ धन आधार कार्ड आरंभ।
- सभी नो फ्रिल खाता धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर की शुरुआत।
- बैंक ने वैकल्पिक डिलीवरी चैनल के रूप में बीओआई पेंशन आधार कार्ड, बीओआई प्रिविलेज इंटरनेशनल क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड और रुपये कार्ड की शुरुआत की है।
- अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए यूएस मुद्रा में विजा सम्बद्ध बीओआई इंटरनेशनल ट्रैवल कार्ड की शुरुआत की गई है।

#### कारोबार पहल

- नेशनल बैंकिंग समूह और थोक एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह खण्ड के प्रमुख दो कार्यपालक निदेशक हैं, जो स्वतंत्र एवं संगठित रूप से कार्य कर रहे हैं।
- प्रधान कार्यालय स्तर पर नेशनल बैंकिंग समूह में ग्रामीण, वित्तीय समावेशन सहित खुदरा ग्रामीण और एसएमई बैंकिंग कारोबार इकाई का समावेश है जो बड़े पैमाने पर ग्राहक प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।
- प्रधान कार्यालय स्तर पर थोक एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह में बृहत कार्पोरेट बैंकिंग, मध्य कार्पोरेट बैंकिंग, समूहन सेवा सहित परियोजना वित्त का समावेश है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और कोषागार परिचालन थोक कारोबार के अवसर जुटा रहे हैं।
- बृहत कार्पोरेट और मध्य कार्पोरेट खातों को संबंधित शाखाओं के साथ सुव्यवस्थित करने का कार्य पूरा हो गया है। निरंतर आधार पर अद्यतन करने की प्रक्रिया वार्षिक अंतराल पर 31 मार्च को की जाती है।
- वर्तमान में 35 अंचलों में 52 ग्रामीण प्रसंस्करण केन्द्र परिचालन में हैं।
- कृषि कारोबार के नये क्षेत्र में प्रवेश की खोज के लिए उत्पाद नवीनता कक्ष के गठन की योजना है।
- बैंक के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन में परिवर्तित कर दिए गए हैं और आरटीजीएस/एनईएफटी योग्य हैं।
- कारोबार संपर्की चैनल के लिए नकदी एवं तदरूपता बीमा की शुरुआत की गई है।
- ऋण की शीघ्र सुपुर्दगी के लिए 21 खुदरा कारोबार केंद्र परिचालन में हैं।

- बैंक ने स्टार विद्या शिक्षा ऋण, संपत्ति पर बीओआई स्टार ऋण, स्टार डायमंड होम लोन योजनाएं प्रारंभ की हैं।
- 20 अंचलों में कुल 21 एसएमई सिटी सेंटर कार्यरत हैं से केन्द्र टाइम अराउन्ड टाई (टीएटी) घटाने में सहायक हैं।
- 7 मंडल प्रबंधकों द्वारा 41 मिड कार्पोरेट शाखाओं की निगरानी की जाती है।
- अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले एसएमई ग्राहकों को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने डायमंड/प्लैटिनियम/गोल्ड कस्टमर संकल्पना प्रारंभ की है।
- बैंक ने मध्यम एवं लघु उद्यमों के लिए संमिश्र ऋण उत्पादन और सावधि ऋण उत्पाद प्रारंभ किए हैं। एसएमई उद्यमियों के लिए स्टार एसएमई कान्ट्रैक्टर क्रेडिट लाईन, स्टार एसएमई लिक्विड प्लस, स्टार एसएमई ऑटो एक्सप्रेस एण्ड एसएमई एज्यूकेशन प्लस ऋण योजनाएं प्रारंभ की हैं।
- 10 लार्ज कार्पोरेट शाखाओं की प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक द्वारा सीधे निगरानी की जाती है।
- अग्रणी प्रबंधन प्रणाली (सेल्स फोर्स आटोमेशन) पहल करने, ट्रैक रखने और निगरानी के लिए स्थापित की गई है और संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रही है।
- बैंक द्वारा विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत उत्पादक प्रयासों के लिए कम आय वाले समूहों के लिए 4% की रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष के दौरान 11665 हिताधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जीजेआरएचएफएस) के कार्यान्वयन के लिए बैंक सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आर्बटित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। जीजेआरएचएफएस के अंतर्गत बैंक ने वर्ष के दौरान 1443 मामले स्वीकृत किए हैं।
- बैंक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को, एक अभियान के रूप में बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं उन सभी को प्रदान करने के लिए जो वर्तमान में इनसे वंचित हैं, कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय है। अब तक वित्तीय समावेशन की प्राप्ति के लिए पहले कदम के रूप में नो फ्रिल खाते खोलना था और इस प्रकार बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 12.63 लाख नो फ्रिल खाते खोले।
- बैंक हैंड हेल्ड डिवाइसेज और स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके शुरू से अंत तक के आधार पर आईटी सोल्यूशन भी कार्यान्वित कर रहा है। बैंक ने 7.65 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं/के सदस्य बनाये हैं।

#### परियोजना वित्त और समूहन ग्रुप

- यह तकनीकी मूल्यांकन और समूहन ऋण के कार्य की हामीदारी लेता है वित्तीय वर्ष 2012 की समाप्ति ₹ 13,119 करोड़ की परियोजना लागत और समूहन ऋण ₹ 20,957 करोड़ से की गई। कैलेंडर वर्ष 2011 के ब्लूमबर्ग लीड टेबल के अनुसार समूहन स्थान में बैंक ऑफ़ इंडिया ने पाँचवा स्थान प्राप्त किया।
- बैंक न खण्ड की विशिष्ट आवश्यकताओं का प्रबन्ध करने के लिए नया एस.एम.ई. वर्टिकल निर्मित किया है, जिसके प्रमुख महाप्रबंधक हैं।

₹ 100 करोड़ के टर्न ओवर के साथ सभी कारोबार गतिविधियाँ सम्मिलित करने के लिए एस.एम.ई. कारोबार को और अधिक समावेशी परिभाषा दी गई है। यह वर्टिकल न केवल ऋण बल्कि कासा, खुदरा कारोबार, शुल्क आधारित आय और एस.एम.ई. खण्ड में तीसरे पक्ष के उत्पादों की वृद्धि को भी देखेंगे।

- डिलीवरी चैनल के नवीनतम विकल्प के रूप में मोबाइल बैंकिंग सुविधा आरंभ की गई है जो वस्तुतः ग्राहकों के किसी भी समय कहीं से भी मोबाइल फोन की सुविधा से बैंकिंग गतिविधियों को स्वीकार करती है। यह सुविधा सभी खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को दी गई है और इसमें जमाशेष पूछताछ, अंतिम पाँच लेन देन, चेक की स्थिति, अंतरण एवं मोबाइल भुगतान जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
- एनआरआई ग्राहकों से संबंधित कुछ गतिविधियों को केन्द्रीकृत करने के लिए वैश्विक धन-प्रेषण केन्द्रों की स्थापना की गई है, जो यथाशीघ्र उत्पादों की सुपुर्दगी करेंगे और सक्रिय विपणन योजना एवं शिकायत निवारण तंत्र का कार्य भी शीघ्र कर सकेंगे।

#### पुरस्कार एवं प्रशंसाएं

- बैंक को इकॉनामिक टाइम्स/नीलसेन कंपनी के सर्वे में निम्नानुसार श्रेणीकृत किया गया है:
- सर्वाधिक विश्वसनीय ब्रान्ड (एमटीबी) 2011
- \* पीएसयू बैंकिंग वर्ग के अंतर्गत सीबीआई के बाद 2 रा
- शीर्ष सेवा बॉड के अंतर्गत 11 वॉ
- भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत उधार में बैंक के कार्यनिष्पादन को मान्यता दी है और इस हेतु बैंक को दूसरा श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन पुरस्कार (एसबीआई के बाद अगला) प्रदान किया है। सीजीटीएमएसई की संपार्श्विक मुक्त उधार योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु खातों की अधिकाधिक संख्या कवर करने के लिए "श्रेष्ठ कार्य निष्पादन बैंक" के रूप में बैंक को मान्यता दी गई है।
- सीआईओ ग्रीन आईटी अवार्ड
- बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई उत्तर अंचल ने राजभाषा हिंदी के प्रगामी के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया।

#### वित्तीय समीक्षा

##### वित्तीय कार्य-निष्पादन

बैंक ने ₹ 6,693.95 करोड़ का परिचालन लाभ दर्ज किया (पिछले वर्ष यह ₹ 5,384.23 करोड़ था) निवल लाभ ₹ 2,677.52 करोड़ रहा। (पिछले वर्ष यह ₹ 2,488.71 करोड़ था) मिश्र कारोबार में 10.61% (₹ 5,15,040.06 करोड़ से ₹ 5,69,710.32 करोड़) के सुदृढ़ कारोबार वृद्धि के कारण निवल ब्याज आय में 6.44% की वृद्धि हुई। गैर-ब्याज आय में 25.74% की वृद्धि हुई और पिछले वर्ष के 52.12% की तुलना में 67.23% परिचालनगत व्यय कवर हुआ।

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सारांश निम्नलिखित है :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	7810.69	8313.43	6.44
गैर ब्याज आय	2641.77	3321.77	25.74
परिचालन व्यय	5068.24	4940.66	-2.52
परिचालन लाभ	5384.23	6693.95	24.33
प्रावधान/आकस्मिकताएं	2895.52	4016.43	38.71
निवल लाभ	2488.71	2677.52	7.59
प्रति शेयर अर्जन (₹)	47.35		
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	283.24	326.52	15.28
औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ (%)	17.80	15.63	-
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.82	0.72	-

कुछ मुख्य वित्तीय अनुपात नीचे प्रस्तुत किए गए हैं :

(प्रतिशत) (%)

मानदण्ड	2010-11	2011-12
अग्रिम पर आय	8.62	9.38
निवेश पर आय	7.59	7.69
निधियों पर आय	7.14	7.88
जमा राशियों की लागत	5.03	6.01
निधियों की लागत	4.57	5.58
निवल ब्याज मार्जिन	2.92	2.52
परिचालन व्ययों के प्रति गैर ब्याज आय	52.12	67.22
औसत कार्यशील निधि के प्रति अन्य आय	0.87	0.92
औसत कार्यशील निधि के प्रति परिचालन व्यय	1.66	1.37
औसत कार्यशील निधि के प्रति स्टाफ व्यय	1.14	0.84
औसत कार्यशील निधि के प्रति अन्य परिचालन व्यय	0.52	0.52
आस्ति उपयोग अनुपात	1.77	1.85
कुल आय के प्रति गैर ब्याज आय	10.83	10.44
निवल आय के प्रति गैर ब्याज आय	25.27	28.55
निवल आय के प्रति लागत	48.49	42.47

### खण्डवार कार्य-निष्पादन

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने ₹6,693.95 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया है। इसमें कोषागार परिचालनों का योगदान ₹5909.00 करोड़ का रहा और अन्य बैंकिंग परिचालनों ने ₹784.95 करोड़ का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2011-12 में अविनोज्य व्यय, अविनोज्य आय को कम कर ₹152.98 करोड़ रहा।

### लाभांश

वर्ष के लिए ₹7 प्रति शेयर (70%) की दर से लाभांश घोषित किया गया। कुल लाभांश भुगतान की राशि ₹465.98 करोड़ है। (लाभांश वितरण कर सहित)

### पूँजी

वित्तीय वर्ष 2011-12 में बैंक की निवल मालियत ₹15,499.50 करोड़ से बढ़कर ₹18,759.40 करोड़ हुई। वर्ष के दौरान बैंक ने राइट या इक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के माध्यम से अपनी इक्विटी पूँजी को बढ़ाया।

### पूँजी पर्याप्तता

बासल II फ्रेमवर्क के अनुसार वर्ष के दौरान पूँजी पर्याप्तता अनुपात 11.95% रहा। जो कि नियामक आवश्यकता से 10% उच्चतर था।

पूँजी पर्याप्तता (बासल II) के विवरण निम्नानुसार दर्शाए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण (बासल II के अंतर्गत)	31.03.2011		31.03.2012	
	राशि	सीआरएआर (%)	राशि	सीआरएआर (%)
टियर I पूँजी	17,047	8.33	20,230	8.59
टियर II पूँजी	7,867	3.84	7,916	3.36
कुल पूँजी	24,914	12.17	28,147	11.95
जोखिम भारित आस्तियाँ	2,04,762	-	2,35,466	-

## प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

### वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

यूरोपियन देशों में लगातार और दीर्घकालिक गहन ऋण संकट के कारण वर्ष 2011 के दौरान विश्व अर्थ व्यवस्था की स्थिति काफी हद तक गिर गई थी। यूरो क्षेत्र में आयी हल्की सी मंदी से उन्नत अर्थ-व्यवस्थाओं का आर्थिक सुधार होना थम सा गया था। दूसरी ओर यूएस में विशेषरूप से 2011 की दूसरी छमाही में उन्नत वृद्धि और रोजगार स्थिति वर्ष के दौरान एक मुक्ति की विशेषता थी। विश्व उत्पादन वर्ष 2010 के 5.3% से 2011 में 3.9% तक गिर गया। उन्नत अर्थ-व्यवस्थाओं की जीडीपी वृद्धि वर्ष 2010 के 3.2% की तुलना में 2011 में 1.6% तक गिर गई। उभरती हुई और विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं का उन्नत देशों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव रहा जो 2010 में 7.5% के 2011 में 6.2% धीमी वृद्धि का साक्ष्य रहा। वस्तुओं के मूल्यों के मोर्चे पर 2011 में कुछ राहत थी क्योंकि मुख्य वस्तुओं, कच्चे तेल का मूल्य मुख्यतः कमजोर आर्थिक गतिविधियों के कारण मुलायम बने रहे। मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र में भौगोलिक-राजनीतिक तनावों और आपूर्ति भंग हो जाने पर अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें उच्च स्तर पर पहुंच गई। एक समय ऐसा भी आया कि कमजोर वैश्विक गतिविधियों के कारण मांग घट गई थी जिसके कारण यूरो क्षेत्र में बैंकिंग और सरकारी बाण्ड वर्धमान रूप से दबाव में आ गये। बैंकों के दूर रहने के कारण विश्व अर्थ-व्यवस्था अस्थिर बनी रही। तथापि निर्भीक और अभूतपूर्व नीति कार्यवाहियों और यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक द्वारा नकदी प्रदान करने के कारण वर्ष के अंत तक विश्व बाजार की प्रवृत्ति में सुधार होना प्रारंभ हो गया था।

### वैश्विक अर्थ-व्यवस्था संभावना

विश्व अर्थ-व्यवस्था वापसी के मार्ग पर जारी रहने की उम्मीद है। अलबत्ता इसकी गति धीमी रहेगी। ग्रीक ऋण पुनर्संरचना कार्यक्रम के पूरा हो जाने और यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक (ईसीबी) का सहयोग जारी रहने से यूरोप, वित्तीय संकट से मुक्त होता दिख रहा है। इसके बावजूद गहन ऋण संकट जैसे कि बैंकों का दूर रहना, राजकोषीय समेकन के असर के विभिन्न प्रभावों को आगे बढ़ाने के कारण यूरो क्षेत्र के हल्की सी मंदी में जाने की उम्मीद है। वर्ष 2012 के दौरान यू.एस. आर्थिक संकेतकों ने मजबूत कार्य-निष्पादन जारी रखा है, यद्यपि मांग पक्ष के संकेतकों की तुलना में आपूर्ति पक्ष के संकेतक अधिक मजबूत दिखाई देते हैं। भूकंप की प्रतिक्रिया में अल्पावधि राजकोषीय प्रेरक उपचार से जापान भी लाभान्वित हो रहा है। चीन ने अपनी वृद्धि का पूर्वानुमान 2011 के 9.2% से 2012 के लिए 7.5% तक घटा दिया है। उन्नत अर्थ-व्यवस्थाओं और चीन से बाहरी मांग के घट जाने के कारण उभरती हुई और विकासशील अर्थ-व्यवस्था में सामान्यतः वृद्धि की गति धीमी रहने की संभावना है। 2011 की दूसरी छमाही और 2012 की पहली छमाही में कमजोर गतिविधियों के कारण आईएमएफ द्वारा अनुमानित वैश्विक वृद्धि 2011 के 3.9% से 2012 में 3.5% तक गिर जाने की संभावना है। उन्नत अर्थ-व्यवस्थाओं में 2013 में मामूली से उन्नत कार्य-निष्पादन के साथ 2012 में 1.4% वृद्धि और उभरती हुई अर्थ-व्यवस्थाओं में 2011 में 6.2% की तुलना में 2012 में 5.7% वृद्धि की संभावना है। तथापि, ये वृद्धि अनुमान अधोमुखी जोखिम के ऐसे मामले जैसे कि कच्चे

तेल का मूल्य, विकसित अर्थ व्यवस्थाओं में डिलेवरेजिंग दबाव का देर तक बने रहना और राजनीतिक तथा नीति संबंधी अनिश्चितता के कारण, धुंधले दिखाई देते हैं।

### घरेलू आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थ-व्यवस्था और कारोबार परिदृश्य का भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान प्रत्येक तिमाही में वृद्धि दर पहली तिमाही में 7.7% से नीचे आ गई है। जीडीपी वृद्धि दर दूसरी तिमाही में 6.9% और तीसरी तिमाही में 6.1% लगातार नीचे आ रही है। सीएसओ के अग्रवर्ती अनुमान के अनुसार 2010-11 के 8.4% की तुलना में 2011-12 के दौरान 6.9% वृद्धि दर दर्ज करने की संभावना है। जीडीपी वृद्धि में धीमी गति से निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर में 2010-11 के 7.6% की तुलना में 3.9% , 2010-11 के दौरान 7.0% की तुलना में 2.5% की कम कृषि वृद्धि दर और खनन में नकारात्मक वृद्धि दर (-2.2%) और निर्माण कार्य की गतिविधियों में गिरावट के लक्षण हैं।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति ने नवम्बर, 2011 तक लगभग दुगने अंक को छूआ, जिसका खाद्य और गैर-खाद्य मुद्रास्फीति दोनों पर प्रभाव रहा। दिसंबर से इसने सन्तुलित रूप से नीचे आना प्रारंभ किया और मार्च 2012 में 6.89% रही। खाद्य मुद्रास्फीति पर्याप्त रूप से नीचे आई, किन्तु कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण ईंधन समूह की मुद्रास्फीति उच्च बनी रही।

वर्ष 2011-12 के दौरान निर्यात ने 20.9% की वृद्धि दर के साथ 300 बिलियन यूएसडी को पार कर लिया और आयात 32.2% वृद्धि के साथ 488.6 बिलियन यूएसडी बढ़ा जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा 2010-11 के 118.6 बिलियन से 2011-12 में 184.9 बिलियन यूएसडी बढ़ा। चालू खाता घाटा (सीएडी) भी वास्तविक शर्तों और साथ ही साथ जीडीपी अनुपात दोनों में बढ़ा। अप्रैल-दिसंबर 2010 में जीडीपी का 3.3 प्रतिशत बनाते हुए यूएस\$ की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2011 की अवधि में यूएस\$ 53.7 बिलियन जीडीपी का 4.0 प्रतिशत था। विदेशी मुद्रा आरक्षित जो अगस्त 2011 में यूएस\$ 322.0 बिलियन सबसे ऊपर पहुंच गया था। मार्च 2012 के अंत तक यूएस डॉलर के विरुद्ध रुपये को मजबूत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के आंशिक रूप से हस्तक्षेप के कारण यूएस\$ 294.4 बिलियन तक गिरा।

2011-12 के दौरान एफआईआई द्वारा निधियों के बहिर्गमन के अंतर्गत अगस्त 2011 के अंतिम सप्ताह में रुपया दबाव में रहा और दिसंबर 2012 तक लगातार दबाव में रहा। 27 जुलाई, 2011 को ₹43.94 की ऊँचाई से 15 दिसंबर 2011 को रुपये ने प्रति डालर 19% के मूल्यहास को दर्शाते हुए ₹54.23 के न्यूनतम को छूआ। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा और नियामक उपाय कठोर करने, जैसे कि खुली सीमा स्थिति को सीमित करने और विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के उपाय करने पड़े। मार्च 12 तक भारतीय रुपये ने यूएस और यूरो के विरुद्ध क्रमशः 12.5% और 7.8% का मूल्यहास दर्शाया।



यूरोपियन गहन ऋण संकट के कारण 2011-12 के दौरान विभिन्न वित्तीय बाजारों का कार्य-निष्पादन भी प्रभावित हुआ जिसने जोखिम निवारण को बढ़ावा दिया और तेजी से पूंजी सुरक्षित रखने का अवसर दिया। इक्विटी बाजार 2011-12 के दौरान गिरा और सेंसेक्स 31.3.2011 की यथा स्थिति 19445 से 31.3.2012 को 17404 तक नीचे उतर गया, जिससे 10.5% का नुकसान हुआ। मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूति बाजार में कठोर नकदी स्थिति, उच्च मुद्रास्फिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नीति दर में वृद्धि और सरकार द्वारा उच्च उधार के कारण दरें उच्च रहीं। मांग दरें लगभग 6.6% से अप्रैल के लगभग 9.0% से मार्च 2012 में 9.50% तक बढ़ी और न्यूनतम मानदण्ड 10 वर्ष के सरकारी बाण्डों पर प्रतिफल 31 मार्च, 2011 के 7.98% से 31 मार्च, 2012 को 8.53% तक ऊपर बढ़ा। वर्ष 2011-12 के दौरान नकदी स्थिति खराब रही जो घाटे के रूप में बनी रही और भारतीय रिज़र्व बैंक को खुले बाजार परिचालन का सहारा लेना पड़ा और सीआरआर को दो बार 6.0% से 5.50% और फिर से 4.75% करना पड़ा। लगातार उच्च मुद्रास्फिति के कारण वर्ष 2011-12 में ब्याज दर को सख्त किया गया और वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पाँच बार रेपो दर में वृद्धि की गई।

वर्ष 2011-12 को कर राजस्व में कम वृद्धि और गैर-योजना खर्च में उच्च वृद्धि के कारण उच्च राजकोषीय स्लिपेज द्वारा अंकित किया गया इसके परिणाम स्वरूप 4.6% के बजटीय स्तर के विरुद्ध राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% बढ़ा।

घरेलू आर्थिक संभावना वर्ष 2011-12 के दौरान 6.9% से 7.3% की जीडीपी वृद्धि दर में सन्तुलित प्रति प्राप्त से राजकोषीय वर्ष 2012-13 में मैक्रोइकोनोमिक संभावना सकारात्मक प्रतीत होती है। यद्यपि हाल के महीनों में मुद्रास्फिति का दबाव लौट गया है, किन्तु कच्चे तेल में और तेजी, राजकोषीय स्लिपेज और रुपये के मूल्यहास के कारण मुद्रास्फिति का ऊपरी जोखिम हो सकता है। कुल मिलाकर मार्च 2013 के अंत तक मुद्रास्फिति परिदृश्य सामान्य बने रहने की संभावना है। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फिति की 6.5% की संभावना है। घरेलू निधियों की लागत में अपेक्षित गिरावट, उपभोक्ता प्रवृत्ति और ब्याज दर के संवेदनशील क्षेत्र में तेजी आएगी। निर्माण और खनन क्षेत्र में सुधार प्रदर्शित करते हुए बुनियादी परिणाम देंगे। सेवा क्षेत्र फिर से सम्पूर्ण आर्थिक वृद्धि में सहयोग देगा। नये भौगोलिक क्षेत्रों में निर्यात की विविधता के बाजजूद वित्तीय वर्ष 2012-13 में भारतीय निर्यात मन्द रहने की संभावना है।

### बैंकिंग उद्योग - और संभावना

जमाराशि वृद्धि और मुद्रा वृद्धि में धीमी गति के कारण वर्ष के दौरान मुद्रा आपूर्ति (एम3) वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशात्मक प्रेक्ष्य पथ 15.5% से कम 13.0% मन्द रहेगी।

दिसंबर 2011 तक बैंकिंग प्रणाली की जमावृद्धि मजबूत रही, किन्तु बाद में इसने गति को खो दिया तथापि, वर्ष के आखिरी महीने के दौरान बड़ी मात्रा में जमाराशियां जुड़ जाने से 2010-11 के 15.9% की तुलना में 2011-12 में जमावृद्धि 17.4% रही औद्योगिक और निवेश गतिविधियों में गिरावट के प्रभाव

से ऋण वृद्धि मंद रही, जिसने 2010-11 में 21.5% की वृद्धि की तुलना में 19.3% वृद्धि दर दर्ज की।

2011-12 के दौरान मुद्रास्फिति को नियंत्रित करने मुद्रास्फिति की संभावना को रोकने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा नीति की अवस्थिति जनवरी 2012 तक सख्त बनी रही। बाद में मांग पक्ष के दबाव में नरमी और मुद्रास्फिति तथा वृद्धि जोखिम को समझने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने तटस्थ नीति अवस्थिति का अनुपालन किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने नकदी घाटा स्थिति से निपटने के लिए खुले बाजार परिचालन और सीआरआर में कमी जैसे सक्रिय उपाय किए। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान नियामक उपायों में परिवर्तन के बीच प्रारंभ में बचत जमा में ब्याज दर को 3.50% से 4.0% तक बढ़ाया और बाद में डिरेग्युलेट किया गया। एनपीए के लिए प्रावधान मानदण्ड और पुनर्संचित खातों को सख्त किया गया। इसके अलावा नोट किए जाने योग्य उपायों में ऋण उन्मुख म्युचुअल फण्डों में अपने निवेश कम करने टीयर-2 केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को अनुमति, माइक्रोफाइनेंस और एनबीएफसी के विनियमन की बैंकों को सूचना दी गई।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंकों के लिए एनपीए की सिस्टम संचालित पहचान की शुरुआत एक महत्वपूर्ण प्रगति थी जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के एनपीए में वृद्धि हुई और प्रावधान किया गया, जिसका लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव हुआ।

बैंकों द्वारा जमाराशि दर में वृद्धि और अ-विनियमन जमा दर को मिलाकर सावधि जमा दर में वृद्धि की गई, फलस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नीति दर वृद्धि को एनआईएम को प्रभावित करने वाले लागत दबाव से जोड़ा गया। बैंक की लाभ प्रदता न्यूनतम एनआईएम और उच्च एनपीए प्रावधान से विविध रूपों में प्रभावित हुई। सरकार द्वारा पूंजी प्रदान करने के बावजूद अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2011-12 के दौरान पूंजी के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना किया।

आगे चलकर उच्च जीडीपी वृद्धि और वित्तीय वर्ष 2012-13 में अपेक्षित उन्नत औद्योगिक कार्य-निष्पादन से बैंकों को 2012-13 में बेहतर कार्य-निष्पादन की उम्मीद है। तथापि, निकट भविष्य में बैंकों के लिए निम्नलिखित मामले चुनौतीपूर्ण सिद्ध होंगे :


- बासल - III के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता
- बड़ी मात्रा में अनुभवी लोगों की सेवा निवृत्ति और नई भर्ती के संघर्षण को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन के मामले
- भारतीय रिज़र्व बैंक को स्वतः डेटा प्रवाह की सुविधा के लिए एमआईएस का प्रबंधन करना
- बचत जमा राशि और एनआरआई जमा राशियों पर ब्याज के अ-विनियमन के सन्दर्भ में एनआईएम में सुधार करना।
- आस्ति स्वास्थ्य और एनपीए प्रबंधन की लगातार निगरानी।

**कारोबार समीक्षा**

**जमाराशियां**

वर्ष के दौरान 6.47% वृद्धि दर्ज करते हुए बैंक की जमाराशियों में ₹ 19,330.22 से 3,18,216.03 करोड़ की वृद्धि हुई। घरेलू जमाराशियों में ₹ 2,48,475.30 करोड़ और ओवरसीज़ जमाराशियों में ₹ 69,741 करोड़ रही।

बैंक की अनिवासी जमाराशियां ₹ 13,778 करोड़ रही जो सकल घरेलू जमाराशियों का 5.60% हिस्सा बनती हैं। बचत बैंक जमाराशियों में 13.05%




वृद्धि हुई तथा चालू जमाराशि में प्रगति 3.81% रही। कुल घरेलू जमाराशियों में एवं चालू जमाराशियों को शामिल करते हुए कम लागत वाली जमाराशियों का शेयर (अंतर बैंक जमाराशियों को छोड़कर) 34.25% है।

घरेलू जमाराशियों का 12% ग्रामीण क्षेत्र से आने से 13% अर्द्धशहरी क्षेत्रों से आने से 18% शहरी क्षेत्रों एवं 57% महानगरीय क्षेत्रों से आने से विविध जमाराशियों का अच्छा आधार है। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, बैंक का कुल ग्राहक आधार 54.09 मिलियन है जिसमें 49.90 मिलियन जमाकर्ता तथा 4.19 मिलियन उधारकर्ता हैं।

**अग्रिम**

बैंक के सकल अग्रिमों ने 31.03.2011 को ₹ 2,16,154 करोड़ से 31.03.2012 को ₹ 2,51,494 करोड़ तक 16.4% की वृद्धि दर्शायी है।

बृहद कार्पोरेट पोर्टफोलियों के अंतर्गत बैंक ने 88 नए ग्राहक एवं खाते जोड़े। 13 बृहद कार्पोरेट बैंकिंग शाखाएं, 39 मिड कार्पोरेट शाखाएं और 9 समुद्रपारीय एनआरआई शाखाएं, कार्पोरेट उधारकर्ताओं/ निर्यातकों की विशिष्टिकृत ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करती रही।



**आधारभूत वित्त**

वर्ष के दौरान बैंक ने उर्जा निर्माण, दूर संचार, बंदरगाह, सड़के, निर्माण ठेकेदार आदि के अंतर्गत ₹ 4654 करोड़ की निधि आधारित सीमाएं एवं ₹ 336 करोड़ की गैर निधि आधारित सीमाएं मंजूर की।

**निर्यात ऋण**

देशी मुद्रा तथा साथ ही साथ विदेशी मुद्रा में निर्यातक तथा आयातक ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में बैंक अत्यधिक सक्रिय रहा। देश में बैंक की 208 शाखाएं विदेशी विनियम कारोबार तथा आयातकों एवं निर्यातकों की ऋण/विदेशी विनियम आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अधिकृत हैं। बैंक के निर्यात ऋण में ₹ 739 करोड़ की वृद्धि हुई अर्थात् मार्च 2011 के ऊपर 10% वृद्धि एवं 31 मार्च, 2012 को ₹ 8,128 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया। निवल समायोजित बैंक ऋण में 31 मार्च, 2012 को निर्यात ऋण का हिस्सा 5.04% था।

निर्यातक एवं गैर निर्यातकों की वित्तीय आवश्यकताएं बैंक की समुद्रपारीय शाखाओं तथा देशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा ऋण से ईसीबी के द्वारा पूर्ण की गयी। 31.03.2012 तक इस तरह के अग्रिम की कुल राशि यूएसडी 1405.84 मिलियन, ईसीबी यूएसडी 652.12 मिलियन तथा विदेशी मुद्रा ऋण यूएसडी 753.72 मिलियन को मिलाकर जो ₹ 7,152.21 करोड़ के समकक्ष है। बैंक ने पोतलदानपूर्व एवं पोतलदान पश्चात ऋण को विदेशी मुद्रा में प्रदान किया तथा 31.03.2012 तक बकाया राशि यूएसडी 244.75 मिलियन है (₹ 1,245.17 करोड़ के समकक्ष)।

**होलसेल एवं इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप (प्रधान कार्यालय)**

**बृहद कार्पोरेट**

31.03.2012 को कुल अग्रिमों में बृहद कार्पोरेट संभाग का 47% हिस्सा है। इस महत्वपूर्ण संभाग में ऋण 31.03.2011 के ₹ 80,821 करोड़ से बढ़कर 31.03.2012 में ₹ 86,703 करोड़ हो गया। ऐसा तय किया गया है कि कुल अग्रिमों में बृहद कार्पोरेट के हिस्से को धीरे-धीरे 42% तक लाए जाने की



आवश्यकता है, जिससे कि निधियों को संविभागों में नियोजित किया जा सके जहाँ आय (आगम) तुलनात्मक रूप से बेहतर है।

“संकल्प 10,000” के कार्यान्वयन से बृहद कार्पोरेट क्रेडिट सेट-अप को निम्नलिखित के लिए पुनः डिजाइन किया गया है:

- अलग बृहद कार्पोरेट वर्टिकल का ₹500 करोड़ से अधिक की ब्रिकी टर्नओवर वाले बृहद कार्पोरेट की आवश्यकताओं के निर्वाह के लिए सृजित किया गया है। अधिक संकेन्द्रित ध्यान देने एवं टर्न अराउंड समय को कम करने के लिए 08 अतिरिक्त एलसीबी वर्ष 2010-11 के दौरान एवं 02 एलसीबी 2011-12 के दौरान खोली गयी हैं। इस तरह इनकी संख्या 10 हो गयी है।
- बृहद कार्पोरेट शाखाओं में खातों को आरएसएम से मैप किया गया है, जो नकदी प्रबंधन, फोरेक्स, कोषागार उत्पाद, कारोबार वित्त, जमाराशियों, खुदरा बैंकिंग, अन्य पक्ष के उत्पाद हेतु ग्राहकों की कार्पोरेट आवश्यकताओं को देखेंगे एवं ग्राहकों के लिए उनकी सभी बैंकिंग आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु संपर्की प्रबंधक के माध्यम से एक संपर्क स्थान होगा।
- बृहद कार्पोरेट शाखाओं में ऋण कारोबार को शाखा प्रमुख को रिपोर्ट करने वाले संपर्की प्रबंधकों एवं ऋण टीम लीडर को रिपोर्ट करने वाले ऋण मूल्यांकन अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन के एक उपाय के रूप में सेग्रिगेट किया गया है। बृहद कार्पोरेट शाखा में प्रसंस्कृत ऋण प्रस्तावों को अब सीधे महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, बृहद कार्पोरेट विभाग को भेजा जाता है। इससे टर्नअराउंड समय में कमी हुई है।
- बैंक ने लॉर्ज कार्पोरेट शाखाओं साथ ही प्रधान कार्यालय स्तर पर लम्बित प्रस्तावों/संदर्भों की निगरानी के लिए एक प्रणाली बनाई है। इससे टर्नअराउंड समय को कम करने में सहायता मिली है।

### रणनीतियां

- बैंक ने टर्नअराउंड समय कम करने के लिए ऋण प्रसंस्करण हेतु कैप्स माड्यूल विकसित किया है।
- लार्ज कार्पोरेट शाखाएं उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अब कार्पोरेट ग्राहक की सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। लार्ज कार्पोरेट शाखाओं में संपर्की प्रबंधक (आरएसएम) तैनात किए गये हैं, जो कार्पोरेट ग्राहकों के लिए केन्द्र बिन्दु का कार्य करते हैं।

### मिड कार्पोरेट

मिड कार्पोरेट वर्टिकल की स्थापना अक्टूबर, 2010 में ग्राहकों की बैंकिंग से संबंधित सभी आवश्यकताओं को एक ही स्थान पर पूरा करने के एक मात्र उद्देश्य से की गयी। अलग मिड कार्पोरेट वर्टिकल बनाने का प्रयोजन संविभाग में उपलब्ध बृहद संभाव्यता का दोहन (हारनेस) करना है जो सामान्य जोखिम विस्तार के साथ उच्च लाभ देता है।

मिड कार्पोरेट ₹ 10 से ₹ 100 करोड़ परियोजना लागत वाली नई कंपनियों को कवर करता है। विद्यमान इकाइयों हेतु ₹.100 करोड़ - 500 करोड़ ब्रिकी

टर्नओवर का मानदण्ड लागू है। मिड कार्पोरेट वर्टिकल 07 (सात) डिविजनल कार्यालयों एवं 41 मिड कार्पोरेट शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है। 12 (बारह) प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) विशेष रूप से प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान मिड कार्पोरेट के अंतर्गत ऋण कारोबार के 20.30% वृद्धि के साथ ₹ 18,483 करोड़ से ₹ 22,234 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। इसी तरह जमा कारोबार 13.40% की वृद्धि के साथ ₹ 8,360 करोड़ से ₹ 9,483 करोड़ की वृद्धि हुई। मिड कार्पोरेट वर्टिकल ने कुल घरेलू ऋण में 12.04% एवं बैंक के घरेलू जमा कारोबार में 4.08% का योगदान दिया।

### परियोजना वित्त तथा समूहन ग्रुप

बैंक का परियोजना वित्त तथा सिंडिकेशन समूह में बैंक के अत्यधिक अनुभवी तथा योग्यता प्राप्त व्यावसायिकों द्वारा संचालित होता है। यह आधारभूत तथा औद्योगिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है।

यह तकनीकी मूल्यांकन तथा ऋण के समूहन की जिम्मेदारी लेता है। वर्ष 2011-12 के दौरान वित्तीय समापन परियोजना लागत ₹ 39,119 करोड़ के साथ किया गया तथा समूहन ऋण ₹ 20,957 करोड़ रहा। कैलेंडर वर्ष 2011 के ब्लूमबर्ग लीड टेबल्स के अनुसार बैंक ऑफ़ इंडिया के घरेलू समूहन में अखिल भारतीय बैंकिंग में सुधार हुआ और 6वें स्थान से 5वें स्थान पर रहा।

तकनीकी मूल्यांकन और बैंक की समूह टीम को मजबूत करने के लिए बैंक ने इंडस्ट्री से बहुअनुभवी इंजीनियरों तथा एमबीए योग्यता प्राप्त धारकों को भर्ती किया।

बैंक बहुमुद्रा अंतर्राष्ट्रीय समूहन हेतु मैडेट लीड अरेंजर (एमएलए) तथा ज्वाइंट बुक रनर (जीबीआर) के रूप में कार्य कर रहा है तथा यूएसडी जेपीवाई, यूरो तथा जीबीपी मुद्रा में भारतीय कार्पोरेट के लिए उनके विस्तार/अभिग्रहण तथा बड़ी मात्रा में उद्योगों को कवर करते हुए संयुक्त उद्यमों के लिए ऋण की व्यवस्था की।

तकनीकी मूल्यांकन विभाग जो समूहन टीम की सहायता करता है वर्ष के दौरान समूहन ऋण के अतिरिक्त उद्योग ऋण का मूल्यांकन करते रहा है। टीम में सम्मिलित व्यावसायिक इंजीनियरों ने वर्ष के दौरान ₹4,300 करोड़ रुपये के कारोबार के लिए तकनीकी विषयक जोखिम का मूल्यांकन किया। इससे बैंक को औद्योगिक आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने का अवसर मिला। तकनीकी मूल्यांकन विभाग ने परिचालन ने वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 21.46 करोड़ रुपये की शुल्क आधारित आय बढ़ाने में मदद की।

### संव्यवहार बैंकिंग

संव्यवहार बैंकिंग विभाग 4 कारोबारी लाइनों पर इस आशय से ध्यान केन्द्रित कर रहा है ताकि उन्हें बैंक का मुख्य राजस्व स्रोत बनाया जा सके, ये निम्नानुसार है:

- नकदी प्रबंध सेवाएं
- चैनल वित्त
- व्यापार वित्त और
- सरकारी कारोबार

वर्ष 2011-12 में बैंक ने 50 नये ग्राहक जोड़कर और विविध कारोबार खण्ड से राजस्व वृद्धि के लिए नकदी प्रबंधन सेवा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

नया साफ्टवेयर सिस्टम प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गयी है। सिस्टम अब सीएमएस, चैनल वित्त एवं व्यापार वित्त के केन्द्रीयकरण का ध्यान रखेगा। नये सिस्टम के माध्यम से पोर्टल के जरिए ग्राहक सीधे जुड़ जाएगा। नये सिस्टम का पहला मॉड्यूल अगस्त-सितम्बर 2012 तक तैयार होने की संभावना है। इसे चरणबद्ध लगाया जाएगा और इसके मार्च, 2013 तक पूरा होने की संभावना है। नया साफ्टवेयर बैंक के कोर सिस्टम फिनाकल से होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा होगा। ग्राहकों के लिए ग्राहक ईआरपी सॉफ्टवेयर से जुड़ने की क्षमता के साथ वेब एक्सेस की सुविधा होगी। इससे ग्राहकों के साथ और बेहतर संपर्क होगा एवं कारोबारी मात्रा आयाम, शुल्क आधारित आय के साथ-साथ अच्छी खासी मात्रा में प्लोटिंग बैलेंसेज की वृद्धि होगी। अकेले आधार पर छोटे बैंकों को संपर्की बैंकिंग व्यवस्थाओं एवं भारी मात्रा में जमा वाले ग्राहकों को लक्ष्य बनाया जाएगा।

बैंक के कार्पोरेट एवं एचएनडब्ल्यू ग्राहकों के लिए सभी एनबीजी कार्यालयों में कैश पिक अप सुविधा (डोर स्टैप बैंकिंग) को आरंभ किया गया है। इस पहल से लक्ष्य केन्द्रित ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है जो चिंताओं और बैंक में काफी बढ़ी राशि लाने एवं ले जाने के जोखिम से मुक्त हुए हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने विशिष्ट विपणन विषयक प्रयास किए हैं एवं छत्तीसगढ़ राज्य के विभाग (रायपुर अंचल), झारखंड राज्य के (रांची अंचल), उत्तरांचल राज्य के (गाजियाबाद अंचल), असम एवं मेघालय राज्य के सिलीगुड़ी अंचल के राज्य सरकार के विभागों से संपर्क किया है और इसके अच्छे नतीजे निकले हैं।

### अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

बैंक की पांचों महाद्वीपों एवं 19 देशों में उपस्थिति है जिसमें सभी बड़े वित्तीय केन्द्र जैसे कि लंदन, न्यूयार्क, पेरिस, टोक्यो, सिंगापुर एवं हांगकांग शामिल हैं। 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बैंक का 49 शाखाओं सहित 05 प्रतिनिधि कार्यालयों में नेटवर्क है। विदेश में बैंक की 3 की सहयोगी कंपनी एवं 01 संयुक्त उद्यम है।

बैंक की न्यूजीलैंड में अनुषंगी (सबसीडरी) 6 अक्टूबर, 2011 को खोली गयी थी। युगांडा, कनाडा, बोटस्वाना एवं ब्राजील में हमारी अनुषंगियों के खुलने, जोहन्सबर्ग एवं हो ची मिन सिटी में प्रतिनिधि कार्यालय का शाखा में उन्नयन और केन्या परिचालनों के स्थानीयकरण के कार्य अंतिम अवस्था में पहुँच गए हैं। सिंगापुर में बैंक का एक ग्लोबल प्रोसेसिंग सेन्टर (जीपीसी) है जिसके द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं ग्राहक सेवा को उन्नत किया जाता है। भारतीय परिचालनों में ओवरसीज शाखाओं की प्रणालियों के एकीकरण के कार्य को, फिनेकल कोर बैंकिंग प्लेटफार्म के तहत उन्हें लाकर, दिसंबर, 2012 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

बैंक मल्टी करेन्सी इन्टरनेशनल सिंडीकेशन ऋणों के लिए मैनडेटिड लीड अरेन्जर (एमएलए) एवं जॉइंट बुक रनर (जीबीआर) के रूप में कार्य कर रहा है और भारतीय कॉर्पोरेट्स के विस्तार/अर्जन और संयुक्त उद्यमों हेतु उद्योगों

की व्यापक रेंज को कवर करते हुए, उनके लिए यूएसडी, जेपीवाई, यूरो एवं जीबीपी मुद्राओं में ऋणों की व्यवस्था की है।

बैंक ने मुम्बई में वैश्विक धनप्रेषण केन्द्र (जीआरसी) खोला है। आवक धनप्रेषण, एनआरआई ग्राहकों के एनआरई/एनआरओ खाते खोलने के कार्यों को जीआरसी में केन्द्रीयकृत कर दिया गया है। जमाराशियों और धन राशियों में गैर निवासी ग्राहकों की सेवा के लिए, गल्फ देशों से धनप्रेषण के लिए धनप्रेषक व लाभार्थी के लिए एसएमएस अलर्ट्स की शुरुआत की गयी है। स्पीड धनप्रेषणों के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) पेश की गयी है और ऑफसाइट खाते के ब्यौरों के लिए प्रदर्शन सुविधा स्थापित की गयी है। बैंक ने यूके आधारित ग्राहकों के लिए बीओआई प्रीमियम एनआर डिपॉजिट स्कीम और स्टार ई-रेमिट की शुरुआत की है।

31 मार्च, 2012 को विदेशी शाखाओं की कुल जमाराशियां ₹ 69,741 करोड़ हैं इनमें विगत वर्ष की जमाराशियों की तुलना में ₹ 23,818 करोड़ (51.97%) की वृद्धि दर्ज की गयी। कुल अग्रिम ₹ 73,544 करोड़ हैं इनमें ₹ 22,537 करोड़ (44.2%) की बढ़ोतरी दर्ज की गयी। निवेश ₹ 4,278 करोड़ के थे।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी शाखाओं का परिचालन लाभ ₹ 1,088 करोड़ का रहा इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 332 करोड़ की वृद्धि हुई। तदनुरूप से निवल लाभ भी बढ़कर ₹ 628 करोड़ हो गया। इसमें मार्च, 2011 की तुलना में ₹ 133 करोड़ की वृद्धि हुई।

वैश्विक कारोबार एवं लाभ में योगदान के रूप में विदेशी शाखाओं ने 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए वैश्विक कारोबार के निमित्त 25.1% का योगदान दिया और परिचालन और निवल लाभ के निमित्त क्रमशः 16.2% और 23.5% की वृद्धि हुई।

### फोरेक्स कारोबार

बैंक द्वारा सँभाले गए फोरेक्स कारोबार में अच्छी खासी वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2011-12 के दौरान, निर्यात/आयात टर्नओवर क्रमशः ₹ 52,546 करोड़ और ₹ 46,460 करोड़ था। बैंक फारेक्स कारोबार में अग्रणी प्लेयर रहा है। वर्ष के दौरान बैंक की कोषागार शाखा का कुल टर्नओवर ₹ 26,60,625 करोड़ था।

### ट्रेजरी निवेश

बेंचमार्क 10 वर्ष सरकारी प्रतिभूति पर आय जो 31 मार्च, 2011 को 8.01% थी यथा दिनांक 31.03.2012 को 8.57% बढ़ गयी। यद्यपि वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की आय अत्यधिक अस्थिर रही तथा यह 8.15% से 8.98% की विस्तृत जद में रही। हमारे बैंक ने ब्याज आय तथा बाजार जोखिम के बीच संतुलन कायम रखते हुए निवेश के उच्च स्तर बनाए रखे। हमारे बैंक ने 24% निवल मांग एवं मियादी देयताओं (एनडीटीएल) की एसएलआर निवेश आवश्यकता से बढ़कर उच्च स्तर के एसएलआर निवेश को सिस्टम में अतिरिक्त नकदी तथा आरबीआई की आसान मुद्रा नीति के परिणामस्वरूप जमा वृद्धि के कारण बनाए रखा। हमारे कुल आधार पर एसएलआर निवेश ₹ 80,271 करोड़ (कुल निवेश का ₹ 87.42%) तथा गैर एसएलआर निवेश ₹ 11,554 करोड़ (कुल निवेश का 12.58%) रहा।

इस संबंध में बोई द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुसार निवेश किया जाता

है। बाजार गतिविधियों/ नियामक आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया हेतु आवधिक तौर पर इस नीति की समीक्षा की जाती है।

**ट्रेजरी परिचालन**

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने बाजार के सभी क्षेत्रों अर्थात निधियों, फॉरेक्स तथा बांड में सक्रिय भूमिका निभाई है। सरकारी प्रतिभूतियों की दर गतिविधि से लाभ लेते हुए बैंक ने अपने निवेश संविभाग को सुधारा तथा प्रतिभूतियों की बिक्री एवं व्यवसाय से लाभ अर्जित किए। बैंक ने विविध बाजार क्षेत्रों के मध्य अंतरपणन अवसर का लाभ उठाया है जिससे जमा प्रमाण-पत्र (सीडी), विदेशी विनिमय स्वैप की खरीद/बिक्री, मियादी मुद्रा बाजार में अधिक रुपया निधि रख पाया जिससे 1% से 1.5% का विस्तार हुआ। हमने 'टी' बिलों तथा अतिरिक्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध सीबीएलओ/ रेपो में उधार लेकर सीडी में ₹2,592 करोड़ का पोर्टफोलियो तैयार किया है तथा मियादी जमा में ₹850 करोड़ का ऋण दिया है जिससे अनुमानतः 1% से 1.5 % का विस्तार प्राप्त हुआ है।

**नैशनल बैंकिंग ग्रुप (प्रधान कार्यालय):**

**ग्रामीण बैंकिंग**

**1. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम:**

बैंक ग्रामीण एवं अर्धशहरी शाखाओं के अपने व्यापक नेटवर्क एवं समर्पित कार्मिकों के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में सेवा करने वाले रहनुमाओं में से एक है। प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम बड़ा कारोबारी मौका प्रदान करने के अलावा, व्यापक सामाजिक जिम्मेदारियां भी प्रदान करते हैं।

बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 59,245 करोड़ का उत्कृष्ट स्तर दर्ज किया है जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 36.67% है।

विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत बैंक मार्च, 2012 तक ₹ 13,067 करोड़ का संवितरण कर सका।

विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की स्थिति निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

	यथा 31 मार्च को		वृद्धि	
	2011	2012	राशि	प्रतिशत
1. कृषि	17,632	23,468	5,836	33.09
2. लघु उद्यम	23,705	27,128	3,423	14.44
3. शिक्षा	1,927	2,193	2,66	13.80
4. आवास	5,616	6,416	8,00	14.25
<b>कुल प्राथमिकता क्षेत्र</b>	<b>48,880</b>	<b>59,205</b>	<b>10,325</b>	<b>21.12</b>

**2. केंद्रित जिलों में केंद्रीय प्रसंस्करण केन्द्र**


संकल्प 10,000 पहल के कार्यान्वयन के रूप में कृषि ऋण में वृद्धि के प्रयोजन से चयनित अंचलों में केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए गए। अब तक 52 सीपीसी खोले गए हैं।

**3. किसान क्रेडिट कार्ड:**

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य कृषकों को उनकी कृषि आवश्यकताओं साथ ही साथ गैर-कृषि गतिविधियों सहित इस उद्देश्य के साथ है कि ऋण उपयोग के बारे में लचीला तथा परिचालनात्मक स्वतंत्रता मिल सके। वर्ष के दौरान बैंक ने कुल ₹7,005 करोड़ की कुल सीमा वाले 167440 नए किसान कार्ड जारी किए। बैंक द्वारा अब तक जारी 1145162 किसान कार्डों (संचयी) जारी किए जिसमें ₹8,179 करोड का वित्तीय परिव्यय शामिल है।

**4. ऋण अदला-बदली (स्वैप) :**

बैंक ने नई योजना यथा 'ऋण अदला-बदली' डिजाइन की है जिसका उद्देश्य ऋणग्रस्त कृषकों को साहूकारों के बकाया देय से मुक्ति दिलाना है तथा अस्वाभाविक दरों पर गैर-संस्थागत देनदारों से ऋण भार से कृषकों



द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को कम करना है। बैंक ने 146 गांवों को साहूकारी प्रथा से मुक्ति दिलाई है तथा 13000 से अधिक लाभार्थियों को वित्तपोषित किया है।

#### 5. विभेदक ब्याज दर:

बैंक द्वारा कार्यान्वित विभेदक ब्याजदर (डीआरआई) योजना नाम के अंतर्गत उत्पादक उद्यमों हेतु चयनित कम य समूहों को 4% की छूट दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है। बैंक ने इस वर्ष के दौरान डीआरआई योजना के तहत 11665 मामले स्वीकृत किए गए हैं।

#### 6. अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम:

अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु केन्द्रित ध्यान सहित, बैंक विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियन तथा बौद्ध को वित्त प्रदान कर रही है। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने विभिन्न समुदायों ₹ 275.49 करोड़ और मार्च, 2012 तक ₹ 8,184 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लेवल दर्ज किया गया।

#### 7. स्वर्णजयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना:

बैंक सक्रिय रूप से स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जीजेआरएचएफएस) के कार्यान्वयन में शामिल है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वार आबंटित लक्ष्य ₹ 72.73 करोड़ को प्राप्त कर लिया है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत बैंक ने 1443 मामलों को स्वीकृत किया।

#### 8. व्यष्टि वित्त/व्यष्टि ऋण

व्यष्टि ऋण की योजना गरीबों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए उन्हें बढ़े हुए स्व-नियोजन अवसर प्रदान कर उन्हें ऋण लेने योग्य बनाने के लिए एक प्रभावशाली साधन के रूप में पाई गई है।

₹ 1,631 करोड़ के वित्तीय व्यय सहित 99984 से अधिक एसएचजी ऋण संबद्ध बैंक के पास हैं। इनमें से 80328 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह से संबद्ध हैं जिसमें बैंक का ₹ 1,480 करोड़ वित्तीय परिव्यय है।

#### 9. सौर ऊर्जा आवास प्रकाश प्रणाली

बिजली की समस्या से निपटने के लिए बैंक ने सौर ऊर्जा आवास बिजली प्रणाली की योजना का आरम्भ किया है। सौर ऊर्जा आवास प्रकाश प्रणाली की खरीद तथा संस्थापन के लिए भावी उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया है। ₹ 6.17 करोड़ के वित्तीय परिव्यय सहित बैंक ने अब तक 1072 इकाई स्वीकृत की है।

#### 10. मेगा परियोजना - 140 गांव :

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता निर्माण तथा शहरी सुविधाएं निर्मित करता है जिसमें शहरी ग्राहकों को उपलब्ध प्रौद्योगिकी ग्रामीण घरों में भी पहुंचाना है। अब तक, 17 राज्यों तथा 78 जिलों में फैले 140 गांवों की इस योजना ने कवर किया है। बैंक ने 51,000 लाभार्थियों द्वारा इस योजना के अंतर्गत ₹ 492 करोड़ वित्तपोषित किया है।

#### 11. अग्रणी बैंक दायित्व:

पांच राज्यों यथा झारखण्ड (15), महाराष्ट्र (12), मध्य प्रदेश (12), उत्तर प्रदेश (7) तथा उड़ीसा (2) में फैले 48 जिलों की अग्रणी बैंक दायित्व की जिम्मेदारी बैंक के पास है। इन सभी अग्रणी जिलों में बैंक सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक के लिए ₹ 7,483 करोड़ का ऋण परिव्यय शामिल करते हुए सभी अग्रणी जिला में वर्ष 2011-12 के लिए लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) लागू की गई। बैंक की उपलब्धि ₹ 7,495 करोड़ रही जो वार्षिक ऋण योजना उपलब्धि का 100.16% है।

#### वित्तीय समावेशन

देश के दीर्घकालिक विकास तथा विस्तृत विकास प्रक्रिया का वित्तीय समावेशन एक अनिवार्य पक्ष है। वित्तीय समावेशन को व्यवहार्य कारोबारी प्रस्ताव समझते हुए विपणन अभिमुख पहल को अपनाते हुए वित्तीय समावेशन में कूटनीति के परिवर्तन हैं। प्रतिमान निःसंदेह "सीएसआर" से "आर्थिक व्यवहार्यता" में परिवर्तित हुआ। वित्तीय क्षेत्र द्वारा आवश्यक सुरक्षित और प्रभावशाली ढंग से कम लागत लेनदेन आईसीटी आधारित सॉल्यूशन की उपलब्धता से संभव हो सका है। दायित्व के बजाए समपार्श्व अवसर के द्वारा बैंक प्रत्याशित बैंकिंग सेवाएं को देख रहा है।

बैंक ने वित्तीय समावेशन को महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक नए कारोबारी इकाई के रूप में तैयार किया है जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना (2010-13) है। बैंक ने कारोबारी संपर्कियों एवं आईसीटी आधारित हैंड धारित डिवाइसों (माइक्रो एटीएमों) के माध्यम से 29000 गांवों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने अन्तर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं वाले नो फ्रिल अकाउन्ट्स के माध्यम से 125 लाख लोगों को जोड़ा है। ऐसा उनको तुरंत उपयोग संबंधी जरूरतों और पात्र लोगों को उद्यम क्रेडिट प्रदान करने के लिए किया गया है ताकि वे पर्याप्त जीविका अर्जित कर सकें। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों/स्वयं नियोजितों को मोबाइल आधारित धनप्रेषण सुविधा भी मुहैया करायी गयी है ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों को धनराशि भेज सकें और अन्य सेवाओं के साथ-साथ माइक्रो इश्योरेंस सहित बैंक के थर्ड पार्टी उत्पादों तक अपनी पहुँच रख सकें।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) 2011-12 के अंतर्गत प्रगति का सार निम्नानुसार है :

• खोले गए नो-फ्रिल खातों की संख्या	:	62.69 लाख (2010-11 में 50.07 लाख)
• जारी स्मार्ट कार्डों की संख्या	:	7.65 लाख
• जारी जीसीसी/केसीसी	:	₹ 8,423 करोड़ (12.44 लाख खाते)
• लगाए गए कारोबारी संपर्क	:	3813 कारपोरेट बीसी
• लगाए गए चैनल प्रबंधन भागीदार	:	81
• गांवों की संख्या जहां 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त किया	:	10008



बैंक ने 31.03.2011 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त 2992 गांवों में 100% वित्तीय समावेश का लक्ष्य प्राप्त किया जोकि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित तिथि 31.03.2012 से पूर्व ही प्राप्त किया गया। पर्याप्त जोखिम प्रशामकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं वाली बेहतरीन परिचालन प्रणालियाँ बनायी गई हैं और अमल में लायी जा रही हैं।

#### स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसएटीआई)

ग्रामीण युवाओं के मध्य बेरोजगारी की समस्या से निपटने के उद्देश्य से बैंक ने वर्ष 2005 में “स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एसएसपीएस)” नामक समर्पित ट्रस्ट की स्थापना की पहल की। ट्रस्ट की स्थापना के तत्काल बाद दो एसएसपीएस (रुडसेटी) की स्थापना भोपाल एवं कोल्हापुर में की गई। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस पहल को मूल्यवान माना तथा इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना वासी देश के प्रत्येक जिला में ग्रामीण श्रेणियों के ग्रामीण बीपीएल युवाओं को तलाशने हेतु प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव दिया। स्थापना, शब्दावली, प्रायोजन, प्रबंधन कार्यक्रम संरचना, स्टाफ एवं प्रशासन, एमआईएस परिभाषित किए गए। बैंक को संस्थाओं की स्थापना हेतु 42 केंद्र आबंटित किए गए। बैंक ने ऐसी 41 संस्थाएं झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में स्थापित की है। इन केंद्रों में 9626 क्रेडिट इंयुट के साथ इस तारीख तक 24968 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बैंक ने रांची (झारखंड), बाराबांकी (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), पेन (महाराष्ट्र) तथा बेलगांव (कर्नाटका) में प्राथमिक स्वास्थ्य पर ध्यान, वयस्क साक्षरता, विस्तृत वित्तीय पहुंच तथा वृद्धि की योजना, सिविल सोयायटी संस्थाओं को सुदृढ़ करना, पर्यावरणीय स्थिरता इत्यादि में एसएसपीएस (रुडसेटी) के कार्यक्षेत्र में विस्तार हेतु पांच एकीकृत एसएसपीएस (रुडसेटी) का विस्तार/स्थापित करने की योजना बनाई है। बैंक इन क्षेत्रों में व्यापक चुनौतियों का सामना करने हेतु जनसामान्य, निजी एवं सामाजिक क्षेत्र के विविध स्रोतों को साथ लाने के लक्ष्य हेतु तालमेल एवं फोस्टर रणनीतिक साझेदारी करना चाहता है।

#### वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्शी केंद्र (अभय/ABHAY)

बैंक ने दैनिक आधार पर वैयक्तिक वित्त से संबंधित मामलों पर वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के साथ वित्तीय व्यवहार की जटिलताओं के मूल्यांकन हेतु आम आदमी को वित्तीय साक्षरता देने की आवश्यकता को समझा है। आगे, जो ऋण के अप्रबंधन के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें भी दिवालियापन एवं चुकौती दायित्वा से बाहर निकलने हेतु ऋण परामर्श की आवश्यकता है ताकि उनकी वित्तीय प्रबंधन में सुधार हो सके। इस परीप्रेक्ष्य ने बैंक ने 5 (पांच) ऋण परामर्शी केंद्र “अभय” नाम से मुंबई, वर्धा, गुमला, कोलकाता और चैन्नई में खोले हैं जो जिनका कार्य वरिष्ठ एवं अनुभव बैंकरों द्वारा देखा जा रहा है। व्यथित उधारकर्ताओं के लिए अलग-अलग मामलों हेतु उपचारात्मक परामर्श के अलावा, मिडिया, कार्यशाला एवं सेमिनार के माध्यम से निवारण परामर्श भी दिया जा रहा है। अब तक परामर्श के 9370 मामले लिए गए जिनका निवारण तत्काल करके व्यथित उधारकर्ताओं के चेहरों पर मुस्कान लाई गई।

#### क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

बैंक ने 5 (पांच) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) झारखंड ग्रामीण बैंक (झारखंड राज्य), आर्यवर्त ग्रामीण बैंक (उत्तर प्रदेश राज्य), बैतरणी ग्राम्य बैंक (उड़ीसा राज्य), नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश) तथा वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक (महाराष्ट्र राज्य) में प्रायोजित किए हैं। समस्त आरआरबी लाभ कमा रही है। समस्त शाखाएं और प्रशासनिक कार्यालय कारोबार के साथ सीबीएस के अधीन लाई गई है। यह बैंक शीघ्र ही आरटीजीएस और एटीएम सेवाएं भी शुरू करने जा रही है। समस्त आरआरबी का शाखा विस्तार 1085 है जिन्होंने ₹ 1,17,685 करोड़ का मिश्रित कारोबार किया है।

#### खुदरा ऋण

वर्ष 2011-12 के दौरान, बैंक ने अच्छा खासा रिटेल ऋण संविभाग बनाने की नीति का अनुशीलन किया। वित्तीय वर्ष 2011-12 की आर्थिक मंदी के पश्चात फिर से सुधार की ओर लौटी अर्थव्यवस्था की नवोन्मेषी उपायों ने रिटेल क्रेडिट को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए। बैंक का रिटेल क्रेडिट फोर्टफोलियो यथा 31 मार्च, 2012 को ₹ 16,649 करोड़ से बढ़कर ₹ 19,116 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान रिटेल क्रेडिट की रुपरेखा का फिर से परिनिश्चय किया गया।

बैंक ने रिटेल होम लोन/सम्पत्ति के निमित्त ऋण की प्रोसेसिंग और गठबंध व्यवस्था के मामले में वाहन ऋणों एवं शैक्षणिक ऋण प्रस्तावों की प्रोसेसिंग को भी तीव्र करने के लिए देश के बड़े शहरों में 21 आरबीसी स्थापित किए हैं। होम लोन खंड में ₹ 1,312 (18.65%) की वृद्धि दर्ज की गयी जिसके फलस्वरूप ये ऋण (मार्च 2011) के ₹ 7,033 करोड़ से बढ़कर (मार्च 2012) में ₹ 8,345 करोड़ हो गए। बैंक ने बिल्डरों के साथ गठबंध करने के लिए मूलभूत दिशानिर्देश तैयार किए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि गठबंध व्यवस्थाएं केवल अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले बिल्डरों के साथ ही हो। आंचलिक प्रबंधकों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर प्रतिष्ठित बिल्डरों की तलाश करके उनके साथ गठबंध करें। यूनियन बज़ट में की गयी घोषणा के अनुसार मध्यम और कम आय वाले खंड को आवास के लिए ऋण देने की माँग को बढ़ावा देने के लिए बैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष ब्याज इमदाद योजना में शिरकत कर रहा है।

शैक्षणिक ऋणों में भी 12.69% की वृद्धि दर्ज की गयी और वे इस वर्ष के दौरान ₹ 1,946 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,193 करोड़ हो गए। बैंक ने ब्याज सब्सीडी स्कीम को भी अंगीकार किया है जिसमें वे उधारकर्ता जिन्होंने वर्ष 2010-11 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान शैक्षणिक ऋण लिया है और आर्थिक रूप से कमजोर तबके से है, नोडल बैंक के जरिए भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय से शिक्षा ऋण ब्याज सब्सीडी के लिए पात्र हैं। बैंक स्टार शिक्षा ऋण योजना के तहत उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता देता रहा है। इस प्रयोजन के लिए आंचलिक कार्यालय को मार्केटिंग टीम स्थानीय संस्थानों के साथ लगातार गठबंध व्यवस्था कर रही है ताकि विद्यार्थियों की जरूरतों को शाखाओं द्वारा त्वरित रूप से पूरा किया जा सके। बैंक ने शिक्षा ऋण के तहत एक नया उत्पाद यानी बीओआई स्टार विद्या ऋण की भी शुरुआत की है ताकि आईआईटी/आईआईएम/एनआईडी इत्यादि जैसे देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

ऑटो फाइनेन्स में भी 28.92% की अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गयी जिससे वे इस वर्ष के दौरान ₹ 1,408 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,815 करोड़ हो गए। विभिन्न प्रतिष्ठित ऑटो विनिर्माताओं जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुण्डई मोटर्स, जीवीएस, हीरो होंडा इत्यादि के साथ गठबंधन व्यवस्था की कार्यनीति ऑटोफिन पोर्टफोलियों को बढ़ाने के लिए अच्छी खासी लीड्स मुहैया करा रही हैं।

मुख्य रिटेल ऋण योजनाओं के बारे में वृद्धि निम्नानुसार है :

योजना	यथा 31.03.2011 को बकाया (₹ करोड़)	यथा 31.03.2012 को बकाया (₹ करोड़)	वृद्धि एवं वृद्धि का %	
			राशि (₹ करोड़)	%
स्टार आवास ऋण योजना	7,033	8345	1312	18.65
स्टार शैक्षणिक ऋण योजना	1,946	2193	247	12.69
स्टार ऑटोफिन ऋण योजना	1,408	1815	407	28.92
स्टार व्यक्तिगत ऋण योजना	6,49	692	30	04.53
स्टार मॉर्गेज ऋण योजना	1,495	1632	137	09.57

### एसएमई

इस क्षेत्र की विशेष कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंक ने नया एसएमई वर्टिकल तैयार किया है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक हैं। एसएमई कारोबार में ₹ 100 करोड़ तक के टर्न ओवर के साथ कुल समस्त कारोबार गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए समग्र परिभाषा दी गई है। यह वर्टिकल केवल ऋण की वृद्धि को नहीं देखेगा, परंतु यह एसएमई क्षेत्र में कासा, खुदरा कारोबार, शुल्क आधारित आय तथा तृतीय पक्ष उत्पादों को भी देखेगा।

बैंक द्वारा तैयार एसएमई कारोबार वृद्धि की रणनीति है :

- ₹ 1 करोड़ की सीमा से ऊपर के समस्त एसएमई ऋण कारोबार के लिए प्रसंस्करण हब के रूप में कार्रवाई हेतु एसएमई शहरी केंद्र बनाए गए हैं।
- फिलाहल 21 एसएमई शहरी केन्द्र 20 अंचलों में हैं।
- जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में शहरी केंद्रों में क्रेडिट उद्भव और अलग प्रसंस्करण
- क्रेडिट प्रसंस्करण के लिए समर्पित टीम तथा लीड जनरेशन हेतु आऊट बाउंड सेल्स टीम तथा कारोबार अभिग्रहण हेतु अनुवर्ती कार्रवाई लाई गई।
- टर्न एराऊंड टाइम को कम करने हेतु क्रेडिट प्रक्रिया को परिवर्तित तथा प्रत्यायोजन में संशोधन किया गया।
- एसएमई ग्राहकों को आवश्यकतानुसार बैंक प्रस्तावों में 4 नए उत्पाद शुरु किए गए।
- शीघ्र संवितरण सुनिश्चित करने हेतु संवितरण पूर्व जोखिम राहत प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया।
- वित्त की प्रमात्रा पर ध्यान न देते हुए समस्त एसएमई ग्राहकों हेतु सरलीकृत आवेदन फॉर्म प्रारंभ किया गया।

- एक बार में ग्राहकों के अनुरोधों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य जांच सूची तैयार की गई।
- कारोबारी प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता लाने हेतु एसएमई शहरी केंद्रों में ट्रेकिंग एवं निष्पादन प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की गई।

### एसएमई के अधीन बैंक का निष्पादन

- यथा 31.3.2012 का सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र को अग्रिम ₹ 27,128 करोड़ है।
- वित्तीय वर्ष 2011-12 में वृद्धि 14.43% है।
- एमएसएमई (मध्यम उद्योग सहित) को अग्रिम ₹ 32,270 करोड़ है।
- यह 2010-11 की तुलना में 7.40% की वृद्धि प्रदर्शित करता है।
- प्रमुखतः एमएसएमई स्पेस के सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्रों में वृद्धि है।
- बैंक के समग्र एनपीए 2.34% की तुलना में इस खंड के तहत एनपीए 8.05% रहा जो सतत चिंता का क्षेत्र बना हुआ है।
- हमने ओटीएस योजना प्रारंभ की है तथा अंचलों/शाखाओं को वर्तमान वर्ष में एनपीए में कमी करने हेतु इस योजना का प्रभावी प्रयोग करने हेतु निदेशित किया है।

### एमएसएमई के अधीन वृद्धि प्राप्त करने हेतु रणनीति

- क्लस्टर आधारित ऋण हेतु क्लस्टरों की स्थापना। प्रत्येक अंचल में कम से कम 2 क्लेस्टरों की पहचान तथा एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि हेतु क्लस्टर विनिर्दिष्ट योजनाएं।
- एमएसएमई ऋण हेतु उच्च संभाव्य के साथ शाखा प्रबंधकों को सुग्राही बनाना ताकि एमएसएमई विशेषकर सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र में, ऋण प्रवाह को बढ़ाया जा सके।
- सूक्ष्म क्षेत्र में ऋण प्रवाह में गति सुनिश्चित करने हेतु सीजीटीएमएसई कवरेज को प्रोत्साहित करना।
- एसएमई शहरी केंद्र के विक्रय अधिकारियों हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना।

### संकल्प 10,000 - एक नये शिखर की ओर .....

#### बैंक की पुनः संरचना

इसकी वृद्धि की अभिलाषा मन में संजोए हुए बैंक ने नया उत्साही दूरदर्शिता संकल्प 10,000 का आरम्भ किया है। यह एक विशाल रूपांतरण की प्रक्रिया है जिसमें संरचना, अनुकूलन, प्रक्रियाओं तथा कारोबार लक्ष्य की समीक्षा का ध्येय है। इस कार्य में शीर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार मेकिनसी एण्ड कंपनी को नियुक्त किया गया है जो अवसर, कार्यनीति प्रक्रियाएं, जोखिम प्रबंधन के उचित विकास की पहचान करेंगे तथा सर्वोपरि एक प्रभावी तथा ओजस्वी संस्थागत ढांचा का सलाह देगी जिससे आगामी समय में बैंक अनवरत वृद्धि सुनिश्चित करेगा।



संकल्प 10,000 निम्न तीन स्तंभों पर टिका है

- ग्राहक प्रथम
- विजेता टीम निर्माण
- श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन चालित संस्कृति

परियोजना संकल्प के अन्तर्गत बैंक का पुनः डिजाइन किया गया जिसमें कारोबार के दो प्रमुख समूह बनाए गए यथा (क) नैशनल बैंकिंग समूह तथा (ख) होलसेल तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह जिससे कारोबार के प्रत्येक हिस्से पर और अधिक ध्यान दिया जा सकता है। इन दोनों समूहों के प्रमुख बैंक के दो कार्यपालक निदेशक हैं।

नैशनल बैंकिंग समूह (प्रधान कार्यालय) - नैशनल बैंकिंग समूह में निम्नलिखित कारोबारी ईकाई समाविष्ट हैं :

- ग्रामीण बैंकिंग
- वित्तीय समावेशन
- खुदरा बैंकिंग
- एसएमई बैंकिंग

नैशनल बैंकिंग समूह महाप्रबंधक - नैशनल बैंकिंग में 5 महाप्रबंधक हैं जो देश के पांच भौगोलिक क्षेत्र केन्द्रीय, पूर्व, उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में विभाजित हैं। यह पांच नैशनल बैंकिंग समूह महाप्रबंधक अपने संबंधित अपने क्षेत्राधिकार में बैंक की शाखाओं/अंचलों में ग्रामीण, खुदरा तथा एसएमई कारोबार का नेतृत्व करते हैं।

होलसेल तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह (प्रधान कार्यालय) ङ होलसेल तथा इन्टरनेशनल बैंकिंग समूह में निम्नलिखित कारोबार इकाइयां हैं :

- बृहत कार्पोरेट बैंकिंग
- मध्य कार्पोरेट बैंकिंग
- परियोजना वित्त
- ट्रांजेक्सन बैंकिंग
- अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग
- कोषागार

बहु श्रेणीयों सहित कार्यरत होने पर, बृहद कार्पोरेट तथा मध्य कार्पोरेट कारोबार में प्रभावशाली ढंग से प्रतिक्रिया समय (टीएटी) को कम करने तथा उच्चता स्रोत जुटाव रिश्ते को अधिकतम करने तथा फीस आधारित आय बढ़ाने के लिए भी वर्टिकल तैयार किए गए। बेहतर प्रबंधन के लिए ऋण स्रोतको ऋण मूल्यांन तथा स्वीकृति को अलग किया गया।

कारोबार इकाई सम्पूर्ण कारोबार (एक सिरे से दूसरे सिरे तक) के लिए जिम्मेदार है न कि केवल संबंधित ग्राहक/कारोबार हिस्सा के केवल ऋण के लिए। यह दायित्व कारोबार इकाइयों के लाभप्रदता विस्तार तथा सभी प्रकार के बैंकिंग कारोबार से सम्मिलित है जो हैं, जमाराशि, अग्रिम, फीस आय, अन्य/तृतीय पक्ष उत्पाद बिक्री आदि।

### आगामी समय की शाखा का सृजन (ब्रांच ऑफ दी फ्यूचर मॉडल)

बैंक शाखा नेटवर्क ग्राहक एवं वृद्धि के अभियान में एक अति-महत्वपूर्ण 'टच प्वाइंट' है। शाखा नेटवर्क की संभाव्यता का पूर्ण लाभ उठाने के लिए हम आगामी समय की शाखा 'ब्रांच ऑफ दी फ्यूचर' मॉडल के प्लान पर कार्यवाही कर रहे हैं। नए मॉडल का प्रयोजन ग्राहक के अनुभव और कारोबार के निष्पादन दोनों में ही महत्वपूर्ण सुधार लाना है। एक नए मॉडल के सृजन से बैंक के माध्यम से कार्य के नए आयाम संस्थापित करने में सहायता मिलेगी।

प्रायोगिक चरण में 5 शाखाएं, एक नैशनल बैंकिंग समूह में एक शाखा यानी चेम्बूर (एनबीजी वेस्ट), नवरंगपुरा (एनबीजी सेन्ट्रल), करोल बाग (एनबीजी नार्थ), बो बाजार (एनबीजी ईस्ट), मायलापोरे शाखा (एनबीजी साउथ) में चयनित की गयी हैं और तब्दील की गयी है और शाखा स्तर पर ले आउट आशोधित किया गया है। इस मॉडल के सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं और बैंक इस मॉडल के तहत और भी शाखाएं खोलने के लिए उत्सुक है।

### भावी समय को शाखा के मुख्य प्रयोजन निम्नानुसार हैं :

1. खाता खोलने, पासबुक अद्यतन करने, नकदी संव्यवहारों के लिए शाखा प्रक्रियों की रि-डिजाइन।
2. वैकल्पिक चैनलों जैसे एटीएम, स्वयं सेवा पासबुक प्रिन्टर इत्यादि का अभियान चलाना और ग्राहकों को इनके प्रयोग कर पाने के लिए उन्हें समर्थ बनाना।
3. शाखा की भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों, विशेषीकृत बिक्रियों एवं सेवा भूमिकाओं वाले स्टाफ का फिर से डिजाइन करना।
4. शाखाओं में उत्कृष्ट गतिविधि अंगीकार करना।
5. बड़े ग्राहक क्षेत्र, ग्राहक क्षेत्र से भौतिक रूप से पृथक, इन ब्रांच बैंक ऑफिस वाला नया शाखा ले-आउट।
6. स्वचालित मूल ग्राहक अन्तः क्रियाएं (जैसे क्यूएमएस, स्वयं सेवा पास बुक प्रिन्टर)।
7. नयी शाखा की बिक्री एवं सेवा के प्रशिक्षण का क्रियान्वयन।

### अन्य उत्पादों एवं सेवाओं की समीक्षा :

#### कार्ड उत्पाद :

बैंक ग्राहकों की पसंद के लिए पांच प्रकार के क्रेडिट कार्डों की पेशकश कर रहा है। बैंक से संबद्ध दो बैंक यथा बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि. भी हैं जो ब्रांडनाम "इंडिया कार्ड" के अधीन क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं। वर्ष के दौरान कार्ड जारी करने के कुल कारोबार में -13.24% वृद्धि दर्ज की गई जो ₹ 351.45 करोड़ रही एवं अधिग्रहण कुल कारोबार में 2.2% की वृद्धि हुई जो ₹ 309.27 करोड़ रही।

बैंक के पास पांच डेबिट-सह-एटीएम कार्ड है। 31.03.2012 तक कुल जारी डेबिट कार्ड 101.42 लाख रहे जिसमें 36.41 लाख स्टारलिक इंटरनेशनल एटीएम-सह-डेबिट कार्ड (वीजा इलैक्ट्रान), 63.66 लाख बीओआई ग्लोबल डेबिट-सह-एटीएम कार्ड (मास्टर कार्ड), 0.02 लाख प्लेटिनम डेबिट कार्ड (मास्टर), 0.15

लाख गिफ्ट कार्ड (वीजा इलैक्ट्रॉन) तथा 1.33 लाख बिंगो कार्ड सम्मिलित है। वर्ष 2011-12 के दौरान डेबिट कार्डों ने 31.91 % वृद्धि दर्ज की।

एटीएम में शेयरिंग के लिए बैंक ने अन्य बैंकों से द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अनुबंध किया है। इस प्रकार हमारे कार्डधारकों को लगभग 50,000 एटीएम का उपयोग देशभर में करने का लाभ मिलता है। बैंक को भारत में मास्टर कार्ड के लिए कैशट्री और बैंक्स नेटवर्क में सेटलमेंट बैंक रहना जारी रहेगा।

### बुलियन बैंकिंग

बुलियन बैंकिंग का प्रारंभ बैंक में नवंबर, 1997 में शुरू किया गया था। आरंभ में यह योजना सीज तथा अहमदाबाद शाखा में थी तथा बाद में अन्य शाखाओं में इसे आरंभ किया गया। इस तिथि तक हालांकि 9 शाखाओं को बुलियन कारोबार के लिए प्राधिकृत किया गया है केवल 5 शाखाएं बुलियन कारोबार कर रही हैं।

सोना आभूषण निर्यातकों एवं घरेलू ज्वेलर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परेषण आधार पर उपाप्त किया जाता है। बैंक ने वर्ष 2011-12 में ₹ 2,773 करोड़ के टर्नओवर सहित 11,717 किलोग्राम सोने की बिक्री की जिससे ₹ 16.74 करोड़ की आय अर्जित हुई। वर्ष के दौरान आय में 3.93 % की वृद्धि हुई।

### स्टार नकदी प्रबंधन सेवाएं (स्टार सीएमएस)

बैंक की सीएमएस स्पेस में सक्रिय उपस्थिति है। परंतु संपूर्ण सीएमएस में अत्याधुनिक वेब आधारित तकनीक को अपनाकर इसका कायापलट की है। बैंक अन्य बैंकों के साथ संपर्ककर्ता बैंक के रूप में भी कार्य कर रहा है। ओआरएसीएलई पर वेब आधारित सॉफ्टवेयर में काम करने कारण बैंक कितने भी संव्यवहारों को सँभालने की स्थिति में है।

बैंक का प्रधान कार्यालय में सीएमएस के लिए अलग विभाग है जो सीएमएस की समग्र कार्यप्रणाली को नियंत्रित एवं निगरानी करता है। यह महाप्रबंधक (संव्यवहार बैंकिंग) के सीधे नियंत्रणाधीन है। एम.जी.रोड, मुंबई में स्थित सीएमएस हब इस पहल की परिचालनात्मक पक्ष का ध्यान रखता है।

बैंक की 4000 से भी अधिक शाखाएं हैं जो 1000 के अधिक शहरों और नगरों में सीबीएस प्लेटफॉर्म पर परिचालनगत हैं। विविध सीएमएस सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सीएमएस ग्राहकों के लिए यह समस्त शाखाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है।

### उत्पाद वार क्षमताएं

#### क. स्थानीय वसूलियां

स्टार सीएमएस की वसूली एवं रिटर्न हेतु अब स्थिति वार प्रतिदिन एमआईएस उपलब्ध कराने की क्षमता है। बैंक, रिटर्न की विवरणात्मक सूची इन्क्रिप्ट ई-मेल द्वारा भी उपलब्ध करवा सकता है तथा यदि आवश्यकता हुई तो हार्ड कॉपी भी प्रेषित की जा सकती है।

#### ख. थोक वसूलियां

स्थानीय वसूलियों के अधीन कवर समस्त अवस्थितियों पर थोक वसूलियां दी जा सकती हैं परंतु पूर्व अनुमति से चूंकि रुपरेखा प्रणाली को शुरू करना होगा। सीधे डाटा अपलोड करने के लिए विवरण की सॉफ्टकॉपी की आवश्यकता है।

#### ग. दूरस्थ वसूलियां

दिन 0 - दिन 21 तक दिन व्यवस्था; जो हमेशा केन्द्र विनिर्निष्ट हैं ये स्थानीय एवं दूरस्थ चेक वसूली केन्द्रों के लिए भिन्न हैं।

#### घ. भौतिक नकदी

नकदी प्रबंधन के लिए समस्त अवस्थितियों में भौतिक नकदी अवशोषित किए जा सकती है। यह सुविधा डोर स्टैप बैंकिंग पहल के अधीन दी जा रही है। दिन व्यवस्था टी+1 होगी।

#### ड. भुगतान :

बैंक पर आहरित ड्राफ्ट हेतु समस्त अवस्थितियों में पोजिटिव भुगतान सुविधा उपलब्ध है। बैंक के पास ड्राफ्ट/चेकों की थोक मुद्रण की सुविधा है तथा अवस्थितियां आवश्यकतानुरूप नियत की जा सकती हैं।

#### च. इलैक्ट्रॉनिक निपटान

बैंक के पास सीधे क्रेडिट और सीधे डेबिट सुविधा देने की प्रणाली क्षमताएं हैं। सीधे डेबिट के मामलों में आदेश सत्यापन आवश्यक है। टीएटी (टर्न एराउंड समय) अवस्थिति पर निर्भर करता है।

#### छ. अन्य अतिरिक्त सेवाएं

अपनी शाखाओं में बैंक एनएफओ एवं राइट इश्यु के लिए आवेदन फार्मों के एकत्रीकरण हेतु सेवाएं देने के लिए तत्पर है।

### तृतीय पक्ष उत्पाद

#### जीवन बीमा हेतु गठजोड़

स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए बैंक ने कार्पोरेट एजेंसी करार कर संयुक्त उद्यम आरम्भ किया। विभिन्न केन्द्रों में बीमा उत्पाद की बिक्री हेतु "विनिर्धारित व्यक्ति" के रूप में बैंक के 897 कर्मचारी कार्यरत हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 548 करोड़ का प्रीमियम संग्रहित किया। (पॉलिसियों की संख्या - 86,000 से ऊपर) तथा संयुक्त उद्यम कारोबार में 43% से अधिक योगदान किया।

सामूहिक पॉलिसी के अधीन अपने स्टार शिक्षा ऋण तथा स्टार आवास ऋण पर वैकल्पिक जीवन बीमा कवर का प्रस्ताव जारी रखा हुआ है।

#### नैशनल इश्योरेंस कंपनी लि. (एनआईसीएल) के साथ सामान्य बीमा (गैर-जीवन) हेतु टाई अप

आईआरडीए द्वारा जारी संशोधित दिशानिदेशों के अनुपालन में एनआईसीएल के साथ वर्तमान तालमेल व्यवस्था को कारपोरेट एजेंसी वितरण में परिवर्तित किया गया जिसमें बैंक जैसे वितरकों के साथ बैंकएश्योरेंस कारोबार कवर

किया गया। बैंक ने "बीओआईराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी" स्वास्थ्य बीमा उत्पाद को सह-ब्रांड किया है जोकि एक फेमिली फ्लोटर मेडीक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसि है जिसे बहुत ही कम प्रीमियम पर बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों को उपलब्ध करवाया गया है। इसमें खाता धारक, पत्नी और अधिकतम दो आश्रित बच्चों को कवरेज दी गई है। संपूर्ण परिवार (खाताधारक, उसकी पत्नी तथा दो आश्रित बच्चे) को बीमाकृत राशि की सीमा तक कवर किया गया है जिसमें बीमाकृत राशि पर परिवार के सदस्यों द्वारा अलग-बलग समय में लाभ लिया जा सकता है। यह एक प्रसिद्ध उत्पाद है और 31.03.2012 तक 1.3 लाख बैंक ऑफ इंडिया खाताधारकों ने यह पॉलिसी ली है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान एनआईसीएल हेतु बैंक द्वारा एकत्रित कुल प्रीमियम ₹ 138 करोड़ रहा जिससे ₹ 14.51 करोड़ की कमीशन अर्जित की गई।


**म्युचुअल फंड उत्पाद**

बैंक ग्राहकों की सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। बैंक ने 9 आस्ति प्रबंधन कंपनियों का अधिकाधिक विविध म्युचुअल फंड उत्पादों की बिक्री कर रहा है। बिडला एवं लाइफ म्युचुअल फंड, डीएसपी ब्लैक रॉक म्युचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेंप्लटन निवेश, एचडीएफसी म्युचुअल फंड, आईडीएफसी म्युचुअल फंड, आईएनजी म्युचुअल फंड, कोटक म्युचुअल फंड, रिलायंस म्युचुअल फंड तथा यूटीआई म्युचुअल फंड।

बैंक ने म्युचुअल फंड कारोबार में फिर से प्रवेश के लिए भारती अक्सा इनवेस्टमेंट मैनेजर्स के साथ संयुक्त उद्यम के लिए करार किया है।

**आस्ति वसूली एवं एनपीए प्रबंधन**

वर्ष 2011-12 में भी एनपीए प्रबंधन के क्षेत्र के निष्पादन के सुधार की यात्रा जारी रही। एनपीए में कमी करना बैंक की सर्वोत्कृष्ट प्राथमिकता है तथा इस कार्य में धीरे-धीरे महत्ता बढ़ रही है। एनपीए की प्राप्ति और वसूली करने के लिए आवश्यक उपाय प्रारंभ किए गए। बट्टेखातों की वसूली तथा एनपीए खातों में



अप्रभारित/वसूल न किए गए ब्याज में वसूली को अधिक करने हेतु प्रयास किए गए जिसने बैंक के लाभ में महत्ता से बढ़ोत्तरी की।

बैंक ने एनपीए पर बेहतर नियंत्रण एवं उसकी वसूली के लिए समूचे शाखा नेटवर्क को दायरे में लेते हुए पाँच नैशनल बैंकिंग ग्रुप में नोडल अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ कार्यपालक नियुक्त किए हैं।

बैंक ने आरबीआई अधिसूचना के मुताबिक इस वर्ष के दौरान प्रणाली संचालित एनपीए ने अभिनिर्धारण की व्यवस्था की है।

निम्न तालिक पिछले 3 वर्षों में एनपीए वसूली प्रबंधन को दर्शाती है :

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.10 (वास्तविक)	31.03.11 (वास्तविक)	31.03.12 (वास्तविक)
<b>कुल एनपीए (ओपनिंग)</b>	<b>2,471</b>	<b>4,883</b>	4,882
कम करें :			
नकदी-वसूली	622	895	1,205
उन्नयन	204	1,038	487
बट्टे खाते	743	881	2,415
कृषि ऋण छूट/ऋण राहत योजना 2008	0	0	0
<b>कुल कमी</b>	<b>1,569</b>	<b>2,814</b>	4,107
<b>जोड़ें :</b>			
स्लिपपेज	4,162	2,908	5,401
वसूल न किया ब्याज (यूआरआई) (वित्त वर्ष 2009-10 से प्रारंभ)	181	166	212
<b>कुल एनपीए (क्लोजिंग)</b>	<b>4,883</b>	<b>4,811</b>	5,894
बट्टे खाते/यूसीआई/यूआरआई की वसूली	300	383	672
<b>निवल एनपीए</b>	<b>2,207</b>	<b>1,945</b>	3,656
कुल अग्रिमों पर कुल एनपीए का %	2.85	2.23	2.34
निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए का %	1.31	0.91	1.47

स्मॉल एवं सॉफ्ट इम्पेई (एनपीए) खातों में वसूली के लिए दो मौजूदा योजनाओं को निम्नानुसार आशोधित किया गया है:-

- i) ₹ 50 लाख तक के एनपीए हेतु स्टार संजीवनी प्रोत्साहन योजना
- ii) अवमानक संवर्ग में ₹ 100 लाख तक के खातों के उन्नयन हेतु प्रोत्साहन योजना।

इन योजनाओं का प्रारंभ क्षेत्र स्तर के स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करने और व्यवसायिक वसूली एजेंटों पर निर्भरता को कम करने के अभिप्राय से किया गया है। इससे प्रत्येक स्तर पर स्टाफ को सम्मिलित किए जाने तथा इस क्षेत्र में वसूली में सुधार के रूप में भरपूर लाभ मिला है।

स्टार संजीवनी प्रोत्साहन योजना के अधीन निष्पादन निम्नानुसार रहा :

(₹ करोड़ों में)

2011-12 के दौरान वसूली	राशि
लाइव एनपीएज़ में वसूली	557.95
बट्टे खाते डाले खातों में वसूली	29.58
कुल वसूली	557.95

एनपीए के शीघ्र समाधान हेतु लोक अदालत में प्रतिभागिता एवं वसूली कैम्पो का कार्य अंचलों में बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बैंक ने लोक अदालत एवं वसूली कैम्प के माध्यम से ₹ 142.38 करोड़ की वसूली की।

### ऋण निगरानी

बैंक के लिए यह एक नाजुक क्षेत्र है और इसकी महत्ता तेजी से बढ़ी है क्योंकि बढ़ती हुई ब्याज दरों, अर्थव्यवस्था में आयी मंदी, विभिन्न उद्योगों की लाभप्रदता पर बुरा असर डालने वाली उच्च निविष्टि लागत के साथ आस्तियों की गुणवत्ता भी आज का तकाजा है। इसके अलावा, सितम्बर 2011 से एनपीए की प्रणाली आधारित शिनाख्त और वसूली करने के लिए भी तब्दीली लायी गयी है।

- ₹ 100 लाख और अधिक के एक्सपोजर वाली अग्रिम खातों की हेल्थ की निगरानी ऋण निगरानी विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा की जा रही है। यह विभाग बैंक के घरेलू ऋण संविभाग के लगभग 70% को कवर करता है। यह निगरानी मुख्य रूप से अलर्ट्स देकर सिस्टम से केन्द्रीकृत रूप से निकाली गयी विभिन्न रिपोर्टें एवं पाक्षिक फ्लैश रिपोर्टें से की जा रही है। चूक का पता लगाने और उससे बचने के लिए इन रिपोर्टों का प्रधान कार्यालय/अंचलों/शाखाओं द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। 30 दिन से 60 दिनों तक, 61 से 75 दिनों तक और 75 दिनों से अधिक के अतिदेयों के विवरण वाली अनियमित स्थिति को दर्शाने वाली रिपोर्टें अनुवर्ती कार्रवाई एवं नियमितीकरण के लिए शाखाओं को उपलब्ध करायी जाती हैं। आंचलिक कार्यालय/प्रधान कार्यालय आस्ति की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रगति की निगरानी करते हैं।
- सिस्टम द्वारा एनपीएएस के अभिनिर्धारण के माइग्रेसन से '10 लाख से कम बकाया वाले छोटे खातों में स्लिपेजिज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यह एक बड़ी चुनौती है। सभी स्तरों पर प्रभावी अनुवर्तन के द्वारा बैंक ने इस चुनौती का डट कर सामना किया है। ग्रामीण एवं अर्धशहरी शाखाओं में वसूली प्रकृति पर पुनर्विचार किया गया है।
- यह जरूरी है कि अन्य बैंकों से खातों को टेक ओवर करते समय अतिरिक्त एहतियात और अनुदेशों का अक्षरशः पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सुयोग्य मामलों में टेक ओवर गुणवत्ता और व्यापक सम्यक सजगता सुनिश्चित करने के पश्चात ही मामला-दर-मामला आधार पर अनुमोदित किए जाएं। टेक ओवर कारोबार को अनुमोदित करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एन्ट्री लेवल मानकों और 'एए' एवं 'ए' की क्रेडिट रेटिंग के अनुरूप अनुकूल वित्तीय अनुपात वाले मजबूत और लाभकारी प्रकृति के अग्रिमों का ही टेक ओवर किया जाता है।

- 90 दिनों की चूक के मुद्दे से निपटने के लिए, नकद प्रवाह का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात् ऐसी चुकौती अनुसूची निर्धारित की जाती है जो अनुपालन योग्य हैं और जो वास्तविक हैं। नयी परियोजनाओं के लिए ताजा मीयादी ऋण देने पर विचार करते समय मामले के मैरिट के आधार पर पर्याप्त स्थगन अवधि भी शामिल की जाती है।
- प्रवर्तकों के बारे में अग्रिम की स्वीकृति से पहले समुचित सावधानी बरती जानी चाहिए और सीआईबीआईएल रिपोर्टें, आरबीआई चूककर्ता सूची और ईसीजीसी सावधानी सूची इत्यादि से आवेदकों के पूर्ववृत्त का पता लगाया जाना चाहिए।
- निधियों का अंतिम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के निरीक्षण का अत्यधिक महत्व है और यह निरीक्षण नियमित अंतरालों में किया जाता है। बैंक एक्सपोजर की अभिरक्षा के लिए प्रभारित आस्तियों के बीमे को सम्यक महत्व दिया जाता है। पर्याप्त बीमा कवर के साथ बीमा पॉलिसियों के समय पर नवीकरण को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाता है। नवीकरण दस्तावेज़ 3 वर्षों के समय के इंतजार के बजाय वार्षिक आधार पर प्राप्त किए जाते हैं।
- बैंक-निधि का संवितरण करने से पहले सीपीए की प्रक्रिया सभी प्रकार से पूर्ण की जाती है। सीपीए को समय पर बंदी करने से, जहां कहीं लागू है वहां शीघ्र निवारक उपाय करने में बैंक को सहायता मिलती है।
- 'स्टॉक एवं प्राप्य लेखा परीक्षा' का प्रयोग, खातों की निगरानी के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किया जाता है। शाखाएं अनुमोदित सनदी लेखाकारों की फर्म द्वारा आवधिक स्टॉक एवं प्राप्य लेखापरीक्षा करवाती हैं ताकि कमियों का पता चल सके और समय पर निवारक उपाय किए जा सकें। रिपोर्ट को उचित समय सीमा के अंतर्गत बंद किया जाता है।
- बृहत कार्पोरेट/मध्य कार्पोरेट शाखाओं पर ऋण निगरानी का बहुत ही अधिक महत्व है। ऐसी शाखाओं में एक अधिकारी को एमएसओडी/क्यूआईएस/स्टॉक एवं बही ऋण विवरणपत्रों पर आधारित खातों की पूर्वानुमानित बिक्री/मालसूची/लाभों के कार्यनिष्पादन की अनन्य रूप से निगरानी करनी चाहिए और अग्रिम खातों की समय पर समीक्षा करनी चाहिए। लार्ज एक्सपोजर वाली सहायक कंपनियों के त्रैमासिक वित्तीय कार्य निष्पादन का अध्ययन किया जाता है और निवारक कार्रवाई की जाती है।
- मासिक आंचलिक ऋण निगरानी समिति (जेडसीएमसी) की बैठक आयोजित की जाती है जिनमें अनियमित/समस्या वाले खाते और निम्नलिखित मदों के बारे में चर्चा की जाती है:-
  - सीपीए बंद करना
  - स्टॉक लेखापरीक्षा रिपोर्टें बंद करना
  - सीएलआरएम बंद करना
  - समीक्षा के लिए देय खाते
  - 'वाचलिस्ट' खाते (एसी 12) एवं पुनर्गठित खाते
  - पीएसआरएस

- टीओएल/टीओडी
- एल/सी की सुपुर्दगी और अ-नियमितकृत गारंटी मांगना
- लम्बित एसएआर एवं क्विक मॉर्टेगिटी मामले

उपरोक्त से उचित निगरानी और नियंत्रण में सहायता मिलती है। इसी प्रकार, वांछित परिणाम मिलने के लिए अनियमित/दबाव वाले खातों पर चर्चा करने हेतु प्र.का. ऋण निगरानी विभाग के साथ प्रधान कार्यालय में एसबीयू के महाप्रबंधकों की बैठक, पाक्षिक अंतरालों में आहूत की जाती है।

- अनियमित / दबाव वाले खातों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एचओ/जेडओ स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेंस का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है जिससे स्लिपेजिस को रोकने में सहायता मिलती है।
- सीबीएस प्रणाली के माध्यम से एनपीए का अंकन 30.09.2011 से लागू किया गया है। प्रणाली द्वारा इस प्रकार अंकित किया गया एनपीए सॉफ्ट एनपीए है और उसकी वसूली/उन्नयन के लिए तत्काल उस पर ध्यान दिया जाता है, इससे स्लिपेजिस को एकदम निचले स्तर तक लाया जाता है।

#### शाखा नेटवर्क एवं विस्तार

भौगोलिक तौर पर भारत तथा विदेशों में बैंक का काफी विस्तृत शाखा नेटवर्क है। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार भारत में बैंक की कुल 4000 शाखाएं थीं। विश्व के सभी महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्रों तथा सभी टाइम ज़ोन में 44 शाखाओं तथा 5 प्रतिनिधि कार्यालयों द्वारा हमारी उपस्थिति का अनुभव होता रहता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने 510 नई शाखाओं के सहित 07 विस्तार काउन्टरों को पूर्ण शाखाओं में परिवर्तित किया गया।

#### बैंक के शाखा नेटवर्क की संरचना निम्नानुसार है:

प्रवर्ग	31.03.2011		31.03.2012	
	शाखाओं की संख्या	कुल का %	शाखाओं की संख्या	कुल का %
महानगरीय	660	18.91	722	18.05
शहरी	645	18.49	709	17.72
अर्द्ध शहरी	841	24.09	1078	26.95
ग्रामीण	1344	38.51	1491	37.28
<b>कुल शाखाएँ</b>	<b>3490</b>	<b>100</b>	<b>4000</b>	<b>100</b>

भारतीय रिज़र्व बैंक की शाखा प्राधिकरण की उदारवादी नीति के अनुसरण में कुछ शाखाओं का स्थानांतरण वैकल्पिक स्थानों पर किया गया तथा कुछ विस्तार काउन्टर जो अच्छी जगह पर स्थित थे उन्हें पूर्ण शाखा में परिवर्तित किया गया। इस नीति को आगामी वर्ष में भी जारी रखने का इरादा है।

29.11.2011 से प्रभावी होते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी शाखा प्राधिकरण नीति को और उदारवादी कर दिया है जिसके अन्तर्गत 1,00,000 से कम जनसंख्या ("50,000 से 1,00,000 से कम" में इजाफा किया गया) के केन्द्रों पर बिना उनसे पूर्वानुमति लिए बैंक शाखाएँ खोल सकती हैं। बैंक ने इस अवसर

का लाभ उठाते हुए इस प्रवर्ग में 322 केन्द्रों पर शाखाएं खोलने का प्राधिकार अंचलों को दिया।

#### एक नज़र में स्थिति

वर्षान्त तक	31.03.2011	31.03.2012
कुल शाखाओं की संख्या	3519	4029
विदेशी	29	29
भारतीय	3490	4000
<b>जिसमें से :</b>		
महानगरीय	660	722
शहरी	645	709
अर्द्ध शहरी	841	1078
ग्रामीण	1344	1491
<b>कम्प्यूटरीकृत शाखाएं</b>		
पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत	3490	4000
आंशिक कम्प्यूटरीकृत	-	-
<b>विशेषीकृत शाखाएं</b>	279	270
<b>विस्तार पटल</b>	55	43

घरेलू बाजार में कुछ प्रवर्गों की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए - बैंक की 271 विशेषीकृत शाखाएं हैं। इन शाखाओं का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	विशेषीकृत शाखाओं का प्रवर्ग	31.03.2011	31.03.2012
1.	एसएमई शाखाएं	100	100
2.	ओवरसीज़ शाखाएं	03	03
3.	कार्पोरेट बैंकिंग शाखा	--	--
4.	बृहत कार्पोरेट बैंकिंग शाखाएं	10	13
5.	मिड कार्पोरेट शाखाएं	40	41
6.	एन.आर.आई. शाखाएं	04	06
7.	आस्ति वसूली शाखाएं	15	13
8.	वाणिज्यिक तथा व्यक्तिगत बैंकिंग शाखाएं	30	26
9.	कोषागार शाखा	01	01
10.	आवास तथा व्यक्तिगत वित्त शाखाएं @	33	25
11.	सरकारी कारोबार शाखा	01	01
12.	बुलियन बैंकिंग शाखा	01	--
13.	सेवा शाखाएं	40	41
14.	केन्द्रीयकृत पेन्शन प्रॉसेसिंग शाखा	01	01
	<b>कुल</b>	<b>279</b>	<b>271</b>

@ रिटेल बिज़नेस सेन्टरों (आरबीसीज़) को मिला कर

भारतीय रिज़र्व बैंक की शाखा प्राधिकरण की उदारवादी नीति के अनुसरण में कुछ शाखाओं का स्थानांतरण वैकल्पिक स्थानों पर किया गया तथा कुछ विस्तार काउन्टर जो अच्छी जगह पर स्थित थे उन्हें पूर्ण शाखा में परिवर्तित किया गया। बैंक ने इस अवसर का लाभ उठाया और 50000 से कम जनसंख्या



वाले केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए अंचलों को प्राधिकृत किया। इस नीति को आगामी वर्ष में भी जारी रखने का इरादा है।

## विपणन

### प्रमुख पहलें :

नए ग्राहक बनाने और ग्राहकों को मूल्यवर्द्धित सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहक-केन्द्रित प्रक्रियाओं का सृजन करने हेतु बैंक में विपणन विशेष ध्यान का केन्द्र रहा है।

बैंक ने सभी अंचलों में, जमाराशि संग्रहण करने और रिटेल एवं एसएमई अग्रिम, डीमैट, कार्ड उत्पाद, आई.टी. समर्थित उत्पाद एवं सेवाओं से संबंधित कारोबार अर्जित करने तथा टीपीपी एवं सोने के सिक्कों की बिक्री इत्यादि हेतु विपणन टीम तैनात की है। विपणन स्टाफ शाखाओं में तैनात किए गए हैं/शाखाओं/आंचलिक कार्यालय से एटैच हैं और आंचलिक कार्यालय में तैनात विपणन प्रमुख के अधीन कार्यरत हैं।

बैंक ने 21 रिटेल बिज़नेस सेन्टरों (आरबीसीज) में रिटेल ऋणों के संग्रहण हेतु, 20 एसएमई सिटि सेन्टरों में एसएमई ऋण-संग्रहण हेतु विपणन टीम तैनात किए हैं और टीएसीएस कारोबार संग्रहण हेतु 8 टीएसीएस टीम भी तैनात किए हैं।

विपणन टीम को और सशक्त बनाने के लिए, बैंक ने पिछले 2 वर्षों के दौरान 208 मार्केटिंग एक्ज़ेक्यूटिव भर्ती किए हैं। चालू वर्ष के दौरान, बैंक ने 266 मार्केटिंग एक्ज़ेक्यूटिव भर्ती किए हैं और यह आशा की जाती है कि भर्ती पूर्ण औपचारिकताएं पूरी होते ही वे बैंक में सेवारंभ करेंगे। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार विपणन हेतु ध्यान केन्द्रित प्रयासों के लिए बैंक में लगभग 590 सक्रिय एवं प्रशिक्षित कार्मिक मौजूद हैं।

### 2011-12 के दौरान प्रमुख पहलें :

- **प्रशिक्षण:** सभी अंचलों से विपणन प्रमुखों के लिए एमडीआई, बेलापुर में कार्यशाला को आयोजन किया गया। नए भर्ती मार्केटिंग एक्ज़ेक्यूटिव को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में सुग्राही बनाने एवं विपणन से संबंधित सूचनाएं देने के लिए हमने कार्यशालाओं का आयोजन भी शुरू किया है। एसटीसी नोयडा, एमडीआई बेलापुर, एसटीसी चेन्नई और एसटीसी कोलकाता में, सभी पांचों एनबीजी के मार्केटिंग एक्ज़ेक्यूटिवों को कवर करते हुए चार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- **लीड मैनेजमेंट सिस्टम:** लीड मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से आईटी समर्थित सॉफ्टवेयर पैकेज लांच की। यह प्रणाली हर स्तर पर सृजित लीड को प्रभावीरूप से कैपचर, मॉनीटर, ट्रैक, बंद करती है और उसका विश्लेषण करती है। प्रोत्साहन योजना लागू के लिए भी इस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। चयनित अंचलों से प्रमुख व्यक्तियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।
- **क्विक विन्स कैम्पेन:** डायमंड ग्राहकों से मिलकर, उनका डेटा अपडेट करने, केवायसी अनुपालन सुनिश्चित करने, नए वैल्यू खाते खोलने, बैंक

के विभिन्न उत्पादों और थर्ड पार्टी उत्पादों की क्रॉस सेलिंग करने हेतु 10 अंचलों में बृहत संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

- **टीएसीएस:** जुलाई, 2011 में पायलट आधार पर 8 केन्द्रों, जैसे- मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर, नवी मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गाजियाबाद और बेंगलूर में टीम बनाए गए थे। टीएसीएस टीम गठित करने का प्रमुख उद्देश्य ट्रस्ट्स, एसोसिएशन्स, सोसाइटीज और क्लब्स से कारोबार-संग्रहण है।
- **कैम्पेन/पहल:** कासा, सोने के सिक्कों, रिटेल ऋणों और थर्ड पार्टी उत्पादों इत्यादि के लिए विभिन्न कैम्पेन/पहल और प्रोत्साहन योजनाएं लांच की गई हैं।
- **आईबीपीएस शुल्क एकत्रीकरण:** आरबीआई/राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए आईबीपीएस नियमित रूप से लिपिकों/अधिकारियों हेतु आम लिखित परीक्षा का आयोजन करता रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने बतौर शुल्क ₹96 करोड़ की राशि एकत्रित की जिससे कारोबार के कासा संविभाग में अभिवृद्धि हुई।

### प्रचार एवं जनसंपर्क

बैंक की कॉर्पोरेट छवि और पहचान निखारने हेतु बैंक ने वर्तमान थीम "रिशतों की जमापूजी" के आधार पर मीडिया अभियान शुरू किए हैं। इस अभियान के अंतर्गत वर्ष 2007-08 में दो विज्ञापनों - "द पिगी बैंक" तथा "द बैंकर एण्ड द पेंशनर (शास्त्री)" को प्रमुख टेलीविजन चैनलों के माध्यम से प्रसारित किए गए जिनकी अत्यधिक सराहना की गई। इसके तुरंत बाद बैंक ने दो और विज्ञापन, कोलकाता के एक ट्रैम में - "द बैंक एण्ड द कस्टमर" तथा उसके अनुक्रम में "द बैंकर एण्ड कस्टमर इन ए कोलकाता कॉफी शॉप" निकाले गए जिसमें हमारे बैंक के आधुनिक तथा टेक-सैवि स्वरूप पर प्रकाश डाला गया। "रिशतों की जमापूजी" थीम को और सुदृढ़ बनाते हुए "एजुकेशन लोन", "क्लोजिंग टाइम" तथा "बर्थ डे" पर तीन अन्य टेलीविजन विज्ञापन (टीवीसी) बनाए गए थे। मार्च 2010-अप्रैल 2010 के दौरान हमने "रिशतों की जमापूजी" थीम पर 3 टीवीसी जैसे - बस, पिल्स और फ्रेंड्स का टेलिविज़न के माध्यम से प्रसार किया।

"रिशतों की जमापूजी" थीम सहित एसएमई, शिक्षा, गृहऋण तथा ऑटो ऋण जैसे अन्य उत्पादों पर हमने टीवीसी बनाए जिन्हें मार्च 2011-जून 2011 के दौरान राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्पोर्ट्स चैनलों इत्यादि के माध्यम से प्रसारित किया ताकि हमारी ब्रैंड इमेज बढ़े और खूब प्रचार हो। प्राप्त फीडबैक के अनुसार ग्राहकों व स्टाफ सदस्यों और गैर ग्राहकों ने भी इस टीवी अभियान की अत्यधिक सराहना की है।

बैंक हमारे विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंगों, बैनरों, बस पैनलों, ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों पर ग्लो साइनों, कार्यक्रम एवं प्रायोजन, लीफलेटों एवं ब्रोशरों के माध्यम से देता रहा है। बैंक के ब्रैंड इमेज में अभिवृद्धि करने, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने और प्रभावशील प्रचार के द्वारा विभिन्न उत्पादों का बेहतर विपणन करने के लिए बैंक के संकेंद्रित प्रयास जारी हैं।



## परिचालनात्मक श्रेष्ठता

### ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता

बैंक संकल्प 10,000 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण के माध्यम से उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराता है।

बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड को 2006 में उसकी शुरुआत से ही, स्वैच्छिक सदस्य रहा है। इसके पीछे बैंक का यह मकसद रहा है कि वह एक पारदर्शी तरीके से उच्च स्तर की सेवा मुहैया कराने की अपनी ग्राहक उन्मुखता और वचनबद्धता पर बल दे और ग्राहकों को सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी मुहैया कराए। भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड का परिशोधित कोड 2009 बैंक द्वारा त्वरित रूप से अंगीकार किया गया है और वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। परिशोधित कोड की प्रतियाँ ग्राहकों की सूचना के लिए ग्राहकों में संवितरित की गयी हैं।

बैंक ने आईबीए द्वारा बनायी गयी विभिन्न ग्राहक केन्द्रित नीतियों जैसे - जमाराशि नीति, चेक वसूली नीति, शिकायत निवारण नीति, प्रतिकर नीति देयों की वसूली एवं प्रतिभूति पुनः अधिग्रहण नीति, मृतक जमाकर्ताओं के खातों में देयों के निपटान की सरलीकृत प्रक्रिया एवं मृतक घटकों के मामले में सेफ कस्टडी एवं एसडीवी लॉकर्स से वस्तुओं की सुपुर्दगी को अंगीकार किया है।

बैंक ने शाखाओं में ग्राहक सेवा में बढ़ौत्री के लिए इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल किए हैं :-

- समग्र भारतवर्ष में स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों पर चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सभी सहभागियों को एक लघु फिल्म दिखाई जा रही है यह फिल्म वांछित स्टाफ व्यवहार पर है और पूरी फिल्म बैंक परिसर में ही बनाई गयी है।
- शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण अर्ध वार्षिक अन्तरालों में किया जा रहा है ताकि समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान हो सके और त्वरित रूप से सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
- आंचलिक कार्यालयों को अपने स्तर पर ही शिकायतों को बंद करने और मूल कारणों का विश्लेषण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस अभियान से ये प्रत्याशाएं हैं कि इससे शिकायत निवारण का समय घटेगा, नाजुक क्षेत्रों की पहचान होगी और सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे और इस प्रकार समग्र रूप से ग्राहक की सन्तुष्टि में इजाफा करने में सहायता मिलेगी।
- संसूचना के इलेक्ट्रॉनिक रूप के प्रयोग पर संवर्द्धित बल देने से शिकायतों के लिए प्रतिक्रिया समय अधिकांश मामलों में 10 दिनों तक का हो गया है।
- वेब आधारित ग्राहक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) शिकायत निवारण में प्रतिक्रिया समय को कम करने और समय पर निवारक उपाय उठाने में सहायता के लिए विश्लेषणक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए लागू की गई है।
- वर्ष में दो बार ग्राहक सेवा एवं शिकायत निवारण सप्ताह मनाए गए हैं।

इनका प्रयोजन उन्नत ग्राहक सेवा के लिए ग्राहकों और स्टाफ के बीच नजदीकियां बढ़ाना और तदनुसार तब्दीलियां, यदि कोई हो, लाना था।

- शाखाओं द्वारा विभिन्न ग्राहक भावन उपायों के अनुपालन का आकलन आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालय के अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है और तत्पश्चात त्वरित रूप से आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।
- नवीनतम नोट छँटाई मशीन/नोट प्राधिकरण मशीनों की शुरुआत के माध्यम से आरबीआई की स्वच्छ नोट नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- सांविधिक रूप से अपेक्षित समस्त ग्राहक केन्द्रिक जानकारी ग्राहकों के फायदे के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है और शाखाओं में भी उपलब्ध करायी जाती है।
- ग्राहकों को उनकी शिकायतें भेजने के लिए ई-मेल, फोन इत्यादि सहित विभिन्न चैनल मुहैया कराए जा रहे हैं।
- बैंक 3500 शाखाओं में व्यक्तिगतकृत चेकबुक जारी कर रहा है और यह भी प्रस्तावित है कि शेष शाखाओं को 30.06.2012 से पहले इस सुविधा के दायरे में लाया जाए।
- हमने 2250 ऐसी शाखाओं को कवर किया है जहाँ हम बगैर किसी इंतजार के खाते खोलते समय ही एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपने ग्राहकों को वेलकम किट्स मुहैया करा रहे हैं।

## जोखिम एवं नियंत्रण

जोखिम किसी भी बैंक की गतिविधि का अभिन्न तत्व है। तदनुसार, जोखिम नियंत्रण कार्य का प्रयोजन न सिर्फ जोखिम को कम करना है अपितु संस्था द्वारा भलीभांति पूर्वोपाय की पहचान तथा जोखिम प्रबंधन और इन प्रयासों पर उचित रिपोर्ट तैयार किया जाना सुनिश्चित करना है ताकि उपस्थित जोखिम, परिचालन की निरंतरता हेतु खतरा न बन जाए। इसे ध्यान में रखकर बैंक ने व्यवस्था स्थापित की है एवं बैंक व्यवस्था संचालित करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि एकल आधार पर तथा बैंक की समग्र जोखिम स्थिति के संबंध में संगत जोखिम प्रकार का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है।

बैंक में जोखिम प्रबंधन विभिन्न जोखिम के प्रबंधन के लिए शीर्ष कार्यपालकों की परिचालनात्मक स्तर समिति द्वारा सहायता प्राप्त शीर्ष स्तर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति सहित बोर्ड द्वारा संचालित कार्य है। विभिन्न अवस्था अर्थात पहचान, मापन, निगरानी एवं नियंत्रण सम्मिलित जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया उद्यम बृहत जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन, डेरिवेटिव, एएलएम, विदेशी मुद्रा एवं डीलिंग रूम परिचालन हेतु नीतियों में समाविष्ट है। इन अवस्थाओं से एक नियंत्रण चक्र स्थापित होता है, जिसमें प्रतिपुष्टि एवं फीड फॉरवर्ड लूप भी शामिल होते हैं।

समस्त गतिविधियों एवं उत्पाद में सभी संभावित जोखिम की पहचान, परिभाषा बृहत विश्लेषण के माध्यम से तथा उनकी जांच परिचालनात्मक स्तर पर

जोखिम समिति तथा टॉस्क फोर्स द्वारा की जाती है। बैंक की जोखिम रूपरेखा भी तिमाही आधार पर तैयार की जाती है। विभिन्न साधन एवं प्रणाली जैसे विवेक सम्मत सीमा, नया बासेल अनुवर्ती ऋण श्रेणी निर्धारण मॉडल, ऋण लेखा परीक्षा, बाजार जोखिम हेतु वीएआर मॉडल, परिचालनात्मक जोखिम के लिए मुख्य जोखिम संकेतक की ट्रेकिंग के साथ संयोजित जोखिम नियंत्रण एवं स्व निर्धारण कार्य द्वारा पहचान किए गए जोखिम के निर्धारण/मापन हेतु प्रारंभ किए गए हैं। विश्लेषण के लिए व्यापक आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु डाटा भंडारण परियोजना कार्यान्वित की गई है। बैंक ऋण जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यान्वित कर रही है जो आंकड़ों की गुणवत्ता एवं पूर्णता तथा इसके जोखिम प्रबंधन कार्य को अद्यतन करने में बैंक की सहायता करेगा।

31.03.2008 से प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण एवं बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण तथा परिचालनात्मक जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण पर आधारित नयी पूंजी पर्याप्तता संरचना (बासेल II) के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता के परिकलन की दिशा में बैंक स्थानांतरित हुआ है।

विभिन्न जोखिम के निर्धारण/मापन, इसकी जोखिम वहन क्षमता की सीमा एवं जोखिम व जोखिम प्रकृति के संबंध में आंतरिक पूंजी के उचित स्तर के लिए वार्षिक आधार पर बैंक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएपी) कार्य करता है। चरम स्थिति में भी संभावित प्रभाव की बेहतर समझ से बैंक को अवगत कर जोखिम निर्धारण की वृद्धि के लिए दबाव जांच प्रक्रिया क्रियाशील है। भविष्य में जोखिम नियंत्रक कार्य एवं संपूर्ण संस्था दोनों के लिए निर्णय लेने और स्वतंत्र नियंत्रक कार्य के निष्पादन के निर्धारण हेतु भी उपर्युक्त से एक उद्देश्य आधारित कार्य अपेक्षित है।

तैयार रोडमैप के अनुसार बैंक जोखिम प्रबंधक प्रणाली की प्रभावशीलता और कड़ाई में वृद्धि करने के लिए अधिक परिष्कृत अप्रोच की ओर अंतरित होने की तैयारी कर रहा है।

## सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

### शाखा स्वचालन

बैंक की सभी शाखाएं अब सीबीएस के अंतर्गत हो गई हैं। अब नई शाखाएं सीधे सीबीएस प्लेटफॉर्म के अधीन खोली जाती हैं। ये सभी शाखाएं आरटीजीएस/एनईएफटी युक्त हैं। बैंक के स्थापना दिवस अर्थात् 07.09.2011 को बैंक ने 141 नई शाखाएं सीधे सीबीएस के अंतर्गत खोली हैं तथा 117 नए एटीएम स्थापित किए हैं।

नियमित बैंकिंग माइचूल के अलावा आपके बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि सहायक पोर्टफोलियो अर्थात् सरकारी कारोबार, सेफ डिपॉजिट वाल्ट, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) सरकारी बांड, सीबीएस प्लैटफॉर्म के अंतर्गत निर्बाध रूप से एकीकृत किए गए हैं जिससे प्रत्येक के लिए एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं और विभिन्न प्रणालियों के मध्य भागदौड़ को टाला जाता है। बैंक ने स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी), सीबीएस और विभिन्न भुगतान प्रणाली/अन्य एप्लीकेशन के मध्य बहुविध प्रणालियों में डाटा प्रविष्टि की आवश्यकता को मिटाने के लिए एवं उससे डाटा की प्रामाणिकता व विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की है।

निम्नलिखित ग्राहक केंद्रीत अभिवृद्धियाँ कार्यान्वित की गई हैं:

- ऑनलाईन सावधि जमा रसीद सृजित करते वक्त ऑनलाईन नामांकन सुविधा। ऑनलाईन नामांकन करने की सुविधा अब वर्तमान सावधि जमा रसीदों के लिए भी बढ़ाई गई है।
- एचएनआई ग्राहकों के लिए पासवर्ड द्वारा सुरक्षित ई-मेल द्वारा पीडीएफ फॉर्मेट में खाता विवरण।
- 'मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग' (बीटीएम) सेवा की शुरुआत।
- 'स्कूल फी माइचूल' का कार्यान्वयन।
- 'बुलियन माइचूल' का कार्यान्वयन।
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक ऑफ़ इंडिया में खोले पीपीएफ खाते को व्यू (view) करना।
- सेल्फ सर्विस किओस्क - बारकोड समर्थित पासबुक प्रिंटिंग।
- 'आधार(UID)' आधारित धनाधार रूपे कार्ड की शुरुआत।

### डाटा केन्द्र

मूल साइट से दूसरी साइट के बीच भौतिक हार्डवेयर बुनियादी सुविधा की 1:1 बाहुल्य 15 मिनट के रिकवरी टाइम ओबजेक्टिव (आरटीओ) सहित तथा आईएसओ 27001:2005 मानक सहित प्रमाणित डाटा केन्द्र को बैंक ने सफलतापूर्वक स्थापित किया है। मूल साइट मुंबई में स्थित तथा आपदा प्रबंधन साइट (डीआर) बंगलूरु में स्थित है। शून्य आंकड़ा हानि हेतु मूल साइट भंडारण प्रतिकृति सहित नियर साइट (एनआर) स्थापित की गई है। यूपीएस द्वारा दो जेनरेटर सेट 24 घंटे दोहरी ऊर्जा आपूर्ति सहित सभी कार्यलय, शाखाएं तथा डाटा केन्द्र वेन नेटवर्क से जुड़े हैं।

डाटा केन्द्र ने तीन चरणीय एप्लीकेशन संरचना बनायी है डेटाबेस, एप्लीकेशन तथा वेब जो आधुनिकतम परिचालन प्रणाली आरडीबीएमएस सहित विभिन्न उच्च सर्वर में विस्तृत है जिसके एप्लीकेशन बेहतर प्रबंधन तथा कार्यनिष्पादन हेतु है।

उपलब्धता/क्षमता आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बैंक सुरक्षा तथा नेटवर्क की डिजाईन की गई है। सर्वर तथा नेटवर्क फार्मर्स के संवेदनशील क्षेत्रों हेतु बायोमेट्रिक पहचान सहित सशक्त भौतिक सुरक्षा नियंत्रण भी डाटा केन्द्र में है। पॉवर कुलिंग, अग्निरोधक तथा डाटा केन्द्र बुनियादी सुविधा के अधिकतम प्रबंधन तथा अधिकतम बिल्टिंग प्रबंधन प्रणाली सहित 24X7X365 दिनों का समर्पित स्रोत है। 24X7X365 निगरानी हेतु संपूर्ण परिसर सर्वेलेन्स कैमरा द्वारा कवर किया गया है।

बैंक की पूर्णतः कार्यरत आपदा वसूली साइट है और तत्परता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तिमाही में आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित और निष्पादित किया जाता है। मूल से डीआर साइट परिचालन पर जाने के लिए बैंक के पास 15 मिनट का आर टी ओ है। डीआर साइट का उपयोग रिपोर्ट निर्माण करने के लिए किया जाता है जिसमें उद्योग में स्रोतों के बेहतर उपयोग का अधिकतम लाभ उठाया जाता है। इसके फलस्वरूप डीसी एवं डीआर संसाधनों का इष्टतम सदुपयोग तो होता ही है, साथ में यह भी सुनिश्चित होता है कि इस प्रक्रिया में इन सभी संसाधनों का निरंतर परीक्षण हो जाता है।

बैंक का वैश्विक प्रसंस्करण केंद्र (जीपीसी) सिंगापुर में है जो उसकी विदेशी शाखाएं को केंद्रीय हब से जोड़ता है और उसकी सभी विदेशी शाखाओं के लिए प्रसंस्करण में समर्थ है। यह 24/7 केंद्रीय हब है जो पूर्व में जापान से लेकर पश्चिम में यूएसए तक की 24 विदेशी शाखाओं के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समान हार्डवेयर तथा उचित सॉफ्टवेयर सहित आपदा प्रबंधन साइट स्थापित किया गया है जो डाटा केंद्र से साइट तक डाटा का ऑनलाइन रेप्लिकेशन करता है। एक आपदा प्रबंधन सेटअप सिंगापुर में है तथा दूसरा मुंबई में है। दोनों डीआर साइट में रियल टाइम आधार पर संव्यवहारों का रेप्लिकेशन किया जाता है। उच्च उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर डीआर ड्रिल्स कराए जाते हैं।

### एसएमएस - एलर्ट - स्टार संदेश

धोखाधड़ी निरोधक उपाय के रूप में, एसएमएस एलर्ट जनित किए जाते हैं तथा जिन ग्राहकों के मोबाइल नंबर बैंक के साथ पंजीकृत हैं, उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं :

- सुपुर्दगी चैनल (इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम/पीओएस) से समस्त नामे संव्यवहार.
- ₹ 10,000/- तथा अधिक के सभी ग्राहक द्वारा किए गए जमा एवं नामे संव्यवहार.
- ₹ 10,000/- तथा अधिक के समस्त नामे ईसीएस संव्यवहार.
- समस्त नामे आरटीजीएस संव्यवहार.
- चेक बुक जारी करने के अनुरोध को स्वीकार करने की पावती.
- स्टार ऑटो फिन एवं आवास ऋण खातों में देय किश्तों के लिए अलर्ट्स.

### इंटरनेट बैंकिंग

हमारे सभी ग्राहकों के लिए जनोपयोगी सेवा बिलों के भुगतान, वायुयान एवं रेल टिकट बुकिंग, ऑन लाइन शॉपिंग, इंटर बैंक एवं इंटरबैंक फंड अंतरण आदि हेतु शीघ्रतम सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है।

बैंक भारत में प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में दोनों खुदरा एवं कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2 एफए) - स्टार टोकन क्रियान्वित किया है। बैंक के ग्राहक माऊस के क्लिक से घर एवं कार्यालय से ही किसी भी समय, कहीं भी, कैसे भी, झंझट रहित सुरक्षित बैंकिंग की सुविधा का लाभ लेते हैं।

### निम्नलिखित विशेषताएं उपलब्ध हैं :

- आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा का प्रयोग करते हुए स्टार कनेक्ट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाते हुए एक बैंकों के बीच ऑनलाइन इन्टरबैंक निधि अंतरण।
- ऑटो-पे हेतु बीओआई स्टार ई-भुगतान या विविध जनोपयोगी सेवाओं/ बिलों के ऑन-लाइन भुगतान
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का ई-भुगतान
- शेरों में ट्रेड करने हेतु स्टार ई-शेयर ट्रेड

- ई-फ्रेट भुगतान
- डीजीएफटी लाइसेंस शुल्क का ऑन- लाइन भुगतान
- रेल्वे एवं हवाई यात्रा टिकट की ऑन-लाइन बुकिंग
- शिक्षा ऋण हेतु ऑन लाइन आवेदन
- इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ब्लॉक की गई राशि से समर्थित (एएसबीए) आईपीओ निर्गम आवेदन करने के लिए ऑनलाइन व्यू करने एवं आवेदन करने की सुविधा।
- ग्राहकों को ऑनलाइन मीयादी जमाराशि बनाने हेतु इंटरनेट बैंकिंग द्वारा सुविधा प्रदान करना
- इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का उपयोग करके एटीएम कार्ड की हॉटलिस्टिंग,पिन रिसेट/अनब्लॉक/परिवर्तन करना।
- वार्षिक कर विवरण देखना (फार्म 26 एस)
- बैंक के डेबिट सह एटीएम कार्ड धारक ग्राहकों को ऑन लाइन ई पेमेंट सुविधा का विस्तार। इससे ग्राहक ई भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग खाते के अतिरिक्त डेबिट सह एटीएम कार्ड का उपयोग भी कर सकेंगे।
- ऑनलाइन जमा रसीद के सृजन के दौरान और वर्तमान मीयादी जमा रसीदों के लिए ऑनलाइन नामांकन सुविधा।

### स्वचालित टेलर मशीनें (ATMs)

बैंक, नेशनल फाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) से जुड़ा है जिससे ग्राहक देशभर के 85,000 से भी अधिक एटीएमों का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक कैश-ट्री, बैंक्स (BANCS) एवं एसबीआई समूह नेटवर्क का भी सदस्य है। यथा 31.03.2012 बैंक के 1680 एटीएम हैं।

### बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में सीबीएस का कार्यान्वयन :

बैंक ने वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ग्रामीण ग्राहकों को "किसी भी समय, कहीं भी, कैसे भी" बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सीबीएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाओं में 100% सीबीएस का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। बीओआई इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए पांचों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरटीजीएस/एनईएफटी समर्थित हो गए हैं।

### अन्य नवीन पहलें

कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तकनीक का लाभ लिया जा रहा है, जैसे -

- वित्तीय समावेशन परियोजना - अबैकीकृत क्षेत्र को बैंकिंग सेवा प्रदान करना
- सौर ऊर्जा परियोजना - पर्यावरण के अनुकूल - ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी शक्ति ।
- वी-सैट कनेक्टिविटी परियोजना - नेटवर्किंग/ग्रामीण एवं दूरवर्ती स्थलों को जोड़ना

- सहयोगपूर्ण संचार-वर्चुअल क्लास रूम सत्र/हाई-डेफिनेशन ऑडियो/विडियो उपकरणों का संस्थापन
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए बायोमेट्रिक एटीएमों तथा आसान प्रयोग-सुविधा वाले एटीएमों का संस्थापन
- ऋण आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली (सीएपीएस)
- मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
- डिजिटल साइनेज - बैंक के फोटो एवं वीडियो विज्ञापनों में सुधार

#### पुरस्कार :

- वर्ष 2010-11 के दौरान बड़े बैंकों में वित्तीय समावेशन हेतु प्रौद्योगिकी के लिए आईडीआरबीटी से सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार
- सी-चेंज एन्टरप्राइजेस पुरस्कार 2011 - सीआईओज् में श्रेष्ठता को पुरस्कृत करना - सीआईओएल और डेटाक्वेस्ट से सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्यान्वयन पुरस्कार
- नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर - ह्यूज्स द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया को आउटस्टैंडिंग इन्नोवेशन पुरस्कार

#### प्रबंधन सूचना प्रणाली

सीबीएस का अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक ने डेटा मायनिंग सॉल्यूशन सहित डेटा वेयरहाउस (डीडब्ल्यूएच) भी स्थापित किया है जिससे बैंक, निर्णय में समर्थन हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली समर्थ हो और वह अपने कारोबारी आसूचना लक्ष्य शीघ्रता से व प्रभावी रूप से प्राप्त कर सके। इस सॉल्यूशन के कार्यन्वयन से बैंक का डेटा वेयरहाउस कोर बैंकिंग प्रणाली से दैनिक संव्यवहार डेटा संग्रहित करता है। साथ-साथ ही बैंक ने डेटा के गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल किया है तथा इससे बैंक की प्रबंध सूचना प्रणाली अत्यधिक परिष्कृत एवं परिशुद्ध बन गई है। बैंक अधिकांश भारतीय रिज़र्व बैंक रिपोर्ट, भारत सरकार के रिपोर्ट, आंतरिक उद्देश्य से रिपोर्टों का सृजन डीडब्ल्यूएच डेटाबेस के आधार पर करता है। शीर्ष प्रबंधन को प्रदान किए गए डैशबोर्ड का उपयोग प्रभावी रूप से कारोबार वृद्धि तथा जहाँ कहीं पर आवश्यकता है वहाँ समय पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कारोबारी आसूचना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक ने कारोबार विश्लेषणात्मक उपकरण भी अपनाए हैं।

#### आईटी समर्थित सेवाएं :

संकल्प 10,000 पहल के अंतर्गत शुरू किए महत्वाकांक्षी वृद्धि योजना के माध्यम से बैंक उन्नत संवृद्धि एवं लाभ अर्जित करना चाहता है।

इस साहसपूर्ण दृष्टि में ग्राहक संकेन्द्रीयता, बेहतर कौशल एवं सक्षमता के विकास से सफल टीम बनाने, उच्च कार्य निष्पादन हासिल करने की आदत बनाने, आई टी समर्थित दक्ष प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को आत्मसात करने को विशेष महत्व प्रदान किया गया है।

बैंक के पास सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और उसने अनेक आईटी समर्थित सेवाएं लॉच की हैं।

अपने वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखने के साथ-साथ नए, विशेषकर युवा टेक-सैवी पीढ़ी के ग्राहक बनाने के लिए आईटी समर्थित सेवाओं की अपार संभाव्यता का भरपूर लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय में एक अलग आईटी समर्थित सेवाएं - आईटीईएस विभाग की स्थापना की गई है। इस विभाग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

सभी आईटी समर्थित सेवाएं (आईटीएस)

i. इन्टरनेट बैंकिंग

i. रिटेल

ii. कॉर्पोरेट

ii. मोबाइल बैंकिंग

बीओआई बीटीएम - इंटरबैंक मोबाइल भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)

iii. एटीएम

iv. कार्ड उत्पाद


डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बिंगो कार्ड, गिफ्ट कार्ड और रिवाइड पॉइंट्स


v. ई-कॉमर्स


vi. ई-पेमेन्ट


vii. डीमैट

ई-सेवा एवं उत्पाद न केवल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं बल्कि हमारे व्यक्तिगत एवं कारोबारी पथ को नियंत्रित करने भी लगे हैं।

- बीओआई  बीटीएम (मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग) सुविधा की शुरुआत बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा 19 जून, 2011 को निधि अंतरण हेतु एक उभरते हुए वैकल्पिक चैनल के रूप में किया। यह बैंक ऑफ़ इंडिया के ग्राहकों को मोबाइल फोन के माध्यम से बैंक ऑफ़ इंडिया के विभिन्न खातों के बीच और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनसीपीआई) के साथ आईएमपीएस पंजीकृत सदस्य बैंकों से अपने खातों में निधियां प्राप्त भी कर सकते हैं।

- सभी रिटेल बैंकिंग ग्राहक बीओआई  बीटीएम मोबाइल बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक एसएमएस (अन-एन्क्रिप्टेड ट्रैन्ज़ैक्शन) के माध्यम से ग्राहक प्रतिदिन ₹ 5000/- तक निधि अंतरण कर सकते हैं और मोबाइल एप्लिकेशन (जावा समर्थित मोबाइल से - एण्ड टु एण्ड एन्क्रिप्टेड ट्रैन्ज़ैक्शन) के माध्यम से ग्राहक प्रतिदिन ₹ 50,000/- तक धन प्रेषण कर सकते हैं।

- बीओआई  इन्टरनेशनल ट्रैवल कार्ड - लॉच किया गया है जिसका प्रयोग यात्रा के प्रयोजन के शर्त के अध्यक्षीन विभिन्न मूल्यवर्गों में किया जा सकता है। यह यात्री चेक का सब से बेहतरीन विकल्प है। यह यूएस \$250.00 की न्यूनतम लोडिंग के साथ वर्तमान में यूएस डालर मुद्रा में उपलब्ध है और यह विज्ञा के व्यापक नेटवर्क द्वारा समर्थित है। कार्ड में उल्लिखित अवधि समाप्ति तारीख तक वैधता।

- बीओआई  पेन्शन आधार कार्ड - बीओआई पेंशन आधार कार्ड - यह केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेल्वे और विभिन्न राज्य सरकार के पेंशनरों और



पीएसयू के पेंशनरों के सभी वर्गों के लिए है। यह एक एटीएम-सह-डेबिट कार्ड है और कार्ड निःशुल्क जारी की जाती है (ग्लोबल डेबिट कार्ड विज्ञा से एपिलिएटिड है)। कोई नवीकरण प्रभार नहीं, अन्य बैंक के एटीएमों पर प्रयोग करने पर कोई प्रभार नहीं है। व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर भी उपलब्ध है - इस उत्पाद का लाभ उठाने वाले अधिकतम 70 वर्ष की आयु के पेंशनर को ₹ 1.00 लाख की दुर्घटना मृत्यु बीमा। कार्डधारक अपने बचत खाते में अधिकतम 1 माह की पेंशन राशि के बराबर राशि की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

- बीओआई  प्लैटिनम प्रिविलेज इन्टरनेशनल डेबिट/क्रेडिट कार्ड - यह फोटोग्राफ और हस्ताक्षर युक्त कार्ड है अंतः इसका प्रयोग आईडी के रूप में किया जा सकता है। कार्डधारक बीओआई एटीएम से प्रति दिन ₹ 50,000/- तक नकद आहरण कर सकते हैं और पॉइंट ऑफ सेल्स में प्रतिदिन सीमा ₹ 1,00,000/- है। यह एक ग्लोबल डेबिट-सह-एटीएम कार्ड है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैध है। चूंकि यह कार्ड उच्च मालियत और इसके लिए कोई वार्षिक या नवीकरण प्रभार नहीं होंगी। डेबिट कार्ड 5 वर्षों के लिए वैध है जबकि क्रेडिट कार्ड 3 वर्षों तक।
- लॉयल्टि रिवाइ प्रोग्राम: इस कार्यक्रम की शुरुआत डेबिट कार्ड धारकों को एटीएम नकद आहरण से हटाकर पीओएस प्रयोग के लिए प्रेरित करने के लिए की गई थी। पीओएस पर डेबिट कार्ड प्रयोग करने वाले कार्ड धारक को व्यय किए हरेक ₹ 11/- हेतु एक पॉइंट मिलेगा। कार्डधारक द्वारा अर्जित हरेक पॉइंट का मूल्यांकन ₹ 0.25 के दर से किया जाएगा और उसका आकलन माह के अंत में किया जाएगा। इस प्रकार अर्जित पॉइंटों को खरीदी माह से 36 महीनों तक कभी भी रिडीम किया जा सकता है। जब ये रिवाइ पॉइंट्स 100 की न्यूनतम सीमा तक पहुँच जाएं, तब इन्हें उपहार की चीजों जैसे - 2 मिलियन से अधिक वाणिज्यिक वस्तुओं और फिल्म टिकटों/बस टिकटों/हवाई यात्रा टिकटों/गिफ्ट वाउचरों के बदले रिडीम किया जा सकता है। ग्राहकों को लाभ : एटीएम से आहरण करने में सीमित संव्यवहारों के बाद प्रभार लगते हैं जब कि पीओएस पर प्रयोग करने पर ग्राहकों को इनाम स्वरूप पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें बाद में विभिन्न उपहारी चीजों के बदले रिडीम किया जा सकता है।

## मानव संसाधन विकास

किसी भी संस्था के विकास में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि संस्था की उपलब्धियों को हासिल करने के पीछे मानवीय चेहरे ही होते हैं।

मानव प्रबंधन का सिलसिला नियुक्ति प्रक्रिया से शुरू होता है तथा विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण, स्थापन, कार्यनिष्पादन समीक्षा, पदोन्नति आदि से होकर गुजरती है। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्मचारियों के साथ परस्पर हितकारी संपर्क विकसित किया है। कर्मचारियों को, आने वाली चुनौतियों का सामना करने और बैंक की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु तैयार किया जा रहा है।

बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न संवर्ग और वेतनमान में 4651 स्टाफ का वर्कफोर्स जोड़ा है। इसमें 2428 अधिकारी, 1682 लिपिक तथा 541 सब-स्टाफ

शामिल हैं। 2428 नियुक्त किए गए अधिकारियों में से 1657 सामान्य बैंकिंग अधिकारी हैं और शेष 771 विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारी हैं। इस वर्ष बैंक ने आईआईटी के कैम्पस से सीधे कनिष्ठ प्रबंधन संवर्ग वेतनमान-I में सामान्य बैंकिंग अधिकारियों की भर्ती करके एक प्रमुख पहल किया है। इस प्रक्रिया में 154 ऐसे अधिकारियों का चयन किया है। बैंक ने 1800 वेतनमान-I में सामान्य बैंकिंग अधिकारी और लिपिक संवर्ग में 3149 स्टाफ भर्ती करने के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

वर्ष 2011-12 के लिए सभी वेतनमान में पदोन्नति प्रक्रिया 19.11.2011 को आरंभ की गई तथा 31.03.2012 तक समाप्त कर दी गई। इस प्रक्रिया के दौरान वेतनमान-I से वेतनमान-II में 945 सामान्य बैंकिंग अधिकारी और 131 विशेषज्ञ अधिकारी, वेतनमान-II से वेतनमान-III में 896 सामान्य बैंकिंग अधिकारी और 46 विशेषज्ञ अधिकारी, वेतनमान-III से वेतनमान-IV में 252 सामान्य बैंकिंग अधिकारी और 14 विशेषज्ञ अधिकारी, वेतनमान-IV से वेतनमान-V में 77 अधिकारी, वेतनमान-V से वेतनमान-VI में 38 अधिकारी और वेतनमान-VI से वेतनमान-VII में 13 अधिकारियों की पदोन्नति हुई। इसके अलावा वर्ष के दौरान 678 स्टाफ का लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति हुई।

स्पंदनशील संगठनात्मक संस्कृति के सृजन में प्रशिक्षण और ग्रूमिंग एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके जरिए कर्मचारियों को अपने सर्वोत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाता है। कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि और विभिन्न खण्डों में ग्राहकों की कभी न बदलने वाली कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सही कौशल और ज्ञान से सज्जित करने में सहायक है।

पूरे देश में बैंक के छह प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। यद्यपि प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई शीर्ष स्तर का प्रशिक्षण संस्थान है, इसके अतिरिक्त चार प्रशिक्षण महाविद्यालय (एसटीसी) सामरिक महत्व के स्थान भोपाल, चेन्नै, नोएडा और कोलकाता में हैं और एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र (आईटीटीसी) पुणे में है। वर्ष के दौरान इन सभी महाविद्यालयों में आयोजित 963 कार्यक्रमों में बैंक के 18746 कर्मचारियों और अन्य संगठनों के 1068 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष 2011-12 के दौरान 1430 लिपिकों तथा 2243 सीधे भर्ती अधिकारियों ने बैंक में कार्यग्रहण किया, जिनके लिए सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विशिष्ट इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गये। इसमें कैम्पस से भर्ती किए गये कृषि अधिकारी, सनदी लेखाकार, मार्केटिंग एक्जिक्यूटिव और फाइनेंस एक्जिक्यूटिव के लिए आयोजित कार्यक्रम शामिल हैं। ऐसी प्रत्येक बैच को महाप्रबंधक (एचआर) द्वारा या तो बैंक के बीकेसी स्थित आडिटोरियम या विडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया था। नई भर्तियों के लिए साफ्ट स्किल विकास हेतु दो बाहरी एजेंसियों जैसे कि 'एम/एस क्रिएशन ऑफ फ्यूचर' और एम/एस ब्योन्सी को रखा गया था। पात्र व्यक्तियों के लिए भर्ती-पूर्व और पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। महिला अधिकारियों और सेवा निवृत्त होने वाले लिपिकों, अधिकारियों आदि के लिए भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। नये पदोन्नत हुए उप महाप्रबंधकों के लिए आईआईएम बेंगलूर में 5 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नये पदोन्नत हुए सहायक महाप्रबंधकों के लिए हमारे एसटीसी नोएडा में चार बैचों में बाहरी स्रोत की एजेंसी "क्रिएशन ऑफ फ्यूचर"

द्वारा "नेतृत्व विकास कार्यक्रम" आयोजित किया गया। बैंक की प्रशिक्षण सुविधानुसार अन्य संस्थाओं के लिए भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एमडीआई, बेलापुर में बैंक के घरेलू कार्यक्रमों में अन्य बैंकों की अच्छी सहभागिता रही। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में एक्सपोजर के लिए विदेशी शाखाओं के लिए प्रतिनियुक्त किए गए 64 अधिकारियों को ऑन दि जॉब प्रशिक्षण दिया गया। 481 अधिकारियों को भारत में बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था और 58 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षणों, सम्मेलनों और सेमिनारों में उपस्थित रहने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। 20 नये संकाय सदस्यों और 3 पुराने संकाय सदस्यों को बीआईआरडी, लखनऊ में "ट्रेन दिट्रेनर्स" कार्यक्रम के लिए नामित किया गया था।

विभिन्न प्रबंधन संस्थाओं के 290 विद्यार्थियों को जनवरी, 2012 से आज की तारीख तक बैंक में समर इंटरशिप करने के लिए अनुमोदित किया गया है। बैंक ने एनआईबीएम पुणे में बैंकिंग एवं फाइनेंस में दो वर्ष के लिए पूर्ण कालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम हेतु 41 उम्मीदवारों को स्पॉन्सर किया है। ड्रकर मैनेजमेंट पाथ मौड्यूल के अंतर्गत नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए एम/एस प्रिज्म लर्निंग सेंटर प्रा.लि. को रखा गया था। 500 अधिकारियों के लिए ऋण एवं विदेशी मुद्रा विनियम में प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। आज की तारीख तक इस योजना के अंतर्गत 90 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

पायलट आधार पर 7 सेवानिवृत्त अधिकारियों को 10 केन्द्रों (3 एलसीबी+ 5 एसएमई सीसी + 2 सीपीसी) को कवर करते हुए परामर्श दाता का उत्तरदायित्व सौंपा है। सभी अंचलों में अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों के लिए विशेष कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। आरबीसी, एसएमईसीसी, एमसीबी और एलसीबी के स्टाफ के लिए बीसीएसबीआई, उच्च जोखिम रेटेड शाखाओं और बूट कैम्प के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

मानव संसाधन विकास से संबंधित बैंक की सभी प्रमुख गतिविधियों को मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत लाइव किया गया है। इसमें वेतन प्रोसेसिंग, छुट्टी प्रबंधन, बिलों की प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण, सेवाएं लाभ, एपीए, वार्षिक आस्ति देयता विवरणी प्रस्तुत करना, स्थानांतरण हेतु आवेदन, पदोन्नति आदि शामिल है। इससे समय की काफी बचत हुई है तथा स्टाफ सदस्यों को सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल रही है।

वर्ष के दौरान मानव संसाधन विभाग द्वारा कुछ अभिनव कदम उठाए गए हैं जो निम्नानुसार हैं :

- सक्सेशन प्लान की तैयारी।
- अपनी पसंद के अंचल में बने रहने की सुविधा सहित लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में फास्ट ट्रैक पदोन्नति का प्रारंभ।
- नई पदोन्नति नीति तैयार करना जहां मध्य और उच्च प्रबंधन स्तर के रिक्तता को भरने पर विशेष ध्यान दिया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार महिला कर्मचारियों के लिए अभियोग समिति बनाई गई है और नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- विशेष सहायकों के 200 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति और 1000 से 1200 तक कुल पदों में वृद्धि।

- श्रेणी सी हेड कैशियर से हेड कैशियर श्रेणी II में उन्नयन।
- इस अवधि के दौरान एचआरएमएस में कई नए माड्यूल लाइव किए गए जिनमें एपीआर तथा आस्ति और देयताएं विवरणी का ऑनलाइन जमा किया जाना शामिल है।
- 6 विदेशी केन्द्रों के लिए केन्द्र-विशिष्ट समीक्षा
- दीर्घकालीन स्वामित्व के आधार पर सभी अधिकारियों को फर्नीचर-फिक्सचर का प्रावधान।

#### तारांगण

- बैंक की तिमाही गृह पत्रिका 'तारांगण' का प्रकाशन मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसमें चित्र सहित संस्था की आंतरिक खबरों, विचारों, स्टाफ-सदस्यों, भूतपूर्व स्टाफ सदस्यों एवं उनके परिवारजनों के लेख प्रकाशित होते हैं। बैंक के बहुमूल्य ग्राहकों की उपलब्धियों का यथोचित प्रचार हम अपनी गृह पत्रिका में करते हैं। इस जर्नल में सामान्य तथा बैंकिंग विषयों, नए उत्पादों, वित्तीय जगत एवं विश्व की खबरों को कवर किया जाता है।
- वर्ष 2011-12 के दौरान संस्थागत पुनर्गठन के अनुरूप तारांगण में कई परिवर्तन किए गए। विषय-वस्तु को समृद्ध और पढ़ने योग्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकाशन को कई उच्च संगठनों से निरंतर प्रशंसा प्राप्त होता रहा है और इसी सिलसिले में रोटरी क्लब ऑफ़ कोचीन मिडटाउन एवं एसोसिएशन ऑफ़ बिज़नेस कम्प्यूनिकेटर्स ऑफ़ इंडिया (एबीसीआई) से प्रशंसा स्वरूप पुरस्कार प्राप्त हुए।

#### अध्ययन एवं विकास

अध्ययन एवं विकास विभाग (एल एण्ड डीडी) स्पंदनशील संगठनात्मक संस्कृति के सृजन में सहायक है, जो अपने लगातार प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों तथा मॉड्यूल के जरिये कर्मचारियों को अपने सर्वोष्ण कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देता है और प्रेरित करता है। कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि और विभिन्न खण्डों में ग्राहकों की कभी न बदलने वाली कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सही कौशल और ज्ञान से सज्जित करने में उत्प्रेरक का कार्य करता है।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के अंतर्गत प्रशिक्षण मॉड्यूल को क्रियाशील करके बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। इससे बैंक में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऑन लाइन नामांकन की सुविधा हुई है। भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न परीक्षाएं पास करके स्टाफ सदस्यों को अपना ज्ञान उन्नत करने और कौशल को तीक्ष्ण करने हेतु स्टाफ सदस्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं।

#### आरक्षण नीति का अनुपालन

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय/आंचलिक कार्यालयों में विशेष भर्ती एवं एससी/एसटी कक्ष आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के निवारण की निगरानी के लिए कार्यशील हैं।



अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों/स्टाफ को लिपिकीय संवर्ग से सामान्य बैंकिंग अधिकारी संवर्ग में और अधिकारी संवर्ग के भीतर वेतनमान I से वेतनमान III में पदोन्नतियों के लिए भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रदान किए गए भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण के विवरण निम्नानुसार हैं :

(अनन्तिम)

क्र. सं.	संवर्ग	भर्ती पूर्व			पदोन्नति पूर्व				
		आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रमों की अवधि	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या		आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रमों की अवधि	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	
				एससी	एसटी			एससी	एसटी
क)	अधिकारी	6	6 दिन	185	53	29	6 दिन	530	234
ख)	लिपिक	-	-	-	-	8	6 दिन	194	59
ग)	अधीनस्थ कर्मचारी	-	-	-	-	13	6 दिन	145	52

बैंक ने प्रधान कार्यालय में क्रमशः ओबीसी तथा एससी/एसटी के लिए मुख्य सम्पर्क अधिकारियों के रूप में महाप्रबंधक को नियुक्त किया है। एससी/एसटी/ओबीसी प्रवर्गों से संबंधित अधिकारी सम्पर्क अधिकारी/कक्ष अधिकारी के रूप में आंचलिक कार्यालयों में नियुक्त किए हैं। सरकारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रधान कार्यालय/आंचलिक कार्यालय में पद आधारित आरक्षण रोस्टर का रखरखाव किया जाता है जिसका निरीक्षण वार्षिक आधार पर किया जाता है। प्रधान कार्यालय एवं आंचलिक कार्यालयों में स्थापित एससी/एसटी कक्ष भूतपूर्व सैनिकों/अशक्त व्यक्तियों जैसे प्रवर्गों के संबंध में आरक्षण के कार्यान्वयन के साथ भी सम्बद्ध है।

**कुल स्टाफ संख्या (भारतीय) में एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व**

(अनन्तिम)

मार्च 2012	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ	कुल
अनुसूचित जाति	2817	2703	2874	8394
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का %	16.86	16.06	36.59	20.53
अनुसूचित जनजाति	1196	1411	814	3421
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का %	7.16	8.38	10.36	8.37
अन्य पिछड़ी जातियां	1544	1310	1088	3942
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का %	9.24	7.78	13.85	9.64

**विधि**

बैंक का विधि विभाग, बैंक के विभिन्न कार्यालय/शाखाओं और सहयोगियों/विदेशी केन्द्रों द्वारा उल्लेख किए जाने वाले विधिक मामलों में मार्गदर्शन देता है। उधार देने के विभिन्न दस्तावेजों और बैंक द्वारा किए जा रहे अन्य करारों का मसौदा तैयार करना और अधिका कर देने का कार्य भी विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग, वसूली के लिए वाद दायर की प्रक्रिया और/अथवा एसएआरईएसआई अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई में विभिन्न कार्यालय/शाखाओं को सहयोग देता है।

इसके अतिरिक्त, विभाग सूचना अधिकार अधिनियम के सटीक कार्यान्वयन

के लिए सभी अंचलों और अन्य कार्यालयों के मार्गदर्शन देता है। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों पर ध्यान देने के लिए प्रधान कार्यालय और विभिन्न एनबीजीयां/डीएम कार्यालयों/एलसीबीयों तथा अंचलों में बैंक का केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और अपील अधिकारी है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बैंक से संबंधित आवश्यक महत्वपूर्ण सूचनाएं बैंक की वेबसाइट में दी गई है।

**परिसर विभाग**

परिसर विभाग को वाणिज्यिक भवन तथा आवासीय बंगला तथा फ्लैट जैसे अचल आस्तियां बनाने तथा ग्राहक सेवा और कार्य करने के परिवेश को बेहतर बनाने के लिए बैंक की शाखाओं और कार्यालयों के फर्निशिंग का कार्य सौंपा गया है। विभाग पट्टे पर लिए गए शाखा/कार्यालय परिसर से संबंधित मामलों को भी देख रहा है।

- स्थानांतरी अधिकारियों के लिए नवी मुंबई में 139 फ्लैट खरीदे
- आंचलिक कार्यालय तथा आवासीय फ्लैट के लिए आगरा में ज़मीन खरीदा
- केंदुझर (उड़ीसा) में 24 आवासीय फ्लैट खरीदे
- पोंडा (गोवा) शाखा के लिए परिसर खरीदा
- गोवा में आंचलिक कार्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ।
- रामदास नायक मार्ग (हील रोड) शाखा परिसर निर्माण का कार्य संपन्न हुआ।
- परूर शाखा परिसर निर्माण का कार्य संपन्न हुआ।
- "युनिफॉर्म फर्निशिंग पैटर्न" के अनुसार 650 शाखाओं की फर्नीशिंग की गई।

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में दूसरे कार्पोरेट भवन, मुंबई उत्तर आंचलिक कार्यालय तथा अंधेरी शाखा परिसर, हजारीबाग आंचलिक कार्यालय और अमृतसर आंचलिक कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरे ज़ोरों पर है तथा वर्ष 2012-13 में पूर्ण होने की संभावना है। चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और वर्ष 2012 में ग्रहण करने के लिए तैयार है।

विभाग द्वारा वर्ष के दौरान आगरा, इंदौर और उज्जैन में आंचलिक कार्यालय तथा आवासीय फ्लेटों का निर्माण तथा नई दिल्ली में फ्लेटों की खरीद का कार्य प्रारंभ किया गया। बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) के साथ, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई में स्थित भूखंड का संयुक्त रूप से विकास करने हेतु 'समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किया।

विभाग, बैंक द्वारा पट्टे पर लिए गए 3683 परिसर से संबंधित मामलों का भी देखरेख कर रहा है।

**अनुपालन**

बैंक ऑफ़ इंडिया वित्तीय जगत का एक हिस्सा है तथा दिशानिर्देश, विनिर्देश तथा मानक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक की अनुपालन कार्यनीति 21.01.2008 को बोर्ड द्वारा स्वीकार की गई है। 25.05.2011 को बोर्ड द्वारा इस नीति की आगे समीक्षा

की गई। समीक्षाकृत अनुपालन नीति, बैंक के वेबसाइट (स्टाफ पोर्टल) पर प्रदर्शित की गई है। बैंक में मुख्य अनुपालन अधिकारी (महाप्रबंधक की श्रेणी में) के नेतृत्व में स्वतंत्र अनुपालन विभाग कार्य कर रहा है। बैंक के सांविधिक, विनियामक एवं आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन बैंक के अनुपालन कार्य का परिचालन कार्य क्षेत्र है।

विभाग ने शाखा बैंकिंग के निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए अनुपालन नियम तैयार किया है :

विवरण	आवृत्ति	नियमों की सं.
अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण / आंतकवाद वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)	मासिक	51
जमा राशियां व सेवाएं	तिमाही	62
अग्रिम	तिमाही	63
एफईएमए	तिमाही	119

प्रत्येक अंचल के अनुपालन कार्य की निगरानी के लिए संबंधित आंचलिक कार्यालय में अनुपालन अधिकारी अभिनिर्धारित किए गए हैं। विदेशी शाखाओं के लिए विदेशी केन्द्र पर हरेक क्लस्टर हेतु सभी शाखाओं के अनुपालन कार्य पर निगरानी हेतु एक अनुपालन अधिकारी की पहचान की गई है।

अनुपालन विभाग, अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड/सर्वोच्च प्रबंधन/प्रधान कार्यालय के विभागों को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता है :

- बोर्ड को बैंक के अनुपालन कार्य पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- संबंधित अंचलों से अनुवर्ती कार्रवाई/सुधार के लिए अनुपालन चूक के उदाहरण प्रधान कार्यालय के विभागों को देना;
- बैंक के समक्ष अनुपालन जोखिम पर मासिक नोट सर्वोच्च प्रबंधन को प्रस्तुत करना;
- मासिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों का सारांश बोर्ड को प्रस्तुत करना;
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को तिमाही आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों/अनुदेशों पर बैंक का अनुपालन प्रस्तुत करना;
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियम समीक्षा कैलेण्डर की निगरानी और इस पर तिमाही के आधार पर बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- अनुपालन कार्य नीति के पैरा 12 (Xii) के अनुसार विभाग द्वारा अपने कार्य पर बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- प्रमुख पहलों के संबंध में तैयारियों की स्थिति और केवायसी/एमएल/सीएफटी जैसे क्षेत्रों में बैंक की तैयारी पर बोर्ड को मासिक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है।
- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को केवायसी/एमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की तिमाही समीक्षा प्रस्तुत की जाती है।
- बैंक की चयनित शाखाओं में किए जा रहे अनुपालन परीक्षण की अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है।

प्रधान कार्यालय के अन्य विभागों के समन्वय से विभाग द्वारा भारतीय रिज़र्व

बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एफआई) का संभाला जाता है। एफआई रिपोर्टों की जांच की जाती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुपालन प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2010-11 का एफआई 27.07.2011 में समाप्त किया गया और बोर्ड के लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किए गए कार्रवाई बिन्दु पर विभागों के उत्तर/अनुपालन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास 15.11.2011 को जमा किए गए।

विभाग को बैंक में अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण उपाय/सीएफटी दिशानिर्देशों को लागू करने/निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। बोर्ड ने 25.05.2011 में संपूर्ण और व्यापक केवायसी/एमएल/सीएफटी नीति को अनुमोदित किया और उसे सभी अंचल/शाखाओं में परिचालित किया गया। पुनरीक्षित केवायसी/एमएल/सीएफटी पॉलिसी को बैंक के वेबसाइट (स्टाफ पोर्टल) में प्रदर्शित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार विभाग ने सभी वर्तमान खातों में केवायसी मानदण्ड के अनुपालन को सुनिश्चित करने का काम गंभीरता से लिया है। केवायसी का अनुपालन नहीं करने वाले ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूरे देश में विभिन्न भाषाओं के प्रतिष्ठित समाचारपत्रों में उपयुक्त सूचना दी गई थी। फिनेकल सिस्टम में प्रत्येक खाते में केवायसी स्थिति को नोट करने के लिए अलग अनिवार्य फिल्टर डाला गया है। सभी शाखाओं में केवायसी अनुपालन न किए गए खातों को पहचानने, केवायसी दस्तावेज प्राप्त करने तथा फिनेकल सिस्टम को उचित रूप से अद्यतन करने की प्रक्रिया चल रही है।

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) के उपबंधों के अनुसार और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और केवायसी के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कम आय समूह के व्यक्तियों के खाते खोलते समय सरलीकृत केवायसी मानदंड शुरू किए गए हैं। सभी ग्राहकों को जोखिम धारणा के आधार पर उच्च, मध्यम व न्यून जोखिम प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

पीएमएल एक्ट के प्रावधानों का बैंक द्वारा अनुपालन के मूल्यांकन हेतु वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) ने 9.11.2011 को समीक्षा बैठक का आयोजन किया था। एफआईयू-आईएनडी ने आपके बैंक के अनुपालन स्तर के संबंध में संतुष्टि व्यक्त की।

वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग द्वारा किए गए पहल :

- बैंक के सभी प्रशिक्षण केंद्रों में प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक सत्र केवायसी/एमएल/सीएफटी के लिए चयनित है।
- आंचलिक कार्यालयों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों के लिए एमडीआई में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- महाप्रबंधकों, अनुपालन अधिकारियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुख अधिकारियों को अनुपालन तथा केवायसी/एमएल/सीएफटी मुद्दों के बारे में सुग्राही बनाने हेतु एक बैठक आयोजित की गई थी।
- संदिग्ध संव्यवहारों एवं जाली मुद्रा संव्यवहारों की त्वरित रिपोर्टिंग के महत्त्व तथा केवायसी/एमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों व अन्य अनुपालन संबंधी मुद्दों के कड़ाई से पालन की महत्ता के बारे में स्टाफ सदस्यों को सुग्राही बनाने एवं उनमें जागरूकता पैदा करने के एक अतिरिक्त उपाय के रूप में कई अंचलों में बैठकों का आयोजन किया गया। शाखा प्रमुखों, करेंसी-चेस्ट के अधिकारियों, गहन नकदी वाली शाखाओं के रोकड़िया ने

बैठक में सहभागिता किया और रचनात्मक बातचीत हुई। इन प्रयासों के चलते स्टाफ सदस्यों में केवायसी/एमएल/एफटी दिशानिर्देशों के महत्व के संबंध में जागरूकता पैदा हुई है। इन प्रयासों के कारण केवायसी अनुपालन की स्थिति में सुधार हुआ है।

सभी नियंत्रक एजेन्सियों का बैंक से संपर्क के लिए यह विभाग एकल संपर्क बिन्दु है।

## सतर्कता

वित्त मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त महाप्रबंधक श्रेणी के मुख्य सतर्कता अधिकारी बैंक की सतर्कता व्यवस्था के प्रमुख हैं। सभी सतर्कता मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारियों/नियंत्रक प्राधिकारियों को सलाह देने के लिए सीवीओ को ऐसे अधिकारियों की सहायता प्राप्त है जिन्हें अन्वेषण और अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों के साथ-साथ बैंकिंग का ज्ञान/ इन क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव है। सतर्कता विभाग, निवारक सतर्कता उपायों के प्रचार-प्रसार का भी ध्यान रखता है। इस संबंध में बैंक द्वारा पॉच स्वतंत्र "सतर्कता युनिट्स" बनाए गए हैं तथा परिचालनगत जोखिमों का प्रभावी रूप से निपटान हेतु जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एक अलग धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन विभाग का भी सृजन किया गया है।

## धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

निदेशक बोर्ड के शर्ताधीन प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन विभाग की स्थापना 01.11.2011 को की गई जो किए गए और प्रयास किए गए धोखाधड़ी के मामलों को संभाल सके। विभाग की सबसे समीक्षात्मक गतिविधि है धोखाधड़ी प्रवण क्षेत्रों में किए गए टिपिकल संव्यवहार के संदर्भ में संकेत की ऑनलाइन निगरानी द्वारा धोखाधड़ी की रोकथाम। विभाग फिलहाल, धोखाधड़ी विश्लेषण, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय सहित विभिन्न आंतरिक प्राधिकारियों/समितियों को धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग करता है।

विभाग विभिन्न पूर्व निर्णित मानदण्डों के संदर्भ में जैसे नए खोले गए बचत/चालू खातों में उच्च मूल्य के संव्यवहार, कार्यालय खातों/स्टाफ खातों में संव्यवहार, विश्लेषण और निगरानी के लिए डेटा वेयरहाउस से सीबीएस संव्यवहार मंगाता है। इस डेटा के आधार पर शाखाओं/अंचलों से ब्यौरे/स्पष्टीकरण मांगा जाता है। इस कार्रवाई के कारण शाखाओं/अंचलों में जागरूकता आई है कि टिपिकल/असामान्य संव्यवहारों पर प्रधान कार्यालय का विभाग निगरानी रख रहा है। ऑनलाइन निगरानी के संकेत पर विभाग में तत्काल (रियल टाइम) आधार पर संकेत जेनरेशन की सुविधा और उसकी निगरानी संबंधित सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया जा रहा है। बैंक ने सॉफ्टवेयर के परीक्षण के उद्देश्य से 36 परिदृश्य दिए हैं और उनके अंतिम अनुमोदन के बाद निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। यह अपेक्षा की जाती है यह प्रणाली धोखाधड़ी रोकथाम में सहायक होगी और दिए गए प्रक्रिया और प्रणाली के संबंध में परिचालन स्टाफ में जागरूकता पैदा करेगी।

## निरीक्षण व लेखा परीक्षा

वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग द्वारा शाखाओं, करेंसी चेस्ट, डिपॉजिटरी सहभागिता कार्यालय में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा, सूचना

प्रणाली लेखा परीक्षा तथा राजस्व लेखा परीक्षा की गई और प्रधान कार्यालय विभागों, आंचलिक कार्यालयों, आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालयों, स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालयों, एमडीआई, एलडीएम कार्यालय, आरआरबी में जोखिम आधारित प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई। एफसीए द्वारा 718 स्वदेशी शाखाओं (कोषागार शाखा सहित) तथा संपदा विभाग, प्रधान कार्यालय (केन्द्रीयकृत भुगतान के लिए) तथा आंतरिक अधिकारियों द्वारा 24 विदेशी शाखाओं, कार्ड उत्पाद विभाग, वित्त विभाग तथा डाटा सेन्टर की समवर्ती लेखा परीक्षा की गई। बैंक के कुल ग्लोबल अग्रिम का 65.64% तथा कुल ग्लोबल जमा का 52.47% समवर्ती लेखा परीक्षा द्वारा पूरा किया गया जबकि नियत स्तर प्रत्येक का 50% है। विभाग ने शाखाओं में लेखा परीक्षा के दौरान ₹ 6,522.74 करोड़ तक के राजस्व की हानि का पता लगाया जिसमें से ₹ 6,073.88 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

स्टारबूस्ट योजना के अंतर्गत 2688 शाखाओं के लेखा परीक्षा अपवाद रिपोर्ट (ईईआर) निकाले गए और आरबीआईए के अंतर्गत शाखाओं को भेजे गए। यह रिपोर्ट संबंधित शाखाओं को दो महीने पहले भेजी जाती है जिससे लेखा परीक्षा आरंभ होने के पहले शाखाएं आवश्यक सुधारात्मक उपाय शुरू कर सकें।

आंतरिक शाखाओं के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की नीति का संशोधन किया जा रहा है और जोखिम आधारित प्रबंधन लेखा परीक्षा (आंतरिक) और समवर्ती लेखा परीक्षा की नीतियों का उपयुक्त समीक्षा/संशोधन किया गया जिससे क) भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्ववर्ती एफआई द्वारा चिह्नित क्षेत्रों को सुपरिष्कृत कवर किया जाए। ख) संकल्प 10,000 के उत्तरवर्ती बैंक के पुनर्गठन के अनुसार नीति को ठीक किया जाए। वर्ष 2011-12 के लिए बैंक के लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट पर समयानुसार कार्रवाई की गई तथा बोर्ड और एसीबी को अनुपालन समय से प्रस्तुत किया गया। बोर्ड/एसीबी की बैठकों से निकले कार्रवाई मदों के अनुपालन को समय से एसीबी/बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।

विभाग के तत्वावधान में किए गए नेमी लेखा परीक्षा कार्रवाईयों के अलावा उच्च प्रबंधन के निदेशों/मार्गदर्शन के तहत विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित विशेष कार्यभार लिये गये।

- o 'उच्च जोखिम और ऊपर' मूल्यांकित शाखाओं में विवेकाधिकार लेखा परीक्षा पूरी की गई जिससे पर्यवेक्षण/अपवाद के निश्चायक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- o गैर-समवर्ती लेखा परीक्षित शाखाओं को राजस्व लेखा परीक्षा किया गया (छोटे/मध्यम शाखाओं में वार्षिक तथा बृहत और उससे ऊपर शाखाओं में अर्ध वार्षिक) और ₹ 794.56 करोड़ के राजस्व हानि का पता लगाया गया।
- o संकल्प 10,000 के कार्यान्वयन के परिणास्वरूप एलसीसी/एमसीसी शाखाओं में माइग्रेट हुए खातों का स्नैप लेखा परीक्षा किया गया जिससे दस्तावेजों का सही स्थानांतरण सुनिश्चित किया जा सके।
- o लेखा परीक्षित शाखाओं में (यह निरंतर किया जा रहा है) निवारक सतर्कता उपाय के प्रभाव का आंकलन किया गया।
- o 792 शाखाओं में फैली 3890 खातों में ऋण लेखा परीक्षा और ऋण समीक्षा व्यवस्था आयोजित की गई।

- भारतीय रिज़र्व बैंक-एफआई निदेशों के अनुसार सिस्टम के मास्टर डेटा के गुणवत्ता और सटीकता की फिर से पुष्टि के लिए 1462 शाखाओं में डेटा परिष्करण कार्रवाई की गई जिसमें शाखाओं के एमआईएस मर्गों और राजस्व हानि को बंद करने को मजबूती देने के लिए ऋण संविभाग का 83% कवर किया गया जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर अशुद्ध डेटा के सफाई का कार्य किया गया।
- रुपए 1 करोड़ से अधिक धोखधड़ी वाले खातों का सनैप लेखा परीक्षा किया गया जिससे प्रक्रिया और सिस्टम की असफलताओं पर रिपोर्ट किया जा सके और ऐसे धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाये जा सके।
- सभी अंचलों में आंचलिक प्रबंधक के स्वीकृतियों का क्वालिटी अडिट किया गया जिससे आंचलिक प्रबंधक के स्वीकृतियों के मूल्यांकन गुणवत्ता का पता लगाया जा सके और कमजोर खातों तथा क्वीक मार्टिलिटी के लिए स्वीकृति देने से रोकने के सुधारात्मक उपाय सुझाये जा सके।

महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक ने विभिन्न आंचलिक लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सहभागिता की तथा अधिक जोखिम स्तर की शाखाओं के मुख्य पदधारी के साथ बैठक की गई और समयानुसार अनुपालन/विभिन्न रिपोर्टों को बंद करने तथा लेखा परीक्षा रेटिंग बेहतर करने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन दिया। कुछ अंचलों में समवर्ती लेखा परीक्षक/आंतरिक लेखा परीक्षकों की बैठक आयोजित की गई जहां महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक ने लेखा परीक्षा खोज की गुणवत्ता रिपोर्टिंग और समयानुसार रिपोर्ट जमा करने पर बल दिया।

डाटा सेन्टर के लिए पूर्णकालिक आंतरिक समवर्ती लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया और अन्य कर्तव्यों के साथ उसे ब्याज मानदंडों की जांच, ब्याज प्रक्रिया का प्रयोग तथा नमूने खातों में ब्याज की जांच का कार्य दिया गया। समवर्ती लेखा परीक्षक के विचारों को अनुपालन के लिए आईटी विभाग को अग्रेषित किया गया। उनसे प्राप्त अनुपालन को नोटिंग तथा आगे के निर्देश, यदि हो, के लिए प्रधान कार्यालय (लेखा-परीक्षा) उप-समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

सभी महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा खोज पर नियमित रिपोर्टिंग निर्धारित उच्च प्रबंधन, प्रधान कार्यालय (लेखा परीक्षा) उप-समिति तथा एसीबी को प्रस्तुत की जाती है और निदेशों का अनुपालन किया जाता है।

### राजभाषा

बैंक में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने वर्ष के दौरान भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपने प्रयास जारी रखे। इन प्रयासों में बैंक के विभिन्न अंचलों/कार्यालयों में तैनात सभी राजभाषा अधिकारियों के लिए आयोजित वार्षिक समीक्षा बैठक शामिल है।

वर्ष के दौरान देश के विभिन्न केन्द्रों में कुल 149 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से स्टाफ सदस्यों को बैंक में दैनंदिन का कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने के लिए सक्षम बनाने के प्रयास किए

गए। वर्ष के दौरान इन कार्यशालाओं में कुल 2874 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

10 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली में "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट बनाम भारतीय अर्थव्यवस्था" विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें अनेक बैंकों के कर्मचारियों ने पेपर प्रस्तुत किए।

राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के परिणामस्वरूप बैंक को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए :-

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) से पुरस्कार

पुदुचेरी शाखा	- प्रथम पुरस्कार	पटना अंचल	- प्रथम पुरस्कार
कोल्हापुर अंचल	- प्रथम पुरस्कार	बोकारो अंचल	- प्रथम पुरस्कार
भुवनेश्वर अंचल	- द्वितीय पुरस्कार	चेन्नई अंचल	- प्रथम पुरस्कार
अहमदाबाद अंचल	- द्वितीय पुरस्कार	खण्डवा अंचल	- द्वितीय पुरस्कार
सिलिगुड़ी अंचल	- द्वितीय पुरस्कार	लखनऊ अंचल	- द्वितीय पुरस्कार
लुधियाना अंचल	- द्वितीय पुरस्कार	आगरा अंचल	- तृतीय पुरस्कार
रायपुर अंचल	- सात्वना पुरस्कार		

भारत सरकार-राजभाषा विभाग पुरस्कार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पटना - संयोजक - बैंक ऑफ़ इंडिया - प्रथम पुरस्कार

भुवनेश्वर अंचल-द्वितीय पुरस्कार

बैंक के स्टाफ पोर्टल 'स्टार डेस्क' में शाखा परिपत्र एवं परिपत्रक द्विभाषिक में प्रदर्शित किए गए हैं। बैंक के विज्ञापन, प्रेस विज्ञापित इत्यादि विभिन्न अखबारों एवं पत्रिकाओं में द्विभाषिक में प्रकाशित किए गए।

'संकल्पना' के नाम से एक विशिष्ट हिन्दी पत्रिका हर तिमाही में प्रकाशित की जा रही है जो स्टाफ सदस्यों को अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करती है।

### बैंक की सहायक कंपनियां/सहयोगी संस्थाएं

#### इंडो ज़ाम्बिया बैंक लि. (आईजेडबी)

आईजेडबी तीन भारतीय बैंकों, यथा बैंक आफ इंडिया, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और जाम्बिया सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। प्रत्येक भारतीय बैंक के पास 20% शेयर पूंजी धारिता है, जबकि जाम्बिया सरकार की शेयर पूंजी धारिता 40% है। इंडो-जाम्बिया बैंक लि. सफल संयुक्त उद्यम का एक बढ़िया उदाहरण है। इसे दो भिन्न मित्रवत गणराज्यों जाम्बिया गणराज्य सरकार और भारत सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

#### बैंक ऑफ़ इंडिया (इंडोनेशिया) टीबीके

बैंक ऑफ़ इंडिया (इंडोनेशिया) टीबीके, बैंक की पूरी स्वामित्व की एक अनुषंगी है जिसमें बैंक ने 76% हिस्सा अर्जित किया है।



**बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड**

बैंक ऑफ इंडिया तंजानिया लिमिटेड पूर्ण रूप से बैंक की अपनी अनुषंगी है जिसने दिनांक 16 जून, 2008 से दार-ए-सलाम में पहली शाखा के साथ परिचालन आरंभ किया है।

बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. 176.95 प्रदत्त पूंजी के साथ पूर्ण रूप से बैंक की अनुषंगी है जिसने इस वर्ष परिचालन आरंभ किया।

**बीओआई शेयर होल्डिंग लि. (बीओआईएसएल)**

बैंक का केपिटल मार्केट के साथ नौ दशकों से अधिक पुराना संबंध है। 1921 से बैंक द्वारा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का समाशोधन एवं निपटान कार्य किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए बैंक ने 1989 में बीएसई के साथ 'बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. (बीओआईएसएल)' नामक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया। बैंक के पास ₹ 2 करोड़ की अपनी प्रदत्त पूंजी का 51% हिस्सा है।

यह कंपनी एक्सचेंज में परिचालन करने वाले सदस्य ब्रोकरों द्वारा किए गए सौदों की रोलिंग एवं साप्ताहिक निपटान कर रही है। बीओआईएसएल नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि., (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि., (सीडीएसएल) दोनों डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) भी है और यह समाशोधन सदस्यों एवं निवेशकों को डिपॉजिटरी सेवाएँ उपलब्ध कराता है। बीओआईएसएल देश का ऐसा पहला प्रतिभूति समाशोधन गृह है, जिसे आईएसओ 9001-2000 आईएसओ प्रमाणन से पुरस्कृत किया गया है।

बीओआईएसएल ने वर्ष 2010-11 में अर्जित ₹ 428 लाख की तुलना में वर्ष 2011-12 में ₹ 268 लाख (अलेखा परीक्षित) का निवल लाभ अर्जित किया है। नोशनल सिक लीव एक्ज्यूमुलेशन के भुगतान के कारण लाभ में कमी आयी है। बीएसई के अनुरोध पर संव्यवहार (एपीसी) से संबंधित आर 385 के परिवर्तन में कंपनी द्वारा कमी लाई गई।

**एसटीसीआई फिनेंस लि.**

एसटीसीआई लि., देश का एक प्रमुख प्रायमरी डीलर है। इसे सक्रिय सेकेंडरी मार्केट के विकास के माध्यम से गिल्ट एवं अन्य ऋण प्रतिभूति बाजार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से 1999 में प्रवर्तित किया गया था। एसटीसीआई जिसकी प्रदत्त पूंजी ₹ 380 करोड़ है, बैंक ऑफ इंडिया 29.96% धारिता के साथ सबसे बड़ा एकल शेयरधारक है। यह कंपनी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 21 (एस-21) के अनुसार बैंक की सहयोगी कंपनी है। कंपनी का नाम, उधार देने, वित्तपोषण आदि जैसे कंपनी के कोर कारोबार को प्रतिबिम्बित करें, यह सुनिश्चित करने के मद्देनजर कंपनी का नाम दिनांक 24.10.2011 से भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि. से बदलकर एसटीसीआई फिनेंस लि. किया गया है।

इस बढ़ती धारणा के परिप्रेक्ष्य में कि प्रायमरी डीलरशिप अपने आप में कोई आकर्षक व्यवसाय नहीं रहा, एसटीसीआई ने प्राइमरी डीलरशिप कारोबार अपनी नई सहायक कंपनी एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. को देने का निर्णय किया है, जिसने अपना कार्य 25 जून, 2007 से शुरू किया है। इस सहायक

कंपनी ने अपना कार्य सावधानीपूर्वक शुरू किया है और तब से नियमित प्रगति की है।

बैंक की सहायक कंपनियों के निर्माण के पश्चात एसटीसीआई ने आईबीओ निधि, मार्जिन निधि, पण्य स्वरूप भावी कारोबार, आस्ति प्रबंधन, लघु अवधि कार्पोरेट/सीपी ऋण में निवेश, इक्विटी कारोबार आदि गतिविधियां प्रारंभ की।

एसटीसीआई का वित्त वर्ष 2010-11 के कर उपरांत लाभ ₹ 46.68 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान कर उपरांत लाभ ₹ 39.83 करोड़ है।

**स्टार दाई इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (एसयूडी लाइफ)**

बैंक ऑफ इंडिया, यूनिन बैंक ऑफ इंडिया एवं दाई-इची म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान ने वृद्धिशील बीमा बाजार का लाभ लेने तथा देश में चारों ओर फैले अपने ग्राहकों को विश्वसनीय गुणवत्ता बीमा उपलब्ध करने के लिए "स्टार यूनिन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी" गठित की है। कंपनी ने फरवरी, 2009 से बीमा कारोबार प्रारंभ किया है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी में बीओआई का ₹ 250.00 करोड़ का 48% अंश है।

बैंक की धारिता के अतिरिक्त यूनिन बैंक का हिस्सा 26% तथा दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान की धारिता 26% है। संयुक्त उद्यम करार की शर्तों के अनुसार बैंक ने अपनी 3% धारिता यूनिन बैंक के पक्ष में पहले ही अंतरण कर दिया है।

**महत्वपूर्ण निवेश/गठजोड़****सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल)**

यह कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई द्वारा बैंक ऑफ इंडिया व अन्य बैंकों के साथ 1997 में प्रवर्तित की गई थी। सीडीएसएल को प्रवर्तित करने का मुख्य उद्देश्य स्क्रिप्स के डिमेट्रीकरण की गति में वृद्धि व पूंजी बाजार में निवेशकों की सहभागिता बढ़ाने और देश की द्वितीय डिपॉजिटरी के रूप में एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्मित करना था। सीडीएसएल की ₹ 104.50 करोड़ की प्रदत्त पूंजी में बैंक का हिस्सा 5.56% है। सीडीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में 10% लाभांश तथा वर्ष 2011-12 में 10% लाभांश का भुगतान किया है।

**एसआरईसी (इंडिया) लि.**

कंपनी को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम के रूप में प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्रचना कार्यकलाप करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2004-05 के उत्तरार्द्ध में सरफेसी एक्ट, 2002 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण का प्रमाणपत्र दिया गया था और तब से कंपनी ने पूर्णरूपेण कार्य करना शुरू किया। अभी कंपनी की 27.60 करोड़ इक्विटी पूंजी में बैंक की 26.02% की धारिता है।

**ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीआईबीआईएल)**

ऋण आसूचना ब्यूरो देश का पहला ऋण आसूचना ब्यूरो है, जिसे बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र को ऋण सूचना और जोखिम विश्लेषण सेवाएँ देने के लिए अगस्त 2000 में निगमित किया गया। कंपनी ने अपना उपभोक्ता ब्यूरो परिचालन वित्तीय वर्ष 2004-05 में एवं वाणिज्यिक ब्यूरो परिचालन 2006-07 के दौरान प्रारंभ किए। कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में बैंक की 5% की धारिता है।



**मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एमसीएक्स)**

एमसीएक्स नई पीढ़ी का राष्ट्रीय स्तर पर वादा ट्रेडिंग करने वाला बहु पण्य एक्सचेंज है। एक्सचेंज ने वित्तीय वर्ष 2004-05 में कार्य प्रारंभ किया एवं लघु अवधि के भीतर भारत के प्रथम कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में अपना स्थान बनाया है। अब इसे विश्व के टाप बुलियन एवं बेस मेटल एक्सचेंज में गिना जाता है। बैंक का एमसीएक्स की पूंजी में प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में से हक के साथ सहयोगी होने की दृष्टि से इक्विटी सहभागिता के रूप में 2% का सामान्य हिस्सा है। बैंक बुलियन एक्सचेंज शाखा के माध्यम से एक्सचेंज के बैंक समाशोधन कार्यों को भी संभालता है।

**नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (एनसीएमएसएल)**

नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. को नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. (एनसीडीईएक्स) द्वारा प्रवर्तित किया गया है। इसको दिनांक 28.09.2004 को प्रतिभूतियों एवं कमोडिटीज हेतु सुरक्षा, प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिए कोलेटरल प्रबंधन सेवाएं प्रोन्नत करने तथा प्रदान करने हेतु निगमित किया गया था। यह कमोडिटी एक्सचेंज पर ट्रेड के विकास हेतु विभिन्न सेवाएं तथा सिक्यूरिटीज एवं कमोडिटीज इत्यादि का मूल्यांकन ग्रेडिंग, इन्शुरिंग, सेक्यूरिटी, स्टोरिंग, डिस्ट्रिब्यूटिंग, क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग का कार्य करता है। बैंक की कंपनी इक्विटी पूंजी में 10.17% हिस्सेदारी (रुपये 3 करोड़) है। इस तरह यह बैंक को एनसीएमएसएल के साथ अपने संबंधों के चलते उनके सदस्यों और ग्राहकों को क्रेडिट देने का अवसर प्राप्त होता है।

**एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (एसएमईआरए)**

एक प्रमुख ऋण स्तरांकन एजेन्सी इन एंड ब्रैंडस्ट्रीट के सहयोग से सिडबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान एसएमईआरए की स्थापना की गई। एसएमईआरए का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय स्तरांकन प्रदान करना है जिससे एसएमई क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानी से ऋण उपलब्धता होगी। बैंक की कंपनी की इक्विटी पूंजी में नाममात्र 4% धारिता है।

**अन्य महत्वपूर्ण निवेश**

उपर्युक्त सूचीबद्ध मुख्य महत्वपूर्ण निवेश के अलावा एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लि. (₹ 25 करोड़) युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज लि. (₹ 7.50 करोड़), इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेस लि. (₹ 1.75 करोड़), यूवी एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं.लि. (₹ 15 करोड़), क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (₹ 50 करोड़), एग्रीकल्चरल फायनेंस कार्पोरेशन लि. (₹ 12.60 करोड़), सिडबी (₹ 45.30 करोड़), टूरिज्म फायनेंस कार्पोरेशन लि. (₹ 2.67 करोड़), सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लि. (₹ 1.11 करोड़), एमपीसीओएन (₹ 1 करोड़) आदि में भी बैंक का महत्वपूर्ण निवेश है।

**बैंक की डिपॉजिटरी सेवाएं**

सभी शाखाओं द्वारा कोर बैंकिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिटरी सेवाएं दी जा रही हैं। बैंकिंग सेवाओं की उपयोगिता बढ़ाने तथा डिपॉजिटरी सेवाओं के विभिन्न फायदों को उपलब्ध करवाने के लिए बैंक दोनों यथा एनएसडीएल तथा सीडीएसएल डिपॉजिटरी सेवाओं को प्रदान

कर रहा है। बेहतर सेवा देने के लिए डीपी परिचालन को मुंबई में केन्द्रित किया गया है। इस वर्ष के दौरान सहक्रिया को प्राप्त करने तथा मानव संसाधन के सही उपयोग के लिए बैंक ने सीडीएसएल, डीपीओ को अंधेरी (पश्चिम) से मुंबई (मुख्य) शाखा के बड़े परिसर में स्थानांतरित किया है तथा दोनों डीपीओ मुंबई (मुख्य) शाखा के परिसर से कार्य कर रहे हैं।

हमारे डीपीओ में सक्रिय डीमैट खातों को संख्या 31.03.12 को 91145 है। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने सकल आय 293 लाख अर्जित किया।

**स्टार शेयर ट्रेड (शेयर की ऑन लाइन ट्रेडिंग)**

पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग (ओएलएसटी) स्टॉक मार्केट के निवेशकों के मध्य लोकप्रियता प्राप्त कर रही है और सौदों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। हमारे ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने और उन्हें माउस क्लिक, फोन पर सौदे करने की सुविधा देने के विचार से बैंक ने एनएसई में सेबी पंजीकृत प्रतिष्ठित ब्रोकिंग कंपनी असित सी. मेहता इनवेस्टमेंट इन्टरमीडियेट्स (एसीएमआईआईएल) लि. के साथ गठजोड़ व्यवस्था कर अपने ग्राहकों के लिए बैंक खाता, डीमैट खाता एवं ट्रेडिंग खाता को एकीकृत कर स्टार शेयर ट्रेड (ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा) प्रारंभ की है। ओएलएसटी सुविधा 2005 से उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सुविधा हमारे एनआरआई ग्राहक और आईपीओ भरने के लिए भी उपलब्ध है।

ग्राहकों को अधिक विकल्प देने तथा व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैले ग्राहकों तक पहुंचने के लिए इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित तीन ब्रोकिंग कंपनियों के साथ गठजोड़ व्यवस्था की गई है। इस गठजोड़ व्यवस्था द्वारा कई उत्पाद दिए जा रहे हैं :

- एजकॉन ग्लोबल सर्विसेज (एजीएसएल)
- जीईपीएल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (जीसीपीएल)
- कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल)

**एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लाकड एमाउंट (एसबीए)**

बैंक सेबी में स्वयं प्रमाणित सिंडिकेट बैंक (एससीएसबी) के रूप में पंजीकृत है और एसबीए के अंतर्गत प्राप्त आईपीओ आवेदन (प्रत्यक्ष आवेदन) हमारी नामित शाखाओं द्वारा संसाधित किए जाते हैं। नामित शाखाओं की संख्या 31.03.2011 में 361 से बढ़कर 31.03.2012 को 368 हो गई है। बैंक की स्टॉक एक्सचेंज शाखा आसबा की नोडल शाखा के रूप में कार्य कर रही है। उपर्युक्त नामित शाखाओं के अतिरिक्त अन्य शाखाओं से इन्टरनेट बैंकिंग द्वारा एसबीए में ऑनलाइन बिड सह आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

निम्नलिखित निवेशक एसबीए के माध्यम से आईपीओ हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं :

- पब्लिक इश्यू में :** क्वालीफाइड इन्स्टीट्यूशनल बायर (क्यूआईबी) छोड़कर सभी निवेशकर्ता सार्वजनिक निर्गम में एसबीए के माध्यम से आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
- राइट इश्यू में :** जारीकर्ता कंपनी के सभी शेयरधारक रिकार्ड तारीख पर जारी करते हैं, बशर्ते कि वह :

क. डिमैट फॉर्म में शेयर धारण करता हो और पात्रता के लिए आवेदन

और/अथवा अतिरिक्त शेयर्स डिमेट फार्म जारी के लिए आवेदन किया हो

ख. उनकी पात्रता पूर्ण/आंशिक रूप से त्याग न दी गई हो

ग. निर्गम का उसने त्याग न किया हो

#### निदेशक उत्तरदायित्व वक्तव्य

मार्च, 31, 2012 को समाप्त वार्षिक लेखा की तैयारी में निदेशक पुष्टि करते हैं कि,

- महत्वपूर्ण विचलन के उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;

- भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन के अनुरूप तैयार लेखा नीतियां समनुरूप से लागू की गई हैं;
- वित्तीय वर्ष के अंत और 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ की सत्य और सही परिस्थिति के लिए तर्कसंगत और यथोचित निर्णय तथा प्राक्कलन किया गया;
- भारत में बैंकों के नियंत्रण के लिए लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा रिकार्ड अनुरक्षण के लिए सही और पर्याप्त ध्यान रखा गया; और
- 'लाभकारी कारोबार वाला संस्थान' के आधार पर लेखा तैयार किया गया है।

## CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

Dear Shareholders,

It is my privilege to present the Annual Report of your great institution for the year ended March 31, 2012.

Your Bank has shown good growth in a yet another challenging year. Amidst several challenges. Let me briefly recapitulate the business environment and the Bank's operations during the year to have a better perception of your Bank's achievements.

The year 2011-12, was again a very challenging year, both Globally and Domestically. The World output growth dropped to 3.9% in 2011 from 5.3% during 2010, mainly due to the depressed performance of European countries on account of continued and protracted Sovereign Debt crisis. The GDP growth in advanced economies declined to 1.6% in 2011 compared to 3.2% in 2010, despite a modest recovery in USA. The Emerging and Developing economies, impacted by the adverse developments of advanced countries also witnessed a slow down in growth from 7.5% in 2010 to 6.2% in 2011.

The banking and government bonds markets in Euro area came increasingly under stress and with deleveraging by the banks, Global financial market remained volatile. However, with the bold and unprecedented policy actions including those by the European Central Bank's infusion of liquidity, the Global market sentiments started improving towards the year end.

Domestically, growth rate decelerated in each successive quarter during FY 2011-12 and the GDP growth for the full year was 6.5% as against 8.4% in 2010-11. The dip in the Manufacturing sector growth rate to 2.5% vis-a-vis 7.6% during 2010-11, a negative growth rate in Mining (-0.90%) and deceleration in Construction activities, pulled down the overall economic growth as also the credit off take of banking sector. Inflation, which almost touched double digit till November, 2011 on the impact of both food and non-food inflation, started declining to around 7.0% towards the year end.

The year 2011-12 witnessed reasonably good Exports growth of 20.90%, but a higher Imports growth and Depreciation of Rupee widened the trade deficit to USD184.9 billion in 2011-12 from a level of USD118.6 billion in 2010-11. The Current Account Deficit, as a percentage of GDP, stood at 4.0 per cent during April-December period. During FY2011-12, Rupee came under strain, from a peak of ₹ 43.94 on 27th July 2011 Rupee touched a low of ₹ 54.23 per USD on 15th December 2011, indicating a depreciation of 19%.

Performance of various financial markets during the year 2011-12 was also affected by the fallout of European Sovereign Debt Crisis, which gave rise to risk aversion and flight of capital because of deleveraging. The Equity market turned bearish with the Sensex losing by 10.5% during the year. Liquidity conditions worsened during the year 2011-12, which remained on deficit mode and interest rate hardened during the year 2011-12 on account of persistent high Inflation and increase in Repo rates by RBI on five occasions during the year and a higher borrowing by the Government. The year 2011-12 was also marked by high Fiscal slippages, with Fiscal Deficit overshooting to 5.9% against budgeted level of 4.6%.

The credit growth of the Banking System remained muted, reflecting the deceleration in Industrial and Investment activity, which registered a growth rate of 19.3% as against 21.5% growth during 2010-11. The Deposits of the Banking System however grew by 17.4% as against 15.9% during 2010-11.

The Monetary Policy stance by the RBI during the year 2011-12 continued to remain tight till January 2012, aiming at controlling inflation and containing inflationary expectations. Subsequently, following moderation in inflation rate and to revive the growth impetus, RBI followed a neutral policy stance. The RBI also undertook certain proactive measures to address liquidity deficit situation such as Open Market Operation (OMO) and reduction in CRR.

Interest rate on Savings Deposits was initially raised from 3.50% to 4.0% and later it was deregulated. Provisioning norms for NPA and restructured accounts were tightened. One of the important developments for banks during FY2011-12 was the introduction of system-driven identification of NPAs resulting in increase in banks' NPAs and consequent provisioning, which impacted the profitability significantly.

The increase in Savings Deposits rate and deregulation of Savings Deposits rate coupled with increase in Term Deposits rate by banks as a result of rise in policy rates by RBI added to the cost pressure affecting NIM. Profitability of banks was severely impacted on account of lower NIM and higher NPA provisioning. In spite of capital infusion by the Government, most of the Public Sector Banks faced challenges on capital front during FY2011-12.

### Outlook for FY 2012-13

The World economy is expected to continue on the path of recovery during the year 2012. However, the global growth rate is likely to remain subdued. Although the pace of

recovery in USA is expected to continue in the year 2012, the global growth is expected to drop from 3.9% in 2011 to about 3.5% in 2012 because of mild recession in the countries in the Euro Zone. The Advanced economies are expected to grow by 1.4% in the year 2012 with a slightly improved performance in the year 2013 while growth in Emerging Economies is expected to be around 5.7% in 2012 against 6.2% in 2011.

The Domestic macroeconomic outlook for the fiscal year 2012-13 looks positive with modest recovery in GDP growth rate to 7.3% from 6.5% during FY 2011-12. The overall Inflation scenario is likely to remain moderate with year end WPI inflation expected at around 6.5%. Manufacturing and Mining sectors are likely to display some improvement given the base effect. Service sector will again support overall economic growth. Despite the diversification of exports to newer geographies, the growth of Indian exports is likely to remain subdued in FY 2012-13.

With higher GDP growth and improved industrial performance expected during FY 2012-13, banks are expected to show a better performance during FY2012-13. However, certain challenges for banks in near future will be the Capital requirement in view of implementation of Basel-III, Human resources issues in view of superannuation of large number of experienced people, improving NIM in the context of deregulation of interest rate on Saving and NRE deposits and continuous monitoring of health of the assets and NPA management.

### Bank's performance

Your Bank posted a higher Operating Profit growth of 24.3% during FY2011-12 against 14.3% growth during 2010-11. From ₹ 5,384 crore during FY 2010-11, the Operating Profit of the Bank increased to ₹ 6,694 crore during FY2011-12. In spite of 38.7% jump in provisions, Net Profit of the Bank for FY 2011-12 rose by 7.6% from ₹ 2,489 Crore during FY 2010-11 to ₹ 2,678 Crore during FY 2011-12. The Non-Interest Income during the year 2011-12 registered a growth of 25.7% to ₹ 3,321 crore from ₹ 2,642 crore during the year 2010-11.

The Earning per Share (EPS) of the Bank for FY2011-12 stood higher at ₹ 48.98 against ₹ 47.35 in FY2010-11. The Book value per share improved from ₹ 283.24 as on 31st March, 2011 to ₹ 326.52 as on 31st March 2012. The Cost to Income Ratio dropped appreciably during the year from 48.49% in FY 2010-11 to 42.47% for FY 2011-12.

Your Bank's Net Worth increased to ₹ 19,225 crore as on 31st March, 2012 from ₹ 15,500 crore as on 31st March, 2011. Capital Adequacy Ratio (CRAR) stood at 11.95% as on 31st March, 2012 as per Basel II.

Global Business-mix of the Bank reached a level of ₹ 5,69,710 crore as on 31st March 2012 from ₹ 5,15,040

crore as on 31st March, 2011, registering a growth rate of 10.6%. The Bank's Total Deposits went up from ₹ 2,98,886 crore as on 31st March 2011 to ₹ 3,18,216 crore as on 31st March 2012 or by 6.5% and Gross Advances went up from ₹ 2,16,154 crore to ₹ 2,51,494 crore as on 31st March, 2012 i.e. by 16.4%. The CASA deposits rose to ₹ 81,352 crore as of 31st March 2012 and CASA ratio witnessed significant improvement from 29.18% in March 2011 to 34.25% in March, 2012. The International Operations of the Bank showed robust performance with Y-o-Y growth of 51.9% in Deposits and 44.2% in Advances. During the year, the Bank took a conscious decision of expanding the business commensurate with cost effectiveness and profitability. This has, no doubt, resulted in comparatively lower Deposits and Advances growth by the Bank as compared to the Banking system, but it has helped in consolidation and in showing better profitability.

I am happy to inform that the Board of Directors of your Bank have declared a Dividend at the rate of ₹ 7/- per share (70%) for the year.

### Initiatives during FY 2011-2012:

Your Bank undertook several initiatives to foster business growth and customer services. The major highlights are:

- ❖ 9.03 Million New Customers were added during the year 2011-12, taking the total Customer base to 54.08 Million.
- ❖ Bank added three Zonal Offices (Amritsar, Guwahati & Navi Mumbai) and 25 Business Development Managers' Offices during the year for promoting business growth and better customer services.
- ❖ 510 Branches were opened during the year 2011-12, taking Domestic branch network to 4000. During the year 2011-12, 255 new ATMs were installed taking the total number of ATMs to 1680 as at March 31, 2012 .
- ❖ The Bank has set up several Specialised Processing Centres in the various Verticals for a quicker disposal of credit applications. As at March end 2012, the Bank had , 20 SME City Centers, 21 Retail Business & 52 Agri Processing Centers.
- ❖ During the year, the Bank embarked upon the project of launching "Branch of the Future" model. The objective of setting up these new model branches was to bring about a significant improvement in both customer experience and business performance. Creating these new model branches will also help institutionalizing the "new way of working" in the Bank. Initially, on a pilot basis, 5 such branches were opened , one in each National Banking Group . Gradually, the number of these branches will be increased by the Bank.

- ❖ Your Bank remains one of the front runners in the implementation of Financial Inclusion Initiatives. Under this, 18.10 Lacs new No Frill Accounts were opened during the year 2011-12, taking the total number of No-Frill accounts to 63 lakhs. Similarly, 2000 additional BCs were appointed, increasing the total BCs to 3813. The Bank has covered 8592 villages under 100% Financial Inclusion as against allotted villages of 2992.
- ❖ With the aim of addressing the unemployment issues and skill development of the rural youth, the Bank has already set up 42 training centres 'Star Swarojgar Prashikshan Sansthan' under RSETI. In addition, the number of Financial Literacy and Credit Counselling Centres, namely 'Abhay', was increased from 5 to 31 during the year for Financial Education and Credit Counseling.
- ❖ 'Banking Through Mobile' (BTM) facility was introduced by the Bank as an emerging alternate delivery channel for funds transfer. This facility allows customers to transfer funds through Mobile phone at any time and from anywhere.
- ❖ The Project Finance and Syndication activity of your Bank got further fillip and its All India Rankings in Domestic Syndication improved from 6th to 5th in the Bloomberg League Tables.
- ❖ Your Bank, with a view to serve clients with better Mutual Funds products, plans to re-enter the Asset Management Business. Towards this end, the Bank has finalised a joint venture with AXA Investment Managers, a market leader in Asset Management business.
- ❖ The International Operations of the Bank further expanded with the opening of Bank's subsidiary in New Zealand in October, 2011. The Bank is in the process of setting up its subsidiaries at Uganda, Botswana and Canada. The Bank is also upgrading its representative offices at Johannesburg and Ho Chi Minh City to full fledged branches.
- ❖ Recognising the importance of Human Resources in the Bank for enhancing efficiency and better customer services, the Bank added 4651 staff to its workforce in various cadres and scales during the year 2011-12 and imparted training to 18746 employees of the Bank.

Your Bank has won several awards during the year in recognition of its performance. To cite a few:

- Bank of India has been rated by The Economic Times / The A.C. Nielsen Company survey as
  - The most Trusted Brand(MTB) 2011

- Under PSU Banking Category-2nd
- Under Top Service Brands-11th
- Government of India has acknowledged Bank's performance in lending to Micro & Small Enterprises sector conferring second best performance award . The Bank has also been recognized as "Best Performing Bank" for covering maximum number of Micro & Small accounts under collateral free lending scheme of CGTMSE.
- CIO Green IT Award.
- Bank of India, Mumbai North Zone received Third Prize for use of Official Language Hindi in Bank from Government of India, Ministry of Home Affairs, Official Language Department.

Going forward, during FY 2012-13, the Bank's focus will continue to be on further growth of business through, higher customer acquisition and raising the level of SME, Retail and Rural Business. The Financial Inclusion initiatives will be further expanded for catalyzing inclusive Growth. The I.T. Enabled Services (ITES) will be augmented multifold to enhance the level of customer satisfaction. Human Resources Development will continue to get the right focus through recruitment, training and succession planning for a sustained and balanced growth.

I wish to place on record the valuable contributions made by the directors of the Board who demitted office during the year, namely Executive Director Shri B A Prabhakar and Directors S. Shri Tarun Bajaj, G. Mahalingam, M N Gopinath, Prakash P. Mallya and Dr. Shanta Chavda. The Bank has been receiving excellent support and valuable guidance from the Board, the Reserve Bank of India and the Government of India. Our customers and shareholders have reposed their unstinted faith in us. But for the tireless efforts of our committed staff members, these accomplishments would not have been possible. On behalf of the Bank and on my personal behalf, I would like to thank all the stakeholders and look forward to their continued patronage, guidance and support.

With warm regards,



Date: May 14, 2012

(Alok K Misra)




## DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the audited statement of accounts and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2012.


### PERFORMANCE HIGHLIGHTS

#### FINANCIAL PARAMETERS

- Operating profit ₹ 6,694 crore, with 24.33% growth over the previous year.
- Net Profit ₹ 2,678 crore, recording 7.59% growth over previous year.
- Capital Adequacy Ratio at 11.95% as against 12.17% in previous year (under Basel-II).
- Net Worth at ₹ 18,759 crore grew by 21.03% over March, 2011.



- Book Value per share ₹ 326.52 (₹ 283.24 previous year)
- Gross NPA ratio at 2.34% as on 31.03.2012.
- Net NPA ratio at 1.47% as on 31.03.2012.
- Total business (Deposit + Advances) reached ₹ 5,69,710 crore recording a growth of ₹ 54,670 crore (10.61%).
- Total deposits increased by ₹ 19,330 crore reached the level of ₹ 3,18,216 crore, a growth of 6.47%. Share of low cost deposits in the domestic deposits is 34.25% as on 31.03.2012 as against 29.18% as on 31.03.2011.
- Gross credit touched ₹ 2,51,494 crore, recording a growth of 16.35%.



- Priority Sector lending constituted 36.67% of Net Adjusted Bank Credit and the share of Agricultural Credit to Net Adjusted Bank Credit was 14.54%.
- Credit to SME sector grew from ₹ 30,045 crore to ₹ 32,270 crore recording a growth of 7.41%.
- Schematic Retail credit grew by 14.82% from ₹ 16,649 crore to ₹ 19,116 crore.
- Export Credit registered a growth of ₹ 791 crore, i.e., 10.50% growth over previous year to reach ₹ 8,128 crore as on 31.03.2012.

#### NEW PRODUCTS & SERVICES

- Welcome Kits introduced for NRI Customers opening NRE/NRO accounts at foreign centers.
- Calculation of interest on Savings Bank account from 1st April 2010 has been changed from monthly product basis to daily product basis.
- As per Finance Ministry guidelines and recommendations, the Bank's corporate web-site (English) has been enabled for differently abled persons.
- The Bank has introduced a new format of Savings Bank Passbook (Horizontal Format) which will print all details of the transaction on the same page as against the existing format (Vertical Format) where the details are printed on two pages.
- As per Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) requirements, the Bank is printing helpline number on the passbook & statement of accounts.

- The Bank introduced issuance of insta-pin for Debit-cum-ATM Card. This will resolve the customer grievance for non-receipt of Re-pin and also save the effort and expenses in generating and mailing Re-pins.
- Quarterly consolidated Statement of a/c is sent to the Diamond customers in PDF format via email.
- As a fraud prevention measure, SMS alerts – **Star Sandesh** are generated and provided to all customers who have registered their mobile numbers with the Bank for all Debit transactions from delivery channels (Internet banking/ATM/POS); all Debit clearing transactions of ₹ 25,000/- and above; all Customer induced debit transfer & cash payments of ₹ 10,000/- and above; all Debit ECS transactions of ₹ 10,000/- and above; all Debit RTGS / NEFT transactions and acknowledgment on accepting the cheque book issue request.
- Enabling internet banking customers to make online Fixed Deposit with nomination facility.
- Hot Listing/Reset/Unblock/Change of Debit Cum ATM card PIN using Internet Banking password.
- Viewing of Annual Tax Statement (Form 26AS).
- Star Trade – Online share trading – Integration with Gupta Equities.
- Extended the facility of online e-Payment to the customers holding Bank's Debit-cum-ATM card. This will enable the customers to use their Debit-cum-ATM cards for e-payments in addition to credit card Internet banking account.
- Mobile Banking facility is introduced as the latest alternate delivery channel which allows customers to do banking activities virtually from the convenience of the Mobile phone at any time and from anywhere. This facility is extended to all Retail internet banking customers and includes features like Balance enquiry, last five transactions, Cheque status, Funds Transfer & Mobile Payments.
- Online Interbank Fund Transfer across banks, through Star Connect Internet Banking Services, using RTGS/NEFT.
- BOI Star e-Pay for Auto-pay or on-line payment of various utility services / bills.
- e-Payment for Direct & Indirect, Central Excise & Service Tax.
- Star e-Share Trade to trade in shares.
- e-Freight Payment.
- Online Payment of Directorate General of Foreign Trade (DGFT) license fees.
- Online Booking of Railway & Airlines Ticket.
- Online Application for Education loan.
- Provision to make online bid-cum-application for Application Supported by Blocked Amount (ASBA) IPO issues by Retail Internet Banking Customers having account with any DPO.
- BOI-BTM (Banking through Mobile launched).
- DHAN-AADHAR CARD Launched with micro ATM & Biometric pin authentication facility.
- Introduction of Personal Accident Insurance Cover for all No Frill account holders.
- Bank has launched BOI Star Pension Aadhar Card, BOI Privilege International Credit & Debit Cards and RuPay Card as alternate delivery channels.
- For International Travellers BOI Star International Travel Card in US Currency with Visa Affiliation has been introduced.

#### BUSINESS INITIATIVES

- The National Banking and Wholesale & International Banking Group segments distinctly headed by the two Executive directors are functioning independently in an organised manner.
- National Banking group at Head Office level comprising of Retail, Rural including Financial Inclusion and SME Banking business units are concentrating in customer acquisition in a big way.
- Wholesale & International Banking group at Head Office level comprising of Large, Mid Corporate Banking, Project Finance including Syndication Services, International Banking and Treasury operations are catering to bulk business opportunities.
- The mapping of Large and Mid-Corporate accounts to the respective branches has been completed. This process of updation is undertaken on yearly intervals on 31st March.
- Presently 52 **Rural Processing Centres** are operational across 35 zones.
- Product Innovative Cells have been planned to be opened to explore new territories for penetration in agricultural business.
- All RRBs of the Bank have migrated to Core Banking Solution and are RTGS / NEFT enabled.
- Cash & Fidelity Insurance has been introduced for business correspondent channel.
- 21 Retail Business Centres are operational for quick delivery of Credit.

- Bank has introduced Star Vidhya Education Loan, BOI Star Loan against Property and Star Diamond Home Loan Schemes.
- A total of **21 SME City Centres** are functioning in 20 zones. These centres have been instrumental in reduced Turn Around Time (TAT) for credit delivery.
- The **41 Mid-Corporate** branches are monitored by Seven Divisional Managers.
- Bank has introduced Diamond / Platinum / Gold Customer concept for encouraging SME customers with good track record.
- Bank has launched Composite Loan Product and Demand / Term Loan Products for Medium & Small Enterprises. For SME Entrepreneurs, Star SME Contractor Credit Line, Star SME Liquid Plus, Star SME Auto Express & Star SME Education Plus Loans Schemes have been introduced.
- The **10 Large Corporate** branches are directly monitored by the General Manager from Head Office.
- Lead Management System (Sales Force Automation), to generate, track and monitor leads, is stabilized and functioning satisfactorily.
- A scheme for extending financial assistance at concessional rate of 4% to select low income groups for productive endeavours under the Differential Rate of Interest (DRI) Scheme is being implemented by the Bank. The Bank has extended financial assistance to 11665 beneficiaries during the year.
- The Bank has been actively involved in implementation of the **Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme (GJRHFS)** and has achieved the target allocated by National Housing Bank for the year. During the year, Bank has sanctioned 1443 cases under GJRHFS.
- The Bank is very active in implementing programme of **Financial Inclusion** as a movement extending all banking products and services to all who are currently deprived from these services. So far, first step towards achievement of Financial Inclusion was opening of No-Frill Accounts and accordingly, the Bank has opened 12.63 lakh No-Frill Accounts during FY 2011-12.
- The Bank is also implementing IT solutions on end to end basis using hand held devices and smart cards. The Bank has issued/ enrolled 7.65 lakh **smart cards**.
- **Project Finance And Syndications Group:** It takes up assignments of technical appraisal, underwriting and syndication of loans. During FY 12 financial closures were done with a project cost of ₹ 13,119 Crore and syndicated debt of ₹ 20,957 Crore. Bank of India achieved **fifth position in syndication space as per the Bloomberg Lead tables for the calendar year 2011**.
- The Bank has created a new SME vertical headed by a General Manager to cater to the specific business needs of the segment. A more inclusive definition has been given for SME business to include all business activities with a turnover of upto ₹ 100 crore. The vertical will look for growth not only on credit, but CASA, retail business, fee based income and third party products in the SME segment.
- Mobile Banking facility is introduced as the latest alternate delivery channel which allows customers to do banking activities virtually from the convenience of the Mobile phone at any time and from anywhere. This facility is extended to all Retail internet banking customers and includes features like Balance enquiry, last five transactions, Cheque status, Funds Transfer & Mobile Payments.
- Established Global Remittance Centre for centralizing some of the activities related to NRI Customers which would hasten turnaround time and product delivery and also enable proactive marketing strategies & grievance redressal mechanism.

#### AWARDS & ACCOLADES

- Bank of India has been rated by The Economic Times/ The Nielsen company survey
- The most Trusted Brand(MTB) 2011
- Under PSU Banking Category-2nd next to SBI
- Under Top Service Brands-11th
- Government of India has also acknowledged Bank's performance in lending Micro & Small Enterprises sector conferring second best performance award (next to SBI). The Bank has also recognized as "Best Performing Bank" for covering maximum number of Micro & Small accounts under collateral free lending scheme of CGTMSE.
- CIO Green IT Award.
- Bank of India, Mumbai North Zone received **Third Prize for use of Official Language Hindi in Bank from Government of India, Ministry of Home Affairs, Official Language Department**.

#### FINANCIAL REVIEW

##### FINANCIAL PERFORMANCE

The Bank recorded an Operating Profit of ₹ 6,693.95 crore, (previous year ₹ 5,384.23 crore). Net Profit stood at ₹ 2677.52 crore (previous year ₹ 2,488.71 crore).

Net interest income grew by 6.44% due to rise in volumes of business mix by 10.61% (from ₹ 5,15,040.06 crore to ₹ 5,69,710.32 crore). Non-interest income increased by 25.74% and covered 67.23% of Operating Expenses as against 52.12% in the previous year.

The Financial performance of the Bank for the year 2011-12 is summarised below:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2010-11	2011-12	Growth (%)
Net Interest Income	7,810.69	8,313.43	6.44
Non-Interest Income	2,641.77	3,321.77	25.74
Operating Expenses	5,068.24	4,940.66	-2.52
Operating Profit	5,384.23	6,693.95	24.33
Provisions / Contingencies	2,895.52	4,016.43	38.71
Net Profit	2,488.71	2,677.52	7.59
Earnings per share (₹)	47.35	48.98	3.44
Book value per share (₹)	283.24	326.52	15.28
Return on Average Networth (%)	17.80	15.63	—
Return on Average Assets (%)	0.82	0.72	—

Some of the Key Financial Ratios are presented below:

(Percentage) (%)

Parameters	2010-11	2011-12
Yield on Advances	8.62	9.38
Yield on Investment	7.59	7.69
Yield on Funds	7.14	7.88
Cost of Deposits	5.03	6.01
Cost of Funds	4.57	5.58
Net Interest Margin	2.92	2.52
Non Interest Income to Operating Expenses	52.12	67.22
Other Income to Average Working Fund	0.87	0.92
Operating Expenses to Average Working Fund	1.66	1.37
Staff Expenses to Average Working Fund	1.14	0.84
Other operating Exp. to Average Working Fund	0.52	0.52
Asset Utilisation Ratio	1.77	1.85
Non-Interest Income to Total Income	10.83	10.44
Non-Interest Income to Net Income	25.27	28.55
Cost to Net Income	48.49	42.47

## SEGMENT- WISE PERFORMANCE

The Bank earned an Operating Profit of ₹ 6,693.95 crore during the year 2011-12. The contribution made through Treasury operations was ₹ 5,909.00 crore and other banking operation earned a profit of ₹ 784.95 crore. The unallocable expenditure net of unallocable income was ₹ 152.98 crore during the year 2011-12.

## DIVIDEND

A Dividend at the rate of ₹ 7/- per share (70%) for the year, has been recommended. The total dividend payment amounts to ₹ 465.98 crore (including dividend distribution tax).

## CAPITAL

Net worth of the Bank has increased to ₹ 18,759.40 crore from ₹ 15,499.50 crore during the financial year ending 2011-12. During the year, the Bank has increased its equity capital through Preferential Issue of Equity Shares to the Insurance Corporation of India.

## CAPITAL ADEQUACY

As per Basel II framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio of 11.95% which was higher than the regulatory requirement of 10%.

Details of Capital Adequacy (BASEL II) are shown as under :

(₹ in crore)

Particulars (Under BASEL – II)	31.03.2011		31.03.2012	
	Amount	CRAR (%)	Amount	CRAR (%)
Tier I Capital	17,047	8.33	20,230	8.59
Tier II Capital	7,867	3.84	7,916	3.36
Total Capital	24,914	12.17	28,147	11.95
Risk Weighted Assets	2,04,762	—	2,35,466	—

## MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

### Global Economic Scenario

The global economic condition during 2011 was shaped, to a marked extent, by the continued and protracted sovereign debt crisis in European countries. The recovery of advanced economies was stalled with euro area entering into a mild recession. On the other hand, the improved growth and employment conditions in the US, especially towards the second half of 2011, was one of the redeeming features during the year. The world output dropped to 3.9% in 2011 from 5.3% during 2010. The GDP growth in advanced economies declined to 1.6% in 2011 compared to 3.2% in 2010. The emerging and developing economies, impacted by the adverse developments of advanced countries, witnessed slow down in growth from 7.5% in 2010 to 6.2% in 2011. On the commodity prices front, there was some respite in 2011, as prices of major commodities, barring crude oil, softened primarily due to the weakened economic activities. The geo-political tensions in the Middle-East and North Africa (MENA) region and consequent supply disruptions kept international oil prices at higher levels, even at a time when the demand had diminished because of weaker global activities. As the banking and government bonds markets in Euro area came increasingly under stress, with deleveraging by the banks, global financial market remained volatile. However, with the bold and unprecedented policy actions including those by the European Central Bank's infusion of liquidity, the Global market sentiments started improving towards the year end,

### Global Economic Outlook

The world economy is expected to continue on the path of recovery, albeit, at a slower pace. With the completion of Greek debt restructuring program and continued support from the European Central Bank (ECB), the financial crisis in Europe seems to be easing out. In spite of this, the euro area is expected undergo a mild recession in 2012 on account of several spill over effects of sovereign debt crisis such as deleveraging by banks, impact of fiscal consolidation. The current pace of recovery in US is expected to continue in 2012. The U.S. economic indicators have maintained the strong performance, although supply-side indicators seem much stronger at the moment than the demand-side indicators. Japan has also getting benefited from the short-term fiscal stimulus injected in response to the earthquakes. China has reduced its growth forecast for 2012 to 7.5% from 9.2% in 2011. Growth in emerging and developing economies, in general, is expected to slow down on account of decline in external demand from advanced economies and China. The global growth, as projected by IMF, is expected to drop from 3.9% in 2011 to about 3.5% in 2012 because of weak activity during second half of 2011 and first half of

2012. The advanced economies are expected to grow by 1.4% in 2012 with a slightly improved performance in 2013 and growth in emerging economies to be around 5.7% in 2012 against 6.2% in 2011. However, downside risks to these growth projections looms large from such issues like crude oil prices, lingering de-leveraging pressures in developed economies and political and policy uncertainties.

### Domestic Economic Scenario

Global economic and business scenario had an impact on Indian economy too as the growth rate decelerated each quarter during FY 2011-12. From 7.7% in Q1, GDP growth rate dropped down successively to 6.9% in Q2 and 6.1% in Q3. As per the advanced estimate by CSO, the GDP is expected to register a growth rate of 6.9% during 2011-12 against 8.4% in 2010-11. The slow down in GDP growth is attributed to the dip in the manufacturing sector growth rate to 3.9% vis a vis 7.6% during 2010-11, lower agriculture growth rate of 2.5% against 7.0% during 2010-11 and negative growth rate in mining (-2.2%) and deceleration in construction activities.

Inflation, as measured by the wholesale price index (WPI), almost touched double digit till November, 2011 on the impact of both food and non-food inflation. Since December, it started sobering down and inflation for March, 2012 stood at 6.89%. The food inflation came down substantially, but fuel group inflation remained high due to spurt in crude oil prices and depreciation of rupee.

During 2011-12, exports crossed USD 300 billion mark with a growth rate of 20.9% and imports grew by 32.2% to USD 488.6 billion. As a result, trade deficit widened to USD 184.9 billion in 2011-12 from 118.6 billion in 2010-11. The current account deficit (CAD) also widened both in absolute terms as well as a proportion of GDP. The CAD in April-December 2011 period at US\$ 53.7 billion was 4.0 per cent of GDP as compared with US\$ 39.6 billion forming 3.3 per cent of GDP in April-December 2010. The foreign exchange reserves which reached an all-time high of US\$ 322.0 billion at end August 2011 declined to US\$ 294.4 billion at end March 2012, partly due to intervention by the RBI to stem the slide of the rupee against the US dollar.

During 2011-12, rupee came under strain towards the last week of August, 2011 under the impact of outflow of funds by FIIs and remained continuously under pressure till December, 2011. From a peak of ₹ 43.94 on 27th July 2011 rupee touched a low of ₹ 54.23 per USD on 15th December 2011, indicating a depreciation of 19%. To contain the situation, RBI had to intervene in the forex market and tighten the regulatory measures such as narrowing open position limit



and other measures to discourage speculation in the forex market. By March 2012, the Indian Rupee has shown annual depreciation of 12.5% and 7.8% against the US\$ and Euro, respectively.

Performance of various financial markets during the year 2011-12 was also affected by the fallout of European sovereign debt crisis, which gave rise to risk aversion and flight of capital to safer heaven. The equity market turned bearish during the 2011-12 and sensex nosedived to 17404 as on 31.3.2012 from 19445 as on 31.3.2011, losing by 10.5%. Rates in money market and G-Sec market remained high due to tight liquidity situation, high inflation, increase in policy rates by RBI and higher borrowing by the Government. Call rate went up from around 6.5% in April to about 9.0-9.50% in March, 2012 and yield on bench mark 10 year government bonds also moved up from 7.98% as of March 31, 2011 to 8.53% as of March 30, 2012.

Liquidity conditions worsened during 2011-12, which remained on deficit mode and RBI had to resort to open market operation and lowered the CRR twice from 6.0% to 5.50% and again to 4.75%. Interest rate hardened during the year 2011-12 on account of persistent high inflation and increase in repo rates by RBI five times during the year.

The year 2011-12 was also marked by the high fiscal slippages on account of lower growth in tax revenue and increase in higher non-plan expenditure. With the result, fiscal deficit widened to 5.9% of the GDP against budgeted level of 4.6%.

### Domestic Economic Outlook

The macroeconomic outlook for the fiscal year 2012-13 looks positive with modest recovery in GDP growth rate to 7.3% from 6.9% during 2011-12. Though the inflationary pressures have receded in recent months; upside risks to inflation may be there due to further surge in crude oil prices, fiscal slippage and rupee depreciation. The overall inflation scenario is likely to remain moderate with March, 2013 end WPI inflation expected at 6.5%. With expected decline in cost of domestic funds, consumption sentiments and interest rate sensitive sectors would get a boost. Manufacturing and mining sectors are likely to display some improvement given the base effect. Service sector will again support overall economic growth. Despite the diversification of exports to newer geographies, the growth of Indian exports is likely to be subdued in FY 2012-13.

### Banking Industry - Developments and Outlook

The Money Supply (M3) growth during the year remained subdued at 13.0%, lower than the RBI's indicative trajectory of 15.5% on account of slow down in deposits growth and currency growth.

The deposits growth of the Banking System remained robust upto December, 2011, but subsequently it lost pace. However, with large deposit accretion during the last month of the year, deposits growth during 2011-12 stood at 17.4% against 15.9% during 2010-11. The credit growth remained muted, reflecting the deceleration in industrial and investment activity, which registered a growth rate of 19.3% against 21.5% growth during 2010-11.

The monetary policy stance by the RBI during 2011-12 continued to remain tight till January 2012, aimed at controlling inflation and containing inflationary expectation. Subsequently, following moderation in demand side pressure and inflation rate and recognizing risk to growth, RBI followed a neutral policy stance. The RBI also undertook certain proactive measures to address liquidity deficit situation such as open market operation and reduction in CRR.

Among the changes in the regulatory measures during the 2011-12 by RBI, interest rate on savings deposits was initially raised from 3.50% to 4.0% and later it was deregulated. Provisioning norms for NPA and restructured accounts were tightened. Among others, notable measures were advising banks to reduce their exposure to debt oriented mutual funds, permitting banks to open branches in Tier-2 Centres, regulations on micro finance and NBFCs.

One of the important developments for banks during FY 2011-12 was the introduction of system-driven identification of NPAs resulting in increase in banks' NPAs and consequent provisioning, which impacted the profitability significantly.

The increase in savings deposits rate and deregulation of savings deposits rate coupled with increase in term deposits rate by banks as a result of rise in policy rates by RBI added to the cost pressure affecting NIM. Profitability of banks was severely impacted on account of lower NIM and higher NPA provisioning. In spite of capital infusion by the Government, most of the public sector banks faced challenges on capital front during 2011-12.

Going forward, with higher GDP growth and improved industrial performance expected during FY 2012-13, banks are expected to show a better performance during 2012-13. However, the following issues will prove to be challenges for banks in near future:

- Huge capital requirement in view of implementation of Basel-III.
- Human resources issues in view of superannuation of large number of experienced people and attrition in respect of new recruits.
- Managing MIS to facilitate Automated Data flow to RBI
- Improving NIM in the context of deregulation of interest rate on saving deposits and NRI deposits.


Continuous monitoring of assets health and NPA management

## BUSINESS REVIEW

### DEPOSITS

Bank's total Deposits increased by ₹ 19,330.22 crore to ₹ 3,18,216.03 crore during the year recording a growth of 6.47%. The domestic deposits stood at ₹ 2,48,475.30 crore and overseas deposits at ₹ 69,741 crore.

Non-Resident Deposits of the Bank stood at ₹ 13,778 crore which constituted 5.60% of aggregate domestic deposits.




Savings Bank deposits grew by 13.05% and Current deposits logged a growth of 3.81%. The share of low cost deposits comprising of savings and current deposits to total domestic deposits (excluding Inter Bank deposit) is 34.25%.

The Bank has a well diversified deposit base with 12% of domestic deposits coming from rural areas, 13% from semi urban, 18% from urban and 57% from metro areas. The bank's total clientele base of 54.09 million consisted of 49.90 million depositors and 4.19 million borrowers as on 31st of March, 2012.

### ADVANCES

The Gross Advances of the Bank increased from ₹ 2,16,154 crore as on 31.03.2011 to ₹ 2,51,494 crore as on 31.03.2012, recording a growth rate of 16.4%.

Under Large Corporate portfolio, the Bank added 88 new customers and accounts, 13 Large Corporate Banking Branches, 41 Mid Corporate Branches and 9 Overseas NRI branches continue to cater exclusively to the specialised credit requirement of the Corporate borrowers/exporters.



### INFRASTRUCTURE FINANCE

During the year, the Bank sanctioned fund based limits of ₹ 4,654 crore and Non Fund Based limits ₹ 336 crore under infrastructure projects covering power generation, telecommunications, ports, roads, construction contractors.

### EXPORT CREDIT

The Bank is active in meeting the importers and exporters clients' financial requirements both in domestic and in foreign currency as well. Bank's 208 branches across the country are authorized to handle foreign exchange business and cater to the credit/ foreign exchange needs of importers & exporters. The Bank's export credit registered a growth of ₹ 739 Crore i.e. 10% increase over March 2011 and reached a level of ₹ 8,128 Crore as on 31st March, 2012. The share of export credit to net adjusted bank credit as at March 2012 was 5.04%.

Financial requirements of both exporters and non-exporters are met through ECB at the Bank's overseas branches and Foreign Currency loans at domestic branches. The total amount of such advances as at 31.03.2012 was USD 1405.84 million (Comprising of ECBs USD 652.12 Mn. and Foreign Currency Loan of USD 753.72 Mn.) equivalent to ₹ 7,152.21 crore. The bank also extended pre-shipment and post-shipment export credit in foreign currency and the amount outstanding as at 31.03.2012 was USD 244.75 Mn. (equivalent to ₹ 1,245.17 crore).

### Wholesale and International Banking Group:

#### LARGE CORPORATE

The Large Corporate segment constitutes 47% share in total advances as on 31.03.2012. Advances to this

important segment has increased from ₹ 80,821 crore as on 31.03.2011 to ₹ 86,703 crore as on 31.03.2012. It has been decided that large corporate share in total advances needs to be pruned gradually to around 42%, so that funds may be deployed in segments where yield is comparatively better.

With implementation of "SANKALP 10,000", Large Corporate Credit set-up has been re-designed for:.

- Separate Large Corporate Vertical has been created to cater to the large corporates having sales turnover above ₹ 500 Crore. In order to have more focused attention and to reduce turnaround time, eight additional LCBs were opened during the year 2010-11 and two in the year 2011-12 taking the total LCBs to ten.
- Accounts at Large Corporate branches have been mapped with RSMs who would look after all corporate needs of the customer for cash management, forex, treasury products, trade finance, deposits, retail banking and third party products and customer will have one point contact through the Relationship Manager for all banking needs.
- Credit business at Large Corporate Branches have been segregated between Relationship Managers reporting to Branch Head and Credit Appraisal Officers reporting to Credit Team Leader as measure of Risk Management. Credit proposals processed at Large Corporate Branch are now sent directly to General Manager, Head Office, Large Corporate. This has resulted in reduction of turnaround time.
- Bank has put system in place to monitor pending Proposals / references at Large Corporate branches as well as at Head Office level. This has helped in reducing turn around time.

Strategies:

- The Bank, for reducing turn around time, has developed CAPS module for credit processing.
- Large Corporate branches, apart from meeting the credit needs of borrowers, are now taking care of entire banking needs of the corporate customers. The Relationship Managers (RSMs) have been posted at Large Corporate branches who serve as a focal point for corporate clients and canvass new business.

## MID CORPORATE

Mid Corporate vertical was established in October, 2010 with the sole purpose of meeting all banking related requirements of the customer under a single roof. The purpose of setting up of separate Mid Corporate vertical is to harness the large potential in the segment which offers higher yields with wider risk spread.

Mid Corporate covers new companies with project cost of ₹ 10 crore - ₹ 100 crore. For existing units sales turn over criteria of ₹ 100 crore - ₹ 500 crore applies. Mid Corporate vertical operates through 7 (Seven) Divisional Offices and 41 Mid Corporate branches. There are 12 (Twelve ) Credit Processing Centres (CPC) established exclusively for processing of the proposals.

During the FY 2011-12, the Credit business under Mid Corporate vertical grew from ₹ 18,483 crore to ₹ 22,234 Crore registering a growth of 20.30%. Similarly, Deposit business grew from ₹ 8,360 crore to ₹ 9,483 crore registering a growth of 13.40%. Mid Corporate vertical contributes 12.04% of the total domestic Credit and 4.08% of domestic Deposit business of the Bank.

## PROJECT FINANCE AND SYNDICATIONS GROUP

Project Finance and Syndications Group of the bank is manned by highly experienced and qualified professionals. It undertakes appraisals of infrastructure and industrial projects.

It takes up assignments of technical appraisal, underwriting and syndication of loans. During the Year 2011-12 financial closures were done with a project cost of ₹ 13,119 crore and syndicated debt of ₹ 20,957 crore. Bank of India improved All India Rankings in Domestic Syndication from 6th to 5th in the Bloomberg Lead Tables for the calendar year 2011.

The bank has recruited Engineers and MBA's from the Industry with diverse experience to strengthen the technical appraisal and syndication team of the Bank.

Bank is also acting as Mandated Lead Arranger (MLA) and Joint Book Runner (JBR) for Multicurrency International Syndication loans and arranged loan in USD, JPY, EURO and GBP currencies for Indian Corporate for their expansion/ acquisition and Joint Ventures, covering a wide range of industries.

The technical appraisal department, which supports the syndication team, continued appraisal of industrial credit apart from that for syndicated loans. The team comprising of professional engineers, evaluated technology related risks for a business worth ₹ 4,300 Crore for the year, enabling the bank to improve quality of industrial assets. The operations of the Technical Appraisal Department, translated into a fee based income of ₹ 21.46 Crore for the Bank during the year.

## TRANSACTION BANKING

Transaction Banking department is focusing on 4 business lines, with an intention to make them major revenue drivers for the Bank. They are:

- Cash Management Services,
- Channel Finance,
- Trade Finance, and
- Garnering Government Business

In the year 2011-12 Bank has made significant strides in Cash Management Services (CMS) space by adding 50 new clients and increasing the revenue from this business segment manifold.

The process for acquiring the new software system has been initiated. The system will take care of CMS, Channel Finance and centralization of trade finance. The direct customer interface through a portal will be made available through the new system. The first module of the new system is likely to be rolled out by August-September 2012. The installation will be in phases and is expected to be completed by March 2013. The new software will have integration with Bank's core system finacle with Host to Host connectivity, web access to the clients with capabilities to integrate with client ERP software. This will result in better targeting of clientele and will enhance the business volume and fee based income in addition to the sizable float balances. On standalone basis, small banks have been targeted for correspondent banking arrangements and deposit heavy clients for float.

For Bank's corporate and HNW clients, cash pick up facility (Door Step Banking) has been put in place at all NBG offices. The initiative has received positive response from target clientele who have been relieved from the worries and risks of handling and carrying huge amount of cash to Bank.

During the year 2011-12 Bank has made specific marketing efforts and has made liaison with the State Government Departments of Chhattisgarh (Raipur Zone), Jharkhand (Ranchi Zone), Uttaranchal (Ghaziabad Zone), Assam & Meghalaya (Siliguri Zone) which has yielded good results.

### INTERNATIONAL BANKING

The Bank has presence across 5 continents and 19 countries covering all the major financial centres such as London, New York, Paris, Tokyo, Singapore and Hong Kong. As on 31.03.2012, bank has a network of 49 branches and offices abroad, including 5 representative offices. It also has 3 subsidiaries and 1 Joint Venture abroad.

Bank's subsidiary in New Zealand was opened on 6th October, 2011. Opening of subsidiaries at Uganda, Canada, Botswana and Brazil, upgradation of Representative Office to Branch in Johannesburg and Ho Chi Minh City and localisation of Kenya operations have reached an advanced stage. The Bank has a Global Processing Centre (GPC) at Singapore, thereby improving the Management Information system and the customer service. The integration of systems of overseas branches to Indian Operations will be completed by December 2012, bringing them under Finacle Core Banking platform.

Bank is acting as Mandated Lead Arranger (MLA) and Joint Book Runner (JBR) for Multicurrency International Syndication loans and has arranged loans in USD, JPY,

EURO and GBP currencies for Indian Corporates for their expansion / acquisition and Joint Ventures, covering a wide range of industries.

Bank has opened Global Remittance Centre (GRC) in Mumbai. The inward remittances, NRE/NRO Account opening of NRI customers have been centralized at GRC. For service to non resident customers in Deposits and remittances, SMS alerts for remitter as well as beneficiary for remittance from Gulf Countries have been introduced. Straight through processing (STP) for Speed Remittances has been put in place and viewing facility has been set up for offsite account details. The bank has introduced BOI Premium NR Deposit Scheme, Star e-Remit for UK based customers.

As at 31st March, 2012, total deposits at foreign branches stood at ₹ 69,741 crore, registering a rise of ₹ 23,818 crore (51.97%) over previous year. Total advances stood at ₹ 73,544 crore recording a rise of ₹ 22,537 crore (44.2%) over previous year. Investments were at ₹ 4278 crore.

Operating profit of foreign branches for the year ended March 2012 at ₹ 1,088 crore has shown a rise of ₹ 332 crore over previous year. Correspondingly, Net profit at ₹ 628 crore has also increased by ₹ 133 crore over March 2011.

In terms of contribution to global business and profit, foreign branches contributed 25.1% towards global business, 16.2% and 23.5% towards Operating profit and Net profit respectively for the year ended 31.03.12.

### FOREX BUSINESS

The forex business handled by the bank has shown good growth. During the year 2011-12, Export and Import turnover was ₹ 52,546 crore and ₹ 46,460 crore respectively. The Bank continues to be a leading player in forex market. The aggregate turnover of Bank's Treasury Branch during the year was ₹ 26,60,625 crore.

### TREASURY INVESTMENTS

The yield on benchmark 10 year G-Sec which was 8.01% as on 31st March, 2011 has since hardened to 8.57% as on 31.03.2012. However, movement of G-Sec yields was highly volatile and the same moved within a wide range between 8.15% to 8.98% during the year. The Bank had maintained a higher level of investments keeping a balance between interest income and market risk. The Bank had maintained SLR investments at higher level in excess of the regulatory requirement of 24% of Net Demand & Time Liabilities so that the excess SLR can be utilised for borrowing from Repo/CBLO window. The gross SLR investments were ₹ 80,271 crore, (87.42% of total investments) and Non-SLR investments stood at ₹ 11,554 crore, (12.58% of total investments).

The Investments are made in accordance with the comprehensive policy in this regard approved by the Board.



The policy is reviewed periodically to respond to market developments/regulatory requirements.

The position of priority sector advances under various segments is as under:

(₹ in Crore)

**TREASURY OPERATIONS**

The Bank continued to play an active role in all segments of the market – Funds, Forex and Bonds during the year 2011-12. Taking advantage of G-sec rate movements, bank also churned its investment portfolio and earned profits from trading and sale of securities. The Bank has taken advantage of arbitrage opportunity within various market segments and could place the excess rupee funds in Certificate of Deposits (CD), Buy/Sell Foreign Exchange swaps, term money market thereof earning a spread of 1% to 1.5%. The Bank has built up a portfolio of ₹ 2,592 crore in CDs, lent ₹ 850 Crore in Term Money, by borrowing in CBLO/Repo against ‘T’ Bills and surplus securities thereby earning a spread of approximately 1% to 1.5%.

	As on 31st March		Growth	
	2011	2012	Amount	Percentage
1. Agriculture	17,632	23,468	5,836	33.09
2. Small Enterprise	23,705	27,128	3,423	14.44
3. Education	1,927	2,193	266	13.80
4. Housing	5,616	6,416	800	14.25
<b>Total Priority Sector</b>	<b>48,880</b>	<b>59,205</b>	<b>10,325</b>	<b>21.12</b>

**National Banking Group (Head Office):**

**RURAL BANKING**

**1. Priority Sector Advances:**

The bank has always been one of the leaders in servicing to the priority and agriculture sectors, with its vast network of rural and semi-urban branches and committed personnel. Priority sector advances, apart from presenting a big business opportunity, have wide social ramifications.

The Bank has registered an outstanding level of ₹ 59,245 crore under Priority Sector which is 36.67% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

Under Special Agricultural Credit Plan, Bank could disbursed ₹ 13,067 crore upto March 2012.

**2. Centralized Processing Centres in focused districts:**


As a part of implementation of Sankalp 10000 initiatives, Centralized Processing Centres have been established in select zones with the objective of augmenting agriculture credit. So far, 52 CPCs have been opened.

**3. Kisan Credit Cards:**

Kisan Credit Card Scheme aims at providing need based and timely credit support to the farmers for their cultivation needs as well as non-farm activities with an objective to bring about flexible and operational freedom in credit utilization. During the year Bank has issued 167440 new Kisan Credit Cards with aggregate limit of ₹ 7,005 crore. The Bank has so far issued 1145162 Kisan Credit Cards (cumulative) involving financial outlay of ₹ 8,179 crore.

**4. Debt Swap :**

Bank has designed ‘Debt Swap’ Scheme with an objective to help the indebted farmers to redeem their outstanding dues to money lenders and to mitigate acute distress faced by the farmers due to heavy burden of debt from non-institutional



lenders at unrealistic interest rates. Bank has made more than 146 villages as money lender free villages and also financed more than 13000 beneficiaries.

#### 5. Differential Rate of Interest :

A scheme for extending financial assistance at concessional interest rate of 4% to selected low income groups for productive endeavors under the name Differential Rate of Interest (DRI) Scheme is being implemented by the Bank. The Bank has sanctioned 11665 cases under DRI Scheme during the year.

#### 6. Prime Minister's New 15 Point Programme for the welfare of Minority Communities :

With the focused attention for the welfare of minority communities, Bank has been extending finance to the minority communities of Sikhs, Muslims, Christians, Zoroastrians and Buddhists. During the year 2011-12, Bank has financed ₹ 275.49 crore to the various minority communities and registered an outstanding level of ₹ 8,184 crore as on March 2012.

#### 7. Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme :

The Bank has been actively involved in implementation of the Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme (GJRHFS) and has achieved the target of ₹ 72.73 crore allocated by National Housing Bank for the year. During the year, Bank has sanctioned 1443 cases under GJRHFS.

#### 8. Micro Finance / Micro Credit :

The Scheme of Micro Credit has been found to be an effective instrument for lifting the poor above the level of poverty by providing them increased self employment opportunities and making them credit worthy.

Bank is having more than 99984 SHGs credit linked with Financial Outlay of ₹ 1,631 crore. Out of this, more than 80328 women Self Help Groups are credit linked to the Bank having financial outlay of ₹ 1,480 crore.

#### 9. Solar Energy Home Lighting System :

To address the issues of electricity paucity the Bank has prepared and launched a scheme on Solar Energy Home Lighting System. The Bank extends financial assistance to the prospective borrowers for purchase and installation of Solar Energy Home Lighting System. The Bank has so far sanctioned 1072 units with financial outlay of ₹ 6.17 crore.

#### 10. Mega project – 140 villages :

The main objective of the scheme is to create awareness and bring urban amenities to rural areas including technology to rural households as available to urban clientele. So far,

140 villages spread over in 17 States and 78 districts have been covered under the Scheme. The Bank has financed to the tune of ₹ 492 crore under the scheme through 51000 beneficiary accounts.

#### 11. Lead Bank Responsibility:

The Bank has been assigned with Lead Bank responsibility in 48 districts spread over five states of Jharkhand (15), Maharashtra (12), Madhya Pradesh (12), Uttar Pradesh (7) and Orissa (2). The Bank has been successfully discharging its duties of Lead Bank in all these districts. The Annual Credit Plan (ACP) for the year 2011-12 was launched in all the Lead Districts involving credit outlay of ₹ 7,483 crore for the Bank. The achievement of the Bank is ₹ 7,495 crore which is 100.16% of ACP.

#### FINANCIAL INCLUSION

Financial Inclusion is integral to the inclusive growth process and sustainable development of the country. There has been a strategic shift in sustainable financial inclusion to the adoption of market oriented approach viewing financial inclusion as a viable business proposition. The paradigm has decidedly shifted from "CSR" to "economic viability". It has been made possible with the availability of ICT based solution to support secured and sufficiently low cost transactions required by the financial sector. The Bank is viewing these prospective banking service users through a prism of opportunity rather than obligation.

The Bank has carved out Financial Inclusion as a new Business Unit headed by General Manager to drive board approved Financial Inclusion Plan (2010-13). Bank is committed to provide banking services through Business Correspondents and ICT based hand held devices (micro ATMs) to 29000 villages, connect 125 lakh people through no frill accounts with inbuilt overdraft facilities to take care of their urgent consumption needs, extend entrepreneurship credit to eligible people to earn their sustainable livelihood, offer mobile based remittance facility to help mainly the migrant labour/ self employed to remit money to their family members and facilitate access to Bank's third party products including Micro Insurance amongst other services.

The progress under Financial Inclusion Plan (FIP) in 2011-12 is summarized as under:-

- No. of No frill accounts opened : 62.69 lakh (50.07 lakh in 2010-11)
- No. of Smart Cards issued : 7.65 lakh
- GCC/KCC issued : ₹ 8,423 crore (12.44 lakh accounts)
- Business Correspondents engaged : 3813 Corporate BCs
- Channel Management Partners engaged : 81
- No. of Villages where 100% FI achieved : 10008

The Bank has achieved 100% Financial Inclusion in all 2992 allotted villages with population above 2000 as on 31.03.2011, ahead of targeted date of 31.03.2012 by GOI/RBI. Robust operational systems with adequate risk mitigants and best practices have been built up and are being pursued.

#### Star Swarojgar Prashikshan Sansthan (RSETIs)

With the aim of mitigating the unemployment problem among the rural youth, the Bank took initiative to form a dedicated trust named “**STAR SWAROJGAR PRASHIKSHAN SANSTHAN (SSPS)**” in 2005. Two SSPS (RSETIs) were established at Bhopal and Kolhapur immediately after formation of the trust. Ministry of Rural Development, Government of India found value in the initiative and proposed to support establishment of such Institute in each district of the country to tap the rural BPL youth from the rural hinterland. The formation, nomenclature, sponsorship, management, programme structure, staffing and administration, MIS were defined. Bank was allotted 42 centres to establish institutes. Bank has established 41 such institutes in Jharkhand, Orissa, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal. 24968 participants have been trained and 9626 have been provided with credit inputs from these centres till date.

Bank has planned to upgrade/establish five integrated SSPS (RSETIs) at Ranchi (Jharkhand), Barabanki (Uttar Pradesh), Bhopal (Madhya Pradesh), Pen (Maharashtra) and Belgaum (Karnataka) for extending the scope of SSPS (RSETIs) to primary health care, adult literacy, comprehensive financial access and planning for growth, strengthening civil society organization, environmental sustainability. Bank would like to collaborate with and foster strategic partnership aiming at bringing diverse resources from the public, private and social sectors to bear on the challenges surrounding these areas.

#### Financial literacy and Credit Counseling Centres (ABHAY)

Bank has recognized the need of a common person for financial education to appreciate the complexities of financial dealing with financial intermediaries on matters relating to personal finances on a day to day basis. Further, those who suffer from financial problems due to unmanageable debts also need credit counseling to come out of the repayment obligations outside bankruptcy and also learn credit usages and improve their financial management. It is in this background that Bank has opened 5 (five) Credit counseling centres named **ABHAY** at Mumbai, Wardha, Gumla, Kolkata and Chennai and they are manned by senior and experienced bankers. In addition to remedial counseling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counseling through media, workshops and seminars are also given. So far 9370 cases of counseling were taken up and disposed off quickly bringing smile on the faces of the distressed people.

#### Regional Rural Banks

Bank has sponsored 5 (five) Regional Rural Banks (RRBs) namely Jharkhand Gramin Bank (Jharkhand State), Aryavart Gramin Bank (Uttar Pradesh State), Baitarani Gramya Bank (Orissa State), Narmada Malwa Gramin Bank (Madhya Pradesh State) and Wainganga Krishna Gramin Bank (Maharashtra State). All RRBs are profit making. All Branches and administrative offices of the Gramin Banks are now on CBS platform. These banks are also going to start RTGS and ATM services shortly. All RRBs taken together have a branch network of 1085 outlets and have garnered a business mix of ₹ 1,17,685 Crore.

#### RETAIL CREDIT

The Bank during the year 2011-12, perused the policy of building up healthy retail credit portfolio. In the post recessionary period of FY 2011-12 the spring buds of reviving economy gave ample opportunity for retail credit. The Bank's retail credit portfolio increased from ₹ 16,649 crore to ₹ 19,116 crore as on 31st March, 2012. During this period the contours of retail credit were also redefined.

The bank has established 21 RBC's across major cities of the country to expedite the processing of retail Home Loans/ Loan Against Property and also processing of Vehicle Loans and Education Loans proposals- in case of tie-up arrangement. Home Loan segment recorded a growth of ₹ 1,312(18.65%) crore from ₹ 7,033crore (March, 2011) to ₹ 8,345 crore (March, 2012). The Bank has formulated basic guidelines for entering in to tie-up with builders. In order to ensure that the tie-ups are encouraged only with builders with proven track record, the Zonal Managers have been empowered to scout and enter into tie-ups with builders of repute locally. The Bank is participating in the Central Govt. sponsored special Interest Subvention scheme to stimulate demand for credit to Housing in the middle and lower income segment as announced in the Union Budget.

Education loan portfolio recorded growth of 12.69% increasing from ₹ 1,946 crore to ₹ 2,193 crore during the year. The Bank has embraced the Interest subsidy scheme, wherein borrowers who have availed education loans during academic year 2010-11 and hailing from Economically Weaker Section are eligible for education loan interest subsidy from Government of India, Ministry of HRD, through Nodal Bank. The Bank continues to give top priority for extending credit for pursuing higher education under the Star Education Loan scheme. Towards this end, the Zonal Manager marketing teams are constantly entering into tie-up arrangements with local Institutions so that the students' requirements are speedily attended to by the Branches. Bank has also introduced a new product under Education Loan viz. BOI Star Vidya Loan to cater to students seeking admission to Premier Educational Institutions in the country such as IITs/IIMs/NIDs etc.

Autofinance segment also recorded reasonable growth of 28.92% increasing from ₹ 1,408 crore to ₹ 1,815 crore during the year. The strategy of tie-up arrangement with diverse reputed Auto manufacturers like Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai Motors, TVS, Hero Honda continues to provide healthy retail leads to augment Autofin portfolio.

The growth in respect of major Retail loan schemes was as under:

Scheme	O/s as 31.03.2011 (₹ Crore)	O/s as 31.03.2012 (₹ Crore)	Growth & % growth (₹ Crore)
Star Home Loan Scheme	7,033	8,345	1,312(18.65)
Star Education Loan Scheme	1,946	2,193	247(12.69)
Star Autofin Loan Scheme	1,408	1,815	407(28.92)
Star Personal Loan Scheme	649	692	30(04.53)
Star Mortgage Loan Scheme	1,495	1,632	137(09.57)

### SME

The Bank has created a new SME vertical headed by a General Manager to cater to the specific business needs of the segment. A more inclusive definition has been given for SME business to include all business activities with a turnover of upto ₹ 100 crore. The vertical will look for growth not only on credit, but CASA, retail business, fee based income and third party products in the SME segment.

Strategies for SME business growth, as enunciated by the Bank are:

- SME City Centres being rolled out to act as processing hubs for all SME credit business of limits above ₹ 1 crore.
- 21 SME City Centres are presently operating across 20 zones.
- Credit origination and processing segregated in the City Centres as a risk management measure.
- Dedicated team for credit processing and outbound sales team for lead generation and follow up for business acquisition put in place.
- Credit processes de-layered and delegation revised upward to ensure reduced TAT.
- 4 new products launched to customize Bank's offering to SME customers.
- Pre-disbursement risk mitigation processes simplified to ensure faster disbursement.
- Simplified Application Form introduced for all SME customers irrespective of the quantum of finance.

- Master Check List formulated for obtaining information required for processing customer requests in one go.
- Tracking and Performance Management Systems introduced in the SME City Centres to bring about greater transparency in business processes.

### Performance of the Bank under MSME

- Advances to Micro & Small Sector as on 31.03.2012 is ₹ 27,128 Crore
- Growth over FY-2011-12 is 14.43%
- Advances to MSME (including Medium Industries) is ₹ 32,270 crore
- This represents a growth of about 7.40% over FY 2010-11.
- Growth has mainly been in Micro & Small segments in the MSME space
- NPA at 8.05% as compared to overall NPA of 2.34% of the Bank continues to be an area of concern
- Bank has put in place an OTS scheme and exhort the zones/branches to make effective use of the scheme to reduce the NPA in the current year

### Strategies for achieving growth under MSME

- Formation of clusters for cluster based lending. Each Zone to identify at least 2 clusters and formulate cluster specific schemes to increase credit flow to MSME sector
- Sensitising Branches with high potential for MSME lending in order to boost credit flow, especially Micro and Small sectors
- Sensitising Branches about availability of CGTMSE insurance cover
- Conducting workshops for sales officers of SME City Centres

### SANKALP 10,000 - - एक नये शिखर की ओर... -

#### REORGANISATION OF THE BANK

Keeping its growth aspirations in mind, the Bank had in the year 2010 embarked upon a new bold vision Sankalp 10,000. This was a mammoth transformational exercise aiming at reviewing the structure, orientation, processes and the business focus. For this exercise McKinsey and Co., the top-rated international consultants had been engaged to help identify proper growth opportunities, strategies, processes, manage the risks and above all, suggest an efficient and vibrant organisational structure which will ensure Bank's sustained and continued growth for quite some time to come. Sankalp 10,000 rests on the three pillars:



- Customer First
- Building Winning Teams
- High performance Driven Culture

The organizational structure of the Bank was redesigned in two distinctly separate groups of businesses i.e (a) National Banking Group and (b) Wholesale and International Banking Group, in order to have a more focused attention to each business segment, the two groups are headed by the two Executive Directors of the Bank.

National Banking Group (Head Office) - The National Banking Group is comprised of the following Business Units:

- Rural Banking
- Financial Inclusion
- Retail Banking
- SME Banking

National Banking Group General Managers - There are 5 GMs, National Banking who head the five geographies that the country is divided into – Central, North, East, West and South. These five National Banking Group General Managers lead their respective geographies covering Rural, Retail and SME business of the Bank in the Branches/Zones.

Wholesale and International Banking Group (Head Office) – The Wholesale and International Banking Groups are comprised of the following Business Units.

- Large Corporate Banking
- Mid-Corporate Banking
- Project Finance
- Transaction Banking
- International Banking
- Treasury

Verticals have been designed for Large Corporate and Mid-Corporate businesses to reduce Turn-Around-Time (TAT) effectively and to maximize the relationship for greater resource mobilization and augmenting fee based income also. Sourcing of Credit has been segregated from Credit appraisal and sanction to better manage risk management.

The Business Units are responsible for the entire business (end to end) and not only for credit to the respective customer/business segments. The responsibility extends to profitability of the business units and comprises of all type of banking businesses i.e Deposits, Advances, Fee Income and sale of other/third party products.

### Creating Branch of the future model

Bank's Branch network remains one of the most important 'touch point' with the customer & driver of growth. To fully tap into the potential of branch network, Bank has embarked upon the plan of creating "Branch of the Future" model. The objective of the new model will be to bring about significant improvement in both customer experience and business performance. Creating a new model will also help institutionalizing the "new way of working" through the Bank.

In the Pilot phase, 5 branches, one each from NBG, have been selected vis-à-vis Chembur (NBG West), Navrangpura (NBG Central), Karol Bagh (NBG North), Bow Bazar (NBG East) and Mylapore Branch (NBG South) and converted with the new branch layout specification. The model has started yielding positive results and the bank aspires to increase number of branches manifold under this model.

The main objective of the branch of future are:

1. Redesign branch processes for account opening, passbook update, cash transactions.
2. Drive and enable customer migration to alternate channels such as ATMs, Self Service Passbook printer etc.
3. Redesign branch roles and responsibilities, staffing to have specialized sales and service roles.
4. Adopt a best-in-class activity schedule in branches.
5. New branch layout with large customer area, in-branch back office, physically separated from the customer area.
6. Automate key customer interactions (i.e., QMS, self-service passbook printer).
7. Implement new branch sales and service training.

## REVIEW OF OTHER PRODUCTS & SERVICES

### Card Products

The Bank is offering Five types of Credit Cards to select from to the customers. The Bank also has Two affiliate banks viz. Bank of Maharashtra and Tamilnadu Mercantile bank Ltd issuing Credit Cards under the brand name "India Card". During the year Issuing turnover witnessed a growth of -13.24% and stood at about ₹ 351.45 Crore and acquiring turnover witnessed an increase of 2.2% and stood at ₹ 309.27 Crore.

The Bank is also offering Five types of Debit cum ATM cards. Total Debit Cards issued as on 31.03.2012 stood at 101.42 lakh comprising of 36.41 lakh Starlinks International ATM cum Debit Cards (Visa Electron), 63.66 lakh BOI Global Debit cum ATM cards (MasterCard), 0.02 lakh Platinum Debit

Cards (MasterCard), 0.15 lakh Gift Cards (Visa Electron) and 1.33 lakh Bingo Cards. Debit cards registered a growth 31.91% during the year 2011-12.

The Bank has in place bilateral and multilateral agreements with cross-section of Banks for sharing of ATMs. Thus Bank's cardholders have the privilege of accessing around 50,000 ATMs throughout the country. The Bank continues to be the settlement bank for MasterCard in India, Cash tree and Bancs networks.

### Bullion Banking

Bullion banking was introduced by the Bank in November 1997. Initially the scheme was introduced at SEEPZ and Ahmedabad branches and was subsequently introduced at other branches. As on date although 9 branches are authorized to undertake bullion business only 5 branches are undertaking bullion business.

The gold is procured of consignment basis for catering to the need of Jewellery exporters and domestic jewellers. The Bank sold 11,717 kg of gold in the year 2011-12, with a turnover of ₹ 2,773 crore, thereby earning an income of ₹ 16.74 crore. The increase in the earning during the year was 3.93%.

### STAR CASH MANAGEMENT SERVICES (STAR CMS)

The Bank has active presence in CMS space but the CMS operations have been revamped by adopting latest state of the art WEB based technology. The Bank has also entered into Correspondent banking arrangement with other Banks. Due to switch over to the WEB based software on ORACLE platform the Bank is well positioned to handle any number of transactions.

The Bank has a separate department for CMS at Head Office which monitors and controls the overall functioning of CMS. It is under the direct control of the General Manager (Transaction Banking). The CMS HUB located at M.G.Road, Mumbai takes care of the operational side of the initiative.

The Bank has over 4000 branches which are operating on CBS platform across more than 1000 cities and towns. All these branches can canvass for CMS clients for availing various CMS services.

### Product-wise Capabilities

#### a. Local Collections:

The STAR CMS has the capability to provide location-wise daily MIS for realizations and returns. The Bank can also provide detailed listing of returns by encrypted e-mail and if required hard copy can also be mailed to the customers.

#### b. Bulk Collections:

Bulk collections are offered at all locations covered under local collections, but with prior approval since modalities/systems are to be enabled. Soft copy of the details is needed for direct data upload for all Bulk collections.

#### c. Outstation Collections:

Day arrangements range from Day 0 – Day 21; which are always centre specific. These vary for local and upcountry cheque collection centres.

#### d. Physical Cash:

Physical cash can be absorbed at all locations being offered for cash management, this facility is being rolled out under Door Step banking initiative. Day arrangement will be T+1 day.

#### e. Payments:

Positive pay facility is available across all locations for drafts drawn on the Bank. The Bank has the facility for bulk printing of drafts/cheques and the locations can be fixed as per requirements.

#### f. Electronic Settlements:

The Bank has system capabilities to offer Direct Credit and Direct Debit facility. In case of Direct Debits, mandate verification is mandatory. TAT will depend upon the location of the beneficiary account.

#### g. Other additional services:

The Bank is open to offer services at its branches for collection of application forms for NFOs and Right Issues.

### THIRD PARTY PRODUCTS

#### Tie-up for Life Insurance:

The Bank continued its Corporate Agency arrangement with its Joint Venture Life Insurance Company Star Union Dai-ichi Life Insurance Co Ltd. for sale of life insurance products. The Bank has around 897 employees to act as 'Specified Person' for sale of insurance products at various centres.

During the current financial year, the Bank collected premium of ₹ 548 crore (Number of Policies – over 86,000) and contributed to more than 43% of the Joint Venture business.

The Bank continues to offer optional life insurance cover to its Star Home Loan and Star Education Loan borrowers under Group Policy wherein the borrowers pay subsidized premium for life cover.

**Tie-up for General Insurance (Non-life) with National Insurance Co Ltd. (NICL):**

The existing tie-up arrangement with NICL was converted into Corporate Agency Distribution Model in compliance with IRDA's revised guidelines covering Bancassurance Business with Distributors like Banks. The Bank has a co-branded health insurance product - BOI National Swasthya Bima Policy, which is a Family Floater Mediclaim Insurance Cover Policy available for Bank of India account holders, at a very low premium. The coverage is available for the main Account holder, Spouse and maximum of 2 Dependent Children. Entire family (Account holder, spouse and two dependent children) is covered to the extent of sum insured in as much as part of the sum insured can be availed at different times by family members individually. It has been a popular product and as on 31.03.2012 over 1.3 lakh Bank of India Account holders have taken this policy.

The total premium collected by the Bank for NICL during the financial year 2011-12 has been ₹ 138 crore which earned a commission of ₹ 14.51 crore.


**Mutual Funds Products:**

The Bank continues to be a shop for all financial needs to the customers as much as distributes various Mutual Fund products of the 9 Asset Management Companies, viz., Birla Sun Life Mutual Fund, DSP BlackRock Mutual Fund, Franklin Templeton Investments, HDFC Mutual Fund, IDFC Mutual Fund, ING Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Reliance Mutual Fund and UTI Mutual Fund.

The Bank has entered into joint venture with Bharti AXA IM to re-enter mutual fund business.

**ASSET RECOVERY & NPA MANAGEMENT**

The Bank continued its drive and focuss in improving its performance in the area of NPA management in the



year 2011-12 as well. Reduction of NPAs is given utmost priority at the Bank and this function has steadily grown in importance. Substantial measures were initiated to augment recovery and contain NPAs. Efforts were also made to maximize recovery in written off accounts and uncharged / unrealised interest in NPA accounts which contributes to the Bank's profits significantly.

Bank has appointed Senior Executives as Nodal Officers at Five National Banking Group offices encompassing the entire Branch network for better control and recovery of NPAs.

The Bank has migrated to the identification of System Driven NPA during this year as per RBI notification.

The following table shows management of NPAs during last 3 years:

(₹ in crore)

Item	31.03.10 (Actual)	31.03.11 (Actual)	31.03.12 (Actual)
<b>GROSS NPA (Opening)</b>	<b>2,471</b>	<b>4,883</b>	4,882
<b>Less:</b>			
Cash-Recovery	622	895	1,205
Upgradations	204	1,038	487
Write-off	743	881	2,415
Agr. Debt Waiver/Debt Relief Scheme 2008	0	0	0
<b>Total Reduction</b>	<b>1,569</b>	<b>2,814</b>	4,107
<b>Add:</b>			
Slippages	4,162	2,908	5,401
Less Unrealised Interest (URI) (introduced from F.Y 2009-10)	181	166	212
<b>GROSS NPA (Closing)</b>	<b>4,883</b>	<b>4,811</b>	5,894
Recovery in W/Off A/cs, UCI/URI	300	383	672
<b>Net NPA</b>	<b>2,207</b>	<b>1,945</b>	3,656
% of Gross NPA to Gross Advances	2.85	2.23	2.34
% of Net NPA to Net Advances	1.31	0.91	1.47

To boost recovery in small and soft impaired (NPA) accounts, two existing schemes have been modified as under:-

- i) Star Sanjeevani Incentive Scheme for NPAs upto ₹ 50 lakhs
- ii) Incentive Scheme for Upgradation of accounts upto ₹ 100 lakhs in sub-standard category.

The above Schemes have been introduced with intention to motivate the field level staff and reduce the dependence on Professional Enforcement Agents. This has paid rich dividends in the form of involvement of staff at every level.

Performance under Star-Sanjeevani Incentive schemes was as below:

(₹ in Crore)

Recovery during 2011-12	Amount
Recovery in LIVE NPAs	557.95
Recovery in written-off A/cs	29.58
Total Recovery	557.95

Recovery Camps and participation in LOK ADALAT for speedy resolution of small NPAs has also been undertaken in a big way at the Zones. The Bank has made recovery of ₹ 142.38 Crore through LOK-ADALAT and Recovery Camps.

### CREDIT MONITORING:

This is a critical area for the bank and its importance has steadily grown, as retention of 'Asset quality' is the buzzword with rising interest rates, slowdown in the economy, high input cost squeezing profitability of various industries, besides, switching over to the system based identification and collation of NPAs from September 2011.

- The health of the advance accounts with exposure of ₹ 100 lakhs and above is being monitored by the Credit Monitoring Department at Head Office, which covers approximately 70% of the domestic credit portfolio of the Bank. The monitoring is being done from various reports generated centrally from system giving alerts and fortnightly Flash Reports. These reports are being used effectively by Head Office/Zones/Branches to track and avoid delinquency. The out of order position with break-up of 30 to 60 days, 61 to 75 days & above 75 days overdue is made available to Branches for follow up & regularization. ZO/HO also monitor the progress to maintain asset quality.
- With migration of identification of NPAs by the system, slippages in small accounts with o/s below ₹ 10 lakh are showing rising trend, It is a major challenge. Bank has addressed this challenge in a big way through effective follow up at all levels. The recovery culture at rural and semi urban branches has been revisited.
- Extra precautions and strict compliance in letter and spirit is ensured while take over accounts from other Banks. In deserving cases take over is approved on case to case basis after ensuring quality and comprehensive due diligence. While approving take over business, it is ensured that advances of sound and remunerative nature, with favourable financial ratios in line with entry level norms and Credit Rating of 'AAA' & 'AA' are taken over.
- To address the issues of 90 days default, the repayment schedule is fixed after making thorough study of Cash Flows which are achievable and realistic. Adequate moratorium is also reckoned on merit of the case while considering fresh term loan for new projects.
- Due diligence in respect of promoters is carried out before sanction of advance and antecedents of the applicants are ascertained through CIBIL Reports, RBI Defaulters List and ECGC Caution list and other means.
- Inspection of the securities charged to the Bank is of immense importance for ensuring end use of funds and is undertaken at regular intervals. Insurance of charged assets is given due importance for safe guarding the Bank's exposure. Timely renewal of insurance policies with adequacy of cover is not lost sight of. Renewal documents are obtained on yearly basis instead of waiting for 3 years time.
- Before parting with Bank's funds, the process of CPA is completed in all respect. Timely closure of CPA helps the bank in taking swift remedial measures wherever applicable.
- 'Stock & Receivable Audit', another important tool, is used to monitor the account. Branches undertake periodical stock & receivable audit by firm of approved Chartered Accountants so that deficiencies are known and remedial measures are undertaken in time. Closure of report is done within a reasonable time period.
- Credit Monitoring at Large Corporate/Mid Corporate Branches assumes added significance. One officer in such branches is exclusively monitoring the performance of projected Sales/Inventory/Profits of the accounts based on MSOD/QIS/Stock & Book Debt Statements and timely review of the advance accounts. The quarterly financial performance of associate companies having Large exposure is studied & remedial action taken.
- Conducting of monthly Zonal Credit Monitoring Committee meeting (ZCMC) is undertaken wherein out of order/problem accounts and items like
  - Closure of CPA
  - Closure of stock audit reports
  - Closure of CALRM
  - Account due for review
  - Watch list accounts (AC 12) & Restructured accounts
  - PSRS
  - TOL/TOD



- Devolvement of L/C & Invocation of Guarantee not regularized
- Pending SAR & Quick Mortality cases

are discussed which will help in proper monitoring and control. Similarly, meeting with GMs of SBU at H.O. with Credit Monitoring Department, HO is convened at fortnightly interval for discussing out of order/stressed accounts for desired results.

- Extensive use of Video Conference facility at HO/ZO/ NBG level is used for follow up of out of order /stressed accounts which helps in arresting slippages.
- The marking of NPA through CBS system has been put in place w.e.f. 30.09.2011. The NPA so marked by the system are soft NPAs which attract immediate attention for recovery/ up gradation thereof so that slippages are reduced to bare minimal level.

### BRANCH NETWORK & EXPANSION

The Bank has a geographically well spread branch network in India and abroad. The Bank had 4000 branches in India as on 31.03.2012. In the foreign countries, 44 branches and 5 representative offices keep Bank's presence felt in all time zones and important financial centers of the globe.

During the year 2011-12, Bank opened 510 new branches including 07 Extension Counters converted into full fledged branches.

Composition of Bank's branch network is as follows :

Category	31.03.2011		31.03.2012	
	No. of Brs.	% to Total	No. of Brs.	% to Total
Metropolitan	660	18.91	722	18.05
Urban	645	18.49	709	17.72
Semi-Urban	841	24.09	1078	26.95
Rural	1344	38.51	1491	37.28
<b>Total Branches</b>	<b>3490</b>	<b>100</b>	<b>4000</b>	<b>100</b>

Falling in line with RBI liberalized policy of branch authorization, some branches were shifted to alternate sites and extension counters showing good performance and those with locational advantage were converted into full fledged branches. It is intended to continue this policy for the coming year as well.

RBI has further liberalized its branch authorization policy w.e.f. 29.11.2011 allowing Bank's to open branches in centers having population below 1,00,000 (enhanced from 50,000 to below 1,00,000) without obtaining prior approval from them. The Bank availed the opportunity and authorized zones to open branches under this category in 322 centers.

### POSITION AT A GLANCE

At the year end	31.03.2011	31.03.2012
<b>Number of Branches</b>	3519	4029
Foreign	29	49
Indian	3490	4000
<b>Of Which</b>		
Metropolitan	660	722
Urban	645	709
Semi-Urban	841	1078
Rural	1344	1491
<b>Computerised Branches</b>		
Fully Computerised	3490	4000
Partially Computerised	—	—
<b>Specialised Branches</b>	279	270
<b>Extension Counter</b>	55	43

The Bank has 271 specialised branches catering to the specific financial requirements of various categories of customers in the domestic market. Break-up of such branches is given in the following table:

	Categories of Specialised Branches	31.03.2011	31.03.2012
1.	SME Branches	100	100
2.	Overseas Branches	03	03
3.	Corporate Banking Branches	--	---
4.	Large Corporate Banking Branches	10	13
5.	Mid-Corporate Branches	40	41
6.	N.R.I. Branches	04	06
7.	Recovery Branches	15	13
8.	Commercial & Personal Banking Brs.	30	26
9.	Treasury Branch	01	01
10.	Housing & Personal Finance Brs.@	33	25
11.	Government Business Branch	01	01
12.	Bullion Banking Branch	01	--
13.	Service Branches	40	41
14.	Centralised Pension Processing Branch	01	01
15.	<b>TOTAL</b>	<b>279</b>	<b>271</b>

@ - Including Retail Business Centers (RBC's)

The RBI liberalised policy of Branch Authorisation policy has paved way to shift some branches to alternate sites and extension counters showing good performance and those with locational advantage, were converted into full-fledged branches. The Bank availed the opportunity and authorized Zones to open branches at centres having population below 50 thousand. It is intended to continue this policy for the coming year as well.

## MARKETING

### Major Initiatives:

Marketing has been an important focus in the Bank for acquisition of new customers and create a set of customer centric processes for enhancing value for them.

The Bank has placed Marketing Team in all the zones for mobilizing Deposits, Retail & SME advances, Demat, Card Products, IT Enabled Products and Services, sale of TPP and Gold Coins to name a few. The marketing staff are placed /attached to the branches /ZO and are working under the Head Marketing placed at Zonal Office.

The Bank has also placed separate Marketing Teams at 21 Retail Business Centers (RBCs) for mobilizing retail loans, 20 SME City Centers for mobilizing SME loans and 8 TASC Teams for mobilizing TASC business.

To strengthen the Marketing Team, the Bank has recruited 208 Marketing Executives during the last two years. During the current year the bank has recruited 266 Marketing Executives and they are expected to join the Bank shortly on completion of pre-recruitment formalities. As on 31st March, 2012, Bank has over 590 proactive and trained marketing personnel for focused marketing efforts.

### Major Initiatives during 2011-12:

- **Training:** Arranged workshop at MDI Belapur for the Heads of Marketing from all the zones. We have also initiated conducting workshop for the newly recruited Marketing Executives to sensitize them on their roles and responsibilities and provide them inputs on marketing. Four workshops have been conducted at STC Noida, MDI Belapur, STC Chennai and STC Kolkata covering all the Marketing Executives from five NBGs.
- **Lead Management System:** Launched IT enabled software package called Lead Management System. The system effectively captures, monitors, tracks, closed and analyzes the leads generated at various levels. The system will also be used for administering the incentive scheme as well. Workshops have been conducted for the key officials from select zones.
- **Quick Wins Campaign:** Massive Contact Programme to meet Diamond Customers was launched in 10 zones for contacting of Diamond Customers, updating their data, KYC compliance, opening of new value accounts, cross selling of various Bank's products and Third party Products.
- **TASC:** Teams are formed on Pilot basis in July, 2011 at 8 Centers namely Mumbai South, Mumbai North, Navi Mumbai, New Delhi, Chandigarh, Ahmedabad,

Ghaziabad and Bangalore. The objective of forming the TASC Teams is to mobilize the business of Trusts, Associations, Societies and Clubs.

- **Campaign / Initiatives:** Various campaigns / initiatives and Incentive Schemes have been launched for CASA, Gold Coins, Retail Loans and Third Party Products etc.
- **IBPS Fee Collection:** IBPS is regularly conducting Common Written Examination for Clerks / Officers for RBI / Nationalized Banks. Our Bank is one of the authorized Banks for collection of Fee. During the year, The Bank collected Fee amounting to ₹ 96 cr. there by adding to CASA base of Business.

### Publicity & Public Relation

With a view to enhance Corporate image and identity, Bank has initiated media campaigns on the existing theme "Relationship Beyond Banking". As part of corporate campaign on 'Relationship beyond banking', Bank had initially run two highly acclaimed ad commercials – 'The Piggy Bank' and 'The Banker and the Pensioner (Shastri)' – on leading television channels in the year 2007-08. Bank had followed up these campaigns with two more ad commercials – 'The Banker and the Customer' in a Calcutta – Tram' and it's sequel 'The Banker and Customer in a Kolkata Coffee Shop' – to highlight Bank's status as a modern, tech-savvy bank. Bank had also produced 3 TVCs on 'Education Loan', 'Closing Time' and 'Birthday' to strengthen our Relationship Theme. During March 2010– April 2010 we had telecast 3 TVCs viz. Bus, Pills and Friends on Relationship theme.

Along with Bank Relationship theme, Bank had produced some more TVCs on Bank's products, viz. SME, Education, Home Loan and Auto Loan and the same were aired widely in major TV channels including national, regional, sports channels etc. to have wide publicity and brand image for the Bank during March 2011 – June 2011. The TV campaign was highly appreciated by the customers and staff and also by non customers as per feedback received.

Bank has also been advertising various products in newspapers, magazines, hoardings, banners, bus panels, trains, glow signs at railway stations, events and sponsorships, leaflets and brochures. Bank's endeavour is focused on building brand image, increasing the visibility and better marketing of various products through effective publicity.

## OPERATIONAL EXCELLENCE

### Commitment towards Customers

The Bank reiterates its commitment to customer service through customer centric approach to achieve the goals set under SANKALP 10,000.

The Bank has been a voluntary member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) since its inception in 2006, to emphasise its customer orientation and commitment to provide service of a high order in a transparent manner, supplying the customer with the necessary information to take an informed decision. BCSBI revised Code 2009 was also adopted by the Bank and displayed on website. Copies of the revised code are distributed among customers for their information.

The Bank has adopted various customer centric policies formulated by IBA – like Deposit Policy, Cheque Collection Policy, Grievance Redressal Policy, Compensation Policy, Recovery of Dues and Security Repossession Policy, Simplified Procedure for Settlement of Dues in Deceased Depositors Accounts and Delivery of Contents from Safe Custody and SDV Lockers in case of Deceased Constituents.

The Bank took the following initiatives during the year to enhance customer service at branches :

- A short film on desired staff behaviour shot entirely within the Bank premises is being shown to the participants attending training courses conducted at Staff Training Centres all over India.
- Root cause analysis of complaints is being done at half yearly intervals to identify problem areas and initiate corrective steps.
- Zonal Offices have been authorized to carry out root cause analysis and to reduce the grievance redressal time, identify critical areas, take prompt corrective steps and thus help enhance customer satisfaction.
- With the increased emphasis on use of electronic mode of communication, the turn - around time for complaints is being compressed to 10 days in majority of the cases.
- Web based Customer Complaint Management System (CCMS) is revamped to generate analytical reports to help reduce turn around time in grievance redressal and initiate remedial steps in time.
- Customer service and grievance redressal week has been celebrated twice during the year to draw the customers and staff closer and bring about changes, if any, for improved customer service.
- Compliance with various customer friendly measures by branches is being periodically assessed through the visits of officers from Zonal Audit Offices and necessary corrective steps are being taken promptly thereafter.
- Clean note policy of RBI is being implemented through introduction of latest note sorting machines/note authentication machines.
- All customer centric information mandatorily required, is displayed on the website for the benefit of customers and is made available at the branches.
- Various channels are offered to customers for airing their grievances, including e-mail, phone.
- Bank is issuing personalized Cheque books in 3500 branches and it is proposed to cover the remaining branches before 30.06.2012.
- Bank has covered 2250 branches where WELCOME Kits are provided to Bank customers for making available ATM cards and Internet Facility at the time of opening of the accounts without any wait period.

### RISK MANAGEMENT & CONTROL

Risk is an integral element of the activities of any bank. Accordingly, the purpose of the risk control function is not only to minimize risks but also to ensure that the institution properly identifies measures and handles risks and prepares adequate reports on all these efforts so that the extent of risks, which have occurred, should not endanger the continuity of operations. With this in mind the bank has established and operates mechanisms, which ensures the ongoing assessment of relevant risk types on an individual basis and of the overall risk position of the bank

Risk Management is a Board driven function in the Bank with the Risk Management Committee of the Board at the apex level supported by operational level committees of top executives for managing various risks. The process of risk management consisting of various stages i.e. identification, measurement, monitoring and control, is covered in the policies for Enterprise Wide Risk Management, Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Derivatives, ALM, Foreign Exchange and Dealing room operations. These stages constitute a control cycle, which also involves feedback and feed forward loops.

The identification, definition and recording of all potential risks, in all activities and products is done through detailed analysis and vetting the same by the operational level risk committees and task forces. Risk profiling of the bank is also done on a quarterly basis. Various tools and systems like prudential limits, new Basel Compliant credit Rating Models, Credit Audit, VaR models for market risks, Risk control and Self assessment exercise coupled with tracking of Key Risk Indicators for operational risk have been introduced for assessing/measuring the identified risks. Data warehousing project to provide comprehensive data for analysis is implemented. The Bank is implementing Credit Risk Management Software which will help the bank in improving the data quality and completeness and upgrading its Risk Management systems.

The Bank has migrated to computation of capital adequacy under New Capital Adequacy Framework (Basel II) based on Standardised Approach for Credit and Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk as per RBI guidelines effective 31.03.2008.

The Bank undertakes Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a yearly basis for assessment/ measurement of various risks, the limits of its risk-bearing capacity and appropriate level of internal capital in relation to the risks and the Risk Appetite. Stress Testing Process is in place for enhancing risk assessment by providing the bank a better understanding of the likely impact even in extreme circumstances. Going forward, this exercise is expected to render an objective basis for decision making both to the risk control function and to the entire institution and also for assessing the performance of the independent control function.

As per the roadmap prepared the Bank is also preparing for migration to more sophisticated approaches for enhancing the effectiveness and robustness of risk management systems.

## INFORMATION TECHNOLOGY

### Branch Automation

All branches of the Bank are on Core Banking Solution (CBS) and new branches are directly opened under the CBS platform. All these branches are RTGS/NEFT enabled. Bank opened 141 new branches directly in CBS and also installed 117 new ATMs on Bank's Foundation day i.e. 07.09.2011.

Besides the regular banking modules your Bank has ensured that even ancillary portfolios viz. Government Business, Safe Deposit Vault, PPF, SCSS, (Senior Citizen Savings Scheme) Government bonds are seamlessly integrated under CBS platform ensuring one-stop-shop for everyone avoiding hopping between various systems. Bank has implemented Straight Through Processing (STP) between CBS and various Payments Systems/other applications to eliminate the need for data entry at multiple systems & hence ensuring integrity & reliability of data. This has also ensured auto reconciliation of these entries within the system itself.

The following customer centric enhancements have been implemented:

- Online Nomination facility while creating online Term Deposit Receipt. Online Nomination facility has also been extended to existing term deposit receipts.
- Statement of Account for HNI customers by password protected e-mail in PDF format.
- Launched "Banking Through Mobile" (BTM) Service.
- Implementation of School fee module.
- Implementation of Bullion Module.

- Viewing of PPF Account with Bank of India through Internet Banking
- Self Service Kiosk – Barcode enabled Passbook Printing
- Launched Aadhar (UID) based Dhanaadhar Rupay card

### Data Centre

Data Centre, certified with ISO 27001:2005 standard with 1:1 redundancy of physical hardware Infrastructure between primary site to secondary site with the Recovery Time Objective (RTO) of 15 minutes has been successfully established by the Bank. The primary site is situated at Mumbai and Disaster Recover site (DR) situated at Bangalore. The Near Site (NR) has been established with primary site storage replication for zero data loss. All offices, branches and data centres are connected in WAN network with 24 hours dual power supply from two DG-Sets through UPS.

The Data Centre deploys three tier architecture i.e. database, application and web, which are deployed in different high-end servers with latest version of operating systems, RDBMS and applications for better management and performance.

Bank's security and network infrastructure is designed considering availability/capacity requirements. The data centre also has a strong physical security control with Bio metric authentication for critical areas of server and network farms. Dedicated resources working on 24X7X365 days equipped with latest Building Management Systems to control and optimize management of power cooling, Fire protection and data centre infrastructure system is in place. The entire premises is covered with surveillance cameras to monitor 24 X 7 X 365.

The Bank has a fully functional Disaster Recovery Site and Disaster Recovery Drills are planned and executed once every quarter to ensure readiness. The Bank has RTO of 15 minutes to switch over from Primary to DR site operations. One of the innovative ideas of Bank of India was to use the Disaster Recovery set-up for MIS and Report generation purposes. This not only results in optimum utilization of both the DC and DR resources, but also ensures that all these resources also get constantly tested in the process.

Bank of India also has a Global Processing Centre (GPC) at Singapore to connect all its overseas Branches to a central hub and enable processing for all its foreign branches. It is a 24 X 7 central hub catering IT related requirements of 24 foreign branches from Japan in the east to USA in the West. Disaster Recovery Hot Sites with identical hardware and suitable software that do online replication of data from Data Centre to DR Site have been setup. One disaster Recovery setup is in Singapore and the other at Mumbai. The transactions are being replicated on real time basis at



both DR sites. DR drills to ensure high availability of the system are being conducted on regular basis.

#### SMS Alerts - Star Sandesh

As a fraud prevention measure, SMS alerts are generated and provided to all customers who have registered their mobile number with the Bank for

- All Debit transactions from delivery channels (Internet banking/ATM/POS).
- All Customer induced debit & credit transactions of ₹ 10,000/- and above.
- All Debit ECS transactions of ₹ 10,000/- and above.
- All Debit RTGS transactions.
- Acknowledgment on accepting the cheque book issue request.
- Alerts for installment due in Star Autofin & Housing Accounts.

#### Internet Banking:

A fast and secure internet banking facility is available to customers for utility bill payments, air & rail ticket booking, on-line shopping, inter-bank and intra bank fund transfers.

Bank of India is the first PSU Bank in India to implement Two-factor Authentication (2FA) – Star Token for both Retail and Corporate internet banking customers as an additional security measure. Bank's customers enjoy the convenience of "secured" Anytime, Anywhere, Anyhow hassle free Banking from the comfort of their homes and offices with a click of a mouse.

Some of the features available are:

- Online Interbank Fund Transfer across banks, through Star Connect Internet Banking Services, using RTGS/ NEFT facility
- BOI Star e-Pay for Auto-pay or on-line payment of various utility services / bills
- e-Payment of Direct & Indirect, Central Excise & Service Tax
- Star e-Share Trade to trade in shares.
- e-Freight Payment
- Directorate General of Foreign Trade (DGFT) license fee Online e-Payment
- Online Booking of Railway & Airlines Ticket
- Online Application for Education loan
- On Line facility available to View and Apply Application Supported by Blocked Amount (ASBA) for IPOs from Internet Banking
- Enabling internet banking customers to make online Fixed Deposit.

- Hot Listing/Reset/Unblock/Change of Debit Cum ATM card PIN using Internet Banking password.
- Viewing of Annual Tax Statement (Form 26AS).
- Extended the facility of online e-Payment to the customers holding our Debit-cum-ATM card. This will enable the customers to use their Debit-cum-ATM cards for e-payments in addition to credit card & Internet banking account.
- Online Nomination facility while creating online Term Deposit Receipt as well as for existing Term Deposit Receipts.

#### Automated Teller Machines (ATMs):

The Bank has joined National Financial Switch (NFS) which enables Customers to access more than 85,000+ ATMs across the country. Bank is also part of CashTree, BANCS & SBI Group networks. As on 31.03.2012 Bank has 1680 ATMs.

#### Implementation of CBS in Bank sponsored Regional Rural Banks (RRBs):

Bank initiated the process of implementation of CBS in Bank sponsored 5 RRBs during the year to provide "Anytime, Anywhere, Anyhow" banking service to the rural clientele. 100% CBS achieved in all the branches of all the 5 Regional Rural Banks (RRBs). All the branches of 5 RRBs are RTGS / NEFT enabled using BOI infrastructure.

#### Other New Initiatives:

Technology is being leveraged in some important projects viz.

- Financial Inclusion Project – Banking the unbanked sector.
- Solar Power Project – Eco-friendly – Technology Power for Rural Areas.
- V-sat Connectivity Project – Networking / connecting the Rural / Remote locations.
- Collaborative Communication – Virtual classroom sessions / Installation of High definition Audio / Video equipments.
- Installation of Biometric ATMs and ATMs with easy accessibility for the differently abled.
- Credit Application Processing Systems (CAPS).
- Human Resources Management Systems.
- Digital Signages – reforming Bank's Photo & Video advertisements.

#### Awards:

- Best Bank Award for Technologies for Financial Inclusion among Large Banks for the year 2010-2011 conferred by IDRBT

- C-Change Enterprise Awards 2011- Recognising Excellence among CIOs - Best Security Implementation Award awarded by CIOL & DATAQUEST.
- Outstanding Innovation Award conferred on Bank of India by Hughes – Network Service Provider.

### MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

To further reap the benefit of CBS, Bank has also set up the Data Warehouse (DWH) with Data mining solution to enable Decision Support / Management Information System for the Bank & for achieving its Business Intelligence goals more quickly and effectively. With the implementation of this solution, Bank's Data Warehouse is storing daily transactional data from Core Banking System. Bank has simultaneously taken initiatives for refining the quality of the data & with this bank's MIS has become more refined and precise. Bank is generating most of RBI returns, reports to Government of India, MIS reports for internal purpose based on the data in the DWH database. The Dashboard provided to the Top Management is effectively used for monitoring business growth & taking timely corrective actions wherever necessary. Bank has also implemented business analytical tools for achieving business intelligence goals.

### IT Enabled Services:

The ambitious growth plan unveiled by the Bank, under Sankalp 10,000 initiatives, aspires to a high trajectory of growth and profits.

The bold vision has been defined with emphasis on customer centricity, building winning teams by developing superior skills and capabilities and a high performance driven culture, using IT enabled efficient systems and processes.

The Bank possesses the high end technology and has launched a number of IT enabled products.

To intensively harness the immense potential of IT enabled products and market them effectively so as not only to retain the existing customers, but also to acquire new ones, especially the tech savvy young generation a separate IT Enabled Services – ITES Department at HO has been established and include following areas of work:

All IT Enabled Services (ITES)





- Internet Banking
  - Retail
  - Corporate
- Mobile Banking
 


BOI BTM – Interbank Mobile Payment services (IMPS)
- ATMs
- Card Products

— Debit Cards, Credit Cards, Bingo Cards, Gift Cards and Rewards points

- E-Commerce
- E-Pay
- Demat

E-Service and Products have not only become a part of our lives but is increasingly driving our personal and business paths.

- 
 (Banking Through Mobile) facility has being introduced by Bank of India on 19th June, 2011, as an emerging alternate delivery channel for fund transfer. This facility allows Bank of India customers to transfer funds between accounts of Bank of India and also other IMPS registered member banks with National Payment Corporation of India (NPCI) through Mobile phone at any time and from anywhere. The customers can also receive funds in their accounts from other IMPS member banks registered with National Payment Corporation of India. Internation
- 
 Mobile Banking facility can be availed by all Retail Banking customers. The customers can transfer funds upto ₹ 5000/- per day via SMS (unencrypted transactions) and upto ₹ 50,000/- per day through Mobile application (From Java enabled Mobile –end to end encrypted transactions).
- 
**INTERNATIONAL TRAVEL CARD** – has been launched which can be issued in various denominations subject to the purpose of travel. This is the best alternative and substitute of Traveller cheque. It is available in US Dollars currency (at present) with minimum loading of US\$ 250.00, backed by extensive VISA Network. It is valid upto the expiry period mentioned on the Card.
- 
**PENSION AADHAAR CARD** – it is for pensioners of all categories of Central Civil, Defense, Railways and various State Government pensioners and also pensioners of PSUs. It is an ATM cum Debit Card with free issuance of Card (Global Debit Card affiliated to VISA). There are no renewal Charges. There are no charges for using the Card at other Banks' ATMs. There is also a Personal Accidental Death Insurance Cover - Accidental Death Insurance of ₹ 1.00 lakh for pensioner having maximum age 70 years who have availed this product. The Card holders can avail overdraft facility for maximum amount equal to 1 month of the pension amount in their SB account.

- 
**PLATINUM PRIVILEGE INTERNATIONAL DEBIT/CREDIT CARD** – It is a card having photo and signature and hence it can also be used as ID Card. The Card Holder can withdraw cash upto ₹ 50,000/- per day in BOI ATM and at Point Of Sale the limit is ₹ 1,00,000/- per day. It is a Global Debit-cum ATM Card valid internationally. Since it is issued to High Net worth Individuals it is free of charge and there will not be any annual or renewal charges. Debit Card is valid for 5 years, while Credit Card is valid for 3 years.
- LOYALTY REWARDS PROGRAMME.** This programme was launched for Debit Card users to encourage them to divert from ATM Cash withdrawal to POS use. Card holder using debit cards at POS will earn 1 point for every ₹ 100/- spent. Each point earned by the customer will be valued at ₹ 0.25 and calculated at the end of the month. The points so earned can be redeemed at any point of time upto next 36 months from the month of purchase. The redemption of these reward points can be done after threshold limit of 100 points in exchange for various Gift items including over 2 million merchandise and Movie Tickets/Bus Tickets/Air Tickets/ Gift Vouchers. Benefit to the customers: Against withdrawal of cash from ATM, which attracts some cost after limited transactions, customer will be rewarded with points which can be redeemed for exchange of numerous GIFT items.

## HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Human Resources plays an important role in the growth of an organization as it is the human face which is the driving force behind all achievements of the organization.

Management of people begins with recruitment process and sails through various movements, such as, training, placement, performance reviews, promotions etc. In Bank of India, we have nurtured a mutually beneficial relationship with our employees. The employees are being groomed to accept the challenges and come up to the expectations of the Bank.

Bank has added in its workforce 4651 staff in various cadres and scales during the year 2011-12. This includes 2428 Officers, 1682 Clerks and 541 Sub-staff. Out of 2428 Officers recruited, 1657 are General Banking Officers and rest 771 Officers belong to Specialist Cadre. This year, Bank has taken a bold initiative by recruiting General Banking Offices in JMG Scale-I directly from the Campus of IITs. 154 such Officers have been selected in this process. Bank has already started the process for recruitment of another 1800 General Banking Officers in Scale-I and 3149 staff in Clerical Cadre.

Promotion exercise for all the Scales for the year 2011-12 which was initiated on 19.11.2011, concluded on 31.03.2012. 945 General Banking Officers and 131 Specialist Offices from Scale I to Scale II, 896 General Banking Officers and

46 Specialist Officers from Scale II to Scale III, 252 General Banking Officers and 14 Specialist Officers from Scale III to Scale IV, 77 Officers from Scale IV to Scale V, 38 Officers from Scale V to Scale VI and 13 Officers from Scale VI to Scale VII got promoted in this exercise. Besides, 678 staff in Clerical cadre got promoted to Officer Cadre during the year.

Training and grooming is an important step in creating a vibrant organizational culture in which employees are encouraged and motivated to perform their best. It helps in augmenting the competencies of employees and equips them with right skills and knowledge for meeting ever changing business needs of customers in different segments.

The Bank has six training colleges across the country. While the Management Development Institute (MDI), CBD Belapur, Navi Mumbai is Apex level training establishment, four Staff Training Colleges (STCs) are at strategic locations at Bhopal, Chennai, Noida and Kolkata besides one Information Technology Training Centre (ITTC) at Pune. During the year in all 18746 employees of the Bank and 1068 employees from other organizations were imparted training in 963 programmes organized at these colleges.

During the last year 1430 Clerks and 2243 direct recruit officers joined the Bank for whom exclusive Induction training programmes were held at all the Training Colleges. Further Training programmes were also organized for Agriculture Officers, Chartered Accountants, Marketing Executives, and Finance Executives recruited from campus. Each such batch was addressed by General Manager (HR) either at Bank's BKC Auditorium or through Video Conferencing. Two outside Agencies viz. 'M/s Creation of Future' and 'M/s Buyoancee' were engaged for soft skill Development for new Recruits. Pre-recruitment and pre-promotion training programmes were held for eligible persons. Special programmes for lady officers and retiring clerks, officers etc. were also held. A five days programme for newly promoted DGMs was held at IIM Bangalore. For newly promoted AGMs Leadership Development programme was held in 4 batches at our STC-Noida organized outsource agency 'Creation Of Future'. Programmes for other institutions were also conducted at Bank's training facilities. In bourse programme at MDI, Belapur, there was good participation from other Banks. On the job Training was imparted to 64 officers deputed to foreign branches for exposure in International Banking. 481 officers were nominated for training at outside institutions in India and 58 were deputed abroad to attend trainings, conferences and seminars. 20 new faculty members and 3 old faculty members were nominated for 'Train the Trainers' Programme at BIRD, Lucknow.

290 students of different management institutions from Jan, 2012 till date have been approved to do Summer Internship in the Bank. The Bank sponsored 41 candidates

for two years full time Postgraduate Programmes in Banking & Finance at NIBM, Pune. M/s Prism Learning Centre Pvt. Ltd was engaged for conducting a 'Leadership Development Programme under Drucker Management Path Module. Intensive Trainings in Credit & Forex are planned for 500 officers. Till date 90 officers are trained under this scheme. The Bank has introduced e-learning which is expected to gain ground in the coming months. 194 DROs have been enrolled for e-learning through IIBF portal. For in house E-learning module, vendor is finalized for 3 years and programme is expected to commence from April, 2012 and will be made available to Employees under Stardesk.

7 retired officers have been assigned role of mentors to cover 10 centers (3LCBs+5 SME CC+2 CPCs) on pilot basis. Special Programmes/workshops have been conducted for sub-staff in all the Zones. Workshops on BCSBI, High Risk rated branches and Boot Camps for staff of RBCs, SMECCs, MCBs and LCBs were also organized.

All the major activities of the Bank related to Human Resources Development, have been made live under Human Resources Management System. This includes salary processing, leave management, reimbursement of bills, training, terminal benefits, APA, submission of Annual Asset Liabilities returns, application for transfer, promotion etc. This has helped in saving a lot of time and providing the facilities to our staff members in a better way.

Some of the innovative steps, taken by the Human Resources Department during the year are as given below:-

- Preparation of Succession Plan.
- Introduction of Fast track Promotion from Clerical cadre to Officer cadre with the facility of retention at the Zone of their choice.
- Preparation of new Promotion Policy especially designed to take care of filling the gaps at the middle and top management level.
- Setting up a Complaint Committee for Women employees as per the directives of Supreme Court and holding their regular meetings.
- Sanction of 200 additional posts of Special Assistants and increasing the total post from 1000 to 1200.
- Elevation of Category C Head Cashier to Head Cashier Category II.
- Many new modules included in the HRMS and made live during the period including on line submission of APR and Statement of Assets & Liabilities.

- Review of centre-specific policies for 6 overseas centres.
- Provision of Furniture-Fixture to all Officers on long term ownership basis.

### Taarangan

Bank's quarterly House Journal 'Taarangan' is published from HR Department, Head Office. It carries news, views with photographs from inside the Institution along with the write-ups of our staff members, Ex-staff members and their families. We give due publicity to the achievements of Bank's valued Customers in our house journal. We are covering every aspect in general and banking in particular with the information on our new products along with news from financial and general world at large.

During 2011-12, we have carried out many changes in Taarangan in line to our organizational restructuring. We are doing best possible efforts to make it contentwise richer and more readable. We are applauded at many platforms and also are constantly receiving appreciation in the form of Accolades and Certificates from all top organisations such as Rotary Club of Cochin Midtown and Association of Business Communicators of India (ABCI).

### Learning and Development

Learning & Development Department (L&DD) is instrumental in creating a vibrant organizational culture where in employees are encouraged and motivated to perform their best through its continuous training and development programmes and modules, acts as a catalyst in augmenting the competencies of employees and equip them with right skills and knowledge for meeting ever changing business needs of customers in different segments.

The Bank's training system module is live under Human Resource Management system (hrms). This has facilitated on line nomination to various training programmes in the Bank. Incentive schemes are also in place to encourage staff members to upgrade their knowledge and sharpen skills for passing various examinations conducted by the Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) and other reputed institutions.

### Compliance with Reservation Policy

The Bank is complying fully with the reservation policy of the Government of India. Special Recruitment and SC/ST Cells at Head Office / Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policy and redressal of grievances relating to SC/ST/OBC Employees.

Pre-Recruitment Training and Pre-Promotion Training from clerical cadre to General Banking Officers cadre and within the Officer cadre from Scale - I to Scale - II, Scale II to Scale III are imparted to SC/ST candidates / staff. Details of



such pre-recruitment and pre-promotion trainings imparted to SC/ST employees during the year, 2011-12 are as under:

(Provisional)

Sr. No	Cadre	Pre-Recruitment			Pre-Promotion				
		No. of Programmes conducted	Duration period of Programme	No. of Persons Trained	No. of Programmes conducted	Duration period of Programme	No. of Persons Trained		
				SCs	STs		SCs	STs	
a)	Officers	6	6 days	185	53	29	6 days	530	234
b)	Clerks	-	-	-	-	8	6 days	194	59
c)	Sub-Staff	-	-	-	-	13	6 days	145	52

The Bank has designated officers of the rank of General Managers as Chief Liaison Officers for OBCs and SCs/STs respectively at Head Office. Officers belonging to SC/ST/OBC categories are designated as Liaison Officers / Cell Officers at Zonal Offices. In terms of the Government guidelines, Post-based Reservation Rosters maintained at Head Office/ Zonal Offices are inspected annually. SC/ST Cells established at Head Office and Zonal Offices are also associated with implementation of reservations in respect of other categories like Ex-servicemen / Persons with disability etc.

**Representation of SC/ST/OBCs in Total Staff Strength (Indian)**

(Provisional)

March 2012	Officers	Clerks	Sub-Staff	Total
SC	2817	2703	2874	8394
% to total Staff in Indian Offices	16.86	16.06	36.59	20.53
ST	1196	1411	814	3421
% to total Staff in Indian Offices	7.16	8.38	10.36	8.37
OBC	1544	1310	1088	3942
% to total Staff in Indian Offices	9.24	7.78	13.85	9.64

**LEGAL**

The Legal Department of Bank guides the various offices/ branches and subsidiaries/foreign centres of the Bank on the legal issues upon reference being made by them. The Department also does drafting and vetting of various documents in respect of lending and other contracts entered into by the Bank. The Department also assists the various offices/branches in connection with recovery in suit filed matters and/or through action under the SARFAESI Act.

In addition to the same, the Department also guides the Zones and other offices for proper implementation of the Right to Information Act. Bank also has a Central Public Information Officer and Appellate Authority at the Head Office and also at the various NBGs/DM offices/LCBs and Zones to attend to requests received under the RTI Act. The vital information about Bank required under the Right to Information Act is placed on Bank's website.

**PREMISES DEPARTMENT**

Premises department is entrusted with the work of creating immovable assets both commercial buildings & residential bungalows and flats and furnishing of Bank's branches and offices for better customer service and working environment. The department is also dealing with matters of branch / office premises taken on lease basis.

- Purchase of 139 flats at Navi Mumbai for transferee officers
- Purchase of a plot of land for Zonal Office & residential quarters at Agra (UP)
- Purchase of 24 residential flats at Keonjhar (Odisha)
- Purchase of premises for Ponda branch (Goa)
- Completion of construction of Zonal Office building at Goa
- Completion of construction of Ramdas Nayak Marg (Hill Road) branch premises.
- Completion of construction of Parur branch premises.
- Furnishing of 650 branches as per Uniform Furnishing Pattern.

The construction work of 2nd Corporate Building at Bandra - Kurla Complex, Mumbai, Mumbai North Zonal Office & Andheri branch premises, Hazaribagh Zonal Office and Amritsar Zonal Office building are in full swing and likely to be completed in the year 2012-13. The construction of Chandigarh Zonal Office building is also ready to be occupied in the year 2012.

The department has also initiated steps for construction of Zonal office buildings and residential flats at Agra, Indore and Ujjain and purchase of flats at New Delhi. Bank has also entered in a Memorandum of understanding (MOU) with Oriental Bank of Commerce (OBC) for joint development of plot of land at Bandra Kurla Complex, Mumbai.

The department is dealing with matters related to 3683 premises taken on lease basis by Bank.

**COMPLIANCE**

Bank of India being a part of the financial world, the guidelines, specifications and standards are set by the Reserve Bank of India. A Compliance Function Policy for the Bank was adopted by the Board on 21.01.2008 as per Reserve Bank of India guidelines. The Policy was further reviewed by Board on 25.5.2011. The reviewed Compliance Policy is displayed on the Bank's website (Staff Portal). An independent Compliance department, headed by a Chief Compliance Officer (of the rank of General Manager), is in operation in the Bank. Compliance of statutory, regulatory and internal guidelines of the Bank is the scope of operation of the compliance function of the Bank.

The department has prepared Compliance Rules in the following areas of branch banking:

Return	Frequency	No. of Rules
Know Your Customer/Anti-Money Laundering/Combating of Financing of Terrorism	Monthly	51
Deposits & Services	Quarterly	62
Advances	Quarterly	63
FEMA	Quarterly	119

At each Zonal Office, Compliance Officer has been identified for monitoring the compliance function of the respective Zone. In respect of foreign Branches, Compliance Officer for each cluster of the foreign centre has been identified for monitoring the compliance function of all the Branches in the centre.

Compliance department, inter-alia, submits the following to the Board/Top Management/Head Office departments:

- quarterly report on the compliance function of the bank to the Board;
- instances of compliance failures to H.O. departments for follow-up/rectification with the respective zones;
- monthly note to Top Management, on the compliance risk faced by the bank;
- gist of the circulars issued by RBI to the Board on a monthly basis;
- compliance of the bank to the various circulars/instructions issued by RBI, to the Audit committee of the Board on a quarterly basis;
- monitors the Calendar of Reviews stipulated by RBI and submits a report to the Board on a quarterly basis on the same;
- in terms of Para 12 (xii) of the Compliance Function Policy, the department is to put up to the Board an Annual Report on its functioning;
- monthly Memorandum to the Board on the State of Preparedness in respect of Major initiatives and the bank's preparedness in areas i.e. KYC/AML/CFT;
- Quarterly Review of implementation of KYC/AML/CFL guidelines is placed to Audit Committee of the Board.
- a half yearly report on the Compliance testing being carried out at selected branches in the bank is put up to the Top Management;

The department handles the Annual Financial Inspection (AFI) of RBI by co-coordinating with Head Office departments. The AFI reports are scrutinised and compliance is submitted to the RBI. The AFI for the year 2010-11 concluded on 27.07.2011 and the replies/compliance to

the Action Points the departments was put up to the Audit Committee of the Board and was submitted to the RBI on 15.11.2011.

The department is also vested with the responsibility of implementing/monitoring Know Your Customer (KYC)/Anti Money Laundering (AML) Measures / CFT Guidelines in the Bank. A full fledged and comprehensive KYC/AML/CFT Policy was approved by Board on 25.5.2011 and the same was then circulated to all zones/branches. The reviewed KYC/AML/CFT Policy is displayed on the Bank's website (Staff Portal). The department has taken up earnestly the task of ensuring compliance with KYC norms in all the existing accounts, as directed by RBI. A suitable notice has been published in leading newspapers in various languages throughout the country, to draw the attention of the KYC non-compliant customers. A separate mandatory field is provided in the Finacle system to facilitate noting of KYC status in each account. Branches are in the process of identifying KYC non-compliant accounts, obtaining KYC documents and suitably updating the Finacle system.

Bank is complying with all the applicable provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act) and the Rules made there under as well as the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) on KYC. Opening of accounts of persons of low income group with simplified KYC norms have been introduced. All the customers have been classified into High, Medium or Low Risk category based on the Risk perception.

Review meeting was conducted by the Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) on 9.11.2011 to assess the compliance of PML Act provisions by the bank. The FIU-IND expressed satisfaction at Compliance level of your Bank.

Initiatives taken by the department during the year 2011-12:

- One session on KYC/AML/CFT is devoted in each training programme at all the training centers;
- A one day workshop was conducted at MDI for the Compliance Officers appointed in Zonal Offices;
- A meeting of General Managers, Compliance Officers and Principle Officers of Regional Rural Banks was held to sensitize them on Compliance and KYC/AML/CFT issues;
- To spread awareness among the staff and to sensitize them about the importance of prompt reporting of suspicious transactions and counterfeit currency transactions and meticulous adherence to KYC/AML/CFT guidelines and other Compliance issues, meetings at various Zones were held. Branch heads, currency chest officers, cashiers-in charge of cash intensive branches attended the meetings and constructive inter-actions took place. Due to the efforts, considerable awareness

is being created among the staff regarding importance of adherence to KYC/AML/CFT guidelines. The position of KYC compliance has improved due to these efforts;

The department is the single point of contact for all the regulatory agencies when they want to communicate with the bank.

## VIGILANCE

The Vigilance machinery of the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) of the rank of General Manager appointed with concurrence of the Ministry of Finance and the Central Vigilance Commission. The CVO is assisted by committed officers having knowledge/ background of investigation and disciplinary action matters as well as banking, for tendering advice to Disciplinary Authorities/ Controlling Authorities in all vigilance cases. The Vigilance Department also focuses on initiation and dissemination of preventive vigilance measures. In this regard, the Bank has now created five separate "Vigilance Units" and also a Separate Fraud Risk Management Department under Risk Management Department to deal effectively with the Operational Risk.

## FRAUD RISK MANAGEMENT

In terms of Board directions, the Fraud Risk Management Department at Head Office is established on 1.11.2011 with a view to handle all matters relating to perpetrated and attempted frauds. The most critical activity of the department is Fraud prevention by way of on line monitoring of alerts with reference to typical transactions conducted in fraud prone areas. The department is presently involved in fraud analysis, fraud reporting to different internal authorities/ committees including Reserve Bank of India and Ministry Of Finance.

The department procures from Data warehouse data on CBS transactions with reference to different pre decided parameters viz. high value transactions in newly opened SB/ CD accounts, transactions in office accounts/ staff accounts for the purpose of analysis and monitoring. On the basis of this data we seek details/ clarifications from the Branches / Zones. This exercise has created awareness amongst the branches/ zones that some department at Head Office is monitoring typical/ abnormal transactions.

For on line alert monitoring, software to facilitate alerts generation and its monitoring on real time basis is being tested in the department. Bank has assigned around 36 scenarios for the purpose of testing the software and after its final approval the monitoring system shall be put in place. It is expected that this system will help in fraud prevention and also create some awareness amongst operating staff for adherence to laid down system and procedures.

## INSPECTION & AUDIT

During the year 2011-12, the department carried out Risk Based Internal Audit, Information System Audit & Revenue Audit at domestic as well as all foreign branches, Currency Chests & Depository Participant Office and Risk Based Management Audit at HO Departments, Zonal Offices, Zonal Audit Offices, Staff Training Centres, MDI, LDM Offices and RRBs. Concurrent Audit was being carried out at 718 domestic branches (including Treasury Branch) & Estate Department, H.O. (for Centralized Payments) by FCAs and at 24 Foreign Branches, Card Products Department, Finance Department, Data Centre and Estate Department, H.O. (for Other Matters) by in-house officers. The total coverage of concurrent audit is 65.64% of total global advances and 52.47% of total global deposits of the Bank against the stipulated level of 50% each. During conduct of various audits at branches, the department detected revenue leakage to the extent of ₹ 6,522.74 crore of which ₹ 6,073.88 crore has already been recovered.

Under the project STARBOOST, Audit Exception Reports (AERs) of 2688 branches were generated and sent to the branches that are subject to RBIA. These reports are sent to the concerned branches 2 months in advance so as to enable the branches to initiate necessary corrective measures before commencement of audit.

Policy of Risk Based Internal Audit of Domestic branches is under revision, and Policies of Risk Based Management Audit (Domestic) and Concurrent Audit were reviewed/revised suitably to a) cover/elaborate the areas that were pointed out in the previous AFI by RBI; b) to fine tune the Policy as per the reorganization of the bank subsequent to SANKALP 10000. Long Form Audit Report of the Bank for the year 2010-11 was attended in time and compliance was reported to Board & ACB. Compliance of Action Points emanated at the meetings of Board/ACB was submitted to ACB/Board in time.

Apart from the routine audit exercise conducted under the auspices of the department the following special assignments were undertaken to meet the special requirements of the bank under the instructions/guidance of the top management.

- o Discretionary Audit was conducted at branches that were rated under 'High Risk and above' to ensure conclusive compliance of observations/ exceptions.
- o Revenue Audit of non-concurrent audit branches was conducted (yearly in case of small/medium branches and half-yearly in case of large and above branches) and a revenue leakage of ₹ 794.56 Crore was detected.
- o Snap Audit of accounts migrated to LCC/MCC branches consequent to implementation of SANKALP 10,000 was conducted to ensure proper transfer of documents.

- o Assessment of impact of preventive vigilance measures was undertaken at branches that were audited (this is being carried out on an ongoing basis).
- o Credit Audit & Loan Review Mechanism was conducted in 3890 accounts spread over to 792 branches.
- o As per RBI-AFI directives, to reconfirm the quality and accuracy of master data in the system, data cleaning exercise was undertaken in 1462 branches covering 83% of the Credit Portfolio resulting in a massive clean-up operation of erroneous data to strengthen the revenue leakage plugging and MIS issues.
- o Snap Audit of accounts involving fraud of more than ₹ 1 Crore was conducted to report on the process and system failures and to suggest remedial measures to prevent recurrence of such frauds.
- o Quality Audit of sanctions by the Zonal Manager was conducted in all zones to assess the quality of appraisal of ZM sanctions and to suggest remedial measures to prevent sanction of weak accounts and quick mortality.

The General Manager and Dy. General Manager attended various Zonal Audit Committee meetings and also with the Chief Incumbent of High risk Rated Branches and render suitable guidance in the matter of ensuing timely compliance/ closure of audit reports and improving audit rating. Meeting of concurrent auditors/internal auditors at Zones were conducted periodically wherein GM & DGM emphasized the need for quality and timely reporting of audit findings.

Full time in-house concurrent auditor was appointed for Data Centre and is assigned, among other duties, the job of verification of interest parameters, application of interest process and checking of interest in sample accounts. The observations of the concurrent auditor are forwarded to IT Department, for compliance. The compliance received from them is put up to Head Office (Audit) Sub-Committee for their noting and further direction, if any.

Regular reporting on all important Audit findings are being made to Top Management, HO (Audit) Sub Committee and ACB as prescribed and the directions thereof are being complied.

**OFFICIAL LANAGUAGE**

In Order to ensure progressive use of Hindi, your Bank has continued its endeavor to achieve the targets as envisaged in the Annual Implementation Programme 2011-12 issued by Government Of India, Ministry Of Home Affairs, Official Language Department., New Delhi. The efforts made in this regard include annual review meet of all Official Language Officers, wherein the performance of Official Language

Officers posted at various zones/offices of the Bank was reviewed.

Necessary training was imparted to the staff members through 149 Hindi workshops organized across the country in order to enable them to carry out their day- to-day Official work in Hindi. A total of 2874 Officers/Clerks were trained in Hindi workshops during the year.

A national seminar on “International Financial Crisis Vs. Indian Economy” in Hindi was conducted at New Delhi on 10th February, 2012 in which papers were presented by employees of various Banks.

As a result of Bank's good performance in the field of Official Language Implementation our following zones received awards :

Awards from Town Official language Implementation Committee (TOLIC)

Puducherry Branch – First prize	Patna – First prize
Kolhapur Zone – First Prize	Bokaro Zone – First prize
Bhubaneshwar Zone – Second Prize	Chennai Zone – First prize
Ahmedabad Zone – Second Prize	Khandwa Zone – Second prize
Ludhiana Zone – Second Prize	Lucknow Zone – Second prize
Raipur Zone – Consolation prize	Agra Zone – Third prize

Government of India, Official Language Department awards.

TOLIC Patna – Convenor – Bank of India – First, Bhubaneshwar Zone – Second Prize.

Circulars & Circular letters are being displayed in bilingual in Bank's Staff portal - Star desk.

Hindi magazine “Sankalpana” is published every quarter which provides a forum to the staff members to express their creative writing in Hindi. Bank's advertisements, press release etc. were published in bilingual in various newspapers and magazines.

**BANK'S SUBSIDIARY / ASSOCIATES**

**Indo Zambia Bank Ltd (IZB)**

IZB is a joint venture of three Indian Banks viz. Bank of India, Bank of Baroda, Central Bank of India and Government of Zambia. Each of the Indian Banks hold 20% of the share capital, whereas Government of Zambia holds 40% of the share capital. Indo-Zambia Bank Ltd is fine example successful joint venture. It enjoys the patronage of two friendly republics, the Government of Republic of Zambia and Government of India.

**Bank of India (Indonesia) Tbk**

Bank of India (Indonesia) Tbk is a wholly owned subsidiary of the Bank with 76% stake.



**Bank of India (Tanzania) Ltd.**

Bank of India (Tanzania) Ltd. is wholly owned subsidiary of the Bank and commenced operations on 16th June 2008 with first branch at Dar-Es-Saleam.

**Bank of India (New Zealand) Ltd**

Bank of India (New-Zealand) Ltd. is wholly owned subsidiary of the Bank with ₹ 176.95 crore paid up capital started operations this year.

**BOI Shareholding Ltd. (BOISL)**

Bank's association with the Capital Market spans a period of nine decades. The clearing and settlement function of Bombay Stock Exchange (BSE) was being handled by the Bank since 1921. In 1989, Bank set-up "BOI Shareholding Ltd. (BOISL)", joint venture with BSE, to manage the clearing house activities of the Stock Exchange. The Bank has holding 51% of its paid up capital of ₹ 2 crore,

The company has been carrying out the rolling and weekly settlements of trades executed by member brokers operating on the Exchange, BOISL is also a Depository Participant (DP) of both the Depositories viz. the National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) and provides depository services to the clearing members and investors. BOISL is the first Securities Clearing House in the country to have been awarded the ISO 9001-2000 ISO Certification.

BOISL earned a net profit of ₹ 268 lakh (unaudited) during 2011-12 as against ₹ 428 lakh earned during 2010-11. The reduction in profit is due to payment of notional sick leave accumulations. R 385 changes relating to transactions (APC) reduced by the company at the request of BSE.

**STCI FINANCE LTD.**

STCI Ltd. is one of the leading Primary Dealers in the country. It was established in 1999 with the objectives of widening the gilt and other debt security market through development of a vibrant secondary market. Bank of India with 29.96% holding is the single largest stakeholder in STCI having Paidup Capital of ₹ 380 crore. The Company is an associate company of the Bank in terms of Accounting Standards 21 (AS-21) of the Institute of Chartered Accountants of India. With a view to ensure the name of the company reflects core business of lending, financing etc. The name of the company from "Securities Trading Corporation of India" has been changed to "STCI Finance Ltd." w.e.f. 24.10.2011.

With growing perception that Primary Dealership by itself is no longer an attractive business, STCI decided to hive off the Primary Dealership business to its new subsidiary namely STCI Primary Dealer Ltd. which commenced its operations from 25th June 2007. The Subsidiary which started on a cautious note has made steady progress since then.

After formation of subsidiary, STCI took up activities of IPO funding, margin funding, commodity future trading, Asset Management, investments in short term corporate loans / CP, equity trading etc.

During the FY 2011-12 the PAT was at ₹ 39.83 crore as compared to a PAT of ₹ 46.68 crore for the FY 2010-11.

Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. (SUDLife)

Bank of India, Union Bank of India and Dai-ichi Mutual Life Insurance Company, Japan have formed "Star Union Dai-ichi Life Insurance Company" to take advantage of the growing insurance market and to provide quality assured insurance to its clients spread across the length and breadth of the country. The company has commenced insurance business since February 2009. BOI holds 48% in the Company's paid up Capital of ₹ 250.00 crore.

Union Bank holds 26% stake and Dai-ichi Mutual Life Insurance Company, Japan holds 26% in addition to the Bank's stake. In terms of the Joint Venture Agreement the Bank had earlier transferred its 3% stake in favour of Union Bank.

**STRATEGIC INVESTMENT / ALLIANCES****Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)**

The Company was promoted in 1997 by the Bombay Stock Exchange, Mumbai and Bank of India along with other Banks. The main objective of promoting CDSL, was to accelerate the pace of dematerialization of scrips, bring wide participation of investors in the capital market and to create a competitive environment as country's second depository. Bank now holds 5.56% stake in the paid-up capital of ₹ 104.50 crore of CDSL. CDSL has paid 10% dividend in FY 2007-08 & 2008-09 and 10% dividend for the year 2011-12.

**ASREC (India) Ltd.**

The Company was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India to undertake securitization and asset reconstruction activities. The company was granted Certificate of Registration by RBI under the SARFAESI Act, 2002 in the second half of FY 2004-05 and has since commenced full-fledged operation. Currently the Bank has holding 26.02% stake, in the equity capital of the company which is ₹ 27.60 crore.

**Credit Information Bureau (India) Ltd.(CIBIL)**

CIBIL is the first credit information bureau in the country, incorporated in August, 2000 for providing credit information and risk analysis services to the Banking and Financial services sectors. The company launched its consumer bureau operations in FY 2004-05 and commercial bureau operations during 2006-07. Bank holds a stake of 5% in the equity share capital of the company.

### Multi Commodity Exchange of India Ltd. (MCX)

MCX is a new generation multi commodity exchange undertaking future trading in multi commodities at the national level. The Exchange commenced operation during FY 2004-05 and within a short span has come up as India's No. 1 Commodity Exchange. It now figures in the world's Top Bullion and Base Metal Exchange. Bank has a nominal stake of 2% by way of equity participation in the capital of MCX with a view to be associated with one of the major commodity exchanges. Bank also handles clearing bank functions of the exchange through Bullion Exchange Branch.

### National Collateral Management Services Ltd. (NCMSL)

National Collateral Managements Services Ltd. is promoted by the National Commodity and Derivates Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. It offers various services for the development of trades on commodity exchange such as valuation, grading, insuring, securing, storing, distributing, clearing and forwarding of securities and commodities etc. Bank holds a stake of 10.17% (₹ 3 crore) in the equity capital of the company, thus providing opportunities to the bank to harness its association with NCMSL for credit lines to its members and clients.

### SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)

SMERA was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet, one of the leading credit rating agencies. SMERA's primary objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easier flow of credit to SME sector. Bank has a nominal stake of 4% in the equity capital of the company.

### Other Strategic Investments

Apart from the above listed major Strategic Investments Bank also has strategic investments in MCX Stock Exchange Ltd (₹ 25 crore), United Stock Exchange Ltd. (₹ 7.50 crore), Equifax Credit Information Services Ltd. (₹ 1.75 crore), U.V. Asset Reconstruction co. Ltd (₹ 15 lakh) Clearing Corporation of India (₹ 50 lakh), Agricultural Finance Corporation Ltd. (₹ 12.60 crore), SIDBI (₹ 45.30 crore), Tourism Finance Corporation Limited (₹ 2.67 crore), Central Ware Housing Corporation Ltd (₹ 1.11 crore), MPCON (₹ 1 lakh) etc.

### Bank's Depository Services

Bank has been offering Depository Services to its customers from all the Branches by leveraging Core Banking Solutions. With a view to adding value to the banking services and making available the numerous benefits depository services, the Bank is offering the services of both the depositories i.e. NSDL and CDSL. In order to offer better services the DP

operations are centralised at Mumbai. To achieve synergies and better utilization of Human resources, Bank's CDSL DPO which was earlier situated at Andheri (West) has been shifted to a spacious premises of Mumbai (Main) Branch during the year and both the DPOs are functioning from the Mumbai Main Branch premises.

The number of active Demat Accounts with the DPOs were 91145 as on 31.03.2012. During the year 2011-12 the Bank earned a gross Income of 293 lakh.

### Star Share Trade (Online Share Trading)

During the recent years Online Share Trading (OLST) has been gaining popularity among Investors in the Stock Markets and the volumes traded has been on an increase. With a view to meet the growing needs of Bank's customers and in order to provide them the comfort of trading in securities on a mouse click, over phone, the Bank had launched Star Share Trade (Online Share Trading) facility by integrating Bank Account, Demat Account and Trading Account of the customers under Tie up arrangement with leading Stock Brokers M/s. Asit C Mehta Investment Intermediates Limited (ACMIIL), the OLST facility is being offered since 2005. This facility has also been made available to the NRI clients and for filing of IPOs.

In order to offer wider choice to the customers and to reach the customers spread across wide geographical area, tie up arrangement with following three more Broking Companies has been launched. Several products are being offered through this Tie up arrangement:

- Ajcon Global Services Limited (AGSL)
- GEPL Capital Private Limited (GCPL)
- Karvy Stock Broking Limited (KSBL)

### Application supported by Blocked Amount (ASBA)

The Bank has been registered with SEBI as a Self Certified Syndicate Bank (SCSB) and IPO applications received under ASBA (physical application) are processed through these designated Branches. The number of designated Branches has increased to 368 as on 31.03.2012, from 361 as on 31.03.2011. Bank's Stock Exchange Branch is the nodal Branch for ASBA. In addition to the above designated Branches. Customers of all other branches who have availed the Internet Banking facility can enjoy the facility of making Online Bid cum Application to ASBA IPO from Star connect Retail Internet Banking.

The following Investors are eligible to apply for IPOs through ASBA:

- i) **In Public Issues:** All Investors except Qualified Institutional Buyers (QIBs) are eligible to apply through ASBA in Public Issues

ii) **In Rights Issues:** All shareholders of the Issuer company Issues as on date provided :

- a) Are holding share in Demat form and have applied for entitlements and/or additional shares in the Issue in Demat form
- b) Have not renounced entitlements in full or in part
- c) Are not a renounce to the Issue

#### **DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT**

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2012,

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

- The accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended on March 31, 2012;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India, and
- The accounts have been prepared on a "going concern" basis.

## कॉर्पोरेट शासन प्रणाली

### शासन प्रणाली कूट पर बैंक का दर्शन :

अपने कारोबार संचालन में नैतिक परिपाटी के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता पर बैंक की कॉर्पोरेट शासन प्रणाली दर्शन संरचित है जबकि प्रयास शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि है। बोर्ड, कार्यपालकों तथा अन्य पदाधिकारियों का पारस्परिक संबंध इस तरह गठित है कि जिसमें स्पष्टतया उनकी विशिष्ट भूमिकाएं चिन्हित हैं तथा विकसित कॉर्पोरेट कार्यनिष्पादन है। बैंक उच्च प्रकटन मानकों तथा पारदर्शिता के अनुसरण में भी प्रतिबद्ध है। बेहतर परिपाटी के अनुसरण में बैंक ने कारोबार के प्रत्येक पक्ष की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

### बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। सामान्य पर्यवेक्षण, बैंक का कारोबार तथा कामकाज का प्रबंधन तथा निदेशन बोर्ड के निदेशक मंडल के पास है जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं।

अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। समीक्षागत वर्ष के अंतर्गत बोर्ड का संयोजन निम्नलिखित था:

श्री आलोक मिश्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री बी. ए. प्रभाकर (15.12.2011 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्री एन. शेषाद्री	कार्यपालक निदेशक
श्री एम. एस. राघवन (01.01.2012 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री तरुण बजाज (21.07.2011 तक)	केन्द्रीय सरकार के नामिती
श्री उमेश कुमार (22.07.2011 से)	केन्द्रीय सरकार के नामिती
श्री जी. महालिंगम (29.05.2011 तक)	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती
श्री प्रमोद के. पंडा (30.05.2011 से)	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती
श्री के. के. नायर (04.05.2011 से)	अंशकालिक अशासकीय निदेशक
श्री नीरज भाटिया (17.10.2011 से)	अंशकालिक अशासकीय निदेशक
डॉ. शांता चावड़ा (18.01.2012 तक)	अंशकालिक अशासकीय निदेशक
श्री हरविंदर सिंह	गैर कामगार कर्मचारी निदेशक
श्री एम. एन. गोपीनाथ (24.10.2011 तक)	शेयरधारक निदेशक
श्री पी. पी. माल्या (24.10.2011 तक)	शेयरधारक निदेशक
श्री उमेश कुमार खेतान (25.10.2011 से)	शेयरधारक निदेशक
श्री प्रमोद भसीन (25.10.2011 से)	शेयरधारक निदेशक
श्री पी. एम. सिराजुद्दीन	शेयरधारक निदेशक

## CORPORATE GOVERNANCE

### Bank's Philosophy on code of Governance :

The Bank's corporate governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value. The interrelation between the Board, the executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

### Board of Directors :

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended from time to time. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.

The Chairman & Managing Director and the Executive Director are appointed by the Central Government. During the year under review the Composition of the Board was as under:-

Shri Alok K. Misra	Chairman & Managing Director
Shri B.A. Prabhakar (Upto 15.12.2011)	Executive Director
Shri N. Seshadri	Executive Director
Shri M.S. Raghavan (From 01.01.2012)	Executive Director
Shri Tarun Bajaj (Upto 21.07.2011)	Nominee of the Central Government
Shri Umesh Kumar (From 22.07.2011)	Nominee of the Central Government
Shri G. Mahalingam (Upto 29.05.2011)	Nominee of Reserve Bank of India
Shri Pramod K. Panda (from 30.05.2011)	Nominee of Reserve Bank of India
Shri K.K. Nair (From 04.05.2011)	Part-Time Non-Official Director
Shri Neeraj Bhatia (From 17.10.2011)	Part-Time Non-Official Director
Dr. Shanta Chavda (Upto 18.01.2012)	Part-Time Non-Official Director
Shri Harvinder Singh	Non-Workmen Employee Director
Shri M.N. Gopinath (Upto 24.10.2011)	Shareholder Director
Shri P.P. Mallya (Upto 24.10.2011)	Shareholder Director
Shri Umesh Kumar Khaitan (From 25.10.2011)	Shareholder Director
Shri Pramod Bhasin (From 25.10.2011)	Shareholder Director
Shri P.M. Sirajuddin	Shareholder Director



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर मंडल में शेष सभी निदेशक बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अंशकालिक अशासकीय निदेशकों के अलावा केंद्रीय सरकार और शेरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक, निदेशक सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अर्थ के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक हैं। कोई भी निदेशक अन्य किसी निदेशक का संबंधी नहीं है।

### वर्ष के दौरान बैंक में कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

#### श्री एम.एस. राघवन, कार्यपालक निदेशक

श्री एम.एस. राघवन, आयु 57 वर्ष, हमारे बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। श्री राघवन मौजूदा समनुदेशन से पूर्व इंडियन ओवरसीज बैंक में महाप्रबंधक थे। उन्होंने 1976 में अधिकारी के रूप में इंडियन ओवरसीज बैंक में सेवारंभ की थी और उन्होंने बैंक में अपने 36 वर्षों के लम्बे कार्य काल के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। श्री एम.एस.राघवन विज्ञान स्नातक और प्रबंधन एवं वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारक हैं और उन्होंने मुख्य रूप से ऋण, परिचालन और आई टी के क्षेत्र में समूचे देश में व्यापक रूप से कार्य किया है।

#### श्री कुट्टप्पन के. नायर

श्री कुट्टप्पन के. नायर अर्थशास्त्र में बीए आनर्स एवं कॉमर्स में डिप्लोमा धारक और सीएआईआईबी हैं। श्री नायर को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य करने का 10 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव है। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सरकार के सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमों में कार्यशील हैं और संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कार्य करते रहे हैं।

#### श्री उमेश कुमार

श्री उमेश कुमार, आईएएस, आयु 53 वर्ष, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 22 जुलाई, 2011 से बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री उमेश कुमार ने कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, राजस्थान वित्तीय कॉर्पोरेशन एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के कमिश्नर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और फिलहाल वे वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थ हैं।

#### श्री प्रमोद के. पंडा

श्री प्रमोद के. पंडा, आयु 54 वर्ष, पोस्ट ग्रेज्यूएट हैं। उन्होंने वित्तीय विनियम (लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स) में एम.एससी. किया है। राजनीतिक विज्ञान में एम.ए किया और विधि में बैचलर डिग्री हासिल की। वे फिलहाल रीजनल डायरेक्टर, भोपाल रीजनल ऑफिस, भारतीय रिजर्व बैंक में तैनात हैं। वे 30.05.2011 से केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में तैनात किए गए हैं।

#### श्री नीरज भाटिया

श्री नीरज भाटिया को सरकार द्वारा, सनदी लेखाकार प्रवर्ग के तहत बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक के रूप में तैनात किया गया है। श्री भाटिया मैसर्स समसन्द एवं एसोसिएट में भागीदार हैं और यह फर्म सभी

All directors, other than the Chairman & Managing Director and the Executive Directors, are non-executive Directors on the Board. The Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government and the part time non official Directors appointed by the Central Government are independent directors within the meaning of Clause 49 of the Listing Agreement. None of the Directors is a relative of other Director.

### BRIEF PROFILE OF THE DIRECTORS WHO JOINED THE BANK DURING THE YEAR

#### Shri M.S. Raghavan, Executive Director

Shri M.S. Raghavan, aged 57 years, is the Executive Director of your Bank. Shri Raghavan was General Manager in the Indian Overseas Bank prior to the current assignment. He had joined Indian Overseas Bank as an officer in 1976, and held several distinguished positions in the Bank's hierarchy in a career spanning 36 years. Science Graduate & Post graduate diploma holder in Management and Financial Management Shri M.S. Raghavan has worked extensively through out the country in the area of Credit, Operations & I.T.

#### Shri Kuttapan K. Nair

Shri Kuttapan K. Nair is B.A (Hons) with Economics and Diploma holder in Commerce and CAIIB. Mr. Nair has the experience of functioning as a Director on the Board of Bank of Baroda for over 10 years. He is also a social worker engaging in the socio-economic programmes of the Government and has been working both in the organized and unorganized sectors.

#### Shri Umesh Kumar

Shri Umesh Kumar, IAS aged 53 years, an Electronics Engineer is a Government Nominee Director of the Bank w.e.f. July, 22, 2011. Shri Umesh Kumar has served in various capacities as collector & District Magistrate, Commissioner of Rajasthan Financial Corporation and Jaipur Development Authority, Joint Secretary Ministry of Commerce and Industry and is presently posted as Joint Secretary Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi.

#### Shri Pramod K. Panda

Shri Pramod K.Panda, 54 years, a post graduate, M.Sc. in Financial Regulation (London School of Economics), M.A. in Political Science and holding a Bachelor degree in law, is currently posted at Regional Director, Bhopal Regional Office, Reserve Bank of India. He has been appointed by the Central Government as a Director of the Bank w.e.f. 30.05.2011.

#### Shri Neeraj Bhatia

Shri Neeraj Bhatia has been appointed by the Government as part time non official Director on the Board of the Bank under Chartered Accountant Category.

प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संगामी/स्टॉक/राजस्व लेखा परीक्षा का काम संभालती रही है। इस फर्म ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सीएजी द्वारा आबंटित लेखा परीक्षाओं को भी संभाला है।

**श्री उमेश कुमार खेतान**

श्री खेतान 25.10.2011 से 3 वर्षों की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने गए हैं। श्री खेतान सॉलिसिटर है और कला में डिग्री धारक हैं। वे खेतान सुड एंड पार्टनर्स के प्रबंध भागीदार हैं। यह फर्म भारत में अग्रणी विधि फर्म है और उसका विधिक मामलों में 4 दशकों का अनुभव है। श्री खेतान शेयरधारक निदेशक के रूप में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में 6 वर्ष (07.09.2005 से 15.09.2011 तक) रह चुके हैं।

**श्री प्रमोद भसीन**

श्री भसीन 25.10.2011 से 3 वर्षों की अवधि के लिए शेयाधारक निदेशक के रूप में चुने गए हैं। श्री भसीन थोमसन मैक्लिन्टोक एंड कंपनी, लंदन से सनदी लेखाकार हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री भी हासिल की है। श्री भसीन ने 1997 में गेनपैक्ट (पहले का जीई कैपिटल इन्टरनैशनल सर्विसेज) संस्थापित किया। वे जून, 2011 तक प्रेसीडेंट एवं सीईओ थे और फिलहाल वाइस चेयरमैन हैं। श्री भसीन का कैरियर जीई और आरसीए में यूएस, यूरोप और एशिया में 25 वर्षों से भी अधिक समय का रहा और वे भारत में और एशिया में जीई कैपिटल में हाल ही तक प्रमुख थे।

Shri Bhatia is a Chartered Accountant and also holds a degree in Science. Shri Bhatia is a partner in M/s Samsand & Associates and the firm has been handling concurrent/stock/revenue audit of all major Public Sector Banks. The firm has also handled audits allotted by CAG for PSUs.

**Shri Umesh Kumar Khaitan**

Shri Khaitan has been elected as Shareholder Director of the bank for a term of 3 years from 25.10.2011. Shri Khaitan is a solicitor and holds a degree in Arts. Shri Khaitan is a the Managing Partner of Khaitan Sud & Partners, a leading law firm in India having four decades of legal experience. Shri Khaitan also served on the Board of other public sector bank as a Shareholder Director for 6 years (from 07.09.2005 to 15.09.2011).

**Shri Pramod Bhasin**

Shri Bhasin has been elected as a shareholder Director for a term of 3 years from 25.10.2011. Shri Bhasin, ia a Chartered Accountant from Thomson McLintock & Co, London and holds a Bachelor of Commerce degree from Delhi University. Shri Bhasin founded Genpact (formerly GE Capital International Services) in 1997. He was the President and CEO till June 2011 and is currently the Vice Chairman. Shri Bhasin's career with GE and RCA spanned over 25 years across U.S., Europe and Asia and was most recently the head of GE Capital in India and in Asia.

**निदेशकों के अन्य विवरण**

**OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS**

निदेशकों के नाम Name of Directors	बैंक के इक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समिति के सदस्य Member of Board Committees	
					सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
1. श्री आलोक मिश्रा Shri Alok K. Misra	400	05.08.2009	बैंकिंग Banking	i) भारतीय आयात निर्यात बैंक ii) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. iii) सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लि. i) Export Import Bank of India ii) BOI Shareholding Ltd. iii) Central Depository Services Limited	-	-
2. श्री एन. शेषाद्रि Shri N. Seshadri	-	01.11.2010	बैंकिंग Banking	i) नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. ii) इंडो जाम्बिया बैंक लि. iii) पी.टी. बैंक ऑफ इंडिया (इंडोनेशिया) टी.बी.के. i) National Payment Corporation Limited ii) Indo Zambia Bank Ltd. iii) P.T. Bank of India (Indonesia) Tbk.	2	-
3. श्री एम.एस. राघवन Shri M.S. Raghavan	-	01.01.2012	बैंकिंग Banking	बीओआई न्यूजीलैंड लि. BOI New Zealand Limited	2	-

निदेशकों के नाम Name of Directors	बैंक के इक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समिति के सदस्य Member of Board Committees	
					सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
4. श्री उमेश कुमार Shri Umesh Kumar	-	22.07.2011	प्रशासन Administration	-	1	-
5. श्री प्रमोद के. पंडा Shri Pramod K. Panda	-	30.05.2011	बैंकिंग Banking	-	1	-
6. श्री नीरज भाटिया Shri Neeraj Bhatia	-	17.10.2011	लेखाकन Accounting	बैंड बरोन मार्केटिंग (पी) लि. किस्ट कॉम्पट्रेड (पी) लि. Brand Baron Marketing (P) Ltd. Crest Comtrade (P) Ltd.	1	1
7. श्री के.के. नायर Shri K.K. Nair	800	04.05.2011	बैंकिंग Banking	-	-	-
8. श्री हरविंदर सिंह Shri Harvinder Singh	200	01.02.2011	बैंकिंग Banking	-	-	-
9. श्री उमेश कुमार खेतान Shri Umesh Kumar Khaitan	100	25.10.2011	विधि Law	1. सूतलेज टेक्सटाइल एवं इंडस्ट्रीज लि. 2. ओरियन्ट अब्रासिवज लि. 3. न्यूमेरो यूनो क्लोथिंग लि. 4. नेहरु प्लेस हॉटेल लि. 5. हिन्दुस्थान एवरेस्ट टूल्स लि. 6. एबीसी पेपर लि. 7. रुनेचा टेक्सटाइल लि. 1. Suttlej Textiles & Ind. Ltd. 2. Orient Abrasives Ltd. 3. Numero Uno Clothing Ltd. 4. Nehru Place Hotels Ltd. 5. Hindustan Everest Tools Ltd. 6. ABC Paper Ltd. 7. Runeecha Textiles Ltd.	1	-
10. श्री प्रमोद भसीन Shri Pramod Bhasin	200	25.10.2011	बीपीओ BPO	1. एनडीटीवी लि. 1. NDTV Ltd.	1	-
11. श्री पी.एम. सिराजुद्दीन Shri P.M. Sirajuddin	600	25.10.2011	प्रशासन Administration	-	1	1

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुपालन में, बैंक ने केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया है।

#### बोर्ड की बैठकों का संचालन :

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की कुल 14 बैठकें आयोजित की गईं:

09.04.2011	02.05.2011	25.05.2011	24.06.2011	25.07.2011	06.08.2011
07.09.2011	30.09.2011	08.11.2011	07.12.2011	15.12.2011	07.01.2012
27.01.2012	24.03.2012				

In compliance of Clause 49 of the Listing Agreement the Bank has considered the Chairmanship/Membership of the Audit Committee and the Shareholder's/Investor's Grievance committee alone.

#### Conduct of Board Meetings :

During the year, 14 Board Meetings were held on the following dates:

बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are as follows:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Recorded	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure
श्री आलोक मिश्रा	Shri Alok K. Misra	14	14
श्री बी.ए. प्रभाकर	Shri B.A. Prabhakar	11	11
श्री एन. शेषाद्रि	Shri N. Seshadri	14	14
श्री एम.एस. राघवन	Shri M.S. Raghavan	2	3
श्री तरुण बजाज	Shri Tarun Bajaj	4	4
श्री उमेश कुमार	Shri Umesh Kumar	8	10
श्री जी. महालिंगम	Shri G. Mahalingam	2	3
श्री प्रमोद के. पंडा	Shri Pramod K. Panda	6	10
श्री के.के. नायर	Shri K.K. Nair	12	12
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	6	6
डॉ. शांता चावड़ा	Dr. Shanta Chavda	10	12
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	14	14
श्री उमेश कुमार खेतान	Shri Umesh Kumar Khaitan	6	6
श्री प्रमोद भसीन	Shri Pramod Bhasin	3	6
श्री पी.एम. सिराजुद्दीन	Shri P.M. Sirajuddin	14	14
श्री एम.एन. गोपीनाथ	Shri M.N. Gopinath	7	8
श्री पी.पी. माल्या	Shri P.P. Mallya	6	8

#### बोर्ड की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है और वह वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टा प्रस्तावों, वार/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। यथा दिनांक 31.03.2012 को इस समिति में 8 सदस्य थे जिनमें अध्यक्ष प्रबंध निदेशक, 2 कार्यपालक निदेशक, सनदी लेखाकार निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती और 3 अंशकालिक अशासकीय निदेशक शामिल हैं।

वर्ष के दौरान बोर्ड प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 31 बैठकें हुईं :

09.04.2011	19.04.2011	28.04.2011	10.05.2011	25.05.2011	16.06.2011	24.06.2011
11.07.2011	18.07.2011	27.07.2011	06.08.2011	20.08.2011	30.08.2011	07.09.2011
16.09.2011	01.10.2011	19.10.2011	02.11.2011	12.11.2011	03.12.2011	15.12.2011
23.12.2011	30.12.2011	07.01.2012	18.01.2012	02.02.2012	11.02.2012	24.02.2012
10.03.2012	19.03.2012	26.03.2012				

#### Management Committee of the Board :

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.3.2012 it comprised of 8 members consisting of the Chairman and Managing Director, 2 Executive Directors, Chartered Accountant Director, nominee of RBI and 3 part time non-official Directors.

The Management Committee of the Board met 31 times during the year on the following dates:



प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित अनुसार है:

Attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि (से-तक) Period (From – To)
श्री आलोक मिश्रा	Shri Alok K. Misra	31	31	01.04.2011 से / to 31.03.2012 तक
श्री बी.ए. प्रभाकर	Shri B.A. Prabhakar	20	21	01.04.2012 से / to 15.12.2011 तक
श्री एन. शेषाद्रि	Shri N. Seshadri	29	31	01.04.2011 से / to 31.03.2012 तक
श्री एम.एस. राघवन	Shri M.S. Raghavan	7	8	01.01.2012 से / to 31.03.2012 तक
श्री जी. महालिंगम	Shri G. Mahalingam	3	5	01.04.2011 से / to 29.05.2011 तक
श्री प्रमोद के. पंडा	Shri Pramod K. Panda	10	19	30.05.2011 से / to 07.01.2012 तक
डॉ. शांता चावड़ा	Dr. Shanta Chavda	11	12	22.07.2011 से / to 18.01.2012 तक
श्री के.के. नायर	Shri K.K. Nair	15	16	02.07.2011 से / to 01.01.2012 तक
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	15	15	17.10.2011 से / to 31.03.2012 तक
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	16	16	01.04.2011 से / to 01.08.2011 तक 19.01.2012 से / to 31.03.2012 तक
श्री उमेश कुमार खेतान	Shri Umesh Kumar Khaitan	7	8	02.01.2012 से / to 31.03.2012 तक
श्री पी.एम. सिराजुद्दीन	Shri P.M. Sirajuddin	20	20	01.04.2011 से / to 01.07.2011 तक 08.11.2011 से / to 31.03.2012 तक
श्री एम.एन. गोपीनाथ	Shri M.N. Gopinath	4	7	02.08.2011 से / to 24.10.2011 तक
श्री पी.पी. माल्या	Shri P.P. Mallya	7	9	01.04.2011 से / to 21.07.2011 तक

#### बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नयी दिल्ली के निदेशों के मुताबिक, देखें उनकी संसूचना दिनांक 05.12.2011 और तत्पश्चात संसूचना संदर्भ सं.13/1/2006-बीओ.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012, बैंक के बोर्ड ने दिनांक 24.03.2012 को हुई अपनी बैठक में बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति गठित की है। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में ₹ 400 करोड़ तक के किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी। ऐसे ऋण प्रस्ताव जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित बैंक के पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों से अधिक के हैं और प्रबंध समिति द्वारा विचार किए जा रहे प्रस्तावों पर विनिर्दिष्ट सीमा अर्थात् ₹ 400 करोड़ तक ऋण अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जाएगा और ऐसी सीमाओं से अधिक के प्रस्तावों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

नयी बनायी गयी इस समिति के सदस्यों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक गण, क्रेडिट के प्रभारी अधिकारी महाप्रबंधक, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करेंगे। समिति की पहली बैठक 30.03.2012 को हुई।

#### बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह एसीबी निदेश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण भी करती है।

#### Credit Approval Committee of the Board:

As per the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their notification dated 5.12.2011 and thereafter communication reference No.13/1/2006-BO.1 dated 31<sup>st</sup> January 2012, the Board of the Bank at its meeting held on 24.03.2012, approved the constitution of Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto ₹ 400 crore. The credit proposals which exceed the power delegated to the officials of the Bank including the Chairman and Managing Director and the credit proposals being considered by the Managing Committee shall be considered by the Credit Approval Committee up to the limit specified i.e. ₹ 400 crore and the credit proposals which exceed such limits shall be considered by the Management Committee.

The members of the newly formed committee are the Chairman and Managing Director, the Executive Directors, The General Manager in-charge of the credit, The General Manager in-charge of finance and the General Manager in-charge of Risk Management. The committee meetings will be chaired by the Chairman and Managing Director of the Bank. The committee first met on 30.03.2012.

#### Audit Committee of the Board :

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit functions of the Bank.

लेखा परीक्षा समिति में 6 सदस्य हैं, अर्थात कार्यपालक निदेशकगण, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामिती निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 2 अंशकालिक अशासकीय निदेशक। श्री नीरज भाटिया बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को लेखा परीक्षा समिति की 10 बैठकें हुईं :

The Audit Committee comprises of 6 members viz. Executive Directors, Government Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 non official part time directors, Shri Neeraj Bhatia is the present Chairman of the Audit Committee of the Board. During the year, the Audit Committee met 10 times on the following dates:

02.05.2011	25.05.2011	24.06.2011	25.07.2011	06.08.2011
08.11.2011	12.11.2011	27.01.2012	27.02.2012	13.03.2012

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्री बी.ए. प्रभाकर	Shri B.A. Prabhakar	7	7	01.04.2011 से / to 15.12.2011 तक
श्री एन. शेषाद्रि	Shri N. Seshadri	9	10	01.04.2011 से / to 31.03.2012 तक
श्री एम.एस. राघवन	Shri M.S. Raghavan	3	3	01.01.2012 से / to 31.03.2012 तक
श्री तरुण बजाज	Shri Tarun Bajaj	3	3	01.04.2011 से / to 21.07.2011 तक
श्री उमेश कुमार	Shri Umesh Kumar	5	7	22.07.2011 से / to 31.03.2012 तक
श्री जी. महालिंगम	Shri G. Mahalingam	2	2	01.04.2011 से / to 29.05.2011 तक
श्री प्रमोद के. पंडा	Shri Pramod K. Panda	4	5	30.05.2011 से / to 07.01.2012 तक
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	5	5	17.10.2011 से / to 31.03.2012 तक
श्री एम.एन. गोपीनाथ	Shri M.N. Gopinath	4	5	01.04.2011 से / to 24.10.2011 तक
श्री प्रमोद भसीन	Shri Pramod Bhasin	2	5	08.11.2011 से / to 31.03.2012 तक

बैंक के तिमाही गैर-लेखा परीक्षित परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और बोर्ड द्वारा स्वीकार किए जाने हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए।

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to the placing before the Board of Directors for adoption.

#### शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति :

कॉर्पोरेट नियंत्रण पर सेबी के दिशानिर्देशों के तहत स्टॉक एक्सचेंज के सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन-पत्र की अप्राप्ति, लाभांश की अप्राप्ति इत्यादि से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए शेयरधारकों / निवेशकों की एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया था। वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त सभी शिकायतों / सदंर्भों का उत्तर दिया गया / निपटाया गया। संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्रायःसात दिनों के अंदर निवेशकों की शिकायतें हल कर दी जाती हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक हैं। बैंक के शेयरधारक निदेशक श्री पी. एम. सिराजुद्दीन इस समिति के अध्यक्ष हैं।

#### Shareholders'/Investors' Grievance Committee :

In compliance of SEBI guidelines on Corporate Governance as provided in clause 49 of the Listing Agreement, Shareholders'/Investors' Grievances Committee has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance sheet, non-receipt of dividends etc. All the references/complaints received from the investors during the year have been replied/redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Executive Directors and two independent Directors. It is headed by Shri P.M. Sirajuddin, Shareholder Director of the Bank.

श्री राजीव भाटिया, कंपनी सचिव, इस उद्देश्य के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

Shri Rajeev Bhatia, Company Secretary, is the Compliance officer of the Bank for this purpose.

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं:

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

24.06.2011	30.09.2011	07.12.2011	10.03.2012
------------	------------	------------	------------

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्री प्रकाश पी. माल्या	Shri Prakash P. Mallya	2	2	01.04.2011 से / to 24.10.2011 तक
श्री.बी.ए. प्रभाकर	Shri B.A. Prabhakar	3	3	01.04.2011 से / to 15.12.2011 तक
श्री एन. शेषाद्रि	Shri N. Seshadri	4	4	01.04.2011 से / to 31.03.2012 तक
श्री एम.एस. राघवन	Shri M.S. Raghavan	1	1	01.01.2012 से / to 31.03.2012 तक
श्री पी.एम. सिराजुद्दीन	Shri P.M. Sirajuddin	4	4	01.04.2011 से / to 31.03.2012 तक
श्री उमेश कुमार खेतान	Shri Umesh Kumar Khaitan	2	2	08.11.2011 से / to 31.03.2012 तक

#### विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

श्री आलोक मिश्रा, श्री बी. ए. प्रभाकर, श्री एन. शेषाद्रि और श्री हरविंदर सिंह दिनांक 14.07.2011 को हुई बैंक की विगत अर्थात पन्द्रहवीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

#### शेयर अंतरण और शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

शेयर अंतरण, लाभांश और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी कार्यकलापों पर कार्रवाई हमारे पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायत/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्नलिखित पते पर रजिस्ट्रार से संपर्क करने का अनुरोध है :

शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि. यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया, 13, ए बी, समहिता वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज के पास, अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072. फोन: 022-67720300, फैक्स: 022-28591568, ई-मेल: sharepro@shareproservices.com

#### अथवा इस पर

शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि., निवेशक संपर्क केन्द्र, 912, रहेजा सेंटर, फ्री प्रेस जर्नल हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं:

स्टार हाउस, 8वीं मंजिल, पूर्वी खण्ड, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. फोन: 022-66684444, फैक्स: 022-66684491, ई-मेल: headoffice.share@bankofindia.co.in

शेयरों के अंतरण एवं हस्तांतरण को अनुमोदित करने का प्राधिकार बैंक के निदेशकों की शेयर अंतरण समिति को प्रत्यायोजित किया गया है। बैंक ऑफ़ इंडिया (शेअर और बैठकें) विनियमन 2007 के संशोधित प्रावधानों के अनुसरण में इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक और दो अन्य निदेशक होते हैं, इस समिति की वर्ष के दौरान 26 बैठकें हुईं। शेयर अंतरण हेतु दिनांक 31.03.2012 तक प्राप्त सभी शेयर प्रमाण पत्रों पर कार्रवाई की गई और प्रेषित किए गए।

#### Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting

Shri Alok K. Misra, Shri B.A. Prabhakar, Shri N. Seshadri, Shri Harvinder Singh attended the last i.e., Fifteenth Annual General Meeting of the Bank held on 14.07.2011

#### Share Transfers and Redressal of Shareholders` Investors` Grievances :

Share Transfers, Dividend/interest payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgement of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact:

Sharepro Services (India) Pvt. Ltd., Unit-Bank of India, 13AB, Samhita Warehousing Complex 2<sup>nd</sup> Floor, Near Sakinaka Telephone Exchange, Off. Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (East), Mumbai - 400 072 Phone: 022-67720300, Fax: 022-28591568, E-mail: sharepro@shareproservices.com

#### OR at

Sharepro Services (India) Pvt. Ltd., Investor Relation Centre, 912, Raheja Centre, Free Press, Journal House, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Share Department at

Star House, 8<sup>th</sup> Floor, East Wing, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, Phone: 022-66684444, Fax: 022-66684491, E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in

The authority to approve transfer and transmission of shares, is delegated to a Share Transfer Committee comprising the Chairman & Managing Director and in his absence Executive Director of the Bank and two other directors in terms of the provisions of Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2007. The Committee met 26 times during the year. All the share certificates received for transfer up to 31.03.2012 have been processed and dispatched.

बेहतर निवेशक सेवाएं मुहैया कराने के लिए और शेयर अंतरण प्रणाली को तीव्र बनाने के विचार से बैंक ने शेयर अंतरणों को प्रोसेस करने के लिए और शेयर अंतरण समिति को मामले रिपोर्ट करने के लिए शेयर अंतरण एजेन्टों को अधिकृत किया है।

For the better investor's services and with a view to speed up the share transfer system, the Bank has authorised the Share Transfer agents to process the share transfers and report the matter to Share Transfer Committee.

**आम सभा की बैठकें :****General Body Meetings :**

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	बैठक का उद्देश्य Purpose of Meeting
1. असाधारण आम बैठक Extra Ordinary General Meeting	24.03.2012 प्रातः 10.30 बजे 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बान्द्रा कुर्ला संकुल, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	पूंजी का निर्गम Issue of Capital
2. असाधारण आम बैठक Extra Ordinary General Meeting	21.10.2011 प्रातः 10.30 बजे 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बान्द्रा कुर्ला संकुल, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	निदेशकों का चुनाव Election of Directors
3. पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक Fifteenth Annual General Meeting	14.07.2011 दोपहर 3.30 बजे 3.30 P.M.	पाटकर कॉन्वोकेशन हॉल, क्वीन्स रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 020. Patkar Convocation Hall, Queens Road, Fort, Mumbai 400 020.	1. लेखों का अनुमोदन 2. लाभांश की घोषणा 3. पूंजी का निर्गम 1. Adoption of Accounts 2. Declaration of Dividend 3. Issue of Capital
4. असाधारण आम बैठक Extra Ordinary General Meeting	17.03.2011 दोपहर 3.30 बजे 3.30 P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बान्द्रा कुर्ला संकुल, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	पूंजी का निर्गम Issue of Capital
5. चौदहवीं वार्षिक आम बैठक Fourteenth Annual General Meeting	14.07.2010 दोपहर 3.00 बजे 3.00 P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बान्द्रा कुर्ला संकुल, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	1. लेखों का अनुमोदन 2. लाभांश की घोषणा 1. Adoption of Accounts 2. Declaration of Dividend
6. तेरहवीं वार्षिक आम बैठक Thirteenth Annual General Meeting	11.07.2009 प्रातः 11.00 बजे 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बान्द्रा कुर्ला संकुल, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	1. लेखों का अनुमोदन 2. लाभांश की घोषणा 1. Adoption of Accounts 2. Declaration of Dividend

**प्रकटन :**

बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 से नियंत्रित होता है। सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि सूचीकृत संस्थाएं जो कंपनियां नहीं हैं लेकिन अन्य संविधियों के अंतर्गत निगमित निकाय हैं (उदाहरणार्थ - निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां आदि) पर सूचीकरण करार का खंड 49 केवल उस सीमा तक लागू होगा जिस सीमा तक वह उनकी संदर्भगत संविधि और उनके नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी तत्संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करें।

**i) निदेशकों का पारिश्रमिक :**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक अशासकीय निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है:

बोर्ड बैठकों के लिए : ₹ 10,000/- प्रति बैठक  
समिति बैठकों के लिए : ₹ 5,000/- प्रति बैठक

**Disclosures :**

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporates (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies etc.) incorporated under other statutes, clause 49 of the listing agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities.

**i) Remuneration of Directors :**

The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the independent directors excepting sitting fees which is as under:

For Board Meeting : ₹ 10,000/- per meeting  
For Committee Meeting : ₹ 5,000/- per meeting



ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो। बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, मंडल और मंडल की उप समितियों की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते जब उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमाम्य निर्गमों आदि की आगम राशियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 1,037.45 करोड़ की टियर 1 बढ़ाने के लिए इक्विटी शेयरों के प्रिफरेंशियल इश्यू के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रतिशेयर ₹ 370.02 की प्रीमियम पर प्रत्येक ₹ 10/- के 2,73,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

निधियां उठाने का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात सुदृढ़ करने हेतु टियर 1 पूंजी प्राप्त करना और बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को सुधारना और इस रकम को इसी उद्देश्य के लिए लगाया है।

iv) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

v) स्टॉक एक्सचेंज के साथ बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा सूचीकरण करार की धारा 47(सी) के अंतर्गत किए गए करार के द्वारा अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन समेलन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयरर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव से प्रत्येक छः माह में एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। यह प्रमाण पत्र बीएसई और एनएसई को 30 दिनों के भीतर जहां इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, प्रेषित किए जाते हैं तथा संचालक मंडल के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

vi) सेबी के परिपत्र सं.डीएवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआईआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार निक्षेपागारों के साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव की फर्म द्वारा तिमाही आधार पर एक सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की जाती है। इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध रहते हैं।

ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review, the Bank has issued 2,73,00,000 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 370.02 per share to Life Insurance Corporation of India by way of Preferential issue of Equity Shares for raising Bank's Tier I Capital of ₹ 1,037.45 crore.

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long-term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

iv) No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

v) As required under clause 47[c] of the listing agreements entered into by Bank of India with stock exchanges a certificate is obtained every six months from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares in the within one month of the lodgement. The certificates are forwarded to BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance and also placed before the Board of Directors.

vi) In terms of SEBI's circular No. D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of capital Report is conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositaries and in the physical form with the total issued/paid up equity capital Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

**संप्रेषण के साधन**

तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम (गैर - लेखा परीक्षित परंतु सांविधिक लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा के अध्वधीन) और लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम अंग्रेजी में इकॉनॉमिक टाइम्स/बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन और मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में सकाळ/नवशक्ति/लोकमत तथा हिंदी भाषा में नवभारत टाइम्स/नवभारत समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) पर भी प्रदर्शित किए गए। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सेबी द्वारा यथा वांछित एवं करारों के सूचीकरण में स्टॉक एक्सचेंज को प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरण व वेबसाइट के अतिरिक्त कोरपफाइलिंग प्रणाली के माध्यम से बैंक ऑफ़ इंडिया अपनी वित्तीय एवं अन्य जानकारी ऑनलाइन फाइल करता है।

**Means of Communication :**

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Economic Times/Business Standard/Financial Express/Business Line in English, Sakal/Navshakti/Lokmat in Marathi (Regional language) and Navbharat Times/Navbharat in Hindi. The results were also displayed on the Bank's website at [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in). The presentations made to institutional investors are also available on Bank's website

As required by SEBI and in the Listing Agreements, Bank of India, files its financial and other information online through Corpfilng system in addition to the physical submission to the Stock Exchange.

**वित्तीय कैलेंडर : 1 अप्रैल, 2012 से**  
**Financial Calendar : From 1<sup>st</sup> April, 2012**

बैंक के वित्तीय परिणामों पर विचार करने और लाभांश की सिफारिश करने के लिए बोर्ड की बैठक Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend	सोमवार 30 अप्रैल, 2012 Monday, 30 <sup>th</sup> April, 2012
16वीं वार्षिक आम बैठक का दिनांक, समय, स्थान Date, Time, Venue of 16 <sup>th</sup> AGM	शुक्रवार, 29 जून, 2012 बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051, Friday, 29 <sup>th</sup> June, 2012. Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
वार्षिक रिपोर्ट के डाक प्रेषण की तारीख Posting of Annual Report	2 से 3 जून, 2012 2 <sup>nd</sup> to 3 <sup>rd</sup> June, 2012
बही बंद करने की तारीखें Book Closure dates	23 से 29 जून, 2012 23 <sup>rd</sup> to 29 <sup>th</sup> June, 2012
परोक्षी फार्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख Last Date for receipt of proxy forms	23 जून, 2012 23 <sup>rd</sup> June, 2012
लाभांश के भुगतान की तारीख (यदि घोषित हुआ) Date of payment of dividend (if Declared)	09 जुलाई, 2012 से from 09 <sup>th</sup> July, 2012
प्रथम 3 तिमाहियों के लिए गैर-लेखा परीक्षित परिणामों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	संबंधित तिमाही के 45 दिनों के भीतर Within 45 days of the relevant quarter.

**स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण**

बैंक के शेयरों का मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि., नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक शेयर कोड निम्नानुसार हैं:

**Listing on Stock Exchanges**

The shares of the Bank are listed on The Mumbai Stock Exchange Ltd. and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई)	The Mumbai Stock Exchange Ltd. (BSE)	532149 / BOI
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA EQ
आईएसआईएन क्रमांक	ISIN Number	INE084A01016

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2012-2013 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

Annual listing fee for 2012-13 has been paid to both of the stock exchanges.

बैंक ने समय-समय पर वचन पत्र के स्वरूप में अपरिवर्तनीय बांड (टियर I एवं II पूंजी) जारी किये हैं उनसे संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है:

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

**बैंक ऑफ़ इंडिया बॉडस – टियर I एवं टियर II पूंजी स्थिति यथा 31.03.2012**

**BANK OF INDIA BOND – TIER I and TIER II CAPITAL POSITION AS ON 31.03.2012**

क्र. सं. Sr.No.	शृंखला का विवरण PARTICULARS OF THE ISSUE		कुल मूल्य (₹ करोड में) TOTAL VALUE (₹ in Crores)	आईएसआईएन नं. ISIN NO.
1.	5.88% बीओआई शृंखला – V-2014	5.88% BOI SERIES – V-2014	350.00	आईएनई / INE084A09050
2.	5.90% बीओआई शृंखला – VI-2014	5.90% BOI SERIES – VI-2014	200.00	आईएनई / INE084A09068
3.	7.10% बीओआई शृंखला – VII-2014	7.10% BOI SERIES – VII-2014	300.00	आईएनई / INE084A09076
4.	7.50% बीओआई शृंखला – VIII-2014	7.50% BOI SERIES – VIII-2014	750.00	आईएनई / INE084A09084
5.	8.00% बीओआई शृंखला – IX-2016	8.00% BOI SERIES – IX-2016	200.00	आईएनई / INE084A09100
6.	9.35% अपर टियर II शृंखला – I-2021	9.35% UPPER TIER II SERIES – I-2021	732.00	आईएनई / INE084A09118
7.	11.15% अपर टियर II शृंखला – II-2023	11.15% UPPER TIER II SERIES – II- 2023	500.00	आईएनई / INE084A09159
8.	8.45% अपर टियर II शृंखला – III-2024	8.45% UPPER TIER II SERIES – III-2024	500.00	आईएनई / INE084A09175
9.	8.50% अपर टियर II शृंखला – IV-2024	8.50% UPPER TIER II SERIES – IV-2024	500.00	आईएनई / INE084A09183
10.	8.54% अपर टियर II शृंखला – V-2025	8.54% UPPER TIER II SERIES – V-2025	1,000.00	आईएनई / INE084A09209
11.	8.48% अपर टियर II शृंखला – VI-2025	8.48% UPPER TIER II SERIES – VI-2025	1,000.00	आईएनई / INE084A09217
12.	10.55% आईपीडीआई बांड – शृंखला I	10.55% IPDI Bonds – Series I	400.00	आईएनई / INE084A09126
13.	10.45% आईपीडीआई बांड – शृंखला II	10.45% IPDI Bonds – Series II	100.00	आईएनई / INE084A09134
14.	10.40% आईपीडीआई बांड – शृंखला III	10.40% IPDI Bonds – Series III	155.00	आईएनई / INE084A09142
15.	8.90% आईपीडीआई बांड – शृंखला IV	8.90% IPDI Bonds – Series IV	400.00	आईएनई / INE084A09167
16.	9.00% आईपीडीआई बांड – शृंखला V	9.00% IPDI Bonds – Series V	325.00	आईएनई / INE084A09191
17.	9.05% आईपीडीआई बांड – शृंखला VI	9.05% IPDI Bonds – Series VI	300.00	आईएनई / INE084A09225
	<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7,712.00</b>	

इन सभी बॉडों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2012-2013 का वार्षिक शुल्क अदा किया है।

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for 2012-2013 to the Stock Exchange.

**ऋण श्रेणी निर्धारण**

बैंक ऑफ़ इंडिया की ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसी यथा 31 मार्च, 2012 निम्नानुसार है:

**CREDIT RATINGS**

Bank of India's Credit rating agencies as at March 31<sup>st</sup>, 2012 are given below:

एजेंसी / Agency	रेटिंग / Rating
मूडीस इन्वेस्टर सर्विस (मूडीस) Moody's Investor Service (Moody's)	बीए 3 Baa 3
स्टैंडर्ड एण्ड पूअर (एस एण्ड पी) Standard & Poor's (S & P)	बीबीबी (-) BBB (-)

एजेंसी / Agency	रेटिंग / Rating
क्रेडिट एनालिसिस एवं रिसर्च लि. (सीएआरई) Credit Analysis & Research Limited (CARE)	सीएआरईएए CAREAAA
सावधि जमा कार्यक्रम हेतु निवेश सूचना एवं ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसी (आईसीआरए) Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Term Deposit Programme	एमएएए MAAA
बांड्स हेतु निवेश सूचना एवं ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसी (आईसीआरए) Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Bonds	एलएए+ LAA+
सीआरआइएसआइएल (क्रिसिल) लि. – बॉन्ड्स हेतु CRISIL Limited – For Bonds	एएए AAA
सीआरआइएसआइएल (क्रिसिल) लि. – जमा प्रमाण पत्र हेतु CRISIL Limited – For Certificate of Deposits	पी 1+ P 1+
ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा. लि. – इश्यूअर रेटिंग Brickwork Ratings India Pvt. Limited – Issuer Rating	बीडब्ल्यूआर एएए BWR AAA
ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा. लि. – बांड्स हेतु Brickwork Ratings India Pvt. Limited – For Bonds	बीडब्ल्यूआर एएए BWR AAA

### शेयरों का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डिमेट) रूप में किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि.(एनएसडीएल) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है।

शेयरधारकों का यथा दिनांक 31.03.2012 को प्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से धारित शेयरों का ब्योरा इस प्रकार है:

### Dematerialisation of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2012 are as under:

	शेयरधारकों की संख्या No. of Share Holders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारण का % % Shareholding
प्रत्यक्ष Physical	113214	44574732	7.77
एनएसडीएल NSDL	73512	165287353	28.81
सीडीएसएल CDSL	30967	363918285	63.42
<b>कुल Total</b>	<b>217693</b>	<b>573780370</b>	<b>100.00</b>



शेयरधारण पैटर्न यथा 31.03.2012  
SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2012

प्रवर्ग कूट Category Code	आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर	Partly paid up shares	आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों की संख्या Number of partly paid up shares	% के रूप में आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों की संख्या As a % of total number of partly paid up shares	कंपनी की कुल शेयरों की संख्या के % के रूप में As a % of total number of shares of the Company
	प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह द्वारा धारित	Held by Promoter/Promoter group	0	0.00	0.00
	पब्लिक द्वारा धारित	Held by Public	0	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

प्रवर्ग कूट Category Code	बकाया परिवर्तनीय प्रतिभूतियां	Outstanding Convertible Securities	बकाया प्रतिभूतियां की संख्या Number of outstanding Securities	बकाया प्रतिभूतियों की संख्या के % के रूप में As a % of total No. of outstanding Con. Securities	प्रतिभूतियों का पूर्ण परिवर्तन मानते हुए कंपनी की कुल शेयरों की संख्या के % के रूप में As a % of total No. of shares of the Company, assuming full conversion of the Securities
	प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह द्वारा धारित	Held by Promoter/Promoter group	0	0.00	0.00
	पब्लिक द्वारा धारित	Held by Public	0	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

प्रवर्ग कूट Category Code	वारंट	Warrants	वारंटों की संख्या Number of warrants	कुल वारंटों की संख्या के % के रूप में As a % of total Number of warrants	वारंटों का पूर्ण परिवर्तन मानते हुए कंपनी के कुल शेयरों के % के रूप में As a % of total Number of shares of the Company assuming full conversion of warrants
	प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह द्वारा धारित	Held by Promoter/Promoter group	0	0.00	0.00
	पब्लिक द्वारा धारित	Held by Public	0	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	वारंटों एवं परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का पूर्ण परिवर्तन मानते हुए कंपनी की कुल चुकता पूंजी	<b>Total paid up capital</b> of the Com- pany, assuming full conversion of warrants and convertible securities	<b>573780370</b>		

प्रवर्ग कूट Cate- gory Code	शेयरधारकों का प्रवर्ग	Category of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या Number of Share- holders	शेयरों की संख्या Total No. of shares	डिमेट स्वरूप में धारित शेयरों की संख्या Number of shares held in demated form	कुल शेयरों की संख्या पर कुल शेयरधारिता का प्रतिशत के प्रतिशत के रूप में Total shareholding as a percentage of total number of shares As a percentage of		बंधक अथवा भारग्रस्त शेयर Shares pledged or otherwise encumbered	
						(क+ख) 1 (A+B) 1	(क+ख+ग) (A+B+C)	शेयरों की सं. Number of Shares	% के रूप में As a %
						(VI)	(VII)		
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)=(VIII) / (IV)* 100	
(क)	प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह 2 की शेयरधारिता	(A) Shareholding of Promoter and Promoter Group 2							
	(1) भारतीय	(1) Indian							
	(क) व्यक्तिगत / हिं. अ.प.	(a) Individuals / H.U.F	0	0	0	0.00	0.00	0	
	(ख) केन्द्रीय / राज्य सरकार	(b) Cental/State Government(s)	1	359884870	359884870	62.72	62.72	0	
	(ग) कारपोरेट निकाय	(c) Bodies Corporate							
	(घ) वित्तीय संस्थाएं / बैंक	(d) Financial Institutions/Banks							
	(ड) कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)	(e) Any Other (specify)							
	उप-जोड (क) (1)	Sub-Total (A) (1)	1	359884870	359884870	62.72	62.72	0.00	
	(2) विदेशी	(2) Foreign							
	(क) अनिवासी वैयक्तिक / विदेशी नागरिक	(a) Non Resident Individuals/ Foreign Nationals							
	(ख) कारपोरेट निकाय	(b) Bodies Corporate							
	(ग) संस्थान	(c) Institutions							
	(घ) कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)	(d) Any Other (specify)							
	उप-जोड (क) (2)	Sub-Total (A) (2)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
	प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की कुल धरिता (क) = (क) (1) + (क) (2)	Total holding of Promoter and Promoter Group (A) = (A)(1)+(A)(2)	1	359884870	359884870	62.72	62.72	0.00	
(ख)	सार्वजनिक शेयरधारिता 3	(B) Public Shareholding 3							
	(1) संस्थान	(1) Institutions							
	(क) म्यूचुअल फंड / यूटीआइ	(a) Mutual Fund / UTI	29	2972373	2971673	0.52	0.52		
	(ख) वित्तीय संस्थाएं / बैंक	(b) Financial Institutions/Banks	19	932073	931473	0.16	0.16		
	(ग) केन्द्रीय / राज्य सरकार	(c) Central / State Government(s)	4	1145671	1145671	0.20	0.20		
	(घ) उद्यम पूंजी निधि	(d) Venture Capital Funds							
	(ड) बीमा कंपनियों	(e) Insurance Companies	45	88208709	60908709	15.37	15.37		
	(च) विदेशी संस्थागत निवेशक	(f) Foreign Institutional Investors	308	84415779	84410779	14.71	14.71		
	(छ) विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक	(g) Foreign Venture Cap. Inv							
	उप जोड (ख) (1)	Sub-Total (B) (1)	405	177674605	150368305	30.96	30.96	N . A.	

प्रवर्ग कूट Cate- gory Code	शेयरधारकों का प्रवर्ग	Category of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या Number of Share- holders	शेयरों की संख्या Total No. of shares	डिमेट स्वरूप में धारित शेयरों की संख्या Number of shares held in demated form	कुल शेयरों की संख्या पर कुल शेयरधारिता का प्रतिशत के प्रतिशत के रूप में Total shareholding as a percentage of total number of shares As a percentage of		बंधक अथवा भारग्रस्त शेयर Shares pledged or otherwise encumbered	
						(क+ख) 1 (A+B) 1	(क+ख+ग) (A+B+C)	शेयरों की सं. Number of Shares	% के रूप में As a %
						(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)=(VIII) / (IV)* 100
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)=(VIII) / (IV)* 100	
(2)	गैर संस्थाएं	(2) Non Institutions							
(क)	कारपोरेट निकाय	(a) Bodies Corporate	1689	3379599	3042699	0.59	0.59		
(ख)	व्यक्तिगत	(b) Individuals							
(i)	₹ 1 लाख तक सामान्य शेयर पूंजी धारक	(i) Holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	214084	29530128	13532796	5.15	5.15		
(ii)	₹ 1 लाख से अधिक सामान्य शेयर पूंजी धारक	(ii) Holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh.	27	986736	986736	0.17	0.17		
(ग)	कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)	(c) Any Other (specify)							
	विदेशी कारपोरेट निकाय	Overseas Corporate Bodies	3	160200	0	0.03	0.03		
	अनिवासी एकल व्यक्ति	Non Resident Individuals	1484	2164232	1390232	0.38	0.38		
	कोई अन्य	Any Other							
	उप-जोड़ (ख) (2)	Sub-Total (B) (2)	217287	36220895	18952463	6.32	6.32	N . A.	N . A.
	कुल सार्वजनिक शेयाधारिता (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)	Total Public shareholding (B) = (B) (1) + (B) (2)	217692	213895500	169320768	37.28	37.28		
	कुल (क) + (ख)	TOTAL (A) + (B)	217693	573780370	529205638	100.00	100.00	N . A.	N . A.
(ग)	कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर और जिसके विरुद्ध डिपॉजिटरी रसीदें जारी की गई हैं	(C) Shares held by Custodians and against which Depository Receipts have been issued	0	0	0	0.00	0.00	N.A.	N.A.
1.	प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह	1 Promoter and Promoter Group	0	0	0	0.00	0.00		
2	सार्वजनिक	2 Public	0	0	0	0.00	0.00		
	कुल जोड़ (क) + (ख) + (ग)	GRAND TOTAL (A)+(B)+(C)	217693	573780370	529205638	100.00	100.00	0.00	0.00

“प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह”  
“Promoter and Promoter Group”

क्र. सं. Sr. No.	शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	धारित शेयरों के विवरण Details of shares held		भारग्रस्त शेयर (*) Encumbered shares (*)			डैल्यूटेड शेयर पूंजी के % के रूप में कुल शेयर (वारंटों एवं परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का पूर्ण परिवर्तन मानते हुए अंडरलैइंग शेयर शामिल) Total shares (including underlying shares assuming full conversion of warrants and convertible securities) as a% of diluted share capital
		धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	कुल जोड़ % के रूप में (क)+(ख)+(ग) As a % of grand total (A)+(B)+(C)	संख्या Number	% के रूप में As a Percentage	उप-शर्त (1)(क) के कुल जोड़ (क)+(ख)+(ग) के % के रूप में As a % of grand total (A)+(B)+(C) of sub-clause (I) (a)	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(XII)
1.	भारत के राष्ट्रपति PRESIDENT OF INDIA	359884870	62.72	0	0.00	0.00	62.72
	<b>कुल / Total</b>	<b>359884870</b>	<b>62.72</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62.72</b>

कुल शेयरों में से 1% से अधिक शेयर धारण करने वाले “पब्लिक” वर्ग के व्यक्ति

Category “Public” and holding more than 1% of the total number of shares

क्र. सं. Sr. No.	शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	धारित शेयरों की संख्या Number of shares held	कुल शेयरों की संख्या पर प्रतिशत शेयर {अर्थात् उपर्युक्त पैरा(1)(क) में उल्लिखित (क)+(ख)+(ग)का कुल जोड़} Shares as a percentage of total number of shares {i.e. Grand Total of (A)+(B)+(C) indicated in statement at para (I) (a) above}	वारंटों के विवरण Details of warrants धारित वारंटों की संख्या No. of warrants held
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	77562768	13.52	
2.	लाज़ार्ड एसेट मैनेजमेंट एलएलसी खाता लाज़ार्ड LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC A/C LAZARD	24404645	4.25	
	<b>कुल / Total</b>	<b>101967413</b>	<b>17.77</b>	

(II) (क) डिपॉजिटरी रसीदों (डीआर) के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(II) (a) Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

स्क्रिप कोड : 532149 SCRIP CODE : 532149		31.03.2012 को समाप्त तिमाही Quarter ended : 31.03.2012		
क्र. सं. Sr. No.	बकाया डीआर प्रकार (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि) Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs. Etc.)	बकाया डीआर की संख्या Number of outstanding DRs	बकाया अंडरलैइंग शेयरों की संख्या डीआर Number of shares underlying outstanding DRs	कुल शेयरों की संख्या के प्रतिशत के रूप में अंडरलैइंग बकाया शेयर डीआर {अर्थात् (क) + (ख) + (ग) का कुल जोड़ जैसा उक्त विवरण के पैरा (I)(क) में उल्लिखित है Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares {i.e. Grand Total of (A)+(B)+(C) indicated in Statement at para (I)(a) above}
		निरंक / NIL		



(II) (ख) डिपॉजिटरी रसीदों (डीआर) की धारिता दर्शाने वाला विवरण जहां “प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह” द्वारा धारित अंडरलैइंग शेयर कुल शेयरों की संख्या के 1% से अधिक हैं

(II) (b) Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares held by “promoter/ promoter group” are in excess of 1% of the total number of shares.

स्क्रिप कोड : 532149 SCRIP CODE : 532149		31.03.2012 को समाप्त तिमाही Quarter ended : 31.03.2012		
क्र. सं. Sr. No.	डी आर धारक का नाम Name of the DR holder	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि) के प्रकार Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs. etc.)	अंडरलैइंग बकाया डीआर शेयरों की संख्या Number of shares underlying out-standing DRs	कुल शेयरों की संख्या के प्रतिशत के रूप में अंडरलैइंग बकाया शेयर डीआर {अर्थात (क) + (ख) + (ग) का सकल कुल जैसा उक्त विवरण के पैरा (I)(क) में उल्लिखित है Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares {i.e.Grand Total of (A)+ (B)+(C) indicated in Statement at para (I)(a) above
		निरंक / N I L		

(II) (क) शेयरधारकों का वोटिंग पैटर्न दर्शानेवाला विवरण, अगर जारीकर्ता द्वारा एक से अधिक श्रेणी के शेयर/प्रतिभूतियां जारी किए गए हों (प्रतिभूति के हर एक श्रेणी - श्रेणी X, श्रेणी Y, श्रेणी Z, के वोटिंग अधिकारों का वर्णन करें)

(II) (a) Statement showing the voting pattern of shareholders, if more than one class of shares/securities is issued by the issuer. (Give description of voting rights for each class of security Class X, Class Y, Class Z)

प्रवर्ग कूट Category Code	शेयरधारक का वर्ग Category of Shareholder	प्रतिभूतियों की हर एक श्रेणी में धारित वोटिंग अधिकारों की संख्या Number of Voting Rights held in each class of securities			कुल वोटिंग अधिकार Total Voting Rights (III+IV+V) (III+IV+V)	कुल वोटिंग अधिकार (VI) Total Voting Rights (VI)	
		श्रेणी X Class X	श्रेणी Y Class Y	श्रेणी Z Class Z		निम्न के % के रूप में (क+ख) As a % of (A+B)	निम्न के % के रूप में (क+ख+ग) As a % of (A+B+C)
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
(क)	प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह (A) Promoter and Promoter Group						
	(1) भारतीय (1) Indian						
	(क) व्यक्तिगत / हिं. अ.प. (a) Individuals / Hindu Undivided Family						
	(ख) केन्द्रीय / राज्य सरकार (b) Central / State Government(s)						
	(ग) कारपोरेट निकाय (c) Bodies Corporate						
	(घ) वित्तीय संस्थाएं / बैंक (d) Financial Institutions / Banks						
	(ङ) कोई अन्य (निर्दिष्ट करें) (e) Any Other (specify)						
	उप-जोड़ (क) (1) Sub-Total (A) (1)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	(2) विदेशी (2) Foreign						
	(क) एकल व्यक्ति (अनिवासी / विदेशी) (a) Individuals (Non Resident / Foreign)						
	(ख) कारपोरेट निकाय (b) Bodies Corporate						
	(ग) संस्थान (c) Institutions						
	(घ) कोई अन्य (निर्दिष्ट करें) (d) Any Other (specify)						
	उप-जोड़ (क) (2) Sub-Total (A)(2)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की कुल धारिता (क) = (क)(1) + (क)(2) Total Shareholding of Promoter and Promoter Group (A) = (A)(1) + (A)(2)						

प्रवर्ग कूट Category Code	शेयरधारक का वर्ग Category of Shareholder	प्रतिभूतियों की हर एक श्रेणी में धारित वोटिंग अधिकारों की संख्या Number of Voting Rights held in each class of securities			कुल वोटिंग अधिकार Total Voting Rights (III+IV+V) (III+IV+V)	कुल वोटिंग अधिकार (VI) Total Voting Rights (VI)	
		श्रेणी X Class X	श्रेणी Y Class Y	श्रेणी Z Class Z		निम्न के % के रूप में (क+ख) As a % of (A+B)	निम्न के % के रूप में (क+ख+ग) As a % of (A+B+C)
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
(ख)	पब्लिक शेयरधारिता (B) Public Shareholding						
	(1) संस्थान (1) Institutions						
	(क) म्यूचुअल फंड / यूटीआई (a) Mutual Funds / UTI						
	(ख) वित्तीय संस्थाएं / बैंक (b) Financial Institutions / Banks						
	(ग) केन्द्रीय / राज्य सरकार (c) Central / State Government(s)						
	(घ) उद्यम पूंजी निधि (d) Venture Capital Funds						
	(ङ) बीमा कंपनियां (e) Insurance Companies						
	(च) विदेशी संस्थागत निवेशक (f) Foreign Institutional Investors						
	(छ) विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (g) Foreign Venture Capital Investors						
	(ज) कोई अन्य (निर्दिष्ट करें) (h) Any Other (specify)						
	उप-जोड़ (ख) (1) Sub-Total (B) (1)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	(2) गैर संस्थाएं (2) Non Institutions						
	(क) कारपोरेट निकाय (a) Bodies Corporate						
	(ख) एकल व्यक्ति (b) Individuals						
	(i) ₹ 1 लाख तक सामान्य शेयर पूंजी धारक (i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh						
	(ii) ₹ 1 लाख से अधिक सामान्य शेयर पूंजी धारक (ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh.						
	(ग) कोई अन्य (निर्दिष्ट करें) (c) Any Other (specify)						
	उप-जोड़ (ख) (2) Sub-Total (B) (2)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	कुल (क) + (ख) TOTAL (A) + (B)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
(ग)	कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर और जिसके विरुद्ध डिपॉजिटरी रसीदें जारी की गई हैं (C) Shares held by Custodians and against which Depository Receipts have been issued						
	कुल जोड़ (क) + (ख) + (ग) GRAND TOTAL (A) + (B) + (C)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

शेयरधारिता का संवितरण यथा दिनांक 31 मार्च, 2012

Distribution of Shareholdings as on 31<sup>st</sup> March, 2012

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या No. of Equity Shares held	फोलियो / Folio		शेयर / Shares	
	संख्या / Nos.	प्रतिशत / %age	संख्या / Nos.	प्रतिशत / %age
Upto 500 तक	211691	97.24	25159982	4.39
501 से / to 1000 तक	4177	1.92	2953794	0.52
1001 से / to 5000 तक	1273	0.58	2724252	0.47
5001 से / to 10000 तक	149	0.07	1097838	0.19
10001 एवं इससे अधिक / & above	403	0.19	541844504	94.43
<b>कुल / Total</b>	<b>217693</b>	<b>100.00</b>	<b>573780370</b>	<b>100.00</b>

शेयर मूल्य / मात्रा : एनएसई में मासिक रूप से उच्च एवं निम्न भाव (कोटेशन) एवं शेयरों के लेन-देन की मात्रा निम्नानुसार है:-


Share Price / Volume : The monthly high and low quotation and the volume of Shares traded on NSE are as under:-

अवधि	Period	अधिकतम रुपये Highest ₹	न्यूनतम रुपये Lowest ₹	शेयरों के लेन-देन की मात्रा Volume of shares traded
अप्रैल, 2011	April, 2011	498.90	452.00	10447353
मई, 2011	May, 2011	468.80	385.30	39965544
जून, 2011	June, 2011	448.15	403.15	13815186
जुलाई, 2011	July, 2011	423.90	382.50	17106817
अगस्त, 2011	August, 2011	391.95	289.30	14595103
सितंबर, 2011	September, 2011	338.95	292.40	13033290
अक्तूबर, 2011	October, 2011	346.00	297.55	9658857
नवंबर, 2011	November, 2011	353.00	316.40	15682766
दिसंबर, 2011	December, 2011	353.80	264.00	10953573
जनवरी, 2012	January, 2012	365.95	261.00	18470924
फरवरी, 2012	February, 2012	408.00	337.20	19121979
मार्च, 2012	March, 2012	394.70	340.00	13002670


यथा 31.03.2012 की अंतिम मूल्य	Closing Price as on 31.03.2012	₹ 362.65 (एनएसई) / (NSE)
बाजार पूंजीकरण	Market Capitalisation	₹ 20,808 करोड़ / crore

व्यापकता आधार वाले संकेतकों की तुलना में कार्यनिष्पादन  
Performance in Comparison to Broad Based Indices

बैंक ऑफ़ इंडिया का शेयर मूल्य तथा निफ्टी  
Bank of India Share Price and Nifty  
दिनांक (from 1.4.2011 से/to 31.3.2012)



बैंक ऑफ़ इंडिया का शेयर मूल्य एवं सेंसेक्स  
Bank of India Share Price and Sensex  
दिनांक (from 1.4.2011 से/to 31.3.2012)



कॉर्पोरेट नियंत्रण के अनिवार्य अनुबंधों के  
अनुपालन का प्रमाणपत्र

शेयर बाजार के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

सूचीबद्ध समझौता के खंड 49 के अनुलग्नक-1 डी में निर्धारित निम्नलिखित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को बैंक ने अपनाया है :

- बैंक के निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की कुल अवधि 9 वर्षों से अधिक नहीं होती।
- बैंक ने 4 निदेशकों वाली निदेशक मंडल स्तरीय पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। यह सभी गैर-कार्यपालक निदेशक हैं।
- बैंक बिना शर्त वित्तीय विवरणी प्रणाली का पालन कर रहा है।
- चयनित गैर-कार्यपालक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए बैंक ने मंडल स्तरीय नामांकन समिति का गठन किया है। इस समिति के संदर्भ के निबंधन राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडल के चयनित निदेशकों हेतु "दुरुस्त और उचित" मानदंड भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार हैं।

Certificate of compliance of mandatory stipulations of  
Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, regarding compliance of mandatory stipulations of corporate governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.

The Bank has adopted the following non-mandatory requirements set out in Annexure-1D to the Clause 49 of the Listing Agreement.

- The tenure of Independent Directors on the Board of the Bank is not exceeding in the aggregate, a period of nine years.
- The Bank is having a Board Level remuneration committee of 4 directors. All of them are Non-Executive directors.
- The Bank is under the regime of unqualified financial statements.
- The Bank has formed a Board level Nomination Committee to evaluate the performance of elected Non-Executive directors. The terms of reference of the committee is as per the Reserve Bank of India's directions of "Fit & Proper" Criteria for elected Directors on the Board of Nationalised Banks.

**आभार**

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। श्री बी.ए. प्रभाकर (भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक), एवं बैंक के समस्त निदेशकों जिन्होंने वर्ष के दौरान पद छोड़ दिया है - श्री तरुण बजाज, श्री एम.एन.गोपिनाथ, श्री पी.पी. माल्ल्या, श्री जी. महालिंगम, डॉ शान्ता चावडा, की सेवाओं एवं सहयोग हेतु बोर्ड अपना आभार प्रकट करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं संपर्ककर्ता बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड ग्राहकों एवं शेयरधारकों की असीमित सहायता हेतु आभार तथा बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों के प्रति भी उनकी समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

ए. के. मिश्रा


स्थान : मुंबई  
दिनांक : 07.05.2012

(आलोक मिश्रा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**ACKNOWLEDGEMENT**

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchanges Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board places on record its deep appreciation for the services and contributions made by Shri B.A. Prabhakar (Ex Executive Director), Shri Tarun Bajaj, Shri M.N. Gopinath, Shri P.P. Mallya, Shri G. Mahalingam, Dr. Shanta Chavada, all Directors of the Bank, who have relinquished office during the year. The Board also thanks financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders and also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated services and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors



Place : Mumbai  
Date : 07.05.2012

(Alok K. Misra)  
Chairman & Managing Director



बैंक ऑफ़ इंडिया  
Bank of India **BOI** 


**प्रधान कार्यालय:** स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

**Head Office:** Star House, C-5, 'G' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

## घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचरण संहिता निर्धारित की है, जिसका सार बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों तथा कोर प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2012 की समाप्ति के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 07.05.2012

  
(आलोक मिश्रा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## DECLARATION

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2012.

Place : Mumbai  
Date : 07.05.2012

  
(Alok K. Misra)  
Chairman & Managing Director

## कार्पोरेट नियंत्रण पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

प्रति,  
सदस्यगण,  
बैंक ऑफ़ इंडिया, स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लॉक,  
बान्द्रा-कुर्ला संकुल, बान्द्रा (पू), मुंबई - 400 051.

बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ स्टॉक एक्सचेंज के सूचीकरण करार के खंड 49 में यथा विनिर्दिष्ट कार्पोरेट नियंत्रण की शर्तों का 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा किए अनुपालन का हमने परीक्षण किया है।

कार्पोरेट नियंत्रण की शर्तों का अनुपालन संबंधित प्रबंधन वर्ग की जिम्मेदारी है। कार्पोरेट नियंत्रण की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अंगीकृत कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक हमारा परीक्षण सीमित था। यह लेखा परीक्षा नहीं है और न ही बैंक के वित्तीय विवरण पर मत प्रदर्शन है।

हमारे अधिमत एवं उचित जानकारी तथा हमें प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक द्वारा उपरोल्लिखित सूचीकरण करार में निर्धारित कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शक टिप्पणी के अपेक्षानुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि शेयरधारक तथा निवेशक शिकायत निवारण समिति द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार बैंक के खिलाफ कोई भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है।

हम यह भी कहते हैं कि यह अनुपालन बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में और जिस दक्षता और प्रभावशीलता से प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कार्यकलापों का संयोजन किया है उसके बारे में आश्वासन नहीं है।

The Members of Bank of India,  
Star House, C-5, 'G' Block,  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai - 400 051.

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of India for the year ended 31st March, 2012 as stipulated in Clause 49 of the listing agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the bank for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

As required by the Guidance Note issued by the Institute of Chartered Accountants of India, we have to state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the bank as per the records maintained by the Shareholders' and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते अग्रवाल एंड सक्सेना  
सनदी लेखाकार  
(फर्म पंजी. सं. 002405C)

कृते कर्नावट एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
(फर्म पंजी. सं. 104863W)

कृते चतुर्वेदी एंड शाह  
सनदी लेखाकार  
(फर्म पंजी. सं. 101720W)

For Agarwal & Saxena  
Chartered Accountants  
(Firm Reg. No. 002405C)

For Karnavat & Co.  
Chartered Accountants  
(Firm Reg. No. 104863W)

For Chaturvedi & Shah  
Chartered Accountants  
(Firm Reg. No. 101720W)

(अनिल के. सक्सेना)  
भागीदार  
एम.नं. 71600

(शशिकांत गुप्ता)  
भागीदार  
एम.नं. 45629

(वितेश डी. गांधी)  
भागीदार  
एम.नं. 110248

(Anil K. Saxena)  
Partner  
M. No. 71600

(Shashikant Gupta)  
Partner  
M. No. 45629

(Vitesh D. Gandhi)  
Partner  
M. No. 110248

कृते एल.बी.झा एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
(फर्म पंजी. सं. 301088E)

कृते शंकरन एंड कृष्णन  
सनदी लेखाकार  
(फर्म पंजी. सं. 003582S)

कृते एसआरबी एंड एसोशिएट्स  
सनदी लेखाकार  
(फर्म पंजी. सं. 310009E)

For L.B. Jha & Co  
Chartered Accountants  
(Firm Reg. No. 301088E)

For Sankaran & Krishnan  
Chartered Accountants  
(Firm Reg. No. 003582S)

For SRB & Associates  
Chartered Accountants  
(Firm Reg. No. 310009E)

(के.के. भांजा)  
भागीदार  
एम.नं. 14722

(एम.के. कुमार)  
भागीदार  
एम.नं. 202092

(संजीत पात्रा)  
भागीदार  
एम.नं. 056121

(K.K. Bhanja)  
Partner  
M. No. 14722

(M.K. Kumar)  
Partner  
M. No. 202092

(Sanjeet Patra)  
Partner  
M. No. 056121

मुंबई,  
30<sup>th</sup> अप्रैल, 2012

Mumbai,  
30<sup>th</sup> April, 2012

**31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार  
तुलन पत्र**

**एवं**

**31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का  
लाभ एवं हानि खाता**

**Balance Sheet**

**As at 31<sup>st</sup> March, 2012**

**&**

**Profit and Loss Account**

**For the year ended 31<sup>st</sup> March, 2012**

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र  
BALANCE SHEET AS AT 31<sup>st</sup> MARCH, 2012

		(000's छोड़े गए हैं Omitted)	
	अनुसूची संख्या Schedule No.	यथा As at 31-03-2012 को ₹	यथा As at 31-03-2011 को ₹
<b>I. पूंजी और देयताएं</b>	<b>CAPITAL AND LIABILITIES</b>		
पूंजी	Capital	5,745,195	5,472,195
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	203,872,653	167,434,602
जमाराशियाँ	Deposits	3,182,160,332	2,988,858,063
उधार	Borrowings	321,142,250	220,213,756
अन्य देयताएँ तथा प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	132,434,284	129,746,875
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3,845,354,714</b>	<b>3,511,725,491</b>
<b>II. आस्तियाँ</b>	<b>ASSETS</b>		
भारतीय रिज़र्व बैंक में	Cash and balances with Reserve	149,867,100	217,824,332
नकदी और शेष	Bank of India		
बैंकों में शेष और मांग पर	Balances with Banks and money		
तथा अल्प सूचना पर धन राशि	at call and short notice	197,245,445	155,275,558
निवेश	Investments	867,535,861	858,724,176
अग्रिम	Advances	2,488,333,442	2,130,961,817
अचल आस्तियाँ	Fixed Assets	27,715,922	24,807,363
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	114,656,944	124,132,245
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3,845,354,714</b>	<b>3,511,725,491</b>
आकस्मिक देयताएँ	Contingent Liabilities	1,911,297,103	1,635,305,789
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection	192,984,560	126,748,343

ऊपर बताई गई अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

तुलन-पत्र बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए' के अनुसार तैयार किया गया है।

The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

**निदेशक DIRECTORS**

आलोक मिश्रा Alok K. Misra अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	उमेश कुमार Umesh Kumar के. के. नायर K. K. Nair उमेश कुमार खेतान Umesh Kumar Khaitan	नीरज भाटिया Neeraj Bhatia पी. एम. सिराजुद्दीन P. M. Sirajuddin	हरविंदर सिंह Harvinder Singh प्रमोद भसीन Pramod Bhasin
एन. शेखाद्री N. Seshadri एम. एस. राघवन M. S. Raghavan कार्यपालक निदेशक Executive Directors	सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है। अग्रवाल एंड सक्सेना Agarwal & Saxena सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 002405सी) (Firm Reg No. 002405C) (अनिल के. सक्सेना) (Anil K. Saxena) भागीदार Partner सदस्यता सं. 71600 Membership No. 71600 एल बी झा एंड कंपनी L B Jha & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 301088ई) (Firm Reg No. 301088E) (के.के. भांजा) (K. K. Bhanja) भागीदार Partner सदस्यता सं. 14722 Membership No. 14722	कर्नावट एंड कंपनी Karnavat & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 104863डब्ल्यू) (Firm Reg No. 104863W) (शशिकान्त गुप्ता) (Shashikant Gupta) भागीदार Partner सदस्यता सं. 045629 Membership No. 045629 शंकरन एंड कृष्णन Sankaran & Krishnan सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 003582एस) (Firm Reg No. 003582S) (एम.के. कुमार) (M.K. Kumar) भागीदार Partner सदस्यता सं. 202092 Membership No. 202092	चतुर्वेदी एंड शाह Chaturvedi & Shah सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 101720डब्ल्यू) (Firm Reg No. 101720W) (वितेश डी. गांधी) (Vitesh D. Gandhi) भागीदार Partner सदस्यता सं. 110248 Membership No. 110248 एसआरबी एंड एसोशिएट्स SRB & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 310009ई) (Firm Reg No. 310009E) (संजीत पात्रा) (Sanjeet Patra) भागीदार Partner सदस्यता सं. 056121 Membership No. 056121

मुंबई, 30 अप्रैल, 2012  
Mumbai, 30<sup>th</sup> April, 2012

## 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

## PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	अनुसूची संख्या Schedule No.	को समाप्त वर्ष हेतु	को समाप्त वर्ष हेतु
		For the Year ended 31-03-2012 ₹	For the Year ended 31-03-2011 ₹
<b>I. आय</b>	<b>INCOME</b>		
अर्जित ब्याज	Interest earned	284,806,664	217,517,238
अन्य आय	Other income	33,211,732	26,417,749
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>318,018,396</b>	<b>243,934,987</b>
<b>II. व्यय</b>	<b>EXPENDITURE</b>		
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	201,672,330	139,410,323
परिचालन व्यय	Operating expenses	49,406,581	50,682,387
प्रावधान और आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies	40,164,330	28,955,213
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>291,243,241</b>	<b>219,047,923</b>
<b>III. लाभ</b>	<b>PROFIT</b>		
वर्ष का निवल लाभ	Net Profit for the period	26,775,155	24,887,064
जोड़ें: आगे लाया गया लाभ	Add: Profit brought forward	-	-
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26,775,155</b>	<b>24,887,064</b>
<b>IV. विनियोग</b>	<b>APPROPRIATIONS</b>		
सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve	6,693,789	6,250,000
राजस्व आरक्षित निधि को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve	12,852,324	12,158,730
पंजी आरक्षित निधि को अंतरण	Transfer to Capital Reserve	101,223	49,817
विशेष आरक्षित निधि (से) को अंतरण-करंसी स्वैप	Transfer (from) / to Special Reserve - Currency Swap	(31,941)	(14,437)
अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)	4,659,760	4,442,954
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961	2,500,000	2,000,000
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26,775,155</b>	<b>24,887,064</b>
प्रति शेयर उपार्जन ₹	Earnings Per Share ₹	48.98	47.35

ऊपर बताई गई अनुसूचियाँ लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

लाभ हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'बी' के अनुसार तैयार किया गया है।

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

## निदेशक DIRECTORS

आलोक मिश्रा Alok K. Misra अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	उमेश कुमार Umesh Kumar के. के. नायर K. K. Nair उमेश कुमार खेतान Umesh Kumar Khaitan	नीरज भाटिया Neeraj Bhatia पी. एम. सिराजुद्दीन P. M. Sirajuddin	हरविंदर सिंह Harvinder Singh प्रमोद भसीन Pramod Bhasin
एन. शेषाद्री N. Seshadri	सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।	कर्नावट एंड कंपनी Karnavat & Co. संनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 104863डब्ल्यू) (Firm Reg No. 104863W)	In terms of our report of even date attached
एम. एस. राघवन M. S. Raghavan कार्यपालक निदेशक Executive Directors	अग्रवाल एंड सक्सेना Agarwal & Saxena संनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 002405सी) (Firm Reg No. 002405C) (अनिल के. सक्सेना) (Anil K. Saxena) भागीदार Partner सदस्यता सं. 71600 Membership No. 71600	(शशिकांत गुप्ता) (Shashikant Gupta) भागीदार Partner सदस्यता सं. 045629 Membership No. 045629	चतुर्वेदी एंड शाह Chaturvedi & Shah संनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 101720डब्ल्यू) (Firm Reg No. 101720W) (वितेश डी. गांधी) (Vitesh D. Gandhi) भागीदार Partner सदस्यता सं. 110248 Membership No. 110248
	एल बी झा एंड कंपनी L B Jha & Co संनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 301088ई) (Firm Reg No. 301088E) (के.के. भान्जा) (K. K. Bhanja) भागीदार Partner सदस्यता सं. 14722 Membership No. 14722	शंकरन एंड कृष्णन Sankaran & Krishnan संनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 003582एस) (Firm Reg No. 003582S) (एम.के. कुमार) (M.K.Kumar) भागीदार Partner सदस्यता सं. 202092 Membership No. 202092	एसआरबी एंड एसोशिएट्स SRB & Associates संनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 310009ई) (Firm Reg No.310009E) (संजीत पात्रा) (Sanjeet Patra) भागीदार Partner सदस्यता सं. 056121 Membership No. 056121

मुंबई, 30 अप्रैल, 2012  
Mumbai, 30<sup>th</sup> April, 2012



## तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

यथा As at 31-03-2012 को ₹  
यथा As at 31-03-2011 को ₹

### अनुसूची - 1 : पूंजी

#### प्राधिकृत

300,00,00,000 (विगत वर्ष 300,00,00,000)  
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर

#### जारी और अभिदत्त

57,49,57,470 (विगत वर्ष 54,76,57,470)  
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर  
35,98,84,870 इक्विटी शेयर शामिल (विगत वर्ष  
35,98,84,870) प्रत्येक ₹ 10 के पूर्ण प्रदत्त  
कुल ₹ 359.88 करोड़  
(विगत वर्ष ₹ 359.58 करोड़) केंद्र सरकार द्वारा  
धारित;

#### जोड़ें

#### प्रदत्त पूंजी

पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 57,37,80,370 इक्विटी  
शेयर (विगत वर्ष 54,64,80,370) (प्रिफ़रेंशियल इश्यू  
के रूप में वर्ष के दौरान जारी किए गए 2,73,00,000  
इक्विटी शेयरों सहित)

जोड़ें : जब्त शेयरों की राशि

#### जोड़ें

### SCHEDULE - 1 : CAPITAL

#### AUTHORISED

300,00,00,000 (Previous year 300,00,00,000)  
Equity Shares of ₹ 10 each

30,000,000 30,000,000

#### ISSUED AND SUBSCRIBED

57,49,57,470 Equity Shares (Previous year  
54,76,57,470) of ₹ 10 each including  
35,98,84,870 Equity Shares (Previous  
year 35,98,84,870) of ₹ 10 each fully paid up  
amounting to ₹ 359.88 crores  
(Previous year ₹ 359.88 crores) held by  
Central Government;

5,749,575 5,476,575

#### TOTAL

5,749,575 5,476,575

#### PAID-UP CAPITAL

57,37,80,370 Equity Shares (Previous year  
54,64,80,370) of ₹ 10 each fully paid-up  
(including 2,73,00,000 equity shares issued  
during the year by way of Preferential Issue)  
Add: Amount of shares forfeited

5,737,804 5,464,804

7,391 7,391

#### TOTAL

5,745,195 5,472,195

### अनुसूची - 2 : आरक्षित निधियां और अधिशेष

#### I. सांविधिक आरक्षित निधि

आरम्भिक शेष राशि  
वर्ष के दौरान परिवर्धन

#### जोड़ (I)

#### II. पूंजी आरक्षित निधि :

ए) पूनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि  
आरम्भिक शेष राशि  
जोड़ें: संपत्ति का पूनर्मूल्यांकन  
घटाएं: पूनर्मूल्यांकन के कारण  
मूल्यह्रास/समायोजन

#### (ए) का जोड़

#### बी) अन्य

i) निवेशों की बिक्री पर लाभ  
"परिपक्वता तक धारित"  
आरंभिक शेष राशि  
वर्ष के दौरान परिवर्धन

#### (i) का उप जोड़

ii) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि  
आरंभिक शेष राशि  
जोड़ें (घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन  
(निवल)

#### (ii) का उप जोड़

### SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS

#### I. Statutory Reserve :

Opening Balance  
Additions during the year

46,001,686 39,751,686

6,693,789 6,250,000

#### TOTAL (I)

52,695,475 46,001,686

#### II. Capital Reserves :

#### A) Revaluation Reserve :

Opening Balance  
Add: Revaluation of Property  
Less: Depreciation/adjustments on  
account of revaluation.

13,194,673 14,286,186

— —

835,775 1,091,513

#### Total of (A)

12,358,898 13,194,673

#### B) Others

i) Profit on sale of Investments -  
"Held to Maturity"

Opening Balance  
Additions during the year

8,332,059 8,282,242

101,223 49,817

#### Sub-total of (i)

8,433,282 8,332,059

ii) Foreign Currency Translation Reserve

Opening Balance  
Add/ (Less) : Adjustments during the  
year (Net)

4,608,038 3,453,777

5,056,884 1,154,261

#### Sub-total of (ii)

9,664,922 4,608,038

## तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2012 को ₹	यथा As at 31-03-2011 को ₹
<b>अनुसूची - 2: आरक्षित निधियाँ और अधिशेष (जारी)</b>	<b>SCHEDULE - 2 : RESERVES &amp; SURPLUS (Contd.)</b>	
iii) विशेष आरक्षित निधि - मुद्रा स्वैप आरंभिक शेष राशि वर्ष के दौरान कटौतियाँ (iii) का उप जोड़ (बी) का जोड़ जोड़ (II)	iii) Special Reserve - Currency Swaps Opening Balance Deductions during the year Sub-total of (iii) <b>Total of (B)</b> <b>TOTAL (II)</b>	50,032 (14,437) 35,595 12,975,692 26,170,365
III. शेयर प्रीमियम : आरंभिक शेष राशि परिवर्धन (इक्विटी शेयर का प्रिफरेंशियल इश्यू) जोड़ें : रद्द किए गए जब्त शेयरों पर (III) जोड़	III. Share Premium : Opening Balance Additions (Preferential Issue of Equity shares) Add: On forfeited shares annulled <b>TOTAL (III)</b>	18,455,796 9,886,952 — 28,342,748
IV. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ i) राजस्व आरक्षित निधियाँ आरंभिक शेष राशि वर्ष के दौरान परिवर्धन IV(i) का उप जोड़ ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii)(के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि) आरंभिक शेष राशि वर्ष के दौरान परिवर्धन IV(ii) का उप जोड़ जोड़ (IV)	IV. Revenue and Other Reserves : i) Revenue Reserve : Opening Balance Additions during the year Sub-total of IV(i) ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 Opening Balance Additions during the year Sub-total of IV(ii) <b>TOTAL (IV)</b>	47,561,073 12,158,730 59,719,803 5,200,000 2,000,000 7,200,000 66,919,803
V. लाभ-हानि खाते में शेष : जोड़ (I से V तक)	V. Balance in Profit and Loss Account : <b>TOTAL (I TO V)</b>	— 167,434,602
	<b>203,872,653</b>	<b>167,434,602</b>

## अनुसूची - 3 : जमाराशियाँ

	<b>SCHEDULE - 3 : DEPOSITS</b>	
ए. I. माँग जमाराशियाँ i) बैंकों से ii) अन्य से जोड़ (I)	A. I. Demand Deposits : i) From Banks ii) From Others <b>TOTAL (I)</b>	8,463,286 160,245,197 168,708,483
II. बचत बैंक जमा राशियाँ	II. Savings Bank Deposits	590,967,985
III. मीयादी जमा राशियाँ i) बैंकों से ii) अन्य से जोड़ (III)	III. Term Deposits : i) From Banks ii) From Others <b>TOTAL (III)</b>	175,678,693 2,053,502,902 2,229,181,595
जोड़ ए (I, II, III)	<b>TOTAL A (I, II, III)</b>	2,988,858,063
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ जोड़ (बी)	B. i) Deposits of branches in India ii) Deposits of branches outside India <b>TOTAL (B)</b>	2,529,633,133 459,224,930 2,988,858,063
	<b>3,182,160,332</b>	<b>2,988,858,063</b>

## तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

यथा As at 31-03-2012 को ₹  
यथा As at 31-03-2011 को ₹

### अनुसूची - 4 : उधार

<b>I. भारत में उधार:</b>	
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	
ii) अन्य बैंक	
क. टियर-I पूंजी (आईपीडीआई)	
ख. अपर टियर-II पूंजी	
ग. प्रतिभूतिरहित गैर परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर-II पूंजी के लिए गौण ऋण)	
घ. अन्य	
<b>जोड़ (ii)</b>	
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण	
क. टियर-I पूंजी (आईपीडीआई)	
ख. अपर टियर-II पूंजी	
ग. प्रतिभूतिरहित गैर परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर-II पूंजी के लिए गौण ऋण)	
घ. अन्य	
<b>जोड़ (iii)</b>	
<b>जोड़ (I)</b>	
<b>II. भारत के बाहर से उधार</b>	
क. टियर I पूंजी (आईपीडीआई)	
ख. अपर टियर-II पूंजी	
ग. अन्य	
<b>जोड़ (II)</b>	
<b>जोड़ (I, II)</b>	
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूत उधार	

### SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

<b>I. Borrowings in India :</b>			
i) Reserve Bank of India		37,260	—
ii) Other Banks			
a. Tier I Capital (I.P.D.I.)		5,712,000	6,316,000
b. Upper Tier II Capital		695,000	725,000
c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)		1,083,000	1,083,000
d. Others		3,203,459	1,784,144
<b>Total (ii)</b>		<b>10,693,459</b>	<b>9,908,144</b>
iii) Other Institutions and Agencies			
a. Tier I Capital (I.P.D.I.)		11,088,000	10,484,000
b. Upper Tier II Capital		41,625,000	41,595,000
c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)		16,917,000	16,917,000
d. Others		99,625,893	6,759,312
<b>Total (iii)</b>		<b>169,255,893</b>	<b>75,755,312</b>
<b>Total (I)</b>		<b>179,986,612</b>	<b>85,663,456</b>
<b>II. Borrowings outside India</b>			
a. Tier I Capital (I.P.D.I.)		4,324,457	3,778,684
b. Upper Tier II Capital		12,210,993	10,699,038
c. Others		124,620,188	120,072,578
<b>Total (II)</b>		<b>141,155,638</b>	<b>134,550,300</b>
<b>Total (I, II)</b>		<b>321,142,250</b>	<b>220,213,756</b>
Secured borrowings included in above		—	—

### अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान

I. देय बिल	
II. अंतर-कार्यालय समायोजन - (निवल)	
III. उपचित ब्याज	
IV. आस्थगित कर देयताएं	
V. अन्य	
<b>जोड़</b>	

### SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. Bills Payable	11,587,100	11,250,661
II. Inter-office adjustments (net)	—	—
III. Interest accrued	11,331,895	8,028,658
IV. Deferred Tax Liabilities	10,824,734	7,064,252
V. Others	98,690,555	103,403,304
<b>TOTAL</b>	<b>132,434,284</b>	<b>129,746,875</b>

### अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियाँ

<b>I. हाथ में नकदी</b> (इसमें विदेशी करेंसी नोट और स्वर्ण सम्मिलित है।)	
<b>II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष :</b>	
i) चालू खाते में	
ii) अन्य खातों में	
<b>जोड़ (II)</b>	
<b>जोड़ (I, II)</b>	

### SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

<b>I. Cash in hand</b> (including foreign currency notes and gold)	11,534,386	7,673,536
<b>II. Balances with Reserve Bank of India :</b>		
i) In Current Account	138,332,714	210,150,796
ii) In Other Accounts	—	—
<b>TOTAL (II)</b>	<b>138,332,714</b>	<b>210,150,796</b>
<b>TOTAL (I, II)</b>	<b>149,867,100</b>	<b>217,824,332</b>

## तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

यथा As at 31-03-2012 को ₹  
यथा As at 31-03-2011 को ₹

### अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि

<b>I. भारत में :</b>	
i) बैंकों में शेष	
क) चालू खातों में	
ख) अन्य जमा खातों में	
ii) मांग पर और अल्प सूचना पर धन राशि	
क) बैंकों में	
ख) अन्य संस्थाओं में	
<b>जोड़ (I)</b>	
<b>II. भारत के बाहर :</b>	
i) चालू खातों में	
ii) अन्य जमा खातों में	
iii) मांग पर और अल्प सूचना पर धनराशि	
<b>जोड़ (II)</b>	
<b>जोड़ (I, II)</b>	

### SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

<b>I. In India :</b>			
i) Balances with Banks			
a) in Current Accounts	<b>4,032,127</b>		4,886,335
b) in Other Deposit Accounts	<b>34,111,817</b>		30,865,988
ii) Money at call and short notice			
a) With Banks	-		24,355,780
b) With Other Institutions	-		-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>38,143,944</b>		60,108,103
<b>II. Outside India :</b>			
i) In Current Accounts	<b>11,144,304</b>		2,409,287
ii) In Other Deposit Accounts	<b>109,722,182</b>		67,904,652
iii) Money at call and short notice	<b>38,235,015</b>		24,853,516
<b>TOTAL (II)</b>	<b>159,101,501</b>		95,167,455
<b>TOTAL (I, II)</b>	<b>197,245,445</b>		155,275,558

### अनुसूची - 8 : निवेश

<b>I. भारत में निवेश :</b>	
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	
iii) शेयरों में	
iv) डिबेंचरों और बंधपत्रों में	
v) अनुषंगियों और सहायक कंपनियों में	
vi) अन्य	
<b>जोड़ (I)</b>	
सकल ₹ 83,07,13,994	
(विगत वर्ष ₹ 82,11,41,430)	
घटाएँ : मूल्यहास ₹ 59,56,199	
(विगत वर्ष ₹ 35,23,691)	
<b>II. भारत के बाहर निवेश :</b>	
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	
ii) अनुषंगियों और/या विदेश में संयुक्त उद्यमों में	
iii) अन्य निवेशों में	
<b>जोड़ (II)</b>	
सकल ₹ 4,62,31,019	
(विगत वर्ष ₹ 4,44,89,965)	
घटाएँ : मूल्यहास एवं विनिमय घट-बढ़ ₹ 34,52,953 (विगत वर्ष ₹ 33,83,528)	
<b>जोड़ (I, II)</b>	

### SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

<b>I. Investments in India :</b>			
i) Government Securities	<b>715,705,726</b>		673,433,016
ii) Other approved Securities	<b>718,815</b>		2,300,055
iii) Shares	<b>8,864,165</b>		8,497,104
iv) Debentures and Bonds	<b>51,808,308</b>		27,686,707
v) Subsidiaries and Associates	<b>4,039,427</b>		3,614,727
vi) Others	<b>43,621,354</b>		102,086,130
<b>TOTAL (I)</b>	<b>824,757,795</b>		817,617,739
Gross ₹ 83,07,13,994 (Previous year ₹ 82,11,41,430)			
Less: Depreciation ₹ 59,56,199 (Previous year ₹ 35,23,691)			
<b>II. Investments outside India :</b>			
i) Government Securities (including local authorities)	<b>21,628,097</b>		19,686,062
ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	<b>4,069,822</b>		3,541,493
iii) Other Investments	<b>17,080,147</b>		17,878,882
<b>TOTAL (II)</b>	<b>42,778,066</b>		41,106,437
Gross ₹ 4,62,31,019 (Previous year ₹ 4,44,89,965)			
Less: depreciation and amortisation ₹ 34,52,953 (Previous year ₹ 33,83,528)			
<b>TOTAL (I, II)</b>	<b>867,535,861</b>		858,724,176

## तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

यथा As at 31-03-2012 को ₹  
यथा As at 31-03-2011 को ₹

### अनुसूची - 9 : अग्रिम

ए. i) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण
iii) मीयादी ऋण
जोड़ (ए)
बी. अग्रिमों का विवरण :
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के विरुद्ध अग्रिम शामिल हैं)
ii) बैंक/सरकारी गारंटीयों द्वारा सुरक्षित
iii) अप्रतिभूत
जोड़ (बी)
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :
I. भारत में अग्रिम
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र
ii) सार्वजनिक क्षेत्र
iii) बैंक
iv) अन्य
जोड़ (सी-I)
II. भारत के बाहर अग्रिम :
i) बैंकों से देय
ii) अन्यो से देय
क) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल
ख) समूहनकृत ऋण
ग) अन्य
जोड़ (सी-II)
जोड़ (सी-I, सी-II)

### SCHEDULE - 9 : ADVANCES

A. i) Bills Purchased and Discounted	392,876,368	367,437,669
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,099,367,073	945,644,936
iii) Term Loans	996,090,001	817,879,212
<b>TOTAL (A)</b>	<b>2,488,333,442</b>	<b>2,130,961,817</b>
B. Particulars of Advances :		
i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	1,526,095,072	1,257,282,746
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	438,197,057	370,068,958
iii) Unsecured	524,041,313	503,610,113
<b>TOTAL (B)</b>	<b>2,488,333,442</b>	<b>2,130,961,817</b>
C. Sectoral Classification of Advances :		
I. Advances in India		
i) Priority Sector	561,399,202	548,830,581
ii) Public Sector	167,610,143	166,622,200
iii) Banks	2,106,532	3,198,900
iv) Others	1,026,619,771	905,438,763
<b>TOTAL (C-I)</b>	<b>1,757,735,648</b>	<b>1,624,090,444</b>
II. Advances outside India :		
i) Due from Banks	291,554,722	210,883,571
ii) Due from others		
a) Bills Purchased and Discounted	105,148,454	72,753,106
b) Syndicated Loans	133,164,303	94,525,045
c) Others	200,730,315	128,709,651
<b>TOTAL (C-II)</b>	<b>730,597,794</b>	<b>506,871,373</b>
<b>TOTAL (C-I, C-II)</b>	<b>2,488,333,442</b>	<b>2,130,961,817</b>

### अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां

I. परिसर :
लागत पर आरम्भिक शेष राशि
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन
उप-जोड़
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक घटाएं : इस तारीख को मूल्यहास (पुनर्मूल्यन के कारण ₹ 72,54,454 सहित-विगत वर्ष में ₹ 64,19,305)
जोड़ - (I)

### SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

I. PREMISES :		
Opening Balance at cost	7,874,351	6,788,559
Additions / Adjustments during the year	3,613,544	1,230,291
Less: Deductions/Adjustments during the year	11,099	144,499
<b>Sub-total</b>	<b>11,476,796</b>	<b>7,874,351</b>
Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	19,613,350	19,613,977
Less : Depreciation to date (including ₹ 72,54,454 on account of revaluation - Previous year end ₹ 64,19,305)	9,670,849	8,425,689
<b>TOTAL - (I)</b>	<b>21,419,297</b>	<b>19,062,639</b>



## तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

यथा As at 31-03-2012 को ₹  
यथा As at 31-03-2011 को ₹

### अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां (जारी)

II. अन्य अचल आस्तियां : (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं) लागत पर आरंभिक शेष राशि वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन उप-जोड़ घटाएं : इस तारीख को मूल्यह्रास जोड़ (II)
III. चल रहे कैपिटल वर्क जोड़ (I, II, III)

### SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS (Contd.)

II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures) Opening Balance at cost Additions / Adjustments during the year Less: Deductions / Adjustments during the year Sub-total Less: Depreciation to date TOTAL (II)	12,712,909 3,217,645 738,539 15,192,015 9,381,781 5,810,234	11,365,550 2,381,647 1,034,288 12,712,909 8,116,255 4,596,654
III. CAPITAL WORK IN PROGRESS TOTAL (I, II, III)	486,391 27,715,922	1,148,070 24,807,363

### अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियाँ

I. आंतर कार्यालय समायोजन (निवल) II. उपचित ब्याज III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/ स्रोत पर काटे गए कर (निवल) IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प V. आस्थगित कर आस्तियाँ VI. अन्य जोड़
--

### SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

I. Inter-office adjustments (net) II. Interest accrued III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net) IV. Stationery and Stamps V. Deferred Tax Assets VI. Others TOTAL	8,886,491 20,983,123 38,604,647 19,563 88,586 46,074,534 114,656,944	33,518,027 14,895,146 30,211,779 19,722 120,212 45,367,359 124,132,245
--	--	--

### अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएँ

I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ : क) भारत में ख) भारत के बाहर V. सकार, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व VI. ब्याज दर स्वैप VII. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है जोड़
--

### SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

I. Claims against the Bank not acknowledged as debts II. Liability for partly paid Investments III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts IV. Guarantees given on behalf of Constituents: a) In India b) Outside India V. Acceptances, endorsements and other obligations VI. Interest Rate Swaps VII. Other items for which the Bank is contingently liable TOTAL	6,005,347 3,200 1,041,967,872 165,681,720 112,337,637 259,566,409 238,047,553 87,687,365 1,911,297,103	7,093,168 3,200 863,357,325 159,630,208 68,004,077 198,310,417 332,129,487 6,777,907 1,635,305,789
--	--	--

## लाभ व हानि खाते की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	31-03-2012 को समाप्त वर्ष हेतु For the Year ended ₹	31-03-2011 को समाप्त वर्ष हेतु For the Year ended ₹	
<b>अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज</b>	<b>SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED</b>		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	202,406,311	155,002,340
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	71,417,607	51,717,128
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अन्तर-बैंक निधियों के पास शेष राशियों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	8,339,637	7,854,315
IV. अन्य	IV. Others	2,643,109	2,943,455
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>284,806,664</b>	<b>217,517,238</b>
<b>अनुसूची - 14 : अन्य आय</b>	<b>SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME</b>		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	12,714,573	11,810,509
II. निवेशों की पर लाभ-निवल	II. Profit on sale of Investments - net	4,088,435	3,218,485
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ-निवल	III. Profit on sale of land, buildings and other assets - net	7,525	—
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ-निवल	IV. Profit on exchange transactions - net	5,893,582	5,024,808
V. अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V. Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries/companies and/or joint ventures	394,511	264,735
VI. विविध आय	VI. Miscellaneous Income	10,113,106	6,099,212
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33,211,732</b>	<b>26,417,749</b>
<b>अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज</b>	<b>SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED</b>		
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits	179,570,392	121,785,701
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	11,452,831	8,128,946
III. गौण ऋणों आईआरएस आदि पर ब्याज	III. Interest on subordinated debts, IRS etc.	10,649,107	9,495,676
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>201,672,330</b>	<b>139,410,323</b>
<b>अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय</b>	<b>SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES</b>		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	30,534,195	34,754,433
II. किराया, कर और बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	3,435,209	2,768,002
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	544,755	456,689
IV. विज्ञापन और प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	640,045	586,489
V. बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों पर निवल मूल्यहास)	V. Depreciation on Bank's property (Net of Depreciation on Revaluation Reserve)	1,668,330	1,405,552
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	1,218	858
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों के लिए व्यय सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (includes for branch auditors)	375,810	357,998
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	185,462	158,062
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	434,618	398,185
X. मरम्मत और रख-रखाव	X. Repairs and Maintenance	459,308	452,669
XI. बीमा	XI. Insurance	2,382,730	1,885,640
XII. अन्य व्यय	XII. Other Expenditure	8,744,901	7,457,810
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>49,406,581</b>	<b>50,682,387</b>

## अनुसूची - 17 :

## महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

## 1) लेखांकन पद्धति

संलग्न समेकित वित्तीय विवरण प्रचलित विचारधारा का पालन करते हुए, ऐतिहासिक लागत आधार पर तथा भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) पर तैयार किए गए हैं जो लागू सांविधिक उपबंधों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और निर्णय तथा भारतीय बैंकिंग उद्यम में अपनायी जाने वाली लेखांकन प्रथा के अनुरूप हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबंधों तथा लेखांकन पद्धतियों का पालन किया गया है सिवाय उनके संबंध में जिनका उल्लेख अन्यत्र किया गया है।

वित्तीय विवरण को तैयार करने में यह आवश्यक होता है कि वित्तीय विवरणी की तिथि को रिपोर्ट किए गए आस्ति तथा देयताओं में सुविचारित अनुमानों तथा धारणा को प्रबंधन पूरा करें। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान यथोचित तथा ठीक हैं।

## 2) राजस्व पहचान

क. जबतक कि अन्यथा न कहा गया हो, आय/व्यय का लेखांकन प्रायः उपचय आधार पर किया जाता है।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुत्पादक आस्तियों पर आमदनी का निर्धारण उगाही पर किया जाता है। अनुत्पादक खातों की वसूली को सर्वप्रथम अवसूलीकृत ब्याज/आय/मूल देयता में समायोजित किया गया है और तत्पश्चात अप्रभारित ब्याज में समायोजित किया गया है।

ग. विनिमय कमीशन, ब्रोकरेज, लाभांश आय, सरकारी कारोबार पर कमीशन, अन्य पक्ष उत्पादों पर कमीशन का वास्तविक वसूली आधार पर लेखा किया जाता है।

घ. आयकर धन वापसी पर ब्याज का लेखा कर निर्धारण आदेश की प्राप्ति के वर्ष में किया जाता है।

## 3) अग्रिम:

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा अग्रिम की मूल/ब्याज की वसूली के आधार पर उत्पादक अथवा अनुत्पादक आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जन आस्तियों (एनपीए) को आगे अव-मानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख. मानक आस्तियों हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

SCHEDULE - 17 :  
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

## 1) ACCOUNTING CONVENTION:

The accompanying financial statements have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

## 2) REVENUE RECOGNITION:

(a) Income/Expenditure is generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

(b) Income on Non-performing Assets (NPAs) is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines. The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income, principal dues and thereafter towards uncharged interest.

(c) Exchange Commission, Brokerage, Dividend Income, Commission on Government Business and Commission on Third Party Products are accounted for on realisation basis.

(d) Interest on Income-tax refunds is accounted for in the year of receipt of the assessment order.

## 3) ADVANCES:

(a) In terms of guidelines issued by the RBI, advances to borrowers are classified into "Performing" or "Non-Performing" assets based on recovery of principal/ interest. NPAs are further classified as Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets.

(b) Provision for Standard assets is made as per RBI guidelines.

ग. अनुत्पादक आस्तियों के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है :

प्रवर्ग	प्रावधान
अवमानक आस्तियां	
क) सामान्य प्रावधान	20% (चाहे प्रतिभूति का मूल्य कुछ भी हो)
ख) प्रतिभूति रहित एक्सपोजर (इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोजर सहित)	25%
31.03.09 तक संदिग्ध आस्तियां	100% (चाहे प्रतिभूति का मूल्य कुछ भी हो)
31.03.09 के बाद संदिग्ध आस्तियां	
क) प्रतिभूति युक्त भाग	
– 1 वर्ष तक	50%
– 1 वर्ष से 3 वर्ष	60%
– 3 वर्ष से अधिक	100%
ब) प्रतिभूति रहित भाग	100%
हानि आस्तियां	100%

- घ. विदेशी कार्यालयों / शाखाओं के संबंध में सांविधिक आवश्यकतानुसार संबंधित विदेशी देश अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार जो भी अधिक हो, प्रावधान किए गए हैं।
- ड. भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम जानने हेतु अनुत्पादक आस्तियों, अवसूलीकृत ब्याज, इसीजीसी दावा निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान कुल अग्रिमों में से घटाए जाते हैं।
- च. पुनर्निर्धारित/पुनः संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित ब्याज पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम जानने हेतु यह प्रावधान घटाया जाता है।
- छ. यदि वित्तीय आस्तियाँ आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूति करण कंपनी (एससी) को बेच दी जाती हैं, यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से नीचे है तो, स्थिति में अंतर (कमी) को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। बिक्री मूल्य, एनबीवी से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त प्रावधान को रिटर्न नहीं किया जाता है बल्कि एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होनेवाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है।

(c) Provision in respect of NPAs is made as under:

Category	Provision
Sub Standard Assets	
a) General provision	20% (irrespective of the value of security)
b) Unsecured exposure (including unsecured exposure in respect of Infrastructure loan)	25%
Doubtful assets upto 31.03.2009	100% (irrespective of the value of security)
Doubtful assets after 31.03.2009	
a) Secured portion	
– Upto one year	50%
– One year to three years	60%
– More than three years	100%
b) Unsecured portion	100%
Loss Assets	100%

- (d) In respect of advances at foreign offices/ branches, provision is made as per the statutory requirements prevailing at the respective foreign countries, or as per RBI guidelines, whichever is higher.
- (e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.
- (f) In respect of Rescheduled/Restructured accounts, provision is made for the sacrifice of interest/diminution in the value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.
- (g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), the shortfall is debited to the Profit and Loss account. If the sale value is higher than the NBV, the surplus provision is retained to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

#### 4) निवेश

निवेश का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता के लिए धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणियों में किया जाता है। बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए की अपेक्षाओं के अनुरूप

#### 4) INVESTMENTS:

Investments are classified under 'Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. In conformity with the requirements in Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, these are classified

इनका वर्गीकरण छः समूहों : सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर और बन्धपत्र, सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश और अन्य निवेश, में किया जाता है।

#### ए. वर्गीकरण का आधार

निवेशों का वर्गीकरण सामान्यतः उसके अर्जन के समय किया जाता है :

##### i) परिपक्वता तक धारित

ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखता है।

##### ii) कारोबार के लिए धारित

ऐसी प्रतिभूतियां जिन्हें मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री के लिए रखा जाता है, उन्हें इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

##### iii) बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण परिपक्वता तक धारित अथवा कारोबार के लिए धारित रूप में नहीं किया गया है उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

#### बी) मूल्यांकन का तरीका

निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, निवेश (सरकारी प्रतिभूतियों में) संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक 'सेटलमेन्ट डेट' का पालन करता है।

##### i) परिपक्वता तक धारित

इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अधिग्रहण लागत पर किया गया है। इनके अधिग्रहण पर भुगतान की गई प्रीमियम की राशि, यदि कोई हो तो, उसे सतत अर्जन प्रणाली उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है।

##### ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध

ए. इस श्रेणी में प्रतिभूतियों का स्क्रिपवार मूल्यांकन किया गया है। प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि/ मूल्य-हास को उनके वर्गानुसार जोड़ा/घटाया गया है और निवल मूल्यहास को लाभ व हानि खातों की मान्य पद्धतियों के अनुरूप लगाया गया है जबकि निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया गया है।

बी. 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' प्रवर्ग में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन हेतु बाजार दर/स्टॉक एक्सचेंज भाव/भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ/निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ (एफआईएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं हैं उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार हैं :-

under six groups – Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Investments in Subsidiaries/Joint Ventures and Other Investments.

#### A) Basis of classification

Classification of an investment is normally done at the time of its acquisition:

##### i) Held to Maturity

These comprise investments the Bank intends to hold till maturity.

##### ii) Held for Trading

Investments acquired with the intention to trade within 90 days from the date of purchase are classified under this head.

##### iii) Available for Sale

Investments which are not classified either as "Held to Maturity" or as "Held for Trading" are classified under this head.

#### B) Method of valuation

Investments are valued in accordance with the RBI guidelines. Accordingly, the Bank follows "Settlement Date" for accounting of investment (in Government securities) transactions.

##### i) Held to Maturity

Investments included in this category are carried at their acquisition cost. Premium, if any, paid on acquisition is amortised using constant yield method over the remaining period of maturity.

##### ii) Held for Trading / Available for Sale

a. Investments under these categories are valued scrip-wise. Appreciation/ depreciation is aggregated for each class of securities and net depreciation as per applicable norms is recognised in the Profit and Loss account, whereas net appreciation is ignored.

b. For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:



सरकारी प्रतिभूतियां	परिपक्वता आय के आधार पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आय के आधार पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (12 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी ₹ 1/-
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आय के आधार पर
पीएसयू बॉन्ड्स	परिपक्वता आय के आधार पर समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य / प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधियां (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी / लेखा परीक्षित वित्तीयन सतत 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो ₹ 1/- प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति प्राप्तियां	सेक्युरिटीज़ेशन कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

**iii) विदेशी शाखाओं में धारित**

विदेशी शाखाओं के निवेशों को संबंधित विदेशी केन्द्रों पर प्रचलित सांविधिक प्रावधानों या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य से कम मूल्य पर नियत किया गया है।

**सी. प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण**

उपर्युक्त पैरा 4 क (i) से (iii) तक विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के मध्य किसी प्रतिभूति के अंतरण, अंतरण दिवस पर अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम है, पर किए जाते हैं। मूल्य-ह्रास, यदि है तो ऐसे अंतरण पर पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

**डी. निवेश की अधिग्रहण लागत**

- i) इक्विटी निवेशों के अधिग्रहण पर प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि को लागत में शामिल किया गया है।
- ii) ऋण लिखतों पर प्रदत्त/प्राप्त ब्रोकरेज, कमीशन, खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय माना जाता है और उसे लागत/बिक्री निर्धारण में शामिल नहीं किया गया है।
- iii) निवेशों के सब्सक्रिप्शन पर प्राप्त ब्रोकरेज एवं कमीशन को लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है।
- iv) ऐवरेज कॉस्ट मेथड पर निवेशों के लागत को अभिनिर्धारित एवं भारित किए जाते हैं।
- v) ट्रेजरी बिलों एवं वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखरखाव लागत पर किया जाता है।

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise ₹ 1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU Bonds	on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at ₹ 1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation Companies

**iii) Held at Foreign Branches**

Investments held at foreign branches are carried at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

**C) Transfer of Securities between Categories**

The transfer of securities between categories specified at para 4 A (i) to (iii) above are carried out at the lower of acquisition cost / book value /market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

**D) Acquisition Cost of Investment**

- i) Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid on acquisition of Equity investments are included in cost.
- ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt instruments is treated as income/expense and is excluded from cost/sale consideration.
- iii) Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account
- iv) Cost of Investments is determined at weighted average cost method.
- v) Treasury bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

**ई) निवेशों की बिक्री में लाभ अथवा हानि**

किसी भी प्रवर्ग में निवेशों की बिक्री में लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया जाता है। तथापि, परिपक्वता तक धारित शीर्ष के अंतर्गत निवेशों की बिक्री में लाभ की स्थिति में करों के निवल समान राशि तथा संविधिक आरक्षिती में अंतरित राशि, आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित की जाती है।

**एफ) प्रावधानीकरण तथा आय पहचान - अनुत्पादक निवेश (एनपीआई)**

अनुत्पादक निवेश के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों में मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

**जी) रेपो/रिवर्स रेपो**

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो तथा रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लिए {भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन संव्यवहारों के अतिरिक्त} निर्धारित की गई लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है। रेपो संव्यवहार अर्थात् प्रतिभूति की बिक्री (खरीदी) द्वारा निधियों को उधार (उधार देना) रेपो सहभागी की बहियों में रिफ्लेक्ट होता है, संपाशिवकृत उधार और उधार लेना संव्यवहार के रूप में, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद अनुबंध सहित। उसका लेखांकन लागत व राजस्व ब्याज व्यय/आय के लिए, जैसा भी मामला हो, किया जाए। रेपो/रिवर्स रेपो खाते की शेष, निवेश खाते की शेष के विरुद्ध समायोजित की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एलएएफ के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों निवेश खाते में नामे/जमा की जाती हैं और संव्यवहारों की परिपक्वता पर रिवर्स की जाती हैं। उस पर अर्जित/खर्च किए गए ब्याज का लेखांकन खर्च/राजस्व के रूप में किया जाता है।

**एच) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)**

वर्तमान में बैंक ब्याज दर एवं करेंसी व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर व्युत्पन्न रूपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, अग्रणी दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किया जा रहा मुद्रा व्युत्पन्न विकल्प, मुद्रा स्वैप तथा मुद्रा फ्यूचर है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, व्युत्पन्न को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

हेज/गैर हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।

हेजिंग डेरिवेटिव्स, एकूअल आधार पर लेखांकित होती हैं।

ट्रेडिंग व्युत्पन्न स्थानों को बाजार को चिह्नित(एमटीएम) किया जाता है और परिणामतः हानि, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो, को नज़रअंदाज़ किया जाता है। ब्याज दर स्वैप से सम्बद्ध आय एवं व्यय को निपटान तिथि से संबद्ध किया जाता है। ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर

**E) Profit or loss on sale of investment**

Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

**F) Provisioning and income recognition – Non performing Investments (NPIs)**

In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

**G) Repo / Reverse Repo**

The Bank has adopted the Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. The economic essence of repo transactions, viz., borrowing (lending) of funds by selling (purchasing) securities is reflected in the books of repo participants, by accounting the same as collateralized lending and borrowing transaction, with an agreement to repurchase, on the agreed terms. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo/ Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.

Securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

**H) Derivative**

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

Hedging derivatives are accounted on accrual basis.

Trading derivative positions are marked to market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognised on the settlement date. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/

किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि अथवा पदनामित आस्तियाँ/देयताओं की बकाया कम अवधि से संबद्ध किया जाता है।

loss on termination of swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

**5) अचल आस्तियां :**

- क. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित होने के मामले छोड़कर, अचल आस्तियों को परंपरागत लागत में बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया गया है।
- ख. परिसर-लागत में स्वयं की एवं पट्टाधारी भूमि दोनों की लागत शामिल है।

**5) FIXED ASSETS:**

- (a) Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.
- (b) Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

**6) अचल आस्तियों पर मूल्यहास**

- i) आस्तियों पर मूल्यहास बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर रिटन डाउन वैल्यू पर प्रभारित किया गया है, सिवाय कम्प्यूटरों के मामलों के जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट लाइन मेथड) से मूल्यहास का परिकलन किया गया है।
- ii) परिवर्धनों के संबंध में मूल्यहास हेतु पूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है तथा इसमें आस्ति के उपयोग करने की तारीख को ध्यान में नहीं रखा गया है, जबकि किसी आस्ति की बिक्री/ निपटान के वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- iii) आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकित रिजर्व के समक्ष समायोजित किया गया है।

**6) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:**

- i) Depreciation on assets is charged on the Written Down Value at the rates determined by the Bank, except in respect of computers where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI
- ii) In respect of on additions, depreciation is provided for the full year, irrespective of the date on which the assets were put to use whereas, depreciation is not provided in the year of sale/ disposal of an asset
- iii) Depreciation on the revalued portion of assets is adjusted against the Revaluation Reserve.

- क) जहाँ भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं की जा सकती है, भवनों हेतु लागू दर पर संपूर्ण लागत पर मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।
- ख) पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम, पट्टे की अवधि में परिशोधित है।
- ग) घरेलू परिचालन के संबंध में आस्तियों पर मूल्यहास के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

- a) Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.
- b) Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.
- c) Depreciation on assets in respect of domestic operations are provided as under:

क्र. सं.	विवरण	मूल्यहास की दर
1.	परिसर	5%
2.	अन्य अचल आस्तियां	
	ए. फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	10%
	बी. एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबारी मशीनें	15%
	सी. मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	20%
	डी. कम्प्यूटर तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग हैं।	33.33%
	ई. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं हैं	100%

Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation
1.	Premises	5%
2.	Other Fixed Assets	
	a) Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	10%
	b) Air-conditioning plants, etc. and business machines.	15%
	c) Motor cars, Vans & Motor cycles	20%
	d) Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%
	e) Computer Software, not forming integral part of hardware	100%

- घ) भारत के बाहर स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार किया गया है।
- 7) **विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध लेन-देन**  
विदेशी विनिमय के लेन देन का लेखांकन, आईसीएआई संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 11, 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुरूप किया गया है।
- क) **समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण**  
भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को समाकलित (इंटेग्रेटिड) विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- i) एफईडीएआई (फॉरिन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया) द्वारा यथा सूचित संव्यवहार प्रारंभ में साप्ताहिक औसत अंतिम दर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं।
- ii) मौद्रिक विदेशी मुद्रा की आस्तियों एवं देयताओं का मूल्य, वर्ष के अंत में एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार अंकित किया गया है।
- iii) विदेशी मुद्रा में स्वीकृत बिलों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों एवं गारंटियों को वर्ष समाप्ति में एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर अंकित किया गया है।
- iv) विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को हरेक सप्ताह समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दर पर अंकित किया गया है।
- v) परिणामस्वरूप उत्पन्न विनिमय अंतरों को आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है और लाभ-हानि खाते के माध्यम से उसका लेखांकन किया गया है।
- ख) **समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण**  
विदेशी शाखाओं के संव्यवहारों एवं शेषों को समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके वित्तीय विवरण पत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :
- i) आस्तियों और देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों के आधार पर आंका/स्पष्ट किया गया है।
- ii) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा सूचित तिमाही औसत अंतिम दर पर स्पष्ट किया गया है।
- iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते 'विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व' में संचित किया जाता है।
- सी) **वायदा विनिमय संविदाएं**  
एफईडीएआई के दिशानिर्देशों एवं एएस-11 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक मुद्रा में बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को संविदा की
- d) Depreciation on fixed assets outside India is provided as per the regulatory requirements/or prevailing practices of the respective country.
- 7) **TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:**  
Accounting for transactions involving foreign exchange is accounted for in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" issued by ICAI.
- a) **Translation in respect of Integral Foreign operations**  
Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations.
- i) The transactions are initially recorded on weekly average closing rate as advised by FEDAI (Foreign exchange dealers association of India).
- ii) Monetary Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- iii) Acceptances, endorsements, other obligations and guarantees in foreign currencies are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end
- iv) Foreign Currency Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each week.
- v) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through profit and loss account. .
- b) **Translation in respect of Non-Integral Foreign operations**  
Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:
- i) Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarter.
- iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments in the respective foreign branches.
- c) **Forward Exchange Contracts**  
In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS-11, outstanding forward exchange



अवशिष्ट परिपक्वता के लिए तुलनपत्र की तारीख पर तदनुसारी वायदा दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित राशि एवं संविदा राशि के बीच भिन्नता को, स्थिति के अनुसार, लाभ अथवा हानि के रूप में माना जाता है।

मुद्रा वायदा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लाभ/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह के साथ किया जाता है और ऐसी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में स्थान दिया जाता है।

8) **कर्मचारी लाभ :**

क) **भविष्य निधि**

भविष्य निधि एक परिनिश्चित अंशदान योजना है चूंकि बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर नियत अंशदान अदा करती है। बैंक की बाध्यता इस प्रकार नियत अंशदान तक सीमित है। ये अंशदान लाभ-हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

ख) **उपदान**

उपदान एक परिनिश्चित लाभ बाध्यता है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। इस योजना को बैंक से निधि प्राप्त है और इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है।

ग) **पेन्शन**

पेन्शन बाध्यता एक परिनिश्चित लाभ बाध्यता है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। इस योजना को बैंक से निधि प्राप्त है और इसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है।

घ) **अवकाश नकदीकरण**

बैंक अवकाश नकदीकरण लाभ प्रदान करता है जो कि एक परिनिश्चित लाभ बाध्यता है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है।

ङ) **कर्मचारियों को अन्य लाभ**

बैंक अपने कर्मचारियों को, अवकाश किराया रियायत, माइलस्टोन और पुनर्वास लाभ जैसे अन्य लाभ प्रदान करता है जो कि परिनिश्चित लाभ बाध्यता हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है।

9) **पट्टाकृत आस्तियाँ :**

पट्टों की आय की पहचान पट्टे की प्राथमिक अवधि पर आंतरिक प्रतिफल दर पद्धति के अनुसार की जाती है और उसका लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक एएस 19 'पट्टों का लेखांकन' के अनुसार किया गया है।

10) **प्रति शेयर अर्जन :**

बैंक इस संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 20 'अर्जन प्रति शेयर' के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एण्ड डैल्यूटिड

contracts in each currency are revalued at the Balance Sheet date at the corresponding forward rates for the residual maturity of the contract. The difference between revalued amount and the contracted amount is recognized as profit or loss, as the case may be.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

8) **EMPLOYEE BENEFITS:**

a) **Provident Fund**

Provident fund is a defined contribution scheme as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account.

b) **Gratuity**

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

c) **Pension**

Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

d) **Leave encashment**

The bank provides for leave encashment benefits which is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year.

e) **Other employee benefits**

The bank provides for other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone and resettlement benefits which are defined benefit obligations and are provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year.

9) **LEASED ASSETS:**

Lease Income is recognised based on the Internal Rate of Return method over the primary period of the lease and is accounted for in accordance with the Accounting Standard (AS) 19 on "Accounting for Leases", issued by ICAI.

10) **EARNING PER SHARE:**

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard



अर्निंग्स की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति इक्विटी शेयर आय की गणना, कर उपरांत निवल लाभ को उस अवधि हेतु भारित औसत बकाया इक्विटी शेयर से विभाजित करके, किया जाता है। डैल्यूटिड अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की गणना उस अवधि के दौरान भारित औसत इक्विटी शेयर की संख्या एवं बकाया डैल्यूटिड पोटेन्शियल इक्विटी शेयरों का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

**11) आय पर कर:**

आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 'आय पर करों के लिए लेखांकन' के अनुरूप आयकर में वर्ष के दौरान वर्तमान कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में शुद्ध परिवर्तन शामिल हैं। आय व व्यय की मदें जो एक समय आती हैं और जो परवर्ती एक या अधिक वर्षों में रिवर्सल की जा सकती हैं के संबंध में आस्थगित कर के लिए विवेकपूर्ण विचार करने के अध्यक्षीन मान्य है। आस्थगित कर आस्तियों और देयता का मापन कर दरों तथा कर विधियों से किया जाता है जो तुलन पत्र की तिथि पर या बाद में लागू किए जाते हैं।

**12) आस्तियों का ह्रासन:**

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को शामिल करते हुए) पर ह्रासन हानियों (यदि कोई हो) को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एस) 28 'आस्तियों के ह्रासन' के अनुसार मान्य किया गया है।

**13) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एस 29 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार मूल संगठन प्रावधानों को भी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो, यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि, इससे उस आय को मान्यता प्रदान कर दी जाती है जो कभी भी वसूल नहीं हो सकती हैं।

(AS) 20 "Earnings per share" issued by ICAI. Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

**11) TAXES ON INCOME:**

Income Tax comprises the current tax provision and net change in deferred tax assets or liabilities during the year, in accordance with the Accounting Standard (AS) 22, "Accounting for Taxes on Income" issued by ICAI. Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent years. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

**12) IMPAIRMENT OF ASSETS:**

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with the Accounting Standard (AS) 28 "Impairment of Assets" issued by ICAI.

**13) PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:**

As per the Accounting Standard (AS) 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

**अनुसूची-18 :**

**लेखे पर टिप्पणियां**

1. वर्ष के दौरान बैंक ने अधिमानी आधार पर लाइफ इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर के 2,73,00,000 इक्विटी शेयर ₹ 370.02 प्रति शेयर के प्रीमियम पर आबंटित किया गया जैसा कि समय-समय पर संशोधित (एसईबीआई आईसीडी आर विनियम) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआई) विनियम, 2009 के अध्याय VII के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारण किया गया है। इस खाते में बैंक को कुल पूंजी राशि ₹ 1,037.45 करोड़ प्राप्त हुई है और इसके परिणामस्वरूप सरकार की होल्डिंग 65.86% से घटकर 62.72% हो गई है।

2. अनुपूरक खाता लेखे का तुलन और विदेशी शाखा और नोस्ट्रो खातों से पुष्टि/लेखा समाधान और उचंत, देय-ड्राफ्ट, समाशोधन भिन्नता आदि में प्रविष्टियों का समायोजन लगातार किया जा रहा है। विदेशी शाखाओं सहित उपरोक्त लंबित अंतिम समाशोधन / समायोजन का, प्रबंधन की राय में, लेखों पर समग्र प्रभाव नगण्य रहेगा।

31 मार्च 2012 तक अंतर कार्यालय समायोजन के विषय में नामे और जमा बकाया प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। शेष प्रविष्टियों के समाधान हेतु अनुवर्ती कार्य किया जा रहा है। प्रबंधन की राय में लंबित अंतिम निपटान/समायोजन की प्रविष्टियों का लेखों पर समग्र प्रभाव नगण्य रहेगा।

3. निम्नलिखित जानकारी का भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन किया गया है:

**3.1 पूंजी :**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
i)	<b>सीआरएआर (%)</b>		
	बासल-I	11.57%	11.42%
	बासल-II	11.95%	12.17%
ii)	<b>सीआरएआर - टियर I पूंजी (%)</b>		
	बासल-I	8.29%	7.80%
	बासल-II	8.59%	8.33%
iii)	<b>सीआरएआर - टियर II पूंजी (%)</b>		
	बासल-I	3.28%	3.62%
	बासल-II	3.36%	3.84%
iv)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	62.72%	65.86%
v)	वर्ष के दौरान टियर-II पूंजी के रूप में वर्धित गौण ऋण की रकम (₹ करोड़ में)	0.00	0.00
vi)	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई) जारी किए जाने से वर्धित रकम (₹ करोड़ में)	0.00	300.00
vii)	वर्ष के दौरान वर्धित अपर टियर-II लिखतों जारी से किए जाने वर्धित रकम (₹ करोड़ में)	0.00	1000.00

**SCHEDULE - 18:**

**NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS**

1. During the year bank has allotted 2,73,00,000 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 370.02 per share to Life Insurance Corporation of India as determined by the Board in terms of the Chapter VII of the Securities Exchange Board of India (SEBI) Regulations, 2009, as amended from time to time (the "SEBI ICDR Regulations") on preferential basis. The total amount of capital received by the bank on this account is ₹ 1037.45 crore and consequently the Government holding has decreased from 65.86% to 62.72%.

2. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts and confirmation/reconciliation of balances with foreign branches and NOSTRO Accounts, and Suspense, Drafts Payable, Clearing Difference, etc. is in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, including foreign branches, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

As regards Inter office adjustments, initial matching of debit and credit outstanding entries has been completed upto 31st March 2012. Reconciliation of residual entries is in progress. Pending final clearance/adjustment of the entries, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

3. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

**3.1 Capital:**

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2012	31.03.2011
i)	<b>CRAR (%)</b>		
	Basel-I	11.57%	11.42%
	Basel-II	11.95%	12.17%
ii)	<b>CRAR - Tier I Capital (%)</b>		
	Basel-I	8.29%	7.80%
	Basel-II	8.59%	8.33%
iii)	<b>CRAR - Tier II Capital (%)</b>		
	Basel-I	3.28%	3.62%
	Basel-II	3.36%	3.84%
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India	62.72%	65.86%
v)	Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital during the year (Rs.in Crores)	0.00	0.00
vi)	Amount raised by issue of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) as Tier I capital during the year (₹ in Crores)	0.00	300.00
vii)	Amount raised by issue of Upper Tier-II instruments during the year (₹ in Crores)	0.00	1000.00

बैंक ने निम्नलिखित नवोन्मेष सतत ऋण लिखत(आईपीडीआई) को टियर-I पूँजी की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए वर्धित किया है: (₹ करोड़ में)

वर्ष में वर्धित	प्रकृति	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (भारिबैं के दिशा निर्देशानुसार)
2006-07	(आईपीडीआई)	432.45 (विदेशी मुद्रा में वर्धित यूएस डालर 85 मिलियन)	432.45 (विदेशी मुद्रा में वर्धित यूएस डालर 85 मिलियन)
2007-08	आईपीडीआई	655.00	655.00
2008-09	आईपीडीआई	400.00	400.00
2009-10	आईपीडीआई	325.00	325.00
2010-11	आईपीडीआई	300.00	300.00

टियर I लिखतों के अतिरिक्त पूँजी आवश्यकता संवर्धन के लिए बैंक ने निम्नलिखित टियर II लिखतों को वर्धित किया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष में वर्धित	प्रकृति	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (भारिबैं के दिशा निर्देशानुसार)
2003-04	लोअर टियर II	550.00	220.00
2004-05	लोअर टियर II	300.00	120.00
2005-06	लोअर टियर II	950.00	610.00
2006-07	अपर टियर II	1,221.10 (विदेशी मुद्रा में वर्धित यूएस डालर 240 मिलियन)	1,221.10 (विदेशी मुद्रा में वर्धित यूएस डालर 240 मिलियन)
2006-07	अपर टियर II	732.00	732.00
2008-09	अपर टियर II	500.00	500.00
2009-10	अपर टियर II	2,000.00	2,000.00
2010-11	अपर टियर II	1,000.00	1,000.00

### 3.2 निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	यथा दिनांक 31.03.2012	यथा दिनांक 31.03.2011
1	निवेश का मूल्य		
i)	निवेश का कुल मूल्य	87,694.50	86,563.13
	(ए) भारत में	83,071.40	82,114.14
	(बी) भारत के बाहर	4,623.10	4,448.99
ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान	939.19	689.45
	(ए) भारत में	595.62	352.37
	(बी) भारत के बाहर	343.57	337.08
iii)	परिशोधन	1.72	1.27
	(ए) भारत में	0.00	0.00
	(बी) भारत के बाहर	1.72	1.27
iv)	निवेशों का निवल मूल्य	86,753.59	85,872.41
	(ए) भारत में	82,475.78	81,761.77
	(बी) भारत के बाहर	4,277.81	4,110.64
2	निवेश का मूल्यहास के समक्ष किए हुए प्रावधानों की स्थिति		
i)	आरंभिक शेष	689.45	886.13
ii)	जोड़े : वर्ष के दौरान किए हुए प्रावधान	436.87	235.24
iii)	घटाए : बटुटेखाते डालना/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक	187.13	431.92
iv)	अंतिम शेष	939.19	689.45

The bank has raised following Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) to augment Tier I capital requirements:

(Amount in ₹ crore)

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (as per RBI guidelines)
2006-07	(IPDI)	432.45 (USD 85 Mn. raised in foreign currency)	432.45 (USD 85 Mn. raised in foreign currency)
2007-08	IPDI	655.00	655.00
2008-09	IPDI	400.00	400.00
2009-10	IPDI	325.00	325.00
2010-11	IPDI	300.00	300.00

In addition to Tier I instruments, the bank has raised following Tier II Instruments to augment capital requirements:

(Amount in ₹ crore)

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (as per RBI guidelines)
2003-04	Lower Tier II	550.00	220.00
2004-05	Lower Tier II	300.00	120.00
2005-06	Lower Tier II	950.00	610.00
2006-07	Upper Tier II	1,221.10 (USD 240 Mn. raised in foreign currency)	1,221.10 (USD 240 Mn. raised in foreign currency)
2006-07	Upper Tier II	732.00	732.00
2008-09	Upper Tier II	500.00	500.00
2009-10	Upper Tier II	2,000.00	2,000.00
2010-11	Upper Tier II	1,000.00	1,000.00

### 3.2 Investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2012	As at 31.03.2011
1	Value of Investments		
i)	Gross Value of Investments	87,694.50	86,563.13
	a) In India	83,071.40	82,114.14
	b) Outside India	4,623.10	4,448.99
ii)	Provisions for Depreciation	939.19	689.45
	a) In India	595.62	352.37
	b) Outside India	343.57	337.08
iii)	Amortisations	1.72	1.27
	a) In India	0.00	0.00
	b) Outside India	1.72	1.27
iv)	Net Value of Investments	86,753.59	85,872.41
	a) In India	82,475.78	81,761.77
	b) Outside India	4,277.81	4,110.64
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i)	Opening balance	689.45	886.13
ii)	Add: Provisions made during the year	436.87	235.24
iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	187.13	431.92
iv)	Closing balance	939.19	689.45

3.2.1 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	बकाया यथा 31 मार्च, 2012
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	10,000.00	4,689.76	8000.00
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिवर्ती पुनः खरीद के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	7,300.00	103.28	0.00
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00

इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) अंतर्गत किए गए सौदे शामिल हैं (मार्जिन को छोड़कर).

3.2.2 गैर-एसएलआर निवेश संविभाग:

i) गैर-एसएलआर निवेश संविभाग के जारीकर्ताओं की बनावट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी तौर पर शेयर आबंटन	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूति आबंटन	'अश्रेणीकृत' प्रतिभूति आबंटन	'असूचीबद्ध' आबंटन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम	482.42	178.56	0.00	0.00	0.00
ii.	वित्तीय संस्थाएं	3,159.68	2,874.12	0.00	0.00	154.01
iii.	बैंक	1,343.00	409.00	0.00	0.00	368.81
iv.	निजी कार्पोरेट	4,244.18	3,598.43	299.47	73.71	412.14
v.	सहायक/ कंपनियां/ संयुक्त उद्यम	687.56	687.56	0.00	0.00	0.00
vi.	अन्य	3,739.00	477.61	0.00	0.00	126.59
	उप-जोड़	13,655.84	8,225.28	299.47	73.71	1061.55
vii.	घटाएं : मूल्यहास के लिए किया गया प्रावधान	775.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	12,879.91	8,225.28	299.47	73.71	1,061.55

ii) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
प्रारंभिक शेष	262.23	275.20
वर्ष के दौरान परिवर्धन	344.17	2.38
वर्ष के दौरान कटौतियां	29.60	15.35
अंतिम शेष	576.80	262.23
धारित कुल प्रावधान	389.72	259.52

3.2.1 Repo Transactions (in face value terms)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2012
Securities sold under repo				
i) Government Securities	0.00	10,000.00	4,689.76	8,000.00
ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	0.00	7,300.00	103.28	0.00
ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00

The above include deals done under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI (net of margin).

3.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i) Issuer Composition of Non-SLR Investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Un-listed' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	482.42	178.56	0.00	0.00	0.00
ii.	FIs	3,159.68	2,874.12	0.00	0.00	154.01
iii.	Banks	1,343.00	409.00	0.00	0.00	368.81
iv.	Private Corporates	4,244.18	3,598.43	299.47	73.71	412.14
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures	687.56	687.56	0.00	0.00	0.00
vi.	Others	3,739.00	477.61	0.00	0.00	126.59
	<b>Sub-total</b>	<b>13,655.84</b>	<b>8,225.28</b>	<b>299.47</b>	<b>73.71</b>	<b>1,061.55</b>
vii.	Less: Provision held towards Depreciation	775.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>12,879.91</b>	<b>8,225.28</b>	<b>299.47</b>	<b>73.71</b>	<b>1,061.55</b>

ii) Non-performing Non-SLR Investments

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Opening balance	262.23	275.20
Additions during the year	344.17	2.38
Reductions during the year	29.60	15.35
Closing balance	576.80	262.23
Total provisions held	389.72	259.52

**3.2.3 बिक्री तथा एचटीएम श्रेणी को/से हस्तांतरण:**

एचटीएम प्रवर्ग को/से प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और बिक्री मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम प्रवर्ग में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

**3.3 डेरिवेटिव**

**3.3.1 वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	यथा दिनांक 31.03.2012	यथा दिनांक 31.03.2011
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	22,524.40	30,114.03
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	1,058.85	503.42
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पाश्विक प्रतिभूति	स्वैप के लिए संपाश्विक प्रतिभूति की जरूरत नहीं है क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट है.	
iv)	स्वैप से आए क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।	
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	903.18	314.73

**3.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखित वार) क) ख) ग)	0.00
(ii)	यथा 31 मार्च 2012 को विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखित वार) क) ख) ग)	0.00
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि और जो "उच्च प्रभावी" नहीं हो (लिखित वार) क) ख) ग)	0.00
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो "उच्च प्रभावी" नहीं हो (लिखित वार) क) ख) ग)	0.00

**3.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category:**

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

**3.3 Derivatives**

**3.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap**

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2012	As at 31.03.2011
i)	The notional principal of swap agreements	22,524.40	30,114.03
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	1,058.85	503.42
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collaterals were required for the swaps as counterparties were either banks or premier Corporate.	
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year.	
v)	The fair value of the swap book	903.18	314.73

**3.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives**

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) b) c)	0.00
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2012 (instrument-wise) a) b) c)	0.00
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b) c)	0.00
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b) c)	0.00



**3.3.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटन****i. गुणात्मक प्रकटन**

बैंक तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली और मुद्रा तथा परस्पर लेन देन की मुद्रा का विकल्प या व्यापार के उद्देश्य हेतु ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा ऐसे संव्यवहारों से आय बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में व्यापार क्रिया कलापों के ऋण जोखिमों की पर्याप्त जानकारी है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है।

प्रतिरक्षा अदला-बदली का लेखांकन उपचय के आधार पर किया जाता है सिवाय आस्ति तथा देयता के साथ अभिहित अदला-बदली को बाजार मूल्य अथवा लागत/बाजार मूल्य से कम में लिया जाता है। ऐसे मामलों में अदला-बदली की स्थिति बाजार मूल्य पर होती है और उसके परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ अथवा हानि को अभिहित आस्ति और देयता के बाजार मूल्य के साथ समायोजन के रूप में रिकार्ड किया जाएगा। अभिहित आस्ति अथवा देयताओं पर लाभ अथवा हानि में प्रति संतुलन दिखाये जाने पर ब्याज दरों की अदला-बदली के लाभ अथवा हानि को दिखाया जाएगा। इसका अर्थ है ब्याज दरों की अदला-बदली की समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि आस्थगित रखी जाएगी और अदला-बदली के शेष बचे करार-आयु अथवा आस्ति/देयता के शेष आयु पर अल्पकालिक दिखाया जाएगा।

कारोबारी डेरिवेटिव की स्थिति बाजार मूल्य पर होती है और यदि कोई हानि हो, तो उसे लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है यदि कोई लाभ हो, तो निपटान तिथि से नहीं दिखाया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर लाभ और हानि को तत्काल आय और व्यय में रिकार्ड किया जाता है।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट डेरिवेटिव दिशा-निर्देश है। डेरिवेटिव लेन देन समवर्ती आंतरिक, सांविधिक और नियामक लेखा परीक्षा के शर्तों के अध्वधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स ईकाइयां हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय डेरिवेटिव लेन-

**3.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives****i. Qualitative Disclosure**

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate swaps, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an ongoing basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.

Hedging swaps are accounted for on an accrual basis except for swap designated with an asset and liability that is carried at market value or lower of cost/market value. In such cases, the swaps are marked to market and the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the designated asset or liability. Gains or losses on the termination of swaps are recognised when the offsetting gain or loss is recognised on the designated asset or liability. This implies that any gain or loss on the terminated swap would be deferred and recognised over the shorter of the remaining contracting life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

Trading derivative positions are marked to market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognised in the profit and loss account. Profit, if any, are not recognised on the settlement date. Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expenses.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Directors. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by

दोनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान ऋण जोखिम विधि अपनाई है। वर्तमान ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम का जोड़ है।

वर्तमान ऋण एक्सपोजर इन संविदाओं के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कल्पित मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वरूप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

अवशिष्ट परिपक्वता	कुल कल्पित मूल राशि पर लागू परिवर्तनकारक तत्व	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पाँच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय “बिक्रीगत विकल्पो” को वहाँ छोड़ दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम / शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार के अनुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर किए गए ऋण जोखिम की गणना पर संबंधित काउन्टर के लिए “मानव” श्रेणी के ऋण आस्ति के लिए लागू शर्तों के अनुसार प्रावधानीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में जोखिमवाली आस्तियों पर 0.4% प्रावधान किया जाना है। हमारे खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव		ब्याजदर डेरिवेटिव (आईएनआर)	
1	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि)	88,506.35		22,524.53	
	क) हेजिंग हेतु	6,191.41		16,849.53	
	ख) कारोबार हेतु	82,314.94		5,675.00	
2	बाजार दर पर स्थितियां (1)				
	क) आस्ति (+)	259.35		930.56	
	ख) देयता (-)	4.68		(74.84)	
3	ऋण जोखिम (एक्सपोजर) (2)	3,282.96		401.00	
4	ब्याज दर में 1% के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	2.18		198.04	
	ख) कारोबारी डेरिवेटिव पर	(0.83)		0.14	
5	वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी01 की अधिकतम और न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
	क) हेजिंग पर	4.51	2.18	180.31	95.04
	ख) कारोबार पर	0.83	0.74	0.26	0.14

Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instrument.

Residual Maturity	Conversion factor applied on Notional Principal Amount	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five years	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, “sold options” are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the “Standard” category, of the concerned counter party. At present the provision is to be maintained at 0.4% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. Quantitative Disclosures

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives (INR)	
1	Derivatives (Notional Principal Amount)	88,506.35		22,524.53	
	a) For hedging	6,191.41		16,849.53	
	b) For trading	82,314.94		5,675.00	
2	Marked to Market Positions [1]				
	a) Asset (+)	259.35		930.56	
	b) Liability (-)	4.68		(74.84)	
3	Credit Exposure [2]	3,282.96		401.00	
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) on hedging derivatives	2.18		198.04	
	b) on trading derivatives	(0.83)		0.14	
5	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	Max.	Min.	Max.	Min.
	a) On hedging	4.51	2.18	180.31	95.04
	b) On trading	0.83	0.74	0.26	0.14

### 3.4 आस्ति गुणवत्ता

#### 3.4.1 अनर्जक आस्तियां

##### (क) अनर्जक अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
(i) निवल अग्रिमों में से निवल एनपीए (%)	1.47%	0.91%
(ii) एनपीए (सकल) का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	4,811.55	4,882.65
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	5,401.24	2,908.38
ग) वर्ष के दौरान कमी	4,318.82	2,979.48
घ) अंतिम शेष	5,893.97	4,811.55
(iii) निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	1,944.99	2,207.45
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,716.62	94.82
ग) वर्ष के दौरान कमी	1,005.19	357.28
घ) अंतिम शेष	3,656.42	1,944.99
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
क) आरंभिक शेष	2,224.78	2,199.38
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	2,066.31	1,139.36
ग) बट्टे खाते में/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैंक	2,818.31	1,113.96
घ) अंतिम शेष	1,472.78	2,224.78

##### (ख) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
(i) निवल निवेश पर निवल एनपीआई (%)	0.21%	0.00%
(ii) एनपीआई (सकल) का प्रवाह		
क) आरंभिक शेष	262.33	275.21
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	344.17	2.47
ग) वर्ष के दौरान कमी	29.60	15.35
घ) अंतिम शेष	576.90	262.33
(iii) निवल एनपीआई का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	2.79	(8.01)
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	185.96	0.34
ग) वर्ष के दौरान कमी	2.71	(10.46)
घ) अंतिम शेष	186.04	2.79
(iv) एनपीआई के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	259.54	283.22
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	158.21	2.13
ग) बट्टे खाते में/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैंक	26.89	25.81
घ) अंतिम शेष	390.86	259.54

### 3.4 Asset Quality

#### 3.4.1 Non-Performing Assets

##### (a) Non performing Advances

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2011-12	2010-11
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	1.47%	0.91%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening balance	4,811.55	4,882.65
b) Additions during the year	5,401.24	2,908.38
c) Reductions during the year	4,318.82	2,979.48
d) Closing balance	5,893.97	4,811.55
(iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening balance	1,944.99	2,207.45
b) Additions during the year	2,716.62	94.82
c) Reductions during the year	1,005.19	357.28
d) Closing balance	3,656.42	1,944.99
(iv) Movement of provision for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
a) Opening balance	2,224.78	2,199.38
b) Provisions made during the year	2,066.31	1,139.36
c) Write-off/write-back of excess provisions	2,818.31	1,113.96
d) Closing balance	1,472.78	2,224.78

##### (b) Non performing Investments

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2011-12	2010-11
(i) Net NPIs to Net Investment (%)	0.21%	0.00%
(ii) Movement of NPIs (Gross)		
a) Opening balance	262.33	275.21
b) Additions during the year	344.17	2.47
c) Reductions during the year	29.60	15.35
d) Closing balance	576.90	262.33
(iii) Movement of Net NPIs		
a) Opening balance	2.79	(8.01)
b) Additions during the year	185.96	0.34
c) Reductions during the year	2.71	(10.46)
d) Closing balance	186.04	2.79
(iv) Movement of provision for NPIs		
a) Opening balance	259.54	283.22
b) Provisions made during the year	158.21	2.13
c) Write-off/write-back of excess provisions	26.89	25.81
d) Closing balance	390.86	259.54

3.4.2 पुनर्गठित खातों की विवरणी

(क) वर्ष के दौरान पुनर्गठन की शर्त पर ऋण आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	सीडीआर मेकेनिजम	एसएमई ऋण पुनर्गठन	अन्य
पुनर्गठित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	20	124	2403
	बकाया राशि	1,520.46	287.63	7,323.04
	घाटा (उचित मूल्यहास)	217.70	0.00	50.65
पुनर्गठित अव मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	90
	बकाया राशि	0.00	0.00	5.19
	घाटा (उचित मूल्यहास)	0.00	0.00	0.46
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	2	0	2
	बकाया राशि	44.13	0.00	0.02
	घाटा (उचित मूल्यहास)	18.79	0.00	0.00
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	22	124	2495
	बकाया राशि	1,564.59	287.63	7,328.25
	घाटा (उचित मूल्यहास)	236.49	0.00	51.11

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा समेकित पुनर्गठन की शर्त पर ऋण आस्तियों का विवरण: (विपत्तिकालीन स्थिति वाले किसानों के पुनर्गठित खातों के संबंध में सूचना)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	सीडीआर मेकेनिजम	एसएमई ऋण पुनर्गठन	अन्य
पुनर्गठित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	1,886.00
	बकाया राशि	0.00	0.00	30.69
	घाटा (उचित मूल्यहास)	0.00	0.00	0.18
पुनर्गठित अव मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	3.00
	बकाया राशि	0.00	0.00	0.32
	घाटा (उचित मूल्यहास)	0.00	0.00	0.00
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	0.00
	बकाया राशि	0.00	0.00	0.00
	घाटा (उचित मूल्यहास)	0.00	0.00	0.00
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	0.00	1,889.00
	बकाया राशि	0.00	0.00	31.01
	घाटा (उचित मूल्यहास)	0.00	0.00	0.18

3.4.2 Particulars of Accounts Restructured

(a) Details of Loan assets subjected to restructuring during the year

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of borrowers	20	124	2403
	Amount Outstanding	1,520.46	287.63	7,323.04
	Sacrifice (diminution in the fair value)	217.70	0.00	50.65
Sub Standard advances restructured	No. of borrowers	-	-	90
	Amount Outstanding	0.00	0.00	5.19
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.00	0.46
Doubtful advances restructured	No. of borrowers	2	0	2
	Amount Outstanding	44.13	0.00	0.02
	Sacrifice (diminution in the fair value)	18.79	0.00	0.00
Total	No. of borrowers	22	124	2495
	Amount Outstanding	1,564.59	287.63	7,328.25
	Sacrifice (diminution in the fair value)	236.49	0.00	51.11

(b) Details of Loan assets subjected to restructuring during the year (Information in respect of restructured accounts of farmers in distress) as compiled by the management

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of borrowers	0.00	0.00	1,886.00
	Amount Outstanding	0.00	0.00	30.69
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.00	0.18
Sub-Standard advances restructured	No. of borrowers	0.00	0.00	3.00
	Amount Outstanding	0.00	0.00	0.32
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.00	0.00
Doubtful advances restructured	No. of borrowers	0.00	0.00	0.00
	Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.00	0.00
Total	No. of borrowers	0.00	0.00	1,889.00
	Amount Outstanding	0.00	0.00	31.01
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.00	0.18

**3.4.3 आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2010-11
I	खातों की संख्या	0.00	9.00
II	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों से घटाकर)	0.00	2.29
III	कुल प्रतिफल	0.00	9.72
IV	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया हुआ अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.00
V	निवल बही मूल्य पर कुल आय/(हानि)	0.00	7.43

**3.4.4. खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (अन्य बैंक से/को)**

**क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2011-12	2010-11
1	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2	(क) इनमें से वर्ष के दौरान कितने खातों का पुनर्गठन किया गया	शून्य	शून्य
	(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

**ख) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2011-12	2010-11
1.	वर्ष के दौरान बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

**3.4.5 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.2012	यथा 31.03.2011
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,182.66	869.24

**3.5. कारोबार अनुपात**

क्र. सं.	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
(i)	औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का प्रतिशत	7.69%	7.18%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	0.90%	0.87%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.81%	1.78%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	0.72%	0.82%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में) (जमाराशियां +अग्रिम)	13.60	12.84
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.064	0.062

**3.4.3 Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction**

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2011-12	2010-11
I	Number of accounts	0.00	9.00
II	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	0.00	2.29
III	Aggregate consideration	0.00	9.72
IV	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
V	Aggregate gain/(loss) over net book value	0.00	7.43

**3.4.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold (from/to other banks)**

**a) Details of non-performing financial assets purchased:**

(Amount in ₹ crore)

	Particulars	2011-12	2010-11
1	(a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

**b) Details of non-performing financial assets sold :**

(Amount in ₹ crore)

	Particulars	2011-12	2010-11
1.	No. of accounts sold	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3.	Aggregate consideration received	Nil	Nil

**3.4.5 Provisions on Standard Assets**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	As at 31.03.2012	As at 31.03.2011
Provisions towards Standard Assets	1,182.66	869.24

**3.5. Business Ratios**

Sr. No.	Particulars	31.03.2012	31.03.2011
(i)	Interest Income as a percentage to average Working Funds	7.69%	7.18%
(ii)	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	0.90%	0.87%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	1.81%	1.78%
(iv)	Return on Assets	0.72%	0.82%
(v)	Business per employee (₹ in crore) (deposits plus advances)	13.60	12.84
(vi)	Profit per employee (₹ in crore)	0.064	0.062



3.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता प्रकार

3.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 महीने तक 29 days to 3 months	3 महीनों से अधिक एवं 6 महीनों तक Over 3 months & upto 6 months	6 महीनों से अधिक एवं 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्षों तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्षों से अधिक एवं 5 वर्षों तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	जोड़ Total
जमाराशियां Deposits	13,606.94	10,449.59	8,520.86	15,617.21	42,721.56	46,822.40	39,117.21	42,654.51	33,851.51	64,854.24	3,18,216.03
अग्रिम Advances	19,992.56	4,440.92	4,329.87	6,806.53	59,624.16	34,931.97	14,944.38	26,932.10	30,386.82	46,444.03	2,48,833.34
निवेश Investments	100.01	635.49	1,295.02	1,290.82	6,510.92	3,705.34	3,160.37	6,296.55	13,558.14	50,200.92	86,753.58
उधार Borrowings	372.26	8,885.78	469.69	665.64	2,177.89	1,029.89	105.44	3,510.74	5,999.56	8,897.34	32,114.23
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	3,288.34	5,691.46	4,417.83	4,780.82	22,231.33	20,932.93	5,760.88	6,005.48	7,494.52	10,461.01	91,064.60
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	1,753.80	5,389.58	5,338.13	9,703.71	27,572.70	21,032.39	8,687.52	5,564.53	5,880.90	4,236.09	95,159.35

3.7 एक्सपोजर

3.7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र के लिए एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र.	प्रवर्ग	यथा 31.03.2012	यथा 31.03.2011
क)	प्रत्यक्ष एक्सपोजर	16,640.82	16,495.47
	i) आवासीय बंधक	10,501.25	9,678.42
	- जिसमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आवास ऋण	6,944.72	6,034.69
	ii) व्यवसायिक रियल इस्टेट	6,137.93	6,814.43
	iii) गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर में निवेश	1.64	2.62
	क) आवासीय	1.64	2.62
	ख) व्यवसायिक रियल इस्टेट	0.00	0.00
ख)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	7,408.75	4,316.46
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर बाजार में निवेश	7,408.75	4,316.46
	रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर	24,049.57	20,811.93

3.7 Exposures

3.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Category	As at 31.03.2012	As at 31.03.2011
a)	Direct exposure	16,640.82	16,495.47
	i) Residential Mortgages	10,501.25	9,678.42
	Out of which Priority Sector housing loans	6,944.72	6,034.69
	ii) Commercial Real Estate	6,137.93	6,814.43
	iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised Exposures	1.64	2.62
	a) Residential	1.64	2.62
	b) Commercial Real Estate	0.00	0.00
b)	Indirect Exposure	7,408.75	4,316.46
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	7,408.75	4,316.46
	<b>Total exposure to Real Estate Sector</b>	<b>24,049.57</b>	<b>20,811.93</b>

3.7.2 पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रवर्ग	2011-12	2010-11
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया गया।	906.92	926.93
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित) परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	12.91	11.60
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	4.47	7.53
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपादिक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बाण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम;	436.89	436.62
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ;	1,688.46	1,713.15
vi)	स्रोतों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण;	0.00	0.00
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	0.00	0.00
ix)	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	0.00	0.00
x)	उद्यम के लिए पूंजी निधि हेतु सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	292.45	151.60
	<b>पूंजी बाजार में कुल निवेश</b>	<b>3,342.10</b>	<b>3,247.43</b>

3.7.2 Exposure to Capital Market

(Amount in ₹ crore)

S.No.	Category	2011-12	2010-11
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	906.92	926.93
ii)	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	12.91	11.60
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	4.47	7.53
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	436.89	436.62
v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	1,688.46	1,713.15
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii)	Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	292.45	151.60
	<b>Total Exposure to Capital Market</b>	<b>3,342.10</b>	<b>3,247.43</b>

**3.7.3 एक्सपोजर के प्रवर्ग के अनुसार देश का जोखिम**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जोखिम प्रवर्ग	यथा दिनांक 31.03.2012		यथा दिनांक 31.03.2011	
		एक्सपोजर (निवल)	धारित प्रावधान	एक्सपोजर (निवल)	धारित प्रावधान
1	नागण्य	43,413.00	46.47	19,917.89	20.00
2	निम्न	4,404.23	3.53	4,912.39	0.00
3	साधारण	2,306.68	0.00	1,816.49	0.00
4	उच्च	1,505.00	0.00	344.03	0.00
5	बहुत उच्च	56.45	0.00	1,514.74	0.00
6	प्रतिबंधित	44.40	0.00	1.39	0.00
7	ऑफ़ केडिट	0.01	0.00	0.54	0.00
	<b>कुल</b>	<b>51,729.76</b>	<b>50.00</b>	<b>28,507.47</b>	<b>20.00</b>

**3.7.4 बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर सीमा	स्वीकृत सीमा	31.03.2012 को बकाया
1.	एकल उधारकर्ता			
	आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड (एचडीएफसी)	2,491	3,017.27	3,017.27
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

स्वीकृत सीमा अथवा बकाया शेष जो भी उच्चतर है उसे एक्सपोजर माना जाएगा। ब्याज दर स्वैप, डेरिवेटिव तथा फारवर्ड विनिमय संविदा जैसे सभी एक्सपोजर पर विचार करके उपर्युक्त स्थिति पर पहुंचा गया है।

2010-11 की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण पर भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट में दिए गए उनके विचारों के आधार पर आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड को एनबीएफसी माना गया है।

**3.7.5 गैर-जमानती अग्रिम:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि	966.57	563.46
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य	4,877.23	105.95

**3.7.3 Risk Category wise Country Exposure**

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Risk Category	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
		Exposure (Net)	Provision held	Exposure (Net)	Provision held
1	Insignificant	43,413.00	46.47	19,917.89	20.00
2	Low	4,404.23	3.53	4,912.39	0.00
3	Moderate	2,306.68	0.00	1,816.49	0.00
4	High	1,505.00	0.00	344.03	0.00
5	Very High	56.45	0.00	1,514.74	0.00
6	Restricted	44.40	0.00	1.39	0.00
7	Off credit	0.01	0.00	0.54	0.00
	<b>Total</b>	<b>51,729.76</b>	<b>50.00</b>	<b>28,507.47</b>	<b>20.00</b>

**3.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.**

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2012
1.	Single Borrower			
	Housing Development Finance Corporation Limited	2,491	3,017.27	3,017.27
2.	Group Borrower			
	NIL	NIL	NIL	NIL

Exposure is reckoned as Sanctioned Limit or Balance outstanding whichever is higher. The above position is arrived at after taking into consideration all exposure such as Interest Rate Swaps, Derivatives and Forward Exchange Contracts)

Housing Development Finance Corporation Limited has been considered as NBFC based on RBI's views contained in their report on Annual Financial Inspection for 2010-11.

**3.7.5 Unsecured Advances:**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority, etc.	966.57	563.46
Estimated value of such intangible collateral securities	4,877.23	105.95

3.8 विविध

3.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु प्रावधान की राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
आयकर के लिए प्रावधान	518.85	869.31
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	381.15	137.37
<b>कुल</b>	<b>900.00</b>	<b>1,006.68</b>

विगत वर्षों के लिए ₹ 77.01 करोड़ के क्रेडिट एनटाइटेल्मेंट हेतु न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) मानने के बाद इस वर्ष का कर व्यय का परिकलन किया गया है।

3.8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन :

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक पर बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 अथवा इस अधिनियम के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों या किसी नियम की किसी आवश्यकता के गैर-अनुपालन अथवा उल्लंघन पर कोई दंड नहीं लगाया गया सिवाय एसजीएल डील बाउन्सिंग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को दंड स्वरूप दिया गया ₹ 1 लाख, जो बाद में घटक से वसूला गया।

4. लेखांकन मानकों (एस) द्वारा अपेक्षित प्रकटन जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने लेखे पर टिप्पणियों के प्रकटन मर्दों के विषय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं:

4.1 लेखांकन मानक 9-राजस्व की पहचान

अनुसूची 17: मुख्य लेखांकन नीतियों के लेखांकन नीति सं 2 के अनुसार आय की कुछ मर्दों को वसूली के पश्चात स्वीकार किया जाता है। तथापि उक्त आय को मूर्त नहीं माना जाता है।

4.2 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

3.8 Miscellaneous

3.8.1 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Provision for Income Tax	518.85	869.31
Provision for Deferred Tax	381.15	137.37
<b>Total</b>	<b>900.00</b>	<b>1,006.68</b>

Tax expense for the year is after recognising Minimum Alternate Tax (MAT) credit entitlement of ₹ 77.01 crore for earlier years.

3.8.2 Disclosures of Penalties imposed by RBI

During the financial year 2011-12, bank has not been subjected to any penalty for contravention or non-compliance with any requirement of the Banking Regulation Act, 1949, or any rules or conditions specified by the Reserve Bank of India in accordance with the said Act, except for a penalty of ₹ 1 lakh paid to RBI for bouncing of SGL deal which was subsequently recovered from the constituent.

4. Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS) where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items for Notes to Accounts:

4.1 Accounting Standard 9 – Revenue recognition

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy no. 2 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

4.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ crore)

		2011-2012		2010-2011	
		ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	प्रयुक्त प्रमुख बीमाकिक पूर्वानुमान : वर्तमान छूट दर वर्तमान आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर वर्तमान वेतन वृद्धि वर्तमान ह्रास दर	<b>Principal actuarial assumptions used :</b>			
		8.50%	9.00%	8.50%	8.50%
		8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
		4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
(ii)	लाभदायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका अवधि के प्रारंभ में देयता ब्याज लागत वर्तमान सेवा लागत सेवा उपरांत लागत (परिशोधीत) सेवा उपरांत लागत (निहित लाभ) अन्य ट्रस्ट से अन्तरित देयताएं	<b>Table showing change in benefit obligation:</b>			
		1,449.67	6,892.06	904.65	2,177.49
		119.85	583.29	70.72	166.72
		53.37	169.02	54.51	79.24
		–	–	428.96	2,212.15
		–	–	–	707.75
		0.04	–	–	1,539.00

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ crore)

		2011-2012		2010-2011	
		ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
	देयता अंतरण-निर्गम प्रदत्त लाभ दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि वर्ष के अंत में देयता	— (186.18) 40.89 1,477.64	— (397.70) (107.29) 7,139.38	— (150.38) 141.21 1,449.67	— (345.42) 355.13 6,892.06
(iii)	<b>प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका:</b> अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल अंशदान अन्य ट्रस्ट से अन्तरण अन्य कम्पनी को अन्तरण प्रदत्त लाभ प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि) वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य मानने योग्य कुल बीमांकित लाभ/(हानि)	<b>Table of Fair value of Plan Assets :</b> Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period Expected return on Plan Assets Contributions Transfer from other trust Transfer to other company Benefit Paid Actuarial gain/(loss) on Plan Assets Fair Value of Plan Assets at the end of the year Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised			
		837.85 80.99 267.65 0.04 — (186.18) 16.77 1,017.12 (24.13)	3,571.61 386.30 1,456.03 1.59 — (397.70) 52.30 5,070.13 159.59	875.28 67.80 47.37 — — (150.38) (2.22) 837.85 (143.43)	1,764.02 145.28 224.70 1,539.00 — (345.42) 244.03 3,571.61 (111.10)
(iv)	<b>संक्रमणकालीन देयता की मान्यता :</b> प्रारंभ में परिवर्तन देयता वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता अंत में संक्रमणकालीन देयता	<b>Recognition of Transitional Liability :</b> Transitional Liability at start Transition Liability recognised during the year Transition Liability at end			
		344.17 86.79 257.38	1,864.11 536.82 1,327.29	2.00 1.00 1.00	188.77 94.38 94.39
(v)	<b>प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :</b> प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि) प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	<b>Actual return on Plan Assets :</b> Expected Return on Plan Assets Actuarial gain/(loss) on Plan Assets Actual return on Plan Assets			
		80.99 16.77 97.76	386.30 52.30 438.60	67.80 (2.22) 65.58	145.28 244.03 389.31
(vi)	<b>तुलन पत्र में मान्य राशि :</b> अवधि के अंत में देयता वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य अंतर अमान्य विगत सेवा लागत अमान्य परिवर्तन देयता तुलन पत्र में मान्य राशि	<b>Amount recognised in the Balance Sheet :</b> Liability at the end of the period Fair Value of Plan Assets at the end of the year Difference Unrecognised Past Service Cost (Amortised) Unrecognised Transition Liability Amount Recognised in the Balance Sheet			
		1,477.64 1,017.12 (460.52) — 257.38 (203.14)	7,139.38 5,070.13 (2069.25) — 1327.29 (741.96)	1,449.67 837.85 (611.82) 343.17 1.00 (267.65)	6,892.06 3,571.61 (3,320.45) 1,769.72 94.39 (1,456.34)
(vii)	<b>आय विवरण में मान्य व्यय:</b> वर्तमान सेवा लागत ब्याज लागत प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल मान्य सेवा विगत (परिशोधित) लागत मान्य सेवा विगत लागत (निहित लाभ) संक्रमणकालीन देयता-मान्य बीमांकित (लाभ) या हानि लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	<b>Expenses recognised in the Income Statement :</b> Current Service Cost Interest Cost Expected Return on Plan Assets Past Service Cost (Amortised) recognised Past Service Cost (Vested Benefit) recognised Recognition of Transition Liability Actuarial (Gain) or Loss Expense Recognised in P & L			
		53.37 119.85 (80.99) — — 86.79 24.13 203.14	169.02 583.29 (386.30) — — 536.82 (159.59) 743.24	54.51 70.72 (67.80) 85.79 — 1.00 143.43 287.65	79.24 166.72 (145.28) 442.43 707.75 94.38 111.10 1,456.34
(viii)	<b>तुलन पत्र समाधान:</b> प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि) उपर्युक्त अनुसार व्यय अन्य कंपनी से अंतरण निवल अन्य कंपनी को अंतरण निवल नियोक्ता का अंशदान तुलन पत्र में मान्य राशि	<b>Balance Sheet Reconciliation :</b> Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet) Expenses as above Transfer from other Company Net Transfer to other Company Net Employer's Contribution Amount Recognised in Balance Sheet			
		267.65 203.14 — — (267.65) 203.14	1,453.94 743.84 (1.59) — (1,456.03) 740.16	27.37 287.65 — — (47.37) 267.65	224.70 1,456.34 — — (224.70) 1,456.34



(₹ करोड़ में / Amount in ₹ crore)

		2011-2012		2010-2011		
		ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	
(ix)	<b>अन्य विवरण :</b> अधिकतम 50% के अध्यक्षीन सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए पेंशन, वेतन के 1/66 की दर से देय है। रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक दी गई कंपनी की योजना के अनुसार अथवा अधिकतम ₹ 10,00,000/- के अध्यक्षीन प्रत्येक वर्ष की सेवा हेतु 15 दिनों के वेतन दर पर देय ग्रेच्युटी घटना वर्ष में लेखाकृत बीमार्किक लाभ/हानि  सदस्यों की संख्या वेतन प्रतिमाह अगले वर्ष के लिए अंशदान	<b>Other Details :</b> Pension is payable at the rate of 1/66 salary for each year of service subject to maximum of 50% Gratuity is payable at the rate of 15 day's salary for each year of service subject to a maximum of ₹ 10,00,000/ or as per company scheme as detailed in report. Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence No. of members Salary P.M. Contribution for next period	41,455 126.99 126.99	34,498 116.83 378.53	39,948 127.70 127.65	36,950 121.92 395.02
(x)	<b>आस्तियों का प्रवर्ग :</b> भारत सरकार की आस्तियां कार्पोरेट बांड्स विशेष जमा योजना राज्य सरकार सम्पत्ति अन्य बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां कुल	<b>Category of Assets :</b> Government of India Assets Corporate Bonds Special Deposits Scheme State Government Property Other Insurer managed funds Total	193.05 542.43 — 229.80 — 51.84 — 1,017.12	630.92 3,178.78 — 1,158.38 — 102.05 — 5,070.13	193.05 232.93 — 227.43 — 16.80 167.64 837.85	703.20 968.94 — 901.40 — 69.10 928.97 3,571.61
(xi)	<b>अनुभव समायोजन :</b> प्लान देयता पर (लाभ)/हानि प्लान एसेट पर (हानि)/लाभ	<b>Experience Adjustment :</b> On Plan Liability (Gain)/Loss On Plan Asset (Loss)/Gain	40.89 16.77	993.74 52.30	217.38 (2.22)	1,417.88 244.03

- i) 31.03.2007 तक परिवर्तन देयता का प्रभाव 17.10.2007 को मानक के सीमित संशोधन के अनुसार पांच साल की अवधि में सीधी रेखा आधार पर एक व्यय के रूप में मान्य किया गया। तदनुसार ₹ 125.27 करोड़ की राशि 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए कुल परिवर्तन देयता का 1/5 होने के कारण लाभ एवं हानि खाते में प्रभाषित की गई है।
- ii) पुरानी प्रथा में अनुसार बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक के दौरान बैंक ने ऐसी निधि के लिए जो एक निर्धारित अंशदान योजना है, में ₹ 28.67 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹ 56.83 करोड़) का अंशदान किया है।
- iii) 31.03.2011 में समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने पेंशन विकल्प को पुनः खोला। यह विकल्प ऐसे कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना का विकल्प नहीं लिया था। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 22,338 कर्मचारियों ने इस विकल्प को चुना और बैंक ने ₹ 2,212.15 करोड़ की देयता खर्च की है। आगे, 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान, ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान में संशोधन के अनुपालन में बैंक के कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की सीमा बढी है। इसके परिणामस्वरूप बैंक की ग्रेच्युटी देयता बढ़कर ₹ 428.96 करोड़ हो गई है।

- i) The effect of transitional liability till 31.03.2007 as required by the accounting standard has been recognised as an expense on straight line basis over a period of five years pursuant to limited revision of Standard on 17.10.2007. Accordingly, an amount of ₹ 125.27 Crores has been charged to the Profit and Loss account for the year ended 31.03.2012 being 1/5th of the total transitional liability.
- ii) As per the past practice, the bank has recognised contribution to employee provident fund as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 28.67 crore (previous year ₹ 56.83 crore) towards such fund which is a defined contribution plan.
- iii) During the year ended 31.03.2011, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of which by 22,338 employees, the bank has incurred a liability of ₹ 2,212.15 crore. Further, during the year ended 31.03.2011, the limit of Gratuity payable to the employees of the banks was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity

iv) लेखांकन मानक (एस)15: कर्मचारी लाभ की आवश्यकताओं की शर्तों के अनुसार ₹ 2,641.11 करोड़ (अर्थात ₹ 2,212.15 करोड़ + ₹ 428.96 करोड़) की संपूर्ण राशि लाभ एवं हानि खातों को 31.03.2011 को समाप्ति वर्ष में प्रभारित की जानी है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प खोलने एवं ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोत्तरी - प्रूडेंशियल रेग्युलेटरी ट्रीटमेंट, दिनांक 9 फरवरी, 2011 परिपत्र संख्या (डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11) जारी किया है। उक्त कथित परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, बैंक पांच वर्षों के अवधि में ₹ 2,641.11 करोड़ की राशि को ऋण खमाएगा। तदनुसार ₹ 528.22 करोड़ (₹ 2,641.11 करोड़ के पांचवें हिस्से को प्रदर्शित करती है) की राशि चालू वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित की जाएगी और ₹ 1584.67 करोड़ की राशि आगे ले जायी जा रही है। तथा आने वाले वर्षों में बैंक के लाभ व हानि खातों में प्रभारित की जाएगी।

Act, 1972. As a result the gratuity liability of the Bank has increased by ₹ 428.96 crore.

iv) In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15 : Employee Benefits, the entire amount of ₹ 2,641.11 crore (i.e. ₹ 2,212.15 crore + Rs.428.96 crore) was required to be charged to the Profit and Loss Account during the year ended 31.03.2011. However, the Reserve Bank of India issued a circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on re-opening of pension option to employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, the Bank would amortise the amount of ₹ 2,641.11 crore over a period of five years. Accordingly an amount of ₹ 528.22 crore (representing one-fifth of ₹ 2,641.11 crore) has been charged to the profit and loss account for the current year and the balance of ₹ 1,584.67 crore is being carried forward to be charged to profit and loss account of the bank in the coming years.

**4.3 लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्ट करना / Accounting Standard 17 - Segment Reporting**

**भाग क: कारोबार खण्ड / Part A: Business Segment**

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ crore)

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन		थोक बैंकिंग परिचालन		खुदरा बैंकिंग परिचालन		कुल Total	
		Treasury Operations	Wholesale Banking Operations	Retail Banking Operations	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
परिणाम	Results	1,615.23	39.43	1,465.53	3,089.17	649.74	515.06	3,730.50	3,643.66
गैर अनाबंटित आय खर्च को छोड़कर	Unallocated Income Net of Expenses							(152.98)	(148.27)
परिचालनगत लाभ	Operating Profit							3,577.52	3,495.39
आयकर	Income Tax							900.00	1,006.68
असाधारण लाभ/हानि	Extraordinary profit/loss							0.00	0.00
निवल लाभ	Net Profit							2,677.52	2,488.71
<b>अन्य जानकारी :</b>		<b>Other Information :</b>							
खंड आस्तियां	Segment Assets	1,16,936.59	1,15,527.65	1,91,886.13	1,60,056.78	67,877.47	68,470.14	3,76,700.19	3,44,054.57
गैर आबंटित आस्तियां	Unallocated Assets							7,835.28	7,117.98
कुल आस्तियां	Total Assets							3,84,535.47	3,51,172.55
खण्ड देयताएं	Segment Liabilities	1,10,866.24	1,09,771.66	1,81,978.81	1,52,015.19	64,382.53	65,169.57	3,57,227.58	3,26,956.42
गैर आबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities							6,346.11	6,925.45
कुल देयताएं	Total Liabilities							3,63,573.69	3,33,881.87

(\*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण 'अन्य बैंकिंग परिचालन' नहीं है। / (\*) The Bank does not have any significant "Other Banking Operations".

**भाग ख: भौगोलिक खण्ड / Part B: Geographical Segment**

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ crore)

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
		2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
विवरण	Particulars						
राजस्व	Revenue	28,816.89	22,318.14	2,984.95	2,075.36	31,801.84	24,393.50
आस्तियां	Assets	2,95,516.76	2,89,524.85	89,018.71	61,647.70	3,84,535.47	3,51,172.55

1. लेखा मानक 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों सहित, बैंक ने व्यावसायिक खंडों को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड तथा भौगोलिक खंडों को गौण खंडों के रूप में पहचाना है।

#### प्राथमिक खंड : कारोबार खंड

- क) **कोषागार परिचालन:** खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों के साथ पूंजी बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं।
- ख) **थोक बैंकिंग:** थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।
- ग) **खुदरा बैंकिंग:** खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :
- एक्सपोज़र ऋण निवेश अधिकतम कुल निवेश ₹ 5 करोड़ तक।
  - कुल वार्षिक कारोबार ₹ 50 करोड़ से कम है यथा वर्तमान कंपनियों के मामले में पिछले तीन वर्षों का औसत तथा नई कंपनियों के मामले में अनुमानित कुल कारोबार।

#### अंतर-खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

#### लागत का विनियोजन

- क) विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।
- ख) विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

#### गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

- क) स्वदेशी परिचालन
- ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

#### 4.4 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्षकार, के संव्यवहार :

##### 1) संबंधित पक्षकारों की सूची

##### (क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध

निदेशक : श्री आलोक मिश्रा

कार्यपालक

निदेशक : श्री एन. शेषाद्रि

श्री एम. एस. राघवन

(01.01.2012 से)

श्री बी.ए. प्रभाकर

(15.12.2011 तक)

1. The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

#### Primary Segment: Business Segments

- a) **Treasury Operations:** 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.
- b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.
- c) **Retail Banking:** Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:
- Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5 Crores
  - The total annual turnover is less than ₹ 50 Crores i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

#### Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

#### Allocation of Costs

- a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.
- b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

#### Secondary Segment: Geographical Segments

- a) Domestic Operations
- b) International Operations

#### 4.4 Accounting Standard 18 - Related Party Transactions

##### 1) List of Related Parties:

##### (a) Key Managerial Personnel :

Chairman &

Managing Director : Shri Alok K Misra

Executive Directors : Shri N. Seshadri

Shri. M. S. Raghavan

(w.e.f. 01.01.2012)

Shri. B. A. Prabhakar

(upto 15.12.2011)

- (ख) अनुषंगियां:
- बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
  - पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (पहले पीटी बैंक स्वदेशी के रूप में जाना जाता था)
  - बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि.
  - बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि
  - बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.
- (ग) सहायक कंपनियां :
- एसटीसीआई फाइनेन्स लिमिटेड (पहले भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि. के रूप में जाना जाता था)
  - एसएसआरईसी (इंडिया) लि.
  - इंडो-जाम्बिया बैंक लि.
  - बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, बैतरणी ग्रामीण बैंक, झारखण्ड ग्रामीण बैंक, नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक;
- (घ) संयुक्त उद्यम
- स्टार यूनिनियन दार्ई ईची जीवन बीमा कंपनी लि.
- (b) Subsidiaries :
- BOI Shareholding Limited.
  - PT Bank of India Indonesia Tbk (Formerly known as PT Bank Swadeshi)
  - Bank of India (Tanzania) Ltd.
  - Bank of India (New Zealand) Limited.
  - Bank of India (Uganda) Ltd.
- (c) Associates :
- STCI Finance Limited. (Formerly known as Securities Trading Corporation of India Ltd.)
  - ASREC (India) Ltd.
  - Indo-Zambia Bank Ltd.
  - 5 Regional Rural Banks sponsored by the Bank
- Aryavart Gramin Bank; Baitarani Gramya Bank; Jharkhand Gramin Bank; Narmada Malwa Gramin Bank; Wainganga Krishna Gramin Bank;
- (d) Joint Venture :
- Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.

II. (क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित) / (a) Transactions with Related Parties (As compiled by the management)

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ crore)

मर्दे/ संबंधित पक्ष	Items/ Related Party	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधन कार्मिक		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संबंधी		कुल	
		Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
		2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
जमा	Deposit	-	28.92	0.52	0.41	-	0.00*	0.52	29.33
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	-	68.67	1.13	0.53	-	0.01	1.13	69.21
जमाराशियों का नियोजन	Placement of deposits	73.78	306.71	-	-	-	-	73.78	306.71
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	173.40	57.66	-	-	-	-	173.40	57.66
निवेश	Investments	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	10.52	-	-	-	-	-	10.52	-
मांग/सूचना/मीयादी मुद्रा में उधार देना	Lending in Call Notice / Term Money	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य उधार देना	Other Lending	112.50	99.99	-	-	-	-	112.50	99.99
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	112.50	-	-	-	-	-	112.50	-
मांग/सूचना/ मीयदी मुद्रा में उधार लेखा	Borrowings in Call/ Notice / Term Money	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	150.00	100.67	0.02	0.08	-	-	150.02	100.75

मदें/ संबंधित पक्ष	Items/ Related Party	सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधन कार्मिक		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संबंधी		कुल	
		Associates/ Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
		2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
सरकारी प्रतिभूति/ ट्रेजरी बिलों / बांडों की बिक्री	Sale of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	140.27	144.19	-	-	-	-	140.27	144.19
सरकारी प्रतिभूति/ ट्रेजरी बिलों / बांडों की खरीद	Purchase of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	101.24	320.39	-	-	-	-	101.24	320.39
गैर-निधि वायदे	Non-funded commitments	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज	Interest paid	2.82	1.18	0.04	0.02	-	-	2.86	1.20
प्राप्त ब्याज	Interest received	3.68	2.00	-	-	-	0.00*	3.68	2.00
प्राप्त गैर-वित्तीय खर्चे	Non financial expense recd.	0.18	0.16	-	-	-	-	0.18	0.16
लाभांश	Dividend	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त	Paid	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त लाभांश	Dividend Received	10.94	1.31	-	-	-	-	10.94	1.31
प्रदान सेवाएं	Services rendered	27.06	21.15	-	-	-	-	27.06	21.15
प्राप्त सेवाएं	Services received	17.29	11.67	-	-	-	-	17.29	11.67
प्रबंधन संविदा	Management contracts	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्य प्रभार	Other Charges receivable	-	0.27	-	-	-	-	-	0.27
कोई अन्य	Any Others	2.44	2.68	-	-	-	-	2.44	2.68

\* वास्तविक राशि ₹ 50000/-, से कम होने के कारण दर्शायी नहीं गयी है।

\* Actual amount being less than ₹ 50000/-, the same is not furnished.

**ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक:**

नाम	पदनाम	पारिश्रामिक	
		चालू वर्ष (₹)	विगत वर्ष (₹)
श्री आलोक मिश्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	22,54,643	13,87,200
श्री एन. शेषाद्री	कार्यपालक निदेशक	15,50,895	4,71,250
श्री एम. एस. राघवन	कार्यपालक निदेशक	3,29,850	-
श्री बी.ए. प्रभाकर	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक	15,48,157	11,87,143
श्री एम. नरेन्द्र	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक	0.00	6,75,525

राज्य नियंत्रित होने के कारण सहायक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संव्यवहार, एएस-18 के पैरा 9 की दृष्टि में प्रकटन नहीं किए गए हैं जोकि आईसीएआई द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए जारी किए है जिसमें इन पार्टियों के दूसरे पक्षकारों के साथ, जो भी राज्य नियंत्रित है, संव्यवहारों को प्रकटन न करने की छूट है।

**b) Key Management Personnel:**

Name	Designation	Remuneration	
		Current Year (₹)	Previous Year (₹)
Shri.Alok K. Misra	Chairman & Managing Director	22,54,643	13,87,200
Shri N. Seshadri	Executive Director	15,50,895	4,71,250
Shri M. S. Raghavan	Executive Director	3,29,850	-
Shri. B.A. Prabhakar	Ex-Executive Director	15,48,157	11,87,143
Shri M. Narendra	Ex-Executive Director	0.00	6,75,525

The transactions with the subsidiaries and regional rural banks, being state controlled, have not been disclosed in view of para 9 of AS-18 on Related party disclosure issued by the ICAI exempting state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.



**4.5 लेखांकन मानक 22 - आय पर कर के लिए लेखांकन**

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
	<b>आस्थगित कर आस्तियां</b>		
i)	प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	529.17	352.70
ii)	अन्य	64.26	68.05
	<b>कुल आस्थगित कर आस्तियां</b>	<b>593.43</b>	<b>420.75</b>
	<b>आस्थगित कर देयता</b>		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास के कारण	28.28	26.40
ii)	निवेश पर मूल्यहास के कारण	1,025.05	658.85
iii)	प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं के कारण	605.50	426.99
iv)	अन्य	8.26	3.61
	<b>कुल आस्थगित कर देयताएं</b>	<b>1,667.09</b>	<b>1115.85</b>
	<b>निवल आस्थगित कर आस्तियां / (देयताएं)</b>	<b>(1,073.66)</b>	<b>(695.10)</b>

**4.6 लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यम में निवेश**

निवेश में ₹ 120 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 120 करोड़) शामिल जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक का ब्याज दर्शा रहा है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	रकम	आवासीय देश	होल्डिंग %
1	स्टार यूनियन दार्ई ईची जीवन बीमा कंपनी लि.	₹ 120 करोड़	भारत	48%

**4.7 लेखांकन मानक 19 - पट्टा वित्तपोषण**

(i) पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लेख नीचे किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
क)	सकल निवेश	0.22	0.62
ख)	प्राप्य पट्टा भुगतान		
	(i) 1 वर्ष के बाद नहीं	0.22	0.62
	(ii) 1 वर्ष किन्तु 5 वर्ष के बाद नहीं	0.00	0.00
	(iii) 5 वर्ष के बाद	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>0.22</b>	<b>0.62</b>
ग)	अनर्जित वित्त आय	0.00	0.00
घ)	<b>निवल निवेश [ क - ग ]</b>	<b>0.22</b>	<b>0.62</b>

**4.5 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income**

The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2012	31.03.2011
	<b>Deferred Tax Assets</b>		
i)	On account of timing difference towards provisions	529.17	352.70
ii)	Others	64.26	68.05
	<b>Total Deferred Tax Assets</b>	<b>593.43</b>	<b>420.75</b>
	<b>Deferred Tax Liabilities</b>		
i)	On account of Depreciation on fixed assets	28.28	26.40
ii)	On account of Depreciation on investment	1,025.05	658.85
iii)	On account of interest accrued but not due	605.50	426.99
iv)	Others	8.26	3.61
	<b>Total Deferred Tax Liabilities</b>	<b>1,667.09</b>	<b>1,115.85</b>
	<b>Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)</b>	<b>(1,073.66)</b>	<b>(695.10)</b>

**4.6 Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture**

Investments include ₹ 120 crore (Previous year ₹ 120 crore) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of Residence	Holding %
1	Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd.	₹ 120 crore	India	48%

**4.7 Accounting Standard 19 - Lease Financing**

(i) The contractual maturities of the Bank's investment in lease financing and its components, which are included in advances, are set out below:

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2012	31.03.2011
a)	Gross Investments	0.22	0.62
b)	Lease payment receivables		
	(i) not later than 1 year	0.22	0.62
	(ii) later than 1 year but not later than 5 years	0.00	0.00
	(iii) later than 5 years	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.22</b>	<b>0.62</b>
c)	Unearned finance income	0.00	0.00
d)	<b>Net investments [ a – c ]</b>	<b>0.22</b>	<b>0.62</b>

4.8 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

(₹)

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2010-11
1.	आधाभूत और तनुकृत *	48.98	47.35

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2010-11
(क)	इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ (₹ करोड़)	2,677.52	2,488.71
(ख)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (₹ करोड़)	54.66	52.56
(ग)	मूलभूत प्रति शेयर उपार्जन (ए/बी) (₹)	48.98	47.35
(घ)	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

\* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

4.9 लेखांकन मानक 29: "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियाँ":

क. देयताओं हेतु प्रावधानों की गतिविधि (अन्य के प्रावधानों को निकाल कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले / आकस्मिकताएं	
	2011-12	2010-11
प्रारंभिक शेष	6.61	1.20
वर्ष के दौरान प्रावधान	15.44	216.49
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	211.08
अंतिम शेष	22.05	6.61
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	बहिर्गमन समय पर/ अनिश्चितताएं

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय / मध्यस्थता करने / न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तों, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमशः निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

4.8 Accounting Standard 20 - Earnings Per Share

(₹)

Sr. No.	Particulars	2011-12	2010-11
1.	Basic & Diluted *	48.98	47.35

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.

Sr. No.	Particulars	2011-12	2010-11
(A)	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in crore)	2,677.52	2,488.71
(B)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	54.66	52.56
(C)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	48.98	47.35
(D)	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

\* Basic & Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

4.9 Accounting Standard 29: "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

A. Movement of Provisions for liabilities (excluding provision for others)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Legal cases / contingencies	
	2011-12	2010-11
Opening Balance	6.61	1.20
Provided during the year	15.44	216.49
Amounts used during the year	-	211.08
Closing Balance	22.05	6.61
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / Crystallization	Outflow on settlement / Crystallization

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

**5. अतिरिक्त प्रकटन**

**5.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं**

लाभ और हानि खाते का दिखाए गए “प्रावधान और आकस्मिकताएं” का ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
निवेश के मूल्यहास पर प्रावधान	436.86	136.91
एनपीए हेतु प्रावधान	2,025.16	1,054.30
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	278.44	149.55
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	900.00	1,006.68
<b>अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं</b>		
• पुनर्गठित खातों में अधित्याना हेतु प्रावधान	279.20	61.00
• देशीय जोखिम हेतु प्रावधान	30.00	0.00
• अस्थिर प्रावधान	0.00	158.00
• अन्य प्रावधान	66.77	329.08
<b>कुल</b>	<b>4,016.43</b>	<b>2,895.52</b>

**5.2 अस्थिर प्रावधान (काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
अस्थिर प्रावधान खाते में आरंभिक शेष	543.92	385.92
लेखा वर्ष के दौरान अस्थिर प्रावधान की मात्रा	0.00	158.00
लेखा वर्ष के दौरान कमियां (यदि कमी है तो कारण बताएं)	0.00	0.00
अस्थिर प्रावधान खाते में इति शेष	543.92	543.92

**5.3 आरक्षित से आहरण द्वारा कमी**

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार विशेष आरक्षित मुद्रा स्वैप में से ₹ 3.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.44 करोड़) की राशि बैंक द्वारा आहरित कर कमी की गई।

**5.4 शिकायतों का प्रकटन**

**i) ग्राहक शिकायतें :**

(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	71
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2246
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	2298
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	19

**5. Additional Disclosures**

**5.1 Provisions and Contingencies**

The break-up of “Provisions and Contingencies” appearing in the Profit and Loss Account is as under:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Provision for Depreciation on Investment	436.86	136.91
Provision towards NPA	2,025.16	1,054.30
Provision towards Standard Assets	278.44	149.55
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	900.00	1,006.68
<b>Other Provision &amp; Contingencies</b>		
• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	279.20	61.00
• Provision for Country Risk	30.00	0.00
• Floating Provision	0.00	158.00
• Other Provisions	66.77	329.08
<b>Total</b>	<b>4,016.43</b>	<b>2,895.52</b>

**5.2 Floating Provisions (Countercyclical provisioning buffer)**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Opening Balance in the floating provisions account	543.92	385.92
The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	158.00
Amount of draw down made during the accounting year (purpose of draw down to be given, if any)	0.00	0.00
Closing Balance in the floating provisions account	543.92	543.92

**5.3 Draw Down from Reserves**

During the year, the bank has made a draw down of ₹ 3.19 crore (Previous year ₹ 1.44 crore) from the Special reserve currency swaps in terms of the RBI guidelines.

**5.4 Disclosure of complaints**

**i) Customer Complaints :**

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	71
(b)	No. of complaints received during the year	2246
(c)	No. of complaints redressed during the year	2298
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	19

ii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय :

(क)	वर्ष के प्रारंभ में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	2
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	13
(ग)	वर्ष के दौरान लागू किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	12
(घ)	वर्ष के अंत में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	3

ii) Awards passed by the Banking Ombudsman :

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	13
(c)	No. of Awards implemented during the year	12
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	3

5.5 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्रों पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

वर्ष 2011-2012 के दौरान बैंक ने अपने पूर्णतया स्वामित्व की सहायक संस्था बैंक ऑफ़ इंडिया (बीटीडब्ल्यू) लि. के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ़ बोतस्वाना को वचनपत्र जारी किया है कि वित्तीय वायदा देय होने पर पूरा किया जाएगा।

वर्ष के दौरान अपने पूर्णतया स्वामित्व की सहायक संस्था बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. के लिए न्यूजीलैंड के रॉयल बैंक के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदा यदि देय होने पर पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी किया है।

तथापि यथा 31.03.2012 में उपर्युक्त वायदा में कोई वित्तीय दायित्व नहीं है।

5.5 Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank

(As compiled by Management)

During the year 2011-2012, the Bank has issued an undertaking to the Governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (BTW) Ltd. (yet to be opened) to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11 the Bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

However, as on 31.03.2012 no financial obligations have arisen on the above commitments.

5.6 प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात (पीसीआर)

यथा 31 मार्च 2012 में बैंक के सकल अनर्जक आस्तियों पर प्रावधानीकरण 64.18% है (पिछले वर्ष: 72.18%)

5.6 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The Provisioning to Gross Non-Performing Assets of the Bank as on 31st March 2012 is 64.18% (Previous year: 72.18%)

5.7 बैंक एश्योरेंस कारोबार से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक:

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
जीवन बीमा पॉलिसी	26.91
गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	14.51
म्यूचुअल फंड उत्पाद	2.06
इक्विटी ब्रोकिंग उत्पाद	0.26
सोने के सिक्कों की बिक्री	14.48
कुल	58.22

5.7 Fees, remuneration received from Bancassurance business:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Amount
Life Insurance Policies	26.91
Non-Life Insurance Policies	14.51
Mutual fund products	2.06
Equity broking products	0.26
Sale of gold coins	14.48
<b>Total</b>	<b>58.22</b>

5.8 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

5.8.1 जमाओं का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

जमा विवरण	2011-12	2010-11
कुल बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं का कुल जमा राशियां	25,390.64	28,219.12
बैंक की कुल जमा राशियों में से बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं के जमा राशियों का प्रतिशत	7.98%	9.44%

5.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs (as compiled by management)

5.8.1 Concentration of Deposits

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Total Deposits of twenty largest depositors	25,390.64	28,219.12
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	7.98%	9.44%

**5.8.2 अग्रिमों का संकेंद्रन**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
बीस बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	43,639.45	28,617.91
बैंक के कुल अग्रिमों में से बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	9.25%	7.06%

**5.8.3 एक्सपोजर का संकेंद्रन:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	43,750.96	38,333.19
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर में से बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	7.82%	7.80%

**5.8.4 एनपीए संकेंद्रन:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
चार शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	1,216.18	808.04

**5.9 क्षेत्रवार एनपीए (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)**

क्र. सं.	क्षेत्र	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
		2011-12	2010-11
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	2.67	2.94
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	1.90	2.56
3	सेवाएं	3.57	2.29
4	व्यक्तिगत ऋण	2.56	4.30

**5.10 एनपीए मूवमेंट**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
सकल एनपीए यथा 01.04.2011 (प्रारंभिक शेष)	4,811.55	4,882.65
वर्ष के दौरान (नए एनपीए) परिवर्धन	5,401.24	2,908.38
उप-जोड़ (ए)	10,212.79	7,791.03
घटाएं : (i) अपग्रेडेशन	487.05	1,037.82
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूली के अतिरिक्त)	1,205.47	895.32
(iii) बटटे खाते डाला गया	2,414.73	880.42
(iv) एनपीए खातों पर यूआरआई	211.56	165.92
उप-जोड़ (बी)	4,318.81	2,979.48
सकल एनपीए यथा 31.03.2012 (अंतिम शेष) (ए-बी)	5,893.97	4,811.55

**5.8.2 Concentration of Advances**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Total Advances to twenty largest borrowers	43,639.45	28,617.91
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	9.25%	7.06%

**5.8.3 Concentration of Exposures**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	43,750.96	38,333.19
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	7.82%	7.80%

**5.8.4 Concentration of NPAs**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Total Exposure to top four NPA accounts	1,216.18	808.04

**5.9 Sector-wise NPAs (as compiled by management)**

Sr. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
		2011-12	2010-11
1	Agriculture and allied activities	2.67	2.94
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	1.90	2.56
3	Services	3.57	2.29
4	Personal Loans	2.56	4.30

**5.10 Movement of NPAs**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Gross NPAs as on 01.04.2011 (Opening Balance)	4,811.55	4,882.65
Additions (Fresh NPAs) during the year	5,401.24	2,908.38
Sub-total (A)	10,212.79	7,791.03
Less : (i) Up gradations	487.05	1,037.82
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1,205.47	895.32
(iii) Write-offs	2,414.73	880.42
(iv) URI on NPA accounts	211.56	165.92
Sub-total (B)	4,318.81	2,979.48
Gross NPAs as on 31.03.2012 (Closing Balance) (A-B)	5,893.97	4,811.55



**5.11 विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2010-11
1.	कुल आस्तियां	89,018.71	61,647.70
2.	कुल एनपीए	724.26	454.95
3.	कुल राजस्व	2,984.95	2,075.36

**5.12 स्पॉन्सर किए गए ऑफ बैलेन्स शीट एसपीवी**

(जिनका समेकन लेखांकन मानकों के अनुसार किया जाना है)

स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम	
स्वदेशी	विदेशी
शून्य	शून्य

**5.13 न खपायी गयी (अनअमोर्टइज) पेन्शन और ग्रेच्युटी देयताएं**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों हेतु पेन्शन विकल्प फिर से प्रदान करने और उपदान सीमा बढ़ाने - प्रूडेन्शियल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट, पर भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र क्र.डीबीओडी. बीपी. बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के अनुसार बैंक ने ₹ 2,641.11 करोड़ की कथित देयता को पाँच वर्षों की अवधि में खपाने का विकल्प चुना है। तदनुसार, ₹ 528.22 करोड़ (₹ 2,641.11 करोड़ का 1/5वा हिस्सा) बैंक के लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है। उक्त आरबीआई परिपत्र की अपेक्षा के अनुसार, आगे ले जाई गई शेष राशि, अर्थात ₹ 1,584.67 करोड़ (₹ 2,641.11 करोड़ से ₹ 1056.44 करोड़ घटाकर) में बैंक सेवा से अलग हुए/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित कोई राशि शामिल नहीं है।

**6. अन्य नोट**

**क) आय कर :**

- आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में दावों की अभिस्वीकृति नहीं ली गई है जिसके अंतर्गत ₹ 420.67 करोड़ की विवादित आय कर/ ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं। इनको अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत भुगतान / समायोजित तथा सम्मिलित कर लिया गया है। इन दावों के मामलों में पूर्व में अभिनिर्धारित विभिन्न न्यायिक विवादों के आधार पर आवश्यक कर के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।
- कुछ विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार किये जाने के बाद वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान किया गया है।

**बी) प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग**

- दि. 31-03-2012 को समाप्त वर्ष हेतु, बैंक ने एचटीएम से एएफएस प्रवर्ग में ₹ 981.67 करोड़ की प्रतिभूति राशि को शिफ्ट किया है एवं ऐसे ट्रांसफर पर ₹ 4.83 करोड़ की हानि बुक की गई है।

**5.11 Overseas Assets, NPAs and Revenue**

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2011-12	2010-11
1	Total Assets	89,018.71	61,647.70
2	Total NPAs	724.26	454.95
3	Total Revenue	2,984.95	2,075.36

**5.12 Off-Balance Sheet SPVs sponsored**

(which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

**5.13 Unamortised Pension and Gratuity Liabilities:**

As per the Reserve Bank of India circular no. DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11) on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011, the Bank opted to amortise the said liability of ₹ 2,641.11 Crores over a period of five years. Accordingly, ₹ 528.22 Crores (representing one-fifth of ₹ 2,641.11 Crores) has been charged to the Profit and Loss Account. In terms of the requirements of the aforesaid RBI circular, the balance amount carried forward, i.e., ₹ 1,584.67 Crores (₹ 2,641.11 Crores minus ₹ 1056.44 Crores) does not include any amount relating to the employees separated/retired.

**6. Other Notes**

**a) Income Tax:**

- Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 420.67 crore for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions for past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).
- Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the various judicial decisions on certain disputed issues.

**b) Shifting of securities:**

- For the year ended 31-03-2012, Bank has shifted securities amounting to ₹ 981.67 crore from HTM to AFS category and ₹ 4.83 Crores loss has been booked as loss on such transfer.

- ii) वर्ष के दौरान बैंक ने एफएस से एचटीएम प्रवर्ग में ₹ 7,340.94 करोड़ की प्रतिभूतियों को शिफ्ट किया है एवं ऐसे ट्रांसफर पर कोई हानि नहीं हुई है एवं ऐसे ट्रांसफर पर ₹ 200.01 करोड़ की हानि के लिए वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया।
- iii) दि. 31-03-2012 को समाप्त वर्ष हेतु, बैंक ने एचटीएम से एफएस प्रवर्ग में ₹ 29.55 करोड़ के वेंचर फण्ड पोर्टफोलियो को शिफ्ट किया है एवं ऐसे ट्रांसफर पर ₹ 3.11 करोड़ की हानि हुई।

- ii) Securities amounting to ₹ 7,340.94 Crores were shifted from AFS to HTM category and loss arised upon such transfer amounting to ₹ 200.01 Crores has been provided for during the year.
- iii) For the year ended 31.03.2012, bank has shifted portfolio of Venture Fund amounting ₹ 29.55 crores from HTM to AFS and ₹ 3.11 crores of loss has arised due to such transfer.

**(सी) एसएलआर प्रतिभूतियां**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.2012		यथा 31.03.2011	
	बही मूल्य	बाज़ार मूल्य	बही मूल्य	बाज़ार मूल्य
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी, टीबी)	73,837.25	71,126.65	69,513.05	67,632.32
अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर	201.40	214.29	315.42	332.70

- (डी) परिपक्वता तक धारित प्रवर्ग के अंतर्गत धारित निवेश की बिक्री पर ₹ 19.98 करोड़ के लाभ को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है और उसके पश्चात् करों का निवल ₹ 10.12 करोड़ की राशि आरक्षित पूंजी में समायोजित की गई और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित किया गया।

**(c) SLR Securities**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	Book Value	Market Value	Book Value	Market Value
Government Securities SLR (CG,SG,TB)	73,837.25	71,126.65	69,513.05	67,632.32
Approved securities - SLR	201.40	214.29	315.42	332.70

- (d) Profit on sale of Investments held under “Held to Maturity” category amounting to ₹ 19.98 crore has been taken to the Profit & Loss Account and thereafter an amount of ₹ 10.12 crore has been appropriated to the Capital Reserve, net of taxes and transfer to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949.

## लेखांकन मानक 3 - नकदी प्रवाह का विवरण

## Accounting Standard 3 - Cash Flow statement

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण	Particulars	को समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2012	को समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2011
<b>क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>	<b>A. Cash Flow from Operating Activities:</b>		
कर के पहले निवल लाभ	<b>Net Profit before taxes</b>	<b>35,775,109</b>	<b>34,953,830</b>
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	<b>Adjustments for:</b>		
एचटीएम निवेशों का परिशोधन	Amortisation/Depreciation on Investments	5,898,098	2,669,978
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on Fixed Assets	1,668,330	1,405,552
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	26,795,740	17,519,294
गौण बांड्स/आईपीडीआई, अपर टियर II बांड्स पर भुगतान/ब्याज हेतु प्रावधान	Payment / Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	7,702,166	7,309,933
प्राप्त लाभांश	Dividend received	(394,511)	(264,735)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	<b>Adjustments for:</b>		
जमा राशियों में बढ़/(घट)	Increase /(Decrease) in Deposits	193,302,269	691,238,624
उधार में बढ़/(घट)	Increase /(Decrease) in Borrowings	98,870,766	(12,178,552)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(3,218,681)	36,758,024
निवेश में बढ़/(घट)	(Increase) / Decrease in Investments	(13,756,754)	(188,547,583)
अग्रिमों में बढ़/(घट)	(Increase) / Decrease in Advances	(377,623,260)	(456,597,715)
अन्य आस्तियों में बढ़/(घट)	(Increase) / Decrease in Other Assets	17,836,544	(63,469,817)
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी	Direct Taxes (Paid)/Refund	(13,159,133)	(11,328,854)
		0.00	
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)	<b>Net Cash Flow from Operating Activities (A)</b>	<b>(20,303,317)</b>	<b>59,467,979</b>
<b>ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>	<b>B. Cash Flow from Investing Activities :</b>		
अचल सम्पत्ति की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(6,169,510)	(3,969,286)
अचल सम्पत्ति की बिक्री	Sale of Fixed Assets	756,846	182,945
सहायक कंपनियों/जॉइंट वेंचरों/एसोशिएट्स में अतिरिक्त निवेश	Additional investment in Subsidiaries / Joint Ventures/Associates	(953,029)	(2,044,776)
प्राप्त लाभांश	Dividend received	394,511	264,735
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	<b>Net Cash Flow from Investing Activities (B)</b>	<b>(5,971,182)</b>	<b>(5,566,382)</b>
<b>ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>	<b>C. Cash Flow from Financing Activities:</b>		
शेयर पूंजी	Share Capital	273,000	213,049
शेयर प्रीमियम	Share Premium	10,101,546	9,886,952
आईपीडीआई, गौण बांड तथा अपर टियर II बांड (निवल) प्रदत्त लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम)	IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	2,057,728	8,393,353
आईपीडीआई/गौण बांड अपर टियर II बांड पर प्रदत्त ब्याज	Dividend (Interim & Final) paid	(4,442,954)	(4,286,466)
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(7,702,166)	(7,309,933)
नकद और नकदी समतुल्य में निवल बढ़त (क)+(ख)+(ग)	<b>Net Cash Flow from Financing Activities (C)</b>	<b>287,154</b>	<b>6,896,955</b>
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	<b>Net Increase in Cash &amp; Cash Equivalents (A)+(B)+(C)</b>	<b>(25,987,345)</b>	<b>60,798,552</b>
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	<b>Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year</b>	<b>373,099,890</b>	<b>312,301,338</b>
	<b>Cash and Cash Equivalents as at the end of the year</b>	<b>347,112,545</b>	<b>373,099,890</b>

7. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहन/पुनर्व्यस्थित किया गया।

7. Previous year's figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

**बैंक ऑफ़ इंडिया के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**

प्रति,  
भारत के राष्ट्रपति

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया के संलग्न यथा 31 मार्च 2012 के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते एवं उससे सम्बद्ध उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की लेखा परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं (ट्रेजरी शाखा सहित), अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2651 शाखाओं और स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 24 विदेशी शाखाओं की विवरणियों का समावेश है। बैंक ने हमारे द्वारा लेखा परीक्षित एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। तुलनपत्र एवं लाभ-हानि खाते में उन 1328 शाखाओं की विवरणियों का भी समावेश है जो लेखा परीक्षा के अध्यधीन नहीं हैं। इन गैर-लेखा परीक्षित शाखाओं में 2.50% अग्रिमों, 8.87% जमाराशियों, 2.06% ब्याज आय और 6.04% ब्याज व्यय का लेखा है। ये वित्तीय विवरण पत्र बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इन वित्तीय विवरणों पर आधारित हमारी लेखा परीक्षा पर हम अपना मत व्यक्त करें।
2. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। हम इस बारे में कि क्या वित्तीय विवरणपत्र तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त है समुचित एश्योरेंस प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और उसका निष्पादन करते हैं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरणों के समर्थन वाले साक्ष्य की, परीक्षा आधार पर, परीक्षण शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों व समग्र वित्तीय विवरण पत्र के प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।
3. तुलन पत्र एवं लाभ एवं हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फार्म "ए" तथा "बी" में तैयार किए गए हैं।
4. उक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अध्यधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :
  - क. हमारी राय और पूरी जानकारी के अनुसार एवं हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरणों और बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार :
    - (i) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं खातों के भाग रूप टिप्पणियों के साथ पठित तुलनपत्र आवश्यक विवरणपत्रों वाला पूर्ण और उचित तुलनपत्र है और उचित रूप से तैयार किया गया है ताकि यथा 31 मार्च, 2012 को बैंक के कार्यों का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत हो।

**REPORT OF THE AUDITORS OF BANK OF INDIA**

To,  
The President of India,

1. We have audited the attached Balance Sheet of BANK OF INDIA as at 31st March, 2012, the Profit and Loss Account and the Cash Flow for the year ended on that date annexed thereto in which are incorporated the returns of 20 branches (including Treasury Branch) audited by us, 2651 branches audited by other auditors and 24 foreign branches audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss Account are the returns from 1328 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 2.50% percent of advances, 8.87% percent of deposits, 2.06% percent of interest income and 6.04% percent of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
4. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, we report that:
  - a) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and as shown by the books of the Bank:
    - (i) The Balance Sheet read together with the Significant Accounting Policies and Notes forming part of Accounts is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars, and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March, 2012;

- (ii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं खातों के भाग रूप टिप्पणियों के साथ पठित लाभ एवं हानि खातों द्वारा आवरित वर्ष के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप लाभ का सही तुलन दर्शाता है;
- (iii) नकदी प्रवाह विवरण पत्र इस विवरण पत्र द्वारा आवरित वर्ष के नकदी प्रवाह का सही व उचित दृश्य प्रस्तुत करता है; एवं
- ख) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।
- ग) बैंक के लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं।
- घ) बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पायी गयी हैं।
- (ii) The Profit and Loss Account read together with the Significant Accounting Policies and Notes forming part of Accounts shows a true balance of Profit in conformity with accounting principles generally accepted in India for the year covered by the accounts; and
- (iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year covered by the Statement.
- b) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
- c) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
- d) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

कृते अग्रवाल एंड सक्सेना  
For **Agarwal & Saxena**  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(फर्म पंजी. सं. 002405C)  
(Firm Reg. No. 002405C)

कृते कर्नावट एंड कंपनी  
For **Karnavat & Co.**  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(फर्म पंजी. सं. 104863W)  
(Firm Reg. No. 104863W)

कृते चतुर्वेदी एंड शाह  
For **Chaturvedi & Shah**  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(फर्म पंजी. सं. 101720W)  
(Firm Reg. No. 101720W)

(अनिल के. सक्सेना)  
**(Anil K. Saxena)**  
भागीदार  
Partner  
एम.नं. 71600  
M. No. 71600

(शशिकांत गुप्ता)  
**(Shashikant Gupta)**  
भागीदार  
Partner  
एम.नं. 45629  
M. No. 45629

(वितेश डी. गांधी)  
**(Vitesh D. Gandhi)**  
भागीदार  
Partner  
एम.नं. 110248  
M. No. 110248

कृते एल.बी. झा एंड कं.  
For **L.B. Jha & Co**  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(फर्म पंजी. सं. 301088E)  
(Firm Reg. No. 301088E)

कृते शंकरन एंड कृष्णन  
For **Sankaran & Krishnan**  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(फर्म पंजी. सं. 003582S)  
(Firm Reg. No. 003582S)

कृते एसआरबी एंड एसोसिएट  
For **SRB & Associates**  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(फर्म पंजी. सं. 310009E)  
(Firm Reg. No. 310009E)

(के.के. भांजा)  
**(K.K. Bhanja)**  
भागीदार  
Partner  
एम.नं. 14722  
M. No. 14722

(एम.के. कुमार)  
**(M.K. Kumar)**  
भागीदार  
Partner  
एम.नं. 202092  
M. No. 202092

(संजीत पात्रा)  
**(Sanjeet Patra)**  
भागीदार  
Partner  
एम.नं. 056121  
M. No. 056121



**बैंक ऑफ़ इंडिया  
समेकित वित्तीय विवरणियाँ  
2011-12**

**Bank of India  
Consolidated Financial Statements  
2011-12**

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र  
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31<sup>st</sup> MARCH, 2012

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	अनुसूची संख्या Schedule No	यथा As at 31-03-2012 ₹	यथा As at 31-03-2011 ₹
<b>I. पूंजी और देयताएं</b>	<b>CAPITAL AND LIABILITIES</b>		
पूंजी	Capital	5,745,195	5,472,195
आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves & Surplus	208,394,816	170,888,599
अल्प संख्यक हित	Minorities Interest	628,998	512,363
जमाराशियाँ	Deposits	3,194,125,271	2,995,594,011
उधार	Borrowings	321,189,450	220,213,756
अन्य देयताएँ तथा प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	145,808,721	137,637,567
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3,875,892,451</b>	<b>3,530,318,491</b>
<b>II. आस्तियाँ</b>	<b>ASSETS</b>		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	151,396,709	218,600,696
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	Balances with Banks and money at call and short notice	203,246,647	158,362,937
निवेश	Investments	880,568,732	866,765,912
अग्रिम	Advances	2,497,334,443	2,137,083,554
अचल आस्तियाँ	Fixed Assets	28,000,249	24,994,283
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	115,345,671	124,511,109
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3,875,892,451</b>	<b>3,530,318,491</b>
आकस्मिक देयताएँ	Contingent Liabilities	1,912,606,483	1,635,989,279
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection	192,985,006	126,753,757
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18	

ऊपर बताई गई अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए' के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।

The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

**निदेशक DIRECTORS**

<b>आलोक मिश्रा</b> Alok K. Misra अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	<b>उमेश कुमार</b> Umesh Kumar के. के. नायर K. K. Nair उमेश कुमार खेतान Umesh Kumar Khaitan	<b>नीरज भाटिया</b> Neeraj Bhatia पी. एम. सिराजुद्दीन P. M. Sirajuddin	<b>हरविंदर सिंह</b> Harvinder Singh प्रमोद भसीन Pramod Bhasin
<b>एन. शेषाद्री</b> N. Seshadri एम. एस. राघवन M. S. Raghavan कार्यपालक निदेशक Executive Directors	सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है। अग्रवाल एंड सक्सेना Agarwal & Saxena सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 002405सी) (Firm Reg No. 002405C) (अनिल के. सक्सेना) (Anil K. Saxena) भागीदार Partner सदस्यता सं. 71600 Membership No. 71600 एल बी झा एंड कंपनी L B Jha & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 301088ई) (Firm Reg No. 301088E) (के.के. भान्जा) (K. K. Bhanja) भागीदार Partner सदस्यता सं. 14722 Membership No. 14722	कर्नावट एंड कंपनी Karnavat & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 104863डब्ल्यू) (Firm Reg No. 104863W) (शशिकांत गुप्ता) (Shashikant Gupta) भागीदार Partner सदस्यता सं. 045629 Membership No. 045629 शंकरन एंड कृष्णन Sankaran & Krishnan सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 003582एस) (Firm Reg No. 003582S) (एम. के. कुमार) (M.K. Kumar) भागीदार Partner सदस्यता सं. 202092 Membership No. 202092	चतुर्वेदी एंड शाह Chaturvedi & Shah सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 101720डब्ल्यू) (Firm Reg No. 101720W) (वितेश डी. गांधी) (Vitesh D. Gandhi) भागीदार Partner सदस्यता सं. 110248 Membership No. 110248 एसआरबी एंड एसोशिएट्स SRB & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 310009ई) (Firm Reg No.310009E) (संजीत पात्रा) (Sanjeet Patra) भागीदार Partner सदस्यता सं. 056121 Membership No. 056121

मुंबई, 7 मई, 2012  
Mumbai, 7<sup>th</sup> May, 2012

## 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार समेकित लाभ एवं हानि खाता

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH, 2012

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	अनुसूची संख्या Schedule No.	Year ended	Year ended
		31-03-2012	31-03-2011
		को समाप्त वर्ष हेतु ₹	को समाप्त वर्ष हेतु ₹
<b>I. आय</b>	<b>INCOME</b>		
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	286,109,532
अन्य आय	Other income	14	33,192,381
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>		319,301,913
<b>II. व्यय</b>	<b>EXPENDITURE</b>		
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	202,163,002
प्रचालनगत व्यय	Operating expenses	16	50,103,612
प्रावधान और आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		40,289,118
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>		292,555,732
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/(हानि) का हिस्सा	Share of earnings/(loss) in Associates	16 A	582,657
अल्पसंख्यक के हित की कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' interest		27,328,838
घटाए: अल्पसंख्यक का हित	Less: Minorities' Interest		80,278
वर्ष के लिए समूह के संबंधित शुद्ध लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year attributable to the group		27,248,560
जोड़: समूह के अग्रणीत समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		-
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>		27,248,560
<b>III. विनियोग</b>	<b>APPROPRIATIONS</b>		
कानूनी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		6,693,789
राजस्व आरक्षित को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		13,324,074
पूंजी आरक्षित को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		101,223
विशेष आरक्षित से / को अंतरण-करेंसी स्वैप	Transfer (from) / to Special Reserve - Currency Swap		(31,941)
अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		4,659,760
अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Dividend Tax - for Subsidiary		1,655
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		2,500,000
समेकित तुलन-पत्र में आगे ले जाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		-
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>		27,248,560
प्रति शेयर उपार्जन (₹)	Earnings Per Share (₹)		49.85
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18	

ऊपर बताई गई अनुसूचियाँ लाभ-हानि का अभिन्न अंग हैं। / The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'बी' के अनुसार लाभ हानि खाता तैयार किया गया है।

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

## निदेशक DIRECTORS

आलोक मिश्रा Alok K. Misra अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	उमेश कुमार Umesh Kumar के. के. नायर K. K. Nair उमेश कुमार खेतान Umesh Kumar Khaitan	नीरज भाटिया Neeraj Bhatia पी. एम. सिराजुद्दीन P. M. Sirajuddin	हरविंदर सिंह Harvinder Singh प्रमोद भसीन Pramod Bhasin
एन. शेखाद्री N. Seshadri	सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।		In terms of our report of even date attached
एम. एस. राघवन M. S. Raghavan	अग्रवाल एंड सक्सेना Agarwal & Saxena सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 002405सी) (Firm Reg No. 002405C)	कर्नावट एंड कंपनी Karnavat & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 104863डब्ल्यू) (Firm Reg No. 104863W)	चतुर्वेदी एंड शाह Chaturvedi & Shah सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 101720डब्ल्यू) (Firm Reg No. 101720W)
कार्यपालक निदेशक Executive Directors	(अनिल के. सक्सेना) (Anil K. Saxena) भागीदार Partner सदस्यता सं. 71600 Membership No. 71600	(शशिकांत गुप्ता) (Shashikant Gupta) भागीदार Partner सदस्यता सं. 045629 Membership No. 045629	(वितेश डी. गांधी) (Vitesh D. Gandhi) भागीदार Partner सदस्यता सं. 110248 Membership No. 110248
	एल बी ज़ा एंड कंपनी L B Jha & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 301088ई) (Firm Reg No. 301088E)	शंकरन एंड कृष्णन Sankaran & Krishnan सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 003582एस) (Firm Reg No. 003582S)	एसआरबी एंड एसोसिएट्स SRB & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (फर्म पंजी. सं. 310009ई) (Firm Reg No. 310009E)
	(के.के. भांजा) (K. K. Bhanja) भागीदार Partner सदस्यता सं. 14722 Membership No. 14722	(एम. के. कुमार) (M.K. Kumar) भागीदार Partner सदस्यता सं. 202092 Membership No. 202092	(संजीत पात्रा) (Sanjeet Patra) भागीदार Partner सदस्यता सं. 056121 Membership No. 056121

मुंबई, 7 मई, 2012  
Mumbai, 7<sup>th</sup> May, 2012

## समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2012 ₹	यथा As at 31-03-2011 ₹
<b>अनुसूची - 1 : पूंजी</b>		
<b>प्राधिकृत</b>		
300,00,00,000 (विगत वर्ष 300,00,00,000) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर		
<b>जारी और अभिदत्त</b>		
57,49,57,470 (विगत वर्ष 54,76,57,470) प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर 35,98,84,870 इक्विटी शेयर शामिल (विगत वर्ष 35,98,84,870) प्रत्येक ₹ 10 के पूर्ण प्रदत्त कुल ₹ 359.88 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 359.58 करोड़) केंद्र सरकार द्वारा धारित;		
<b>जोड़</b>		
<b>प्रदत्त पूंजी</b>		
पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 57,37,80,370 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष 54,64,80,370) (प्रिफ़रेंशियल इश्यू के रूप में वर्ष के दौरान जारी किए गए 2,73,00,000 इक्विटी शेयरों सहित)		
जोड़े: जब्त शेयरों की राशि		
<b>जोड़</b>		
<b>SCHEDULE - 1 : CAPITAL AUTHORISED</b>		
300,00,00,000 (Previous year 300,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	<b>30,000,000</b>	30,000,000
<b>ISSUED AND SUBSCRIBED</b>		
57,49,57,470 Equity Shares (Previous year 54,76,57,470) of ₹ 10 each including 35,98,84,870 Equity shares (Previous year 35,98,84,870) of ₹ 10 each, fully paid up amounting to ₹ 359.88 crore (Previous year ₹ 359.88 crores) held by Central Government	<b>5,749,575</b>	5,476,575
<b>TOTAL</b>	<b>5,749,575</b>	5,476,575
<b>PAID-UP CAPITAL</b>		
57,37,80,370 Equity Shares (Previous year 54,64,80,370) of ₹ 10 each fully paid up (including 2,73,00,000 equity shares issued during the year by way of Preferential issue)	<b>5,737,804</b>	5,464,804
Add: Amount of Shares forfeited	<b>7,391</b>	7,391
<b>TOTAL</b>	<b>5,745,195</b>	5,472,195
<b>अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष</b>		
<b>I. कानूनी आरक्षितियां :</b>		
आरंभिक शेष		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
<b>जोड़ (I)</b>		
<b>II. पूंजी आरक्षितियां :</b>		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षितः		
आरंभिक शेष		
जोड़े: संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन		
घटाए: पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यहास / समायोजन		
<b>जोड़ (ए)</b>		
बी) अन्य		
i) निवेश की बिक्री पर लाभ - "परिपक्वता तक धारित" आरंभिक शेष		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
<b>जोड़ (i)</b>		
ii) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित आरंभिक शेष		
जोड़े/घटाए: वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)		
<b>जोड़ (ii)</b>		
<b>SCHEDULE - 2 : RESERVES &amp; SURPLUS</b>		
<b>I. Statutory Reserve :</b>		
Opening Balance	<b>46,001,686</b>	39,751,686
Additions during the year	<b>6,693,789</b>	6,250,000
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>52,695,475</b>	46,001,686
<b>II. Capital Reserves :</b>		
A) Revaluation Reserve :		
Opening Balance	<b>13,194,673</b>	14,286,186
Add: Revaluation of Property	-	-
Less: Depreciation / adjustments on account of revaluation	<b>835,775</b>	1,091,513
<b>Total of (A)</b>	<b>12,358,898</b>	13,194,673
B) Others		
i) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
Opening Balance	<b>8,332,059</b>	8,282,242
Add: Additions during the year	<b>101,223</b>	49,817
<b>Total (i)</b>	<b>8,433,282</b>	8,332,059
ii) Foreign Currency Translation Reserve		
Opening Balance	<b>4,654,250</b>	3,551,717
Add/(Less) : Adjustments during the year (Net)	<b>5,791,381</b>	1,102,533
<b>Total (ii)</b>	<b>10,445,631</b>	4,654,250

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2012 ₹	यथा As at 31-03-2011 ₹
<b>अनुसूची - 2: आरक्षितियां और अधिशेष (जारी) SCHEDULE - 2 : RESERVES &amp; SURPLUS (Contd.)</b>		
iii) विशेष आरक्षित-मुद्रा स्वैप आरंभिक शेष जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान कटौती जोड़ (iii) जोड़ (बी) जोड़ (II)	iii) Special Reserve - Currency Swaps Opening Balance Add/(Less):Deductions during the year <b>Total (iii)</b> <b>Total of (B)</b> <b>TOTAL (II)</b>	50,032 (14,437) 35,595 13,021,904 26,216,577
III. शेयर प्रीमियम: आरंभिक शेष वर्ष के दौरान परिवर्धन जोड़े: विलोपित जब्त शेयर जोड़ (III)	III. Share Premium : Opening Balance Additions during the year Add: On forfeited shares annulled <b>TOTAL (III)</b>	18,455,796 10,702,952 - 29,158,748
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ: i) राजस्व आरक्षितियाँ: आरंभिक शेष वर्ष के दौरान परिवर्धन जोड़ें/(घटाएं) समायोजन (i) जोड़ ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) (के अंतर्गत विशेष आरक्षित) आरंभिक शेष जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन (ii) का जोड़ जोड़ (IV)	IV. Revenue and Other Reserves : i) Revenue Reserve : Opening Balance Add: Additions during the year Add / (Less): Adjustments <b>Total of (i)</b> ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 Opening Balance Add: Additions during the year <b>Total of (ii)</b> <b>TOTAL (IV)</b>	49,613,492 12,694,151 3,945 62,311,588 5,200,000 2,000,000 7,200,000 69,511,588
V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष जोड़ (I से V)	V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account <b>TOTAL (I TO V)</b>	- 170,888,599
<b>अनुसूची - 2A : अल्पसंख्यक हित SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST</b>		
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्व में आए परवर्ती वृद्धि / (कमी) तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित	Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence Subsequent increase / (decrease) Minority interest on the date of Balance Sheet	137,220 137,220 375,143 512,363
		<b>628,998</b>



## समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2012	यथा As at 31-03-2011
	₹	₹
<b>अनुसूची - 3 : जमाराशियाँ</b>		
<b>ए. I. माँग जमा राशियाँ</b>		
i) बैंक से		
ii) अन्य से		
<b>जोड़ (I)</b>		
<b>II. बचत बैंक जमा राशियाँ</b>		
<b>III. मियादी जमा राशियाँ:</b>		
i) बैंक से		
ii) अन्य से		
<b>जोड़ (III)</b>		
<b>जोड़ ए (I से III)</b>		
<b>बी. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ</b>		
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ		
<b>जोड़ (बी)</b>		
<b>SCHEDULE - 3 : DEPOSITS</b>		
<b>A. I. Demand Deposits :</b>		
i) From Banks	9,998,762	8,451,557
ii) From Others	170,545,401	160,837,497
<b>TOTAL (I)</b>	<b>180,544,163</b>	<b>169,289,054</b>
<b>II. Savings Bank Deposits</b>	669,147,377	591,490,542
<b>III. Term Deposits :</b>		
i) From Banks	365,491,511	175,817,958
ii) From Others	1,978,942,220	2,058,996,457
<b>TOTAL (III)</b>	<b>2,344,433,731</b>	<b>2,234,814,415</b>
<b>TOTAL A (I to III)</b>	<b>3,194,125,271</b>	<b>2,995,594,011</b>
<b>B. i) Deposits of branches in India</b>	<b>2,484,364,286</b>	<b>2,529,343,658</b>
ii) Deposits of branches outside India	<b>709,760,985</b>	<b>466,250,353</b>
<b>TOTAL (B)</b>	<b>3,194,125,271</b>	<b>2,995,594,011</b>

## अनुसूची - 4 : उधार

<b>I. भारत में उधार:</b>		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक		
ii) अन्य बैंक		
क. टियर-I पूंजी (आईपीडीआई)		
ख. अपर टियर-II पूंजी		
ग. प्रतिभूतिरहित गैर परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर-II पूंजी के लिए गौण ऋण)		
घ. अन्य		
<b>जोड़ (ii)</b>		
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण		
क. टियर-I पूंजी (आईपीडीआई)		
ख. अपर टियर-II पूंजी		
ग. प्रतिभूतिरहित गैर परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर-II पूंजी के लिए गौण ऋण)		
घ. अन्य		
<b>जोड़ (iii)</b>		
<b>जोड़ (I)</b>		
<b>II. भारत के बाहर से उधार</b>		
क. टियर I पूंजी (आईपीडीआई)		
ख. अपर टियर-II पूंजी		
ग. अन्य		
<b>जोड़ (II)</b>		
<b>जोड़ (I और II)</b>		
<b>ऊपर सम्मिलित प्रतिभूत उधार</b>		
<b>I. Borrowings in India :</b>		
i) Reserve Bank of India	37,260	—
ii) Other Banks		
a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	5,712,000	6,316,000
b. Upper Tier II Capital	695,000	725,000
c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	1,083,000	1,083,000
d. Others	3,250,659	1,784,144
<b>Total (ii)</b>	<b>10,740,659</b>	<b>9,908,144</b>
iii) Other Institutions and Agencies		
a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	11,088,000	10,484,000
b. Upper Tier II Capital	41,625,000	41,595,000
c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	16,917,000	16,917,000
d. Others	99,625,893	6,759,312
<b>Total (iii)</b>	<b>169,255,893</b>	<b>75,755,312</b>
<b>Total (I)</b>	<b>180,033,812</b>	<b>85,663,456</b>
<b>II. Borrowings outside India</b>		
a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	4,324,457	3,778,684
b. Upper Tier II Capital	12,210,993	10,699,038
c. Others	124,620,188	120,072,578
<b>Total (II)</b>	<b>141,155,638</b>	<b>134,550,300</b>
<b>Total (I &amp; II)</b>	<b>321,189,450</b>	<b>220,213,756</b>
Secured borrowings included in above	—	—

## समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

## SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2012 ₹	यथा As at 31-03-2011 ₹
<b>अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान</b>	<b>SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS</b>	
I. देय बिल	11,615,063	11,280,404
II. अंतर-कार्यालय समायोजन-(निवल)	—	—
III. उपार्जित ब्याज	11,388,576	80,64,677
IV. आस्थगित कर देयता	10,825,497	70,64,389
V. अन्य	111,979,585	111,228,097
<b>जोड़</b>	<b>145,808,721</b>	<b>137,637,567</b>

## अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष

## SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट और स्वर्ण सम्मिलित है)	I. Cash in hand (including foreign currency notes and Gold)	11,674,898	7,788,852
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:	II. Balances with Reserve Bank of India :		
i) चालू खाते में	i) In Current Account	139,617,711	210,737,579
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	104,100	74,265
<b>जोड़ (II)</b>	<b>TOTAL (II)</b>	<b>139,721,811</b>	<b>210,811,844</b>
<b>जोड़ (I, II)</b>	<b>TOTAL (I, II)</b>	<b>151,396,709</b>	<b>218,600,696</b>

## अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि

## SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS &amp; MONEY AT CALL &amp; SHORT NOTICE

I. भारत में:	I. In India :		
i) बैंक में शेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	4,258,164	5,090,284
ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	34,390,229	31,154,902
ii) मांग पर और अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों में	a) With Banks	—	24,355,780
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	36,214	67,607
<b>जोड़ (I)</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>38,684,607</b>	<b>60,668,573</b>
II. भारत के बाहर:	II. Outside India :		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	11,880,921	2,601,881
ii) अन्य जमा खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	111,669,797	69,606,765
iii) मांग पर और अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	41,011,322	25,485,718
<b>जोड़ (II)</b>	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>164,562,040</b>	<b>97,694,364</b>
<b>जोड़ (I, II)</b>	<b>TOTAL ( I, II )</b>	<b>203,246,647</b>	<b>158,362,937</b>

**समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET**

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2012 ₹	यथा As at 31-03-2011 ₹
<b>अनुसूची - 8 : निवेश</b>		
<b>I. भारत में निवेश:</b>		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	717,708,012	674,762,938
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1,498,170	2,783,365
iii) शेयरों में	14,496,527	12,317,239
iv) डिबेंचरो और बंधपत्रों में	53,861,215	29,004,830
v) सहायक कंपनियों में निवेश	6,096,191	5,155,221
vi) अन्य	46,509,275	103,519,487
<b>जोड़ (I)</b>	<b>840,169,390</b>	<b>827,543,080</b>
<b>II. भारत के बाहर निवेश:</b>		
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	22,382,736	20,476,384
ii) डिबेंचर और बाँड	—	380,332
iii) सहायक कंपनियों में निवेश	417,883	351,493
iv) अन्य	17,598,723	18,014,623
<b>जोड़ (II)</b>	<b>40,399,342</b>	<b>39,222,832</b>
<b>जोड़ (I और II)</b>	<b>880,568,732</b>	<b>866,765,912</b>
<b>III. भारत में निवेश</b>		
i) निवेश का सकल मूल्य	846,125,589	831,066,771
ii) अवमूल्यन हेतु कुल प्रावधान	5,956,199	3,523,691
iii) निवल निवेश	840,169,390	827,543,080
<b>IV. भारत के बाहर निवेश</b>		
i) निवेश का सकल मूल्य	43,860,362	42,623,287
ii) अवमूल्यन हेतु कुल प्रावधान	3,461,020	3,400,455
iii) निवल निवेश	40,399,342	39,222,832
<b>जोड़ (III और IV)</b>	<b>880,568,732</b>	<b>866,765,912</b>
<b>SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS</b>		
<b>I. Investments in India :</b>		
i) Government Securities	717,708,012	674,762,938
ii) Other approved Securities	1,498,170	2,783,365
iii) Shares	14,496,527	12,317,239
iv) Debentures and Bonds	53,861,215	29,004,830
v) Investment in Associates	6,096,191	5,155,221
vi) Others	46,509,275	103,519,487
<b>TOTAL (I)</b>	<b>840,169,390</b>	<b>827,543,080</b>
<b>II. Investments outside India :</b>		
i) Government Securities (including local authorities)	22,382,736	20,476,384
ii) Debentures & Bonds	—	380,332
iii) Investment in Associates	417,883	351,493
iv) Others	17,598,723	18,014,623
<b>TOTAL (II)</b>	<b>40,399,342</b>	<b>39,222,832</b>
<b>TOTAL (I &amp; II)</b>	<b>880,568,732</b>	<b>866,765,912</b>
<b>III. Investments in India :</b>		
i) Gross value of Investments	846,125,589	831,066,771
ii) Aggregate provisions for depreciation	5,956,199	3,523,691
iii) Net Investments	840,169,390	827,543,080
<b>IV. Investments outside India :</b>		
i) Gross value of Investments	43,860,362	42,623,287
ii) Aggregate provisions for depreciation	3,461,020	3,400,455
iii) Net Investments	40,399,342	39,222,832
<b>TOTAL (III &amp; IV)</b>	<b>880,568,732</b>	<b>866,765,912</b>
<b>अनुसूची - 9 : अग्रिम</b>		
<b>ए. i) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल</b>		
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	392,888,722	367,442,634
iii) मीयादी ऋण	1,106,124,422	945,940,431
<b>ऋण (क)</b>	<b>998,321,299</b>	<b>823,700,489</b>
<b>जोड़ (क)</b>	<b>2,497,334,443</b>	<b>2,137,083,554</b>
<b>बी. अग्रिमों का विवरण:</b>		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के विरुद्ध अग्रिम शामिल है)	1,535,096,073	1,263,403,748
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	438,197,057	370,068,958
iii) अप्रतिभूत	524,041,313	503,610,848
<b>जोड़ (बी)</b>	<b>2,497,334,443</b>	<b>2,137,083,554</b>
<b>SCHEDULE - 9 : ADVANCES</b>		
<b>A. i) Bills Purchased and Discounted</b>		
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,106,124,422	945,940,431
iii) Term Loans	998,321,299	823,700,489
<b>TOTAL (A)</b>	<b>2,497,334,443</b>	<b>2,137,083,554</b>
<b>B. Particulars of Advances :</b>		
i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	1,535,096,073	1,263,403,748
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	438,197,057	370,068,958
iii) Unsecured	524,041,313	503,610,848
<b>TOTAL (B)</b>	<b>2,497,334,443</b>	<b>2,137,083,554</b>

## समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2012 ₹	यथा As at 31-03-2011 ₹
<b>अनुसूची - 9 : अग्रिम (जारी)</b>	<b>SCHEDULE - 9 : ADVANCES (Contd.)</b>	
<b>सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण:</b>	<b>C. Sectoral Classification of Advances :</b>	
<b>I. भारत में अग्रिम</b>	<b>I. Advances in India</b>	
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	561,399,201	548,830,581
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	167,610,143	166,622,200
iii) बैंक	2,106,532	3,198,900
iv) अन्य	1,026,619,771	905,438,763
<b>जोड़ (सी-I)</b>	<b>1,757,735,647</b>	<b>1,624,090,444</b>
<b>II. भारत के बाहर अग्रिम:</b>	<b>II. Advances outside India :</b>	
i) बैंकों से देय	291,554,722	210,883,571
ii) अन्यो से देय		
क) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	105,148,454	72,753,106
ख) समूहनकृत ऋण	133,164,303	94,525,045
ग) अन्य	209,731,317	134,831,388
<b>जोड़ (सी-II)</b>	<b>739,598,796</b>	<b>512,993,110</b>
<b>जोड़ (सी-I, सी-II)</b>	<b>2,497,334,443</b>	<b>2,137,083,554</b>

## अनुसूची - 10 : अचल आस्तियाँ

## SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

<b>I. परिसर:</b>	<b>I. PREMISES :</b>	
लागत पर आरंभिक शेष	8,000,338	6,900,453
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	3,668,879	1,255,709
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन	11,222	155,824
<b>उप-जोड़</b>	<b>11,657,995</b>	<b>8,000,338</b>
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक जोड़	19,613,350	19,613,976
घटाएँ: इस तारीख को मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹ 72,54,454 सहित-विगत वर्ष में ₹ 64,19,305)	9,736,439	8,474,773
<b>जोड़ - (I)</b>	<b>21,534,906</b>	<b>19,139,541</b>
<b>II. अन्य अचल आस्तियाँ:</b> (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)	<b>II. OTHER FIXED ASSETS :</b> (including Furniture and Fixtures)	
लागत पर आरंभिक शेष	13,013,196	11,775,706
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	3,281,825	2,419,509
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	752,043	1,182,019
<b>उप-जोड़</b>	<b>15,542,978</b>	<b>13,013,196</b>
घटाएँ: इस तारीख को मूल्यहास	9,680,790	8,315,257
<b>जोड़ (II)</b>	<b>5,862,188</b>	<b>4,697,939</b>
<b>III. निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य</b>	<b>III. CAPITAL WORK IN PROGRESS</b>	
<b>जोड़ (I से III)</b>	<b>28,000,249</b>	<b>24,994,283</b>

## समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2012 ₹	यथा As at 31-03-2011 ₹
<b>अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियाँ</b>	<b>SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS</b>	
I. आंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	8,886,491	33,518,027
II. उपचित ब्याज	21,160,951	14,991,418
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निवल)	38,610,358	30,185,811
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	47,415	56,543
V. आस्थगित कर आस्तियाँ	108,223	136,476
VI. अन्य	46,532,233	45,622,834
<b>जोड़</b>	<b>115,345,671</b>	<b>124,511,109</b>

<b>अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएँ</b>	<b>SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES</b>	
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	6,005,347	7,093,168
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएँ	3,200	3,200
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	1,042,687,402	863,609,290
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :	
क) भारत में	165,681,720	159,630,208
ख) भारत के बाहर	112,488,552	68,167,301
V. सकार, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	259,728,591	198,428,256
VI. ब्याज दर स्वैप	238,047,553	332,129,487
VII. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	87,964,118	6,928,369
<b>जोड़</b>	<b>1,912,606,483</b>	<b>1,635,989,279</b>



## समेकित लाभ व हानि खाते की अनुसूचियाँ

## SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	वर्षांत For the Year ended 31-03-2012 ₹	वर्षांत For the Year ended 31-03-2011 ₹
<b>अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज</b>	<b>SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED</b>	
I. अग्रिमों / विनिमय पत्रों पर ब्याज / बट्टा	203,340,784	155,696,186
II. निवेशों पर आय	71,635,986	51,951,990
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अन्तर-बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	8,474,661	7,981,967
IV. अन्य जोड़	2,658,101	2,954,140
	<b>TOTAL</b>	<b>218,584,283</b>
<b>अनुसूची - 14 : अन्य आय</b>	<b>SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME</b>	
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	12,774,885	11,858,237
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ-निवल	4,092,548	3,236,157
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ-निवल	7,512	278
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ-निवल	5,941,617	5,042,678
V. सहायक कंपनियों / कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	316,369	166,022
VI. विविध आय जोड़	10,059,450	6,114,890
	<b>TOTAL</b>	<b>26,418,262</b>
<b>अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज</b>	<b>SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED</b>	
I. जमाराशियों पर ब्याज	180,060,468	122,184,485
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	11,453,427	8,129,121
III. गौण ऋणों, आईआरएस आदि पर ब्याज जोड़	10,649,107	9,495,675
	<b>TOTAL</b>	<b>139,809,281</b>
<b>अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय</b>	<b>SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES</b>	
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	30,736,197	34,920,128
II. किराया, कर और बिजली	3,476,871	2,790,895
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	550,160	460,631
IV. विज्ञापन और प्रचार	644,707	609,304
V. बैंक की सम्पति पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन आरक्षितियों पर निवल मूल्यह्रास)	1,750,531	1,448,561
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	22,739	16,452
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों के लिए व्यय सहित)	381,357	360,413
VIII. विधि प्रभार	199,123	160,119
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	459,681	417,011
X. मरम्मत और रख-रखाव	471,418	461,697
XI. बीमा	2,307,630	1,808,331
XII. अन्य व्यय जोड़	9,103,198	7,759,960
	<b>TOTAL</b>	<b>51,213,502</b>
<b>अनुसूची - 16ए : सहयोगी कंपनियों में उपार्जन/हानि का अंश</b>	<b>SCHEDULE - 16A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES</b>	
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	471,444	413,781
II. अन्य जोड़	111,213	178,673
	<b>TOTAL</b>	<b>592,454</b>

## अनुसूची 17 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

### 1. लेखांकन पद्धति

संलग्न समेकित वित्तीय विवरण प्रचलित विचार धारा का पालन करते हुए, ऐतिहासिक लागत आधार पर तथा भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों (जीएपी) पर तैयार किए गए हैं, जो लागू सांविधिक उपबंधों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक, बीमा नियामक और विकास प्राधिकारी (आईआरडीए), कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एस) और निर्णय के अनुरूप हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबंधों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया है। उन्हें छोड़कर, जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट किया गया है।

वित्तीय विवरण को तैयार करने में यह आवश्यक होता है कि वित्तीय विवरण की तिथि को रिपोर्ट किए गये आस्ति तथा देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गये आय और व्ययों के सुविचारित अनुमानों तथा धारणाओं को प्रबंधन पूरा करे। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किए गये अनुमान यथोचित तथा ठीक हैं।

### 2. समेकन का आधार

समूह का समेकित विवरण (जिसमें 5 अनुषंगियां, 1 संयुक्त उद्यम और 8 सहयोगी कंपनियां सम्मिलित हैं) निम्न आधार पर तैयार किया गया है:

1. मूल बैंक एवं उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक (एस) 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है और उनके साथ ऐसी मदें जैसे आस्तियां, देयताएं, आय और व्यय जोड़ दी जाती हैं और अन्तर ग्रुप संव्यवहारों, शेष राशि, बिना वसूले गये लाभ/हानि को उसमें से निकाल दिया जाता है और इसके साथ-साथ ऐसे आवश्यक समायोजन भी किए जाते हैं, जो लेखागत नीति के अनुरूप उन्हें बनाने के लिए आवश्यक हों। किन्तु ऐसा ओवरसीज अनुषंगियों/सहयोगियों के मामले को छोड़कर है, जहां वित्तीय विवरण पत्र स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण-पत्रों में उनके परिणाम को शामिल भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनका उस पर बहुत असर पड़ने की संभावना नहीं है। अनुषंगियों के विवरण-पत्र उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए गए हैं जो मूल बैंक की रिपोर्टिंग तारीख है और वह तारीख 31 मार्च, 2012 है।
2. अनुषंगियों में निवेश की मूल लागत और अनुषंगियों में इक्विटी के मूल हिस्से के बीच के अंतर को साख/आरक्षित पूंजी के रूप में

## SCHEDULE 17:

### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

#### 1) ACCOUNTING CONVENTION:

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Companies Act 1956, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

#### 2) Basis of Consolidation:

Consolidated financial statements of the group (Comprising of 5 Subsidiaries, 1 Joint Venture and 8 Associates) have been prepared on the basis of:

1. The financial statements of the parent bank and its subsidiaries are prepared in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments wherever required to conform to uniform accounting policies except in case of overseas subsidiaries/ associates, where, the financial statements are prepared based on local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards (IFRS). Impact of the same is not given in Consolidated Financial Statements as the same is not material. The financial statements of the subsidiaries are drawn upto the same reporting date as that of parent i.e. 31st March, 2012.
2. The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/

मान्यता दी जाती है। यदि कोई साख है तो इसकी मान्यता प्राप्त होने पर तुरंत बट्टे खाते डाल दिया जाना चाहिए।

3. समेकित वित्तीय विवरण पत्र में अल्पसंख्यक हित अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर के रूप में है।
4. सहयोगी कम्पनियों में निवेश का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 23, "समेकित वित्तीय विवरणपत्रों में सहयोगियां कम्पनियों में निवेश का लेखांकन" के अनुसार इक्विटी तरीके के तहत किया गया है।
5. संयुक्त उद्यम में निवेशों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 27, "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" में निर्धारित किए गए अनुसार "समानुपात आधार" पर समेकित है।

### 3. राजस्व पहचान

#### 3.1 बैंकिंग कंपनी :

- (क) अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, सामान्यतः आय/व्यय का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है।
- (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुत्पादक आस्तियों (एनपीए) की वसूली पर आय के रूप में पहचान की जाए। अनुत्पादक खातों की वसूली को सर्वप्रथम अवसूलीकृत ब्याज/आय मूल देय में और उसके बाद अप्रभारित ब्याज में विनियोजित किया जाए।
- (ग) विनिमय कमीशन, ब्रोकरेज, लाभांश आय, सरकारी कारोबार पर कमीशन और अन्य पक्ष के उत्पादों के कमीशन का लेखांकन वसूली आधार पर किया जाता है।
- (घ) आयकर धन-वापसी पर ब्याज का लेखांकन वर्ष में मूल्यांकन आदेश की प्राप्ति पर किया जाता है।

#### 3.2 गैर-बैंकिंग कंपनी :

##### बीमा :

##### (क) प्रीमियम आय :

प्रीमियम (सेवा कर का निवल) जब देय हो तब आय के रूप में पहचानी जाती हैं। संबद्ध कारोबार के लिए सहायक इकाईयां निर्मित की जाती हैं तब प्रीमियम की पहचान की जाती है। पूर्ण प्रीमियमों को एकल प्रीमियम के रूप में जाना जाता है।

व्यपगत पालिसियों को प्रीमियम आय के रूप में पहचाना जाता है, जब इस प्रकार की पालिसियाँ पुनः प्रारंभ हो जाती हैं।

पुनर्बीमा सत्तान्तरित पर प्राप्त कमीशन की आय को उस अवधि की आय माना जाता है जिसमें पुनर्बीमा प्रीमियम सत्तान्तरित हुआ है।

##### (ख) संबद्ध निधियों से आय :

संबद्ध निधियां से आय वह है जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार,

capital reserve. Goodwill if any is written off immediately on its recognition.

3. Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.
4. Accounting for Investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
5. Accounting for Investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

### 3) REVENUE RECOGNITION:

#### 3.1 Banking entities:

- (a) Income/Expenditure is generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.
- (b) Income on Non-performing Assets (NPAs) is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines. The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income, principal dues and thereafter towards uncharged interest.
- (c) Exchange Commission, Brokerage, Dividend Income, Commission on Government Business and Commission on Third Party Products are accounted for on realisation basis.
- (d) Interest on Income-tax refunds is accounted for in the year of receipt of the assessment order.

#### 3.2 Non Banking entities:

##### Insurance:

##### a) Premium Income:

Premium (net of service tax) is recognised as income when due. For linked business, premium is recognised when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Commission received on reinsurance ceded is recognised as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

##### b) Income from linked funds:

Income from linked funds which includes premium

नीति प्रशासकीय प्रभार, मृत्यु दर प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार आदि सम्मिलित है जिसे जारी नीतियों के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार संबद्ध निधियों से उपचित आधार पर वसूल किया जाता है।

**(ग) पुनर्बीमा प्रीमियम :**

पुनः बीमाकर्ता के साथ सिद्धांततः समझौता अथवा संधिपत्र के अनुसार प्रीमियम आय की पहचान के समय सत्तान्तरित पुनर्बीमा का लेखाकरण होता है। पुनर्बीमा पर सौंपे गए लाभ कमीशन को पुनर्बीमा के प्रीमियम के साथ समायोजन किया जाएगा।

**(घ) प्रदत्त लाभ (दावों सहित) :**

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ तथा दावा समझौता लागत, यदि कोई हो, जुड़ा है।

मृत्यु, संशोधन तथा अभ्यर्षण दावे सूचना की प्राप्ति पर लेखाकृत किए जाते हैं।

उत्तरजीविता लाभ दावे और परिपक्वता लाभ दावे सूचना की प्राप्ति पर लेखाकृत किए जाते हैं।

जब सहयोगी इकाईयां निरस्त हो जाती हैं तब संबंधित योजनाओं में पॉलिसी संबद्ध आहरण तथा सुपुर्दगी का लेखाकरण किया जाता है। संबंधित दावों के उसी अवधि में दावों पर पुनर्बीमा वसूली का लेखाकरण किया जाता है।

**(ङ) अधिग्रहण लागत :**

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो अलग-अलग होती है और मुख्य रूप से बीमा करार के अधिग्रहण से संबंधित होती है तथा जिस अवधि में उपचित होती है खर्च की जाती है।

प्रथम वर्ष प्रदत्त कमीशन हेतु भविष्य में यदि कोई कर लगाकर वसूली होती है, तो जिस वर्ष में वह वसूल किया जाता है उसी वर्ष में लेखाकरण किया जाएगा।

**(च) जीवन बीमा हेतु देयताएं :**

प्रभावी जीवन बीमा हेतु बीमाकिक देयताएं तथा वह पॉलिसी जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है किंतु देयताएं हैं। भारतीय सनदी बीमाकिकी संस्थान के नियमों तथा आईआरडीए विनियम बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, स्वीकृत बीमाकिकी व्यवहार्य के अनुसरण में अप्राप्त बीमा आरक्षित प्रणाली समूह कारोबार के मामले में सकल प्रीमियम प्रणाली का उपयोग करते हुए नियुक्त बीमाकिकी द्वारा देयताएं निर्धारित की जाएंगी।

संबद्ध देयताओं में पॉलिसी का निधि मूल्य इकाई देयता और बीमा दावा इत्यादि के लिए गैर इकाई देयता शामिल है। यह नियुक्त बीमाकिकी द्वारा किए गए बीमाकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

**4. ऋण/अग्रिम और उस पर प्रावधान :**

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा अग्रिम की मूल/ब्याज की वसूली के आधार पर उत्पादक अथवा अनुत्पादक आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है। अनुत्पादक

allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds on accrual basis and in accordance with the terms and conditions of policies issued.

**c) Reinsurance Premium:**

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

**d) Benefits paid (including claims):**

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due.

Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

**e) Acquisition Costs**

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

Claw back in future, if any, for the first year commission paid, will be accounted for in the year in which it is recovered.

**f) Liability for life policies:**

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims etc. This is based on an actuarial valuation carried out by the Appointed Actuary.

**4) LOANS/ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:**

(a) In terms of guidelines issued by the RBI, advances to borrowers are classified into "Performing" or "Non-



आस्तियों (एनपीए) को आगे अव-मानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मानक आस्तियों हेतु प्रावधान किया जाता है।
- (ग) अनुत्पादक आस्तियों के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है:

प्रवर्ग	प्रावधान
अवमानक आस्ति	
(क) सामान्य प्रावधान	20% (प्रतिभूति के मूल्य के सापेक्ष)
(ख) असुरक्षित एक्सपोजर (आधारभूत संरचना ऋण के संबंध में असुरक्षित एक्सपोजर शामिल)	25%
31.03.09 तक संदिग्ध आस्तियां	100% (प्रतिभूति के मूल्य के सापेक्ष)
31.03.09 के बाद संदिग्ध आस्तियां	
(क) सुरक्षित भाग	
- एक वर्ष तक	50%
- एक वर्ष से तीन वर्ष	60%
- तीन वर्ष से अधिक	100%
(ब) असुरक्षित भाग	100%
हानि आस्तियां	100%

- (घ) विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के संबंध में सांविधिक आवश्यकतानुसार संबंधित विदेशी देश अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार जो भी अधिक हो, प्रावधान रखे गए हैं।
- (ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम जानने हेतु अनुत्पादक आस्तियों, अवसूलीकृत ब्याज, इसीजीसी दावा निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान कुल अग्रिमों में से घटाए जाते हैं।
- (च) पुनर्निर्धारित/पुनः संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित ब्याज पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम जानने हेतु यह प्रावधान घटाया जाता है।
- (छ) यदि वित्तीय आस्तियाँ आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूति करण कंपनी (एससी) को बेच दी जाती है, यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से नीचे है तो, स्थिति में अंतर को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त प्रावधान को रखा जाता है जिससे एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होनेवाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है।

**5. निवेश**

निवेश का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'कारोबार के लिए रखे गए' श्रेणियों में किया जाता है। बैंकिंग विनियमन

Performing" assets based on recovery of principal/ interest. NPAs are further classified as Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets.

- (b) Provision for Standard assets is made as per RBI guidelines.
- (c) Provision in respect of NPAs is made as under:

Category	Provision
Sub Standard Assets	
a) General provision	20% (irrespective of the value of security)
b) Unsecured exposure (including unsecured exposure in respect of Infrastructure loan)	25%
Doubtful assets upto 31.03.2009	100% (irrespective of the value of security)
Doubtful assets after 31.03.2009	
a) Secured portion	
- Upto one year	50%
- One year to three years	60%
- More than three years	100%
b) Unsecured portion	100%
Loss Assets	100%

- (d) In respect of advances at foreign offices/branches, provision is made as per the statutory requirements prevailing at the respective foreign countries, or as per RBI guidelines, whichever is higher.
- (e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.
- (f) In respect of Rescheduled/Restructured accounts, provision is made for the sacrifice of interest/diminution in the value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.
- (g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), the shortfall is debited to the Profit and Loss account. If the sale value is higher than the NBV, the surplus provision is retained to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

**5) INVESTMENTS:**

Investments are classified under 'Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI



अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए की अपेक्षाओं के अनुरूप इनका वर्गीकरण छः समूहों : सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर और बन्धपत्र, सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश और अन्य निवेश में किया जाता है।

#### ए. वर्गीकरण का आधार

निवेशों का वर्गीकरण सामान्यतः उसकी खरीद के समय किया जाता है :

##### i) परिपक्वता के लिए निर्धारित

ऐसे निवेशों का समूह जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखता है।

##### ii) कारोबार के लिए निर्धारित

ऐसे प्रतिभूतियां जिन्हें मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री के लिए रखा जाता है, उन्हें इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

##### iii) बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण परिपक्वता के लिए निर्धारित अथवा कारोबार के लिए निर्धारित रूप में नहीं किया है, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

#### बी. मूल्यांकन का तरीका :

निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार निवेश (सरकारी प्रतिभूति में) संव्यवहार के लेखांकन के लिए बैंक समझौता तिथि का पालन करता है।

##### i) परिपक्वता हेतु निर्धारण :

इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अधिग्रहण लागत पर किया गया है, इनके अधिग्रहण पर भुगतान की गई प्रीमियम की राशि, यदि कोई हो तो, उसे सतत अर्जन प्रणाली उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है।

##### ii) कारोबार के लिए धारित / बिक्री के लिए उपलब्ध :

(क) इस श्रेणी में प्रतिभूतियों के स्क्रिपवार मूल्यांकन किया गया है, प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि / मूल्य-ह्रास को उनके वर्गानुसार जोड़ा/घटाया गया है और निवल मूल्य-ह्रास को लाभ व हानि खातों की मान्य पद्धतियों के अनुरूप लगाया गया है जबकि निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया गया है।

(ख) 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध प्रवर्ग' में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन हेतु बाजार दर/स्टॉक एक्सचेंज भाव/भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ/निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ (एफआईएमएडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं हैं उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है -

guidelines. In conformity with the requirements in Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, these are classified under six groups – Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Investments in Subsidiaries/Joint Ventures and Other Investments.

#### A) Basis of classification

Classification of an investment is normally done at the time of its acquisition:

##### i) Held to Maturity

These comprise investments the Bank intends to hold till maturity.

##### ii) Held for Trading

Investments acquired with the intention to trade within 90 days from the date of purchase are classified under this head.

##### iii) Available for Sale

Investments which are not classified either as "Held to Maturity" or as "Held for Trading" are classified under this head.

#### B) Method of valuation

Investments are valued in accordance with the RBI guidelines. Accordingly, the Bank follows "Settlement Date" for accounting of investment (in Government securities) transactions.

##### i) Held to Maturity

Investments included in this category are carried at their acquisition cost. Premium, if any, paid on acquisition is amortised using constant yield method over the remaining period of maturity.

##### ii) Held for Trading / Available for Sale

a) Investments under these categories are valued scrip-wise. Appreciation/ depreciation is aggregated for each class of securities and net depreciation as per applicable norms is recognised in the Profit and Loss account, whereas net appreciation is ignored.

b) For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

सरकारी/प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के ऊपज पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के ऊपज पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (12 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी ₹ 1
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के ऊपज पर
पीएसयू बॉन्ड्स	परिपक्वता आधार के ऊपज पर समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो ₹ 1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU Bonds	on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation Companies

**(ग) विदेशी शाखाओं में धारित :**

विदेशी शाखाओं के निवेशों को संबंधित विदेशी केन्द्रों पर प्रचलित सांविधिक प्रावधानों या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य से कम मूल्य पर नियत किया गया है।

**(सी) प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण :**

उपर्युक्त पैरा 5 ए (i) से (ii) तक विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के मध्य किसी प्रतिभूति के अंतरण का अंतरण दिवस पर अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम है के रूप में लेखा किया जाए। मूल्य-ह्रास, यदि है तो ऐसे अंतरण पर पूर्ण प्रावधान किया जाए।

**(डी) निवेश के अभिग्रहण लागत**

- (I) लागत में इक्विटी निवेश के अभिग्रहण के लिए प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि शामिल हैं।
- (II) ऋण लिखतों में प्रदत्त/प्राप्त ब्रोकरेज, कमीशन, खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय माना जाता है और लागत/बिक्री में शामिल नहीं किया जाता है।
- (III) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ तथा हानि खाते में जमा किया जाए।
- (IV) निवेश में लागत का निर्धारण वेटिड एवरेज कॉस्ट पद्धति द्वारा किया जाता है।
- (V) ट्रेजरी बिल तथा कमर्शियल पेपर का रखाव लागत पर मूल्य आंका जाता है।

**iii) Held at Foreign Branches**

Investments held at foreign branches are carried at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

**C) Transfer of Securities between Categories**

The transfer of securities between categories specified at para 5 A (i) to (iii) above are carried out at the lower of acquisition cost / book value /market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

**D) Acquisition Cost of Investment**

- i) Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid on acquisition of Equity investments are included in cost.
- ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt instruments is treated as income/expense and is excluded from cost/sale consideration.
- iii) Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account
- iv) Cost of Investments is determined at weighted average cost method.
- v) Treasury bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

**(ई) निवेशों की बिक्री में लाभ अथवा हानि :**

किसी भी प्रवर्ग में निवेशों की बिक्री में लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया जाता है। तथापि, परिपक्वता के लिए निर्धारित शीर्ष के अंतर्गत निवेशों की बिक्री में लाभ की स्थिति में समान राशि "आरक्षित पूंजी खाते" में विनियोजित की जाती है।

**(एफ) प्रावधानीकरण तथा आय पहचान -****गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) :**

गैर-निष्पादित निवेश के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्य-हास हेतु प्रावधान किया जाता है।

**(जी) रेपो/रिवर्स रेपो**

मूल बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो तथा रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लिए (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन संव्यवहारों के अतिरिक्त) निर्धारित की गई लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है। रेपो संव्यवहार अर्थात् प्रतिभूति की बिक्री (खरीदी) द्वारा निधियों को उधार (उधार देना) रेपो सहभागी की बहियों में रिफ्लेक्ट होता है, संपाश्विकृत उधार और उधार लेना संव्यवहार के रूप में, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद अनुबंध सहित लेखांकन किया जाता है। लागत व राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/आय के लिए, जैसा भी मामला हो, किया जाए। रेपो/रिवर्स रेपो खाते की शेष निवेश खाते की शेष के विरुद्ध समायोजित की जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एलएएफ के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों निवेश खाते में नामे/जमा की जाती है और संव्यवहारों की परिपक्वता पर रिवर्स की जाती है। उस पर अर्जित/खर्च किए गए ब्याज का लेखांकन खर्च/राजस्व के रूप में किया जाए।

**(एच) व्युत्पन्न**

वर्तमान में मूल बैंक ब्याज दर एवं करेंसी व्युत्पन्न का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर व्युत्पन्न रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, अग्रणी दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किया जा रहा मुद्रा व्युत्पन्न विकल्प, मुद्रा स्वैप तथा मुद्रा फ्यूचर है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, व्युत्पन्न को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

हैज/गैर हैज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग से रिकार्ड की जाएगी।

हैजिंग व्युत्पन्न एक्यूरेल आधार पर लेखांकित होती है।

ट्रेडिंग व्युत्पन्न स्थानों को बाजार को चिन्हित (एमटीएम) किया जाता है और परिणामतः हानि, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आय और व्यय से संबंधित ब्याज दर स्वैप को निपटान तिथि से संबद्ध किया जाता है। ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में

**E) Profit or loss on sale of investment**

Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

**F) Provisioning and income recognition – Non performing Investments (NPIs)**

In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

**G) Repo / Reverse Repo**

The Parent Bank has adopted the Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. The economic essence of repo transactions, viz., borrowing (lending) of funds by selling (purchasing) securities is reflected in the books of repo participants, by accounting the same as collateralized lending and borrowing transaction, with an agreement to repurchase, on the agreed terms. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo/ Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.

Securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

**H) Derivative**

The Parent Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Parent Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Parent Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

Hedging derivatives are accounted on accrual basis.

Trading derivative positions are marked to market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognised on the settlement date. Gains/ losses

आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि अथवा पदनामित आस्तियाँ/देयताओं की बकाया कम अवधि से संबद्ध किया जाता है।

## 6. स्थिर आस्तियां :

(क) आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित होने के अतिरिक्त, स्थिर आस्तियों को परंपरागत लागत में बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया गया है।

(ख) परिसर की लागत में फ्रिहोल्ड एवं लीज़होल्ड दोनों भूमि की लागत शामिल है।

## 7. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास

### (ए) मूल्यह्रास

(i) आस्तियों पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को मिलाकर) बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पर प्रभारित किया गया है, कम्प्यूटरों को छोड़कर। कम्प्यूटरों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधे रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाया गया/जाता है।

(ii) इसमें परिवर्धन का पूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है तथा इसमें आस्ति के उपयोग करने की तारीख को ध्यान में नहीं रखा गया है। मूल्यह्रास की बिक्री के वर्ष/आस्ति के निपटान के वर्ष में व्यवस्था नहीं की गयी है।

(iii) आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व खाते में समायोजित किया गया है।

(बी) जहाँ भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यह्रास का प्रावधान भवन पर लागू दर पर किया गया है।

(सी) पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम पट्टे की अवधि में परिशोधित है।

(डी) घरेलू परिचालन के संबंध में आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

क्र.सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर
1.	परिसर	5%
2.	अन्य स्थिर आस्तियां	
	(क) फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	10%
	(ख) एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	15%
	(ग) मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	20%
	(घ) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग है।	33.33%
	(ड) कम्प्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं है।	100%

on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

## 6) FIXED ASSETS:

(a) Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

(b) Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

## 7) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

### a) Depreciation

i) Depreciation on assets is charged on the Written Down Value at the rates determined by the Parent Bank, except in respect of computers where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI

ii) In respect of additions, depreciation is provided for the full year, irrespective of the date on which the assets were put to use whereas, depreciation is not provided in the year of sale/disposal of an asset

iii) Depreciation on the revalued portion of assets is adjusted against the Revaluation Reserve.

b) Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

c) Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.

d) Depreciation on assets in respect of domestic operations are provided as under:

Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation
1.	Premises	5%
2.	Other Fixed Assets	
	a) Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	10%
	b) Air-conditioning plants, etc. and business machines	15%
	c) Motor cars, Vans & Motor cycles	20%
	d) Computers and Computer Software forming integral part of hardware.	33.33%
	e) Computer Software, not forming integral part of hardware	100%

(ई) भारत के बाहर स्थिर आस्तियों और अनुषंगियों / सहयोगी कंपनियों के स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों/उद्यम में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार किया गया है।

#### 8. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध लेन-देन :

विदेशी मुद्रा वाले लेन-देन के लिए लेखांकन मानक (एएस) 11 के अनुरूप "विदेशी विनिमय दरों में प्रभावी परिवर्तन" भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए अनुसार किया गया है।

#### (क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण :

विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने वाली भारतीय शाखाओं को समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- संव्यवहारों को आरंभ में फेडाई (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ) की सूचना के अनुसार साप्ताहिक आधार पर औसत बंद दर आंका गया है।
- मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद दर पर आंकी जाती हैं।
- विदेशी मुद्रा में सकार, पृष्ठांकन तथा दायित्व एवं गारंटियां वर्ष समाप्ति में फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद दरों पर अंकित की गयी हैं।
- विदेशी मुद्रा में आस्ति एवं देयताओं को प्रत्येक सप्ताह के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित स्पॉट दरों पर किया/आंका गया है।
- परिणामी विनिमय अंतरों को आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है एवं इनकी लाभ अथवा हानि खाते के माध्यम से गणना की जाती है।

#### (ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

- आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित संवरण दरों के आधार पर आंका/स्पष्ट किया जाता है।
- आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा सूचित तिमाही औसतन लेखाबंदी दर पर स्पष्ट किया जाता है।
- सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व में संचित किया जाता है।

#### (ग) वायदा विनिमय संविदाएं

फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं एएस-11 के अनुसार प्रत्येक मुद्रा में

e) Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of Subsidiaries/ Associates is provided as per the regulatory requirements/ prevailing practices of the respective country/industry.

#### 8) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Accounting for transactions involving foreign exchange is accounted for in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" issued by ICAI.

#### a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations.

- The transactions are initially recorded on weekly average closing rate as advised by FEDAI (Foreign exchange dealers association of India).
- Monetary Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Acceptances, endorsements, other obligations and guarantees in foreign currencies are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end
- Foreign Currency Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each week.
- The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through profit and loss account.

#### b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

- Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
- Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI at the end of respective quarter.
- All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments in the respective foreign branches.

#### c) Forward Exchange Contracts:

In accordance with the guidelines of FEDAI and the



बकाया वादा विनिमय संविदाओं को संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के लिए तुलनपत्र की तारीख पर तदनुसूची वादा दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित राशि एवं संविदा राशि के बीच भिन्नता को जैसी स्थिति हो, उसके अनुसार लाभ अथवा हानि के रूप में मान्य किया जाता है।

मुद्रा वादा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

## 9. कर्मचारी लाभ:

### (क) भविष्य निधि

भविष्य निधि परिभाषित योगदान योजना है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर स्थिर योगदान देता है। बैंक का दायित्व ऐसे स्थिर योगदान तक सीमित है। भविष्य निधि योगदान को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

### (ख) ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी देयता परिनिश्चित लाभ दायित्व है एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है। योजना बैंक द्वारा निधि प्रदत्त है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है।

### (ग) पेंशन

पेंशन देयता एक परिनिश्चित लाभ दायित्व है एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है। योजना बैंक द्वारा निधि प्रदत्त है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है।

### (घ) छुट्टी नकदीकरण

बैंक छुट्टी नकदीकरण का लाभ देता है जो परिनिश्चित लाभ दायित्व है एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

### (ङ) अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ बैंक अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवं पुनर्वास लाभ भी देता है जो परिनिश्चित लाभ दायित्व है एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है।

(च) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं अनुषंगियों की स्थिति में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

provisions of AS-11, outstanding forward exchange contracts in each currency are revalued at the Balance Sheet date at the corresponding forward rates for the residual maturity of the contract. The difference between revalued amount and the contracted amount is recognized as profit or loss, as the case may be.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

## 9) EMPLOYEE BENEFITS:

### a) Provident Fund

Provident fund is a defined contribution scheme as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account.

### b) Gratuity

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

### c) Pension

Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate trust.

### d) Leave encashment

The bank provides for leave encashment benefits which is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year.

### e) Other employee benefits

The bank provides for other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone and resettlement benefits which are defined benefit obligations and are provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year.

f) In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation are accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

**10. पट्टाकृत आस्तियाँ :**

पट्टा की आय की पहचान पट्टे की प्राथमिक अवधि पर आंतरिक प्रतिफल दर पद्धति के अनुसार की जाती है और उसका लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक 19 “पट्टों का लेखांकन” के अनुसार किया गया है।

**11. प्रति शेयर अर्जन :**

बैंक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक(एस) 20 “अर्जन प्रति शेयर” के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा

निवल से भाग कर गणना की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की गयी है।

**12. आय पर कर :**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 “आय पर करों के लिए लेखांकन” के अनुरूप आयकर में वर्ष के दौरान वर्तमान कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। आय व व्यय की मर्दे जो एक समय आती हैं और जो परवर्ती एक या अधिक वर्षों में रिवर्सल की जा सकती है के संबंध में आस्थगित कर के लिए विवेकपूर्ण विचार करने के अध्यधीन मान्यता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयता का मापन कर दरों तथा कर विधियों से किया जाता है जो तुलन पत्र की तिथि पर या बाद में लागू किए जाते हैं।

**13. आस्तियों की हानि :**

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को शामिल करते हुए) पर हानियों (यदि कोई हो) को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एस) 28 “आस्तियों की हानि” के अनुसार मान्य किया गया है।

**14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक एस 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां” के अनुसार मूल संगठन प्रावधानों को भी मान्यता देता है, जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण की बात आ सकती है जबकि वह कभी भी वसूल नहीं हो पाती।

**10) LEASED ASSETS:**

Lease Income is recognised based on the Internal Rate of Return method over the primary period of the lease and is accounted for in accordance with the Accounting Standard (AS) 19 on “Accounting for Leases”, issued by ICAI.

**11) EARNINGS PER SHARE:**

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS) 20 “Earnings per share” issued by ICAI. Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

**12) TAXES ON INCOME:**

Income Tax comprises the current tax provision and net change in deferred tax assets or liabilities during the year, in accordance with the Accounting Standard (AS) 22, “Accounting for Taxes on Income” issued by ICAI. Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent years. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

**13) IMPAIRMENT OF ASSETS:**

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with the Accounting Standard (AS) 28 “Impairment of Assets” issued by ICAI.

**14) PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:**

As per the Accounting Standard (AS) 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, issued by ICAI, the Parent Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

**अनुसूची 18**

**समेकित वित्तीय विवरणपत्रों के भाग रूप नोट्स**

1. अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं :

क्र. सं.	अनुषंगियों के नाम	शामिल (इन्कॉर्पोरेशन) देश	यथा 31.03.2012 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
<b>स्वदेशी अनुषंगियां :</b>			
	बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. (गैर-बैंकिंग)	भारत	51%
<b>विदेशी अनुषंगियां:</b>			
क)	पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (पूर्व में पीटी बैंक स्वदेशी के रूप में जाना जाता था) (बैंकिंग)	इंडोनेशिया	76%
ख)	बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड (बैंकिंग)	तंजानिया	100%
ग)	बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैन्ड) लिमिटेड (बैंकिंग)	न्यूजीलैन्ड	100%
घ)	बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड (बैंकिंग)	युगांडा	100%

2. समेकित विवरणपत्रों में विचार की गयी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमियों के विवरण इस प्रकार हैं:

**(i) सहयोगी:**

क्र. सं.	सहायक कंपनियों के नाम	शामिल देश	स्वामित्व का अनुपात
क)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -		
i)	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	भारत	35%
ii)	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35%
iii)	वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारत	35%
iv)	बैतरणी ग्राम्य बैंक	भारत	35%
v)	आर्यवर्त ग्रामीण बैंक	भारत	35%
b)	इंडो जाम्बिया बैंक लि.	जाम्बिया	20%
c)	एसटीसीआई वित्त लिमिटेड (पूर्व में भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि. के रूप में जाना जाता था)	भारत	29.96%
d)	एसएसआईसी (इंडिया) लि.	भारत	26.02%

**(ii) संयुक्त उद्यम:**

संयुक्त उद्यमों के नाम	शामिल देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	48%

**SCHEDULE 18**

**NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the bank (the Parent) are as under:

Sr. No.	Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent as on 31.03.2012
<b>Domestic Subsidiaries:</b>			
	BOI Shareholding Ltd. (Non-Banking)	India	51%
<b>Overseas Subsidiaries:</b>			
a)	PT Bank of India Indonesia TBK (formerly known as PT Bank Swadesi) (Banking)	Indonesia	76%
b)	Bank of India (Tanzania) Ltd. (Banking)	Tanzania	100%
c)	Bank of India (New Zealand) Ltd. (Banking)	New Zealand	100%
d)	Bank of India (Uganda) Ltd. (Banking)	Uganda	100%

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

**(i) Associates:**

Sr. No.	Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
a)	Regional Rural Banks -		
i)	Jharkhand Gramin Bank	India	35%
ii)	Narmada Malwa Gramin Bank	India	35%
iii)	Wainganga Krishna Gramin Bank	India	35%
iv)	Baitarani Gramya Bank	India	35%
v)	Aryavart Gramin Bank	India	35%
b)	Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%
c)	STCI Finance Ltd. (formerly known as Securities Trading Corporation of India Ltd.)	India	29.96%
d)	ASREC (India) Ltd.	India	26.02%

**(ii) Joint Venture:**

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited	India	48%

3. इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं, मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात् 31 मार्च, 2012 तक बनाए गए हैं।
4. स्वदेशी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमियों/सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमियों/सहयोगियों द्वारा अपनायी गयी भिन्न-भिन्न लेखांकन पॉलिसियों के कारण उत्पन्न लेखागत समायोजन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम/सहयोगियों द्वारा मुहैया कराए गए डाटा के आधार पर किए गए हैं।
5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं :
  - (i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2012 के वित्तीय विवरणपत्र उनके कमिशनरों के बोर्ड द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतंत्र समीक्षकर्ता द्वारा समीक्षित हैं। पीटी बैंक स्वदेशी (अब पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके) के यथा 31.12.2011 के वित्तीय विवरणपत्र शामिल देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षित किए गए हैं।
  - (ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2012 के विवरणपत्र उनके निदेशक बोर्ड द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतंत्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं। बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.012.2011 के विवरण पत्र शामिल के देश की स्थानीय अपेक्षाओं के मुताबिक लेखा परीक्षित हैं।
  - (iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. के यथा 31.03.2012 के वित्तीय विवरणपत्र उनके निदेशकों के बोर्ड द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतंत्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं।
  - (iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) नामक नए बनाए गए बैंक के यथा 31.03.2012 के विवरणपत्र उनके निदेशक बोर्ड द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतंत्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं।
  - (v) 31.03.2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बीओआई शेयर होल्डिंग लि., स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इश्योरेन्स कम्पनी लि., इंडो बैंक जाम्बिया बैंक लि., एसटीसीआई फाइनेंस लि. एवं बैतरणी ग्राम्या बैंक के लेखा परीक्षित विवरणपत्र।
  - (vi) 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए एसआरईसी (इंडिया) लि., झारखंड ग्रामीण बैंक, नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, बैणगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक एवं आर्यवर्त ग्रामीण बैंक के बिना लेखा परीक्षित विवरणपत्र उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं।
6. वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने अधिमानी आधार पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआई) विनियमन, 2009, समय-समय पर यथा संशोधित (द एसईबीआई आईसीडीआर विनियमन) के अध्याय VII की शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए गए अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 370.02 की प्रीमियम पर ₹ 10/- प्रत्येक के 2,73,00,000 इक्विटी शेयर आंबटित किए गए हैं। उस खाते में मूल
3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March, 2012.
4. In case of Domestic subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by Parent Bank and subsidiaries/joint venture/associates have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.
5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :
  - (i) Financial statements of PT Bank of India Indonesia TBK as on 31.03.2012 certified by their Board of Commissioners and reviewed by an independent reviewer. The Financial Statements as at 31.12.2011 of PT Bank Swadesi (now PT Bank of India Indonesia TBK) has been audited as per the local requirements of the country of incorporation.
  - (ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2012 certified by their Board of Directors and reviewed by an independent reviewer. The Financial Statements as at 31.12.2011 of Bank of India (Tanzania) Ltd. has been audited as per the local requirements of the country of incorporation.
  - (iii) Financial statements of Bank of India (New Zeland) Ltd. as on 31.03.2012 certified by their Board of Directors and reviewed by an independent reviewer.
  - (iv) Financial statements of newly formed bank namely Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2012 certified by their Board of Directors and reviewed by an independent reviewer.
  - (v) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Indo Zambia Bank Ltd., STCI Finance Ltd. & Baitarani Gramya Bank for the financial year ended 31.03.2012.
  - (vi) Unaudited financial statements of ASREC (India) Ltd., Jharkhand Gramin Bank, Narmada Malwa Gramin Bank, Wainganga Krishna Gramin Bank & Aryavart Gramin Bank for the financial year ended 31.03.2012 certified by their management.
6. During the year the Parent Bank has allotted 2,73,00,000 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 370.02 per share to Life Insurance Corporation of India as determined by the Board in terms of the Chapter VII of the Securities Exchange Board of India (SEBI) Regulations, 2009, as amended from time to time (the "SEBI ICDR Regulations") on preferential basis. The

बैंक द्वारा प्राप्त की गयी पूँजी की कुल राशि ₹ 1037.45 करोड़ है और परिणामतः सरकारी होल्डिंग 65.86% से घटकर 62.72% रह गयी है।

7. अनुषंगी बही खातों के मूल बैंक के संतुलन के बारे में एवं विदेशी शाखाओं एवं नोस्ट्रो खातों और उचंत, संदेय ड्राफ्टों, समाशोधन अन्तरों, इत्यादि के साथ शेषराशियों की पुष्टि /समाधान का कार्य सतत् आधार पर प्रगति पर है। उपरोक्त का लम्बित अंतिम निर्बाधन/समायोजन, विदेशी शाखाओं सहित, खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।

मूल बैंक के आंतर कार्यालय समायोजनों के बारे में ऋण एवं जमा बकाया प्रविष्टियों को प्रारम्भिक मिलान 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण कर लिया गया है। अवशिष्ट प्रविष्टियों के समाधान का कार्य प्रगति पर है। प्रविष्टियों का लम्बित अंतिम निर्बाधन/समायोजन, प्रबंधन की राय में, खातों पर समग्र प्रभाव महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।

8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

**क) पूँजी :**

(₹ करोड़ में)

	मर्दे	31.03.2012	31.03.2011
i)	सीआरएआर (%)		
	बासल - I	11.66%	11.51%
	बासल - II	12.03%	12.24%
ii)	सीआरएआर ङटियर I पूँजी (%)		
	बासल - I	8.40%	7.90%
	बासल - II	8.69%	8.42%
iii)	सीआरएआर - टियर II पूँजी (%)		
	बासल - I	3.26%	3.61%
	बासल - II	3.34%	3.82%
iv)	मूल बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	62.72%	65.86%
v)	वर्ष के दौरान टियर II के अनुसार उठाये गए गौण ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)	0.00	0.00
vi)	मूल बैंक द्वारा वर्ष के दौरान टियर I कैपिटल के अनुसार उठायी गयी न्चोन्मेषकारी सतत् ऋण लिखत (आईपीडीआई) की राशि (₹ करोड़ में)	0.00	300.00
vii)	मूल बैंक द्वारा वर्ष के दौरान उठायी गयी अपर टियर II लिखतों की राशि (₹ करोड़ में)	0.00	1,000.00

total amount of capital received by the Parent Bank on this account is ₹ 1037.45 crore and consequently the Government holding has decreased from 65.86% to 62.72%.

7. In respect of the Parent Bank Balancing of Subsidiary Ledger Accounts and confirmation/reconciliation of balances with foreign branches and NOSTRO Accounts, and Suspense, Drafts Payable, Clearing Difference, etc. is in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, including foreign branches, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

As regards Inter office adjustments of the Parent Bank, initial matching of debit and credit outstanding entries has been completed upto 31st March, 2012. Reconciliation of residual entries is in progress. Pending final clearance/adjustment of the entries, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

8. The following information in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

**a) Capital:**

(₹ in crore)

	Items	31.03.2012	31.03.2011
i)	CRAR (%)		
	Basel-I	11.66%	11.51%
	Basel-II	12.03%	12.24%
ii)	CRAR – Tier I Capital (%)		
	Basel-I	8.40%	7.90%
	Basel-II	8.69%	8.42%
iii)	CRAR – Tier II Capital (%)		
	Basel-I	3.26%	3.61%
	Basel-II	3.34%	3.82%
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India in the Parent Bank.	62.72%	65.86%
v)	Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital during the year (₹ in crore)	0.00	0.00
vi)	Amount of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) raised as Tier I capital during the year by the Parent Bank (₹ in crore)	0.00	300.00
vii)	Amount of Upper Tier-II instruments raised during the year by the Parent Bank (₹ in crore)	0.00	1,000.00



**ख) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:**

समेकित वित्तीय विवरण पत्रों में शामिल प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

मर्दे	2011-12	2010-11
एनपीए के लिए प्रावधान	2,026.28	1,058.08
निवेशों के मूल्य में ह्रास	436.86	136.91
कारधान के लिए प्रावधान (आस्थागित कर सहित)	911.13	1,015.97
मानक आस्तियों पर प्रावधान	278.53	149.55
अन्य प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों सहित)	376.11	548.75
<b>कुल</b>	<b>4,028.91</b>	<b>2,909.26</b>

**ग) फ्लोटिंग प्रावधानों के ब्यौरे (काउन्टर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर (मूल बैंक))**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
प्रारम्भिक शेष	543.92	385.92
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	158.00
वर्ष के दौरान घटते आहरण द्वारा कमी के प्रयोजन, यदि कोई हो, दिए जाने हैं	0.00	0.00
इति शेष	543.92	543.92

**घ) आय कर**

- मूल बैंक के संबंध में आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए बैंक के विभिन्न दावों में ₹ 420.67 करोड़ की विवादित आय कर/ब्याज कर देयता शामिल है जिसके लिए ऐसे विवादों पर विगत निर्धारणों के लिए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। ऐसे विवादित देयों के विभिन्न भुगतान/समायोजन अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के तहत शामिल हैं।
- वर्ष के लिए आय कर हेतु प्रावधान कतिपय विवादित मसलों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर समुचित विचार करने के पश्चात हो गए हैं।

**ई) सहायक संस्थाओं के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित)**

वर्ष 2011-12 के दौरान मूल बैंक ने अपनी पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी, बैंक ऑफ़ इंडिया (बीटीडब्ल्यू) लि. (अभी खोली जानी है) के बारे में, उसकी वित्तीय वचनबद्धताओं, यदि कोई होती हैं, को पूरा करने के लिए गर्वनर, बैंक ऑफ़ बोस्टवाना को एक वचनबंध जारी किया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान मूल बैंक ने, रॉयल बैंक ऑफ़ न्यूजीलैंड के पक्ष में, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के लिए उसके वित्तीय दायित्वों, यदि वे देय होते हैं, का पूरा करने के लिए पैरेंटल गारन्टी जारी की है।

अलबत्ता यथा 31.03.2012 को उक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

**b) Provisions & Contingencies:**

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Consolidated financial statements is as under:

(₹ in crore)

Items	2011-12	2010-11
Provision for NPA	2,026.28	1,058.08
Depreciation in Value of Investments	436.86	136.91
Provision for Taxation (including deferred tax)	911.13	1,015.97
Provision on Standard Assets	278.53	149.55
Other Provisions (including floating provisions)	376.11	548.75
<b>Total</b>	<b>4,028.91</b>	<b>2,909.26</b>

**c) Details of Floating Provisions (Countercyclical Provisioning Buffer) (Parent Bank)**

(₹ in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Opening Balance	543.92	385.92
Additions during the year	0.00	158.00
Reductions during the year (purpose of draw down to be given, if any)	0.00	0.00
Closing Balance	543.92	543.92

**d) Income-Tax**

- In respect of Parent Bank, the Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax / interest tax liabilities of ₹ 420.67 crore for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions for past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).
- Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the various judicial decisions on certain disputed issues.

**e) Letter of comfort issued by the Parent Bank in respect of subsidiaries (As compiled by Management)**

During the year 2011-2012, the Parent Bank has issued an undertaking to the Governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (BTW) Ltd. (yet to be opened) to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11 the Parent Bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

However, as on 31.03.2012 no financial obligations have arisen on the above commitments.

9. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप निम्नलिखित सूचना प्रकट की गई है:

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India:

(क) लेखांकन मानक (एस) 15 (परिशोधित) "कर्मचारी लाभ" (मूल बैंक)

(A) Accounting Standard (AS) 15 (Revised) "Employee Benefits" (Parent Bank)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		2011-2012		2010-2011	
		उपदान Gratuity	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	पेंशन Pension
(i)	<b>प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक धारणा :</b> वर्तमान छूट दर वर्तमान आयोजना आस्तियों पर प्रतिफल दर वर्तमान वेतन वृद्धि वर्तमान ह्रास दर	<b>Principal actuarial assumptions used :</b> Discount Rate Current Rate of Return on Plan Assets Current Salary Escalation Current Attrition Rate Current			
		8.50%	9.00%	8.50%	8.50%
		8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
		4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
(ii)	<b>लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका :</b> अवधि के प्रारंभ में देयता ब्याज लागत वर्तमान सेवा लागत सेवा उपरांत लागत (संक्रामित) सेवा उपरांत लागत (निहित लाभ) अन्य ट्रस्ट से अन्तरित देयताएं बाहर आन्तरित देयता प्रदत्त लाभ दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि वर्ष के अंत में देयता	<b>Table showing change in benefit obligation :</b> Liability at the beginning of the period Interest Cost Current Service Cost Past Service Cost (Amortised) Past Service Cost (Vested Benefit) Liability transferred in from other trust Liability transferred out Benefit Paid Actuarial (gain)/loss on Obligation Liability at the end of the year			
		1,449.67	6,892.06	904.65	2,177.49
		119.85	583.29	70.72	166.72
		53.37	169.02	54.51	79.24
		-	-	428.96	2,212.15
		-	-	-	707.75
		0.04	-	-	1,539.00
		-	-	-	-
		(186.18)	(397.70)	(150.38)	(345.42)
		40.89	(107.29)	141.21	355.13
		1,477.64	7,139.38	1,449.67	6,892.06
(iii)	<b>प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका :</b> अवधि के प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल अंशदान अन्य कम्पनी से अन्तरण अन्य कम्पनी को अन्तरण प्रदत्त लाभ दायित्वों पर बीमांकित लाभ/(हानि) वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य मानने योग्य कुल बीमांकित लाभ/(हानि)	<b>Table of Fair value of Plan Assets :</b> Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period Expected return on Plan Assets Contributions Transfer from other trust Transfer to other company Benefit Paid Actuarial gain/(loss) on Plan Assets Fair Value of Plan Assets at the end of the year Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised			
		837.85	3571.61	875.28	1,764.02
		80.99	386.30	67.80	145.28
		267.65	1,456.03	47.37	224.70
		0.04	1.59	-	1,539.00
		-	-	-	-
		(186.18)	(397.70)	(150.38)	(345.42)
		16.77	52.30	(2.22)	244.03
		1,017.12	5070.13	837.85	3,571.61
		(24.13)	159.59	(143.43)	(111.10)
(iv)	<b>संक्रमणकालीन देयता की मान्यता :</b> प्रारंभ में संक्रमणकालीन देयता वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता अंत में संक्रमणकालीन देयता	<b>Recognition of Transitional Liability :</b> Transitional Liability at start Transition Liability recognised during the year <b>Transition Liability at end</b>			
		344.17	1,864.11	2.00	188.77
		86.79	536.82	1.00	94.38
		257.38	1327.29	1.00	94.39
(v)	<b>प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :</b> प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि) प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	<b>Actual return on Plan Assets :</b> Expected Return on Plan Assets Actuarial gain/(loss) on Plan Assets <b>Actual return on Plan Assets</b>			
		80.99	386.30	67.80	145.28
		16.77	52.30	(2.22)	244.03
		97.76	438.60	65.58	389.31

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		2011-2012		2010-2011	
		उपदान Gratuity	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	पेंशन Pension
(vi)	<b>तुलन पत्र में मान्य राशि :</b> अवधि के अंत में देयता वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य अंतर अमान्य विगत सेवा लागत (संक्रामित) अमान्य संक्रमणकालीन देयता <b>तुलन पत्र में मान्य राशि</b>	<b>Amount recognised in the Balance Sheet :</b>			
	Liability at the end of the period	1,477.64	7,139.38	1,449.67	6,892.06
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,017.12	5,070.13	837.85	3,571.61
	Difference	(460.52)	(2,069.25)	(611.82)	(3,320.45)
	Unrecognised Past Service Cost (Amortised)	–	–	343.17	1,769.72
	Unrecognised Transition Liability	257.38	1,327.29	1.00	94.39
	<b>Amount Recognised in the Balance Sheet</b>	<b>(203.14)</b>	<b>(741.96)</b>	<b>(267.65)</b>	<b>(1,456.34)</b>
(vii)	<b>आय विवरण में मान्य व्यय :</b> वर्तमान सेवा लागत ब्याज लागत प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल मान्य सेवा विगत लागत (संक्रामित) मान्य सेवा विगत लागत (निहित लाभ) संक्रमणकालीन देयता की मान्यता बीमाकित लाभ या हानि <b>लाभ एवं हानि में मान्य व्यय</b>	<b>Expenses recognised in the Income Statement :</b>			
	Current Service Cost	53.37	169.02	54.51	79.24
	Interest Cost	119.85	583.29	70.72	166.72
	Expected Return on Plan Assets	(80.99)	(386.30)	(67.80)	(145.28)
	Past Service Cost (Amortised) recognised	–	–	85.79	442.43
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognised	–	–	–	707.75
	Recognition of Transition Liability	86.79	536.82	1.00	94.38
	Actuarial (Gain) or Loss	24.13	(159.59)	143.43	111.10
	<b>Expense Recognised in P &amp; L</b>	<b>203.14</b>	<b>743.24</b>	<b>287.65</b>	<b>1,456.34</b>
(viii)	<b>तुलन पत्र समाधान :</b> प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि) उपर्युक्त अनुसार व्यय अन्य कंपनी से अंतरण निवल अन्य कंपनी को अंतरण निवल नियोक्ता का अंशदान <b>तुलन पत्र में मान्य राशि</b>	<b>Balance Sheet Reconciliation :</b>			
	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the Balance Sheet)	267.65	1453.94	27.37	224.70
	Expenses as above	203.14	743.84	287.65	1,456.34
	Transfer from other Company Net	–	(1.59)	–	–
	Transfer to other Company Net	–	–	–	–
	Employer's Contribution	(267.65)	(1,456.03)	(47.37)	(224.70)
	<b>Amount Recognised in Balance Sheet</b>	<b>203.14</b>	<b>740.16</b>	<b>267.65</b>	<b>1,456.34</b>
(ix)	<b>अन्य विवरण :</b> अधिकतम 50% के अध्यक्षीन सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए सैलरी के 1/66 की दर पर पेंशन देय है रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक दी गई कंपनी की योजना के अनुसार अथवा अधिकतम ₹ 10,00,000/- के अध्यक्षीन प्रत्येक वर्ष की सेवा हेतु 15 दिनों के वेतन दर पर देय ग्रेच्युटी घटना वर्ष में लेखाकृत बीमाकिक लाभ / हानि सदस्यों की संख्या वेतन प्रतिमाह अगली अवधि के लिए अंशदान	<b>Other Details :</b>			
	Pension is payable at the rate of 1/66 salary for each year of service subject to maximum of 50%				
	Gratuity is payable at the rate of 15 day's salary for each year of service subject to a maximum of ₹ 10,00,000/ or as per company scheme as detailed in report.				
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence				
	No. of members	41,455	34,498	39,948	36,950
	Salary P.M.	126.99	116.83	127.70	121.92
	Contribution for next period	126.99	378.53	127.65	395.02
(x)	<b>आस्तियों के प्रवर्ग :</b> भारत सरकार की आस्तियां कार्पोरेट बॉन्ड्स विशेष जमा योजना राज्य सरकार सम्पत्ति अन्य बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां <b>कुल</b>	<b>Category of Assets :</b>			
	Government of India Assets	193.05	630.92	193.05	703.20
	Corporate Bonds	542.43	3,178.78	232.93	968.94
	Special Deposits Scheme	–	–	–	–
	State Government	229.80	1,158.38	227.43	901.40
	Property	–	–	–	–
	Other	51.84	102.05	16.80	69.10
	Insurer managed funds	–	–	167.64	928.97
	<b>Total</b>	<b>1,017.12</b>	<b>5,070.13</b>	<b>837.85</b>	<b>3,571.61</b>

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		2011-2012		2010-2011	
		उपदान Gratuity	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	पेंशन Pension
(xi)	अनुभव समायोजन : प्लान एसेट पर (लाभ)/हानि प्लान एसेट पर(हानि)/लाभ				
	Experience Adjustment : On Plan Liability (Gain)/Loss On Plan Asset (Loss)/Gain	40.89 16.77	993.74 52.30	217.38 (2.22)	1,417.88 244.03

- i) 31.03.2007 तक परिवर्तन देयता का प्रभाव 17.10.2007 को मानक के सीमित संशोधन के अनुसार में पाँच साल की अवधि में सीधी रेखा आधार पर एक व्यय के रूप में मान्य किया गया। तदनुसार ₹ 125.27 करोड़ की राशि 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए कुल परिवर्तन देयता का 1/5 होने के कारण लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की गई है।
- ii) विगत प्रथा के अनुसार, मूल बैंक ने व्यय के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि को अंशदान को मान्यता दी है। तदनुसार वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने ऐसी निधि के लिए, जोकि एक परिनिश्चित अंशदान प्लान है, ₹ 28.67 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 56.83 करोड़) का अंशदान दिया है।
- iii) 31.03.2011 वर्ष के दौरान, बैंक ने पेंशन विकल्प को पुनः खोला। यह विकल्प ऐसे कर्मचारियों के लिए था जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना का विकल्प नहीं लिया था। परिणामतः 22,338 कर्मचारियों ने इस विकल्प को इस्तेमाल किया और मूल बैंक ने ₹ 2,212.15 करोड़ की देयता खर्च की है। आगे, वर्ष के दौरान, ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान में संशोधन के अनुपालन में बैंक के कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप बैंक की ग्रेच्युटी देयता बढ़कर ₹ 428.96 करोड़ हो गई है।
- iv) लेखागत मानक (एएस) 15 कर्मचारी फायदे की अपेक्षाओं के अनुसार: ₹ 2,641.11 करोड़ की समूची राशि (अर्थात ₹ 2,212.15 करोड़ + ₹ 428.96 करोड़) 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान लाभ-हानि खाते में डाली जानी थी। किंतु सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प देने और ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि विवेकपूर्ण विनियामक ट्रीटमेंट पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांकित 9 फरवरी, 2011 जारी किया। उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार मूल बैंक को ₹ 2,641.11 करोड़ की राशि 5 वर्षों की अवधि में संक्रामित करनी है। तदनुसार ₹ 528.22 करोड़ की राशि (₹ 2,641.11 करोड़ की एक बटा पाँच राशि चालू वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में डाली गयी है और ₹ 1,584.67 करोड़ की शेष राशि को आगामी वर्षों में मूल बैंक के लाभ-हानि खाते में खपाने के लिए आगे ले जाया जा रहा है।
- i) The effect of transitional liability till 31.03.2007 as required by the accounting standard has been recognised as an expense on straight line basis over a period of five years pursuant to limited revision of Standard on 17.10.2007. Accordingly, an amount of ₹ 125.27 crore has been charged to the Profit and Loss account for the year ended 31.03.2012 being 1/5th of the total transitional liability.
- ii) As per the past practice, the Parent Bank has recognised contribution to employee provident fund as an expense. During the year, the Parent Bank has contributed ₹ 28.67 crore (previous year ₹ 56.83 crore) towards such fund which is a defined contribution plan.
- iii) During the year ended 31.03.2011, the Parent Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of which by 22,338 employees, the Parent Bank has incurred a liability of ₹ 2,212.15 crore. Further, during the year ended 31.03.2011, the limit of Gratuity payable to the employees of the banks was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result the gratuity liability of the Parent Bank has increased by ₹ 428.96 crore.
- iv) In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15 : Employee Benefits, the entire amount of ₹ 2,641.11 crore (i.e. ₹ 2,212.15 crore + ₹ 428.96 crore) was required to be charged to the Profit and Loss Account during the year ended 31.03.2011. However, the Reserve Bank of India issued a circular no. DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on re-opening of pension option to employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, the Parent Bank would amortise the amount of ₹ 2,641.11 crore over a period of five years. Accordingly an amount of ₹ 528.22 crore (representing one-fifth of ₹ 2,641.11 crore) has been charged to the profit and loss account for the current year and the balance of ₹ 1,584.67 crore is being carried forward to be charged to profit and loss account of the Parent Bank in the coming years.

(क) लेखांकन मानक 17 "खण्ड रिपोर्ट करना" :

(B) Accounting Standard (AS) 17 "Segment Reporting"

भाग क : कारोबार खण्ड

Part A : Business Segment

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन		होलसेल बैंकिंग परिचालन		खुदरा बैंकिंग परिचालन		कुल Total	
		Treasury Operations	Wholesale Banking Operations	Retail Banking Operations	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
खण्ड परिणाम	Segment Results	1,665.69	88.81	1,465.53	3,089.16	682.59	537.57	3,813.81	3,715.54
अनाबंटित आय, व्ययों का निवल	Unallocated income net of Expenses							(177.82)	(157.15)
परिचालन लाभ	Operating profit							3,635.99	3,558.39
आयकर	Income Tax							911.13	1,015.97
निवल लाभ	Net Profit							2,724.86	2,542.42
<b>अन्य सूचना :</b>	<b>OTHER INFORMATION:</b>								
खंड आस्तियां	Segment Assets	117,296.60	115,827.34	191,886.13	160,056.78	69,236.85	69,215.95	378,419.58	345,100.07
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets							9,169.66	7,931.78
कुल आस्तियां	Total Assets							387,589.24	353,031.85
खण्ड देयताएं	Segment Liabilities	111,226.25	110,071.35	181,978.81	152,015.19	65,682.38	65,930.77	358,887.44	328,017.31
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities							7,287.80	7,378.46
कुल देयताएं	Total Liabilities							366,175.24	335,395.77
नियोजित पूंजी	Capital Employed	6,070.35	5,755.99	9,907.32	8,041.59	3,554.47	3,285.18	19,532.14	17,082.76
अनाबंटित पूंजी	Unallocated Capital							1,881.86	553.32
कुल नियोजित पूंजी	Total Capital Employed							21,414.00	17,636.08

टिप्पणी : अनाबंटित खंड के अन्तर्गत गैर-बैंकिंग सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के संबंध में सूचना शामिल की गई है।

NOTE : Information in respect of Non Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B : Geographical Segment

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

भौगोलिक खंड	Geographical Segments	स्वदेशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल Total	
		Domestic	International	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
विवरण	Particulars	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
राजस्व	Revenue	28,815.83	22,327.16	3,114.36	2,173.09	31,930.20	24,500.25
आस्तियां	Assets	297,177.13	290,611.88	90,412.12	62,419.97	387,589.25	353,031.85

बैंक ने लेखांकन मानक (एस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard (AS) 17.

i) प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) कोषागार परिचालन: खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य

i) Primary Segment: Business Segments

a) Treasury Operations: 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment



प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

**ख) थोक बैंकिंग:** थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

**ग) खुदरा बैंकिंग:** खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

- एक्सपोजर: अधिकतम कुल एक्सपोजर ₹ 5 करोड़ तक।
- कुल वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 करोड़ से कम अर्थात् मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

**घ) अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण**

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमा राशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

**इ) लागत का विनियोजन**

- विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।
- विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

**ii) गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड**

- स्वदेशी परिचालन
- अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

**(सी) लेखांकन मानक 18 - संव्यवहारों से संबंधित पक्षकार :**

**I) संबंधित पक्षकारों की सूची:**

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:

अध्यक्ष एवं

प्रबंध निदेशक : श्री आलोक मिश्रा

कार्यपालक : श्री बी. ए. प्रभाकर (15.12.2011 तक)

निदेशक गण श्री एन. शेषाद्रि

श्री एम.एस. राघवन (01.01.2012 से)

(ख) अनुषंगियां :

- बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.
- पीटी बैंक ऑफ़ इंडोनेशिया टीबीके (पहले पीटी बैंक स्वदेशी के रूप में जाना जाता था)
- बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि.
- बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि.
- बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

**b) Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

**c) Retail Banking:** Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

- Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5 Crore
- The total annual turnover is less than ₹ 50 crore i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

**d) Pricing of Inter-Segmental transfers**

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

**e) Allocation of Costs**

- Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment
- Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees / business managed.

**ii) Secondary Segment: Geographical Segments**

- Domestic Operations
- International Operations

**(C) Accounting Standard 18 - Related Party Transactions:**

**I) List of Related Parties:**

(a) Key Managerial Personnel :

Chairman &  
Managing

Director : Shri Alok K. Misra

Executive : Shri B. A. Prabhakar (upto 15.12.2011)

Directors Shri N. Seshadri

Shri M. S. Raghavan (w.e.f. 01.01.2012)

(b) Subsidiaries :

- BOI Shareholding Limited.
- PT Bank of India Indonesia Tbk (Formerly known as PT Bank Swadeshi)
- Bank of India (Tanzania) Ltd.
- Bank of India (New Zealand) Limited.
- Bank of India (Uganda) Ltd.

- (ग) संयुक्त उद्यम:
- (i) स्टार यूनियन दार्ई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.
- (घ) सहायक कंपनियां :
- (i) एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड (पहले भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि. के रूप में जाना जाता था)
- (ii) एसआरईसी (इंडिया) लि.
- (ii) इंडो जाम्बिया बैंक लि.
- (iii) बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -
- आर्यावर्त ग्रामीण बैंक,
  - बैतरणी ग्राम्य बैंक,
  - झारखण्ड ग्रामीण बैंक,
  - नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक,
  - वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक।
- (c) Joint Venture:
- (i) Star Union Dai – Ichi Life Insurance Company Ltd.
- (d) Associates :
- (i) STCI Finance Limited. (Formerly known as Securities Trading Corporation of India Ltd.)
- (ii) ASREC (India) Ltd.
- (iii) Indo-Zambia Bank Ltd.
- (iv) 5 Regional Rural Banks sponsored by the Bank:
- Aryavart Gramin Bank
  - Baitarani Gramya Bank
  - Jharkhand Gramin Bank
  - Narmada Malwa Gramin Bank
  - Wainganga Krishna Gramin Bank

II) (क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (यथा प्रबंधन द्वारा यथा समेकित):

II) (a) Transactions with Related Parties (As compiled by the management) :

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

मर्दे / संबंधित पक्षकार	Items / Related Party	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम Associates / Joint ventures		मुख्य प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel		कुल Total	
		2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
जमा	Deposit	-	28.92	0.52	0.41	-	0.00*	0.52	29.33
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	-	68.67	1.13	0.53	-	0.01	1.13	69.21
जमाराशियों का संस्थापन	Placement of deposits	73.78	306.71	-	-	-	-	73.78	306.71
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	173.40	57.66	-	-	-	-	173.40	57.66
निवेश	Investments	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	10.52	-	-	-	-	-	10.52	-
मांग सूचना / मियादी मुद्रा में उधार देना	Lending in Call Notice/ Term Money	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य उधार	Other Lending	112.50	99.99	-	-	-	-	112.50	99.99
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	112.50	-	-	-	-	-	112.50	-
मांग सूचना / मियादी मुद्रा में उधार लेना	Borrowings in Call / Notice / Term Money	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	150.00	100.67	0.02	0.08	-	-	150.02	100.75
सरकारी प्रतिभूति / ट्रेजरी विलों / बांडों की बिक्री	Sale of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	140.27	144.19	-	-	-	-	140.27	144.19
सरकारी प्रतिभूति / ट्रेजरी विलों / बांडों की खरीदी	Purchase of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	101.24	320.39	-	-	-	-	101.24	320.39

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

मर्दे / संबंधित पक्षकार	Items / Related Party	सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यम Associates / Joint ventures		मुख्य प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel		कुल Total	
		2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
गैर-निधिक वायदे	Non-funded commitments	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज	Interest paid	2.82	1.18	0.04	0.02	-	-	2.86	1.20
प्राप्त ब्याज	Interest received	3.68	2.00	-	-	-	0.00*	3.68	2.00
प्राप्त गैर-वित्तीय व्यय	Non financial expense recd.	0.18	0.16	-	-	-	-	0.18	0.16
प्रदत्त लाभांश	Dividend Paid	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त लाभांश	Dividend Received	10.94	1.31	-	-	-	-	10.94	1.31
दी गई सेवाएं	Services rendered	27.06	21.15	-	-	-	-	27.06	21.15
प्राप्त सेवाएं	Services received	17.29	11.67	-	-	-	-	17.29	11.67
प्रबंधन संविदा	Management contracts	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्य अन्य प्रभार	Other Charges receivable	-	0.27	-	-	-	-	-	0.27
कोई अन्य	Any Others	2.44	2.68	-	-	-	-	2.44	2.68

\* वास्तविक राशि ₹ 50,000 से कम होने के कारण दर्शायी नहीं गयी है।

\* Actual amount being less than ₹ 50,000/-, the same is not furnished.

II) ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

b) Key Management Personnel :

अ.क्र. SI.No.	नाम / Name	पदनाम / Designation	पारिश्रमिक / Remuneration	
			चालु वर्ष Current Year (₹)	विगत वर्ष Previous Year (₹)
1	श्री आलोक मिश्रा Shri Alok K. Misra	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	22,54,643	13,87,200
2	श्री एन. शेषाद्रि Shri N. Seshadri	कार्यपालक निदेशक Eexecutive Director	15,50,895	4,71,250
3	श्री एम. एस. राघवन Shri M.S. Raghavan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	3,29,850	0
4	श्री बी.ए. प्रभाकर Shri B.A. Prabhakar	कार्यपालक निदेशक Executive Director	15,48,157	11,87,143
5	श्री एम. नरेंद्र Shri M. Narendra	कार्यपालक निदेशक Executive Director	0.00	6,75,525

राज्य नियंत्रित होने के कारण सहायक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संव्यवहार, एएस-18 के पैरा 9 की दृष्टि में प्रकटन नहीं किए गए हैं जोकि आईसीएआई द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए जारी किए हैं जिसमें इन पार्टियों के दूसरे पक्षकारों के साथ, जो भी राज्य नियंत्रित है, संव्यवहारों को प्रकटन न करने की छूट है।

The transactions with the subsidiaries and Regional Rural Banks, being state controlled, have not been disclosed in view of para 9 of AS-18 on Related party disclosure issued by the ICAI exempting state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

**4.7 लेखांकन मानक 19 - पट्टा वित्तपोषण (मूल बैंक)**

(i) पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लेख नीचे किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
क)	सकल निवेश	0.22	0.62
ख)	प्राप्य पट्टा भुगतान		
	(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं	0.22	0.62
	(ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	0.00	0.00
	(iii) 5 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>0.22</b>	<b>0.62</b>
ग)	अनर्जित वित्त आय	0.00	0.00
घ)	निवल निवेश [ क - ग ]	0.22	0.62

**ई. लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर उपार्जन**

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2010-11
1.	आधारभूत और तनुकृत * (₹)	49.85	48.37

**आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन :**

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2010-11
(क)	इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ (₹ करोड़)	2724.86	2,542.42
(ख)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (₹ करोड़)	54.66	52.56
(ग)	मूलभूत एवं तनुकृत प्रति शेयर आय (ए/बी) (₹)	49.85	48.37
(घ)	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

\* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

**4.7 Accounting Standard 19 - Lease Financing (Parent Bank)**

(i) The contractual maturities of the Bank's investment in lease financing and its components, which are included in advances, are set out below:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31-03-2012	31-03-2011
a)	Gross Investments	0.22	0.62
b)	Lease payment receivables		
	(i) not later than 1 year	0.22	0.62
	(ii) later than 1 year but not later than 5 years	0.00	0.00
	(iii) later than 5 years	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.22</b>	<b>0.62</b>
c)	Unearned finance income	0.00	0.00
d)	<b>Net investments [ a - c ]</b>	<b>0.22</b>	<b>0.62</b>

**(E) Accounting Standard 20 - Earnings Per Share:**

Sr. No.	Particulars	2011-2012	2010-2011
1.	Basic & Diluted * (₹)	49.85	48.37

**Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:**

Sr. No.	Particulars	2011-2012	2010-2011
(A)	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in crores)	2724.86	2,542.42
(B)	Weighted Average Number of Equity shares (crore)	54.66	52.56
(C)	Basic & Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	49.85	48.37
(D)	Nominal Value per Equity Share (₹)	10.00	10.00

\* Basic & Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

**(एफ) लेखांकन मानक 22 - आय पर कर के लिए लेखांकन :**

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
	<b>आस्थगित कर आस्तियां</b>		
i)	प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	531.13	352.79
ii)	अन्य	64.26	69.68
	<b>कुल आस्थगित कर आस्तियां</b>	<b>595.39</b>	<b>422.47</b>
	<b>आस्थगित कर देयता</b>		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास के कारण	28.39	26.42
ii)	निवेश पर मूल्यहास के कारण	1,025.05	658.85
iii)	प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं के कारण	605.50	426.99
iv)	अन्य	8.34	3.69
	<b>कुल आस्थगित कर देयताएं</b>	<b>1,667.28</b>	<b>1,115.95</b>
	<b>निवल आस्थगित कर आस्तियां / (देयताएं)</b>	<b>(1,071.88)</b>	<b>(693.48)</b>

**(जी) लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यम में निवेश**

एस 27 की आवश्यकता के अनुसार संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में समूहों के हित से संबंधित आस्ति - देयता, आय-व्यय की कुल राशि का प्रकटन नीचे किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2012
<b>देयताएं</b>	
पूंजी और आरक्षितियां	20.32
जमाराशियां	0.00
उधार	0.00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	1,319.57
<b>जोड़</b>	<b>1,339.89</b>
<b>आस्तियां</b>	
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	0.00
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	67.09

**(F) Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income:**

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2012	31.03.2011
	<b>Deferred Tax Assets</b>		
i)	On account of timing difference towards provisions	531.13	352.79
ii)	Others	64.26	69.68
	<b>Total Deferred Tax Assets</b>	<b>595.39</b>	<b>422.47</b>
	<b>Deferred Tax Liabilities</b>		
i)	On account of depreciation on fixed assets	28.39	26.42
ii)	On account of depreciation on investment	1,025.05	658.85
iii)	On account of interest accrued but not due	605.50	426.99
iv)	Others	8.34	3.69
	<b>Total Deferred Tax Liabilities</b>	<b>1,667.28</b>	<b>1,115.95</b>
	<b>Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)</b>	<b>(1,071.88)</b>	<b>(693.48)</b>

**(G) Accounting Standard 27 (AS 27) – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures:**

As required by AS 27, the aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities are disclosed as under:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2012
<b>Liabilities</b>	
Capital & Reserves	20.32
Deposits	0.00
Borrowings	0.00
Other Liabilities & Provisions	1,319.57
<b>Total</b>	<b>1,339.89</b>
<b>Assets</b>	
Cash and Balances with Reserve Bank of India	0.00
Balances with Banks and Money at call and short notice	67.09



(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2012
निवेश	1,215.48
अग्रिम	0.00
अचल आस्तियां	11.32
अन्य आस्तियां	46.00
<b>कुल</b>	<b>1,339.89</b>
पूजी प्रतिबद्धताएं	0.00
अन्य आकस्मिक देयताएं	0.00
<b>आय</b>	
उपार्जित ब्याज	11.83
अन्य आय	0.00
<b>जोड़</b>	<b>11.83</b>
<b>व्यय</b>	
ब्याज व्यय	0.00
परिचालन व्यय	39.30
प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएं	0.00
<b>जोड़</b>	<b>39.30</b>
<b>लाभ / (हानि)</b>	<b>(27.47)</b>

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2012
Investments	1,215.48
Advances	0.00
Fixed Assets	11.32
Other Assets	46.00
<b>Total</b>	<b>1,339.89</b>
Capital Commitments	0.00
Other Contingent Liabilities	0.00
<b>Income</b>	
Interest Earned	11.83
Other Income	0.00
<b>Total</b>	<b>11.83</b>
<b>Expenditure</b>	
Interest Expended	0.00
Operating Expenses	39.30
Provisions & Contingencies	0.00
<b>Total</b>	<b>39.30</b>
<b>Profit / (Loss)</b>	<b>(27.47)</b>

(एच) लेखांकन मानक 29 के अनुसार प्रावधानों की गतिविधियों का विस्तृत वर्णन, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आस्तियां' (मूल बैंक):

(H) Details of movement in provisions in accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Parent Bank)

क. देयताओं हेतु प्रावधानों का मूवमेंट (अन्य हेतु प्रावधान छोड़कर)

A. Movement of Provisions for liabilities (excluding provision for others)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले / आकस्मिकताएं	
	2011-12	2010-11
आरंभिक शेष	6.61	1.20
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	15.44	216.49
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	211.08
अंतिम शेष	22.05	6.61
बहिर्गमन का समय / अनिश्चितताएं	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Legal cases/contingencies	
	2011-12	2010-11
Opening Balance	6.61	1.20
Provided during the year	15.44	216.49
Amounts used during the year	-	211.08
Closing Balance	22.05	6.61
Timing of outflow / uncertainties	Outflow on settlement / Crystallization	Outflow on settlement / Crystallization

ख. आकस्मिक देयताएं

B. Contingent Liabilities

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो, पर क्रमशः निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

10. लेखा मानक 3 - नकदी प्रवाह का विवरण /  
Accounting Standard 3 – Cash Flow Statement

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण	Particulars	वर्षान्त / Year ended 31.03.2012	वर्षान्त / Year ended 31.03.2011
<b>क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>	<b>A. Cash Flow from Operating Activities:</b>		
कर के पहले शुद्ध लाभ	<b>Net Profit before taxes</b>	<b>36,359,907</b>	<b>35,583,920</b>
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	<b>Adjustments for:</b>		
निवेश पर मूल्यह्रास/परिशोधन	Amortisation / Depreciation on Investments	5,898,098	2,670,000
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	1,750,531	1,448,561
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	26,809,136	17,563,739
गौण बांड आईपीडीआई, अपर टियर II बांड पर ब्याज का भुगतान/प्रावधान	Payment / Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	7,702,166	7,309,900
प्राप्त लाभांश	Dividend received	(316,369)	(166,022)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	<b>Adjustments for:</b>		
जमा राशियों में वृद्धि/(कमी)	Increase / (Decrease) in Deposits	198,531,261	691,511,905
उधार में वृद्धि/(कमी)	Increase / (Decrease) in Borrowings	98,917,966	(12,178,552)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	2,856,939	37,723,530
निवेश में वृद्धि/(कमी)	(Increase) / Decrease in Investments	(18,693,558)	(187,365,842)
अग्रिम में वृद्धि/(कमी)	(Increase) / Decrease in Advances	(38,051,360)	(457,354,233)
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी)	(Increase) / Decrease in Other Assets	17,561,732	(63,385,302)
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी	Direct Taxes (Paid) / Refund	(13,304,952)	(11,399,494)
<b>परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)</b>	<b>Net Cash Flow from Operating Activities (A)</b>	<b>(16,440,802)</b>	<b>61,962,110</b>
<b>ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>	<b>B. Cash Flow from Investing Activities :</b>		
अचल सम्पत्ति की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(6,397,056)	(4,041,202)
अचल सम्पत्ति की बिक्री	Sale of Fixed Assets	804,784	296,010
प्राप्त लाभांश	Dividend received	316,369	166,022
सहायक कंपनियों के समेकन का प्रभाव	Impact of consolidation of subsidiaries	(1,007,360)	(943,152)
अल्प-संख्यक हित	Minority Interest	116,636	(2,679,887)
<b>निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)</b>	<b>Net Cash Flow from Investing Activities (B)</b>	<b>(6,166,628)</b>	<b>(7,202,209)</b>
<b>ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>	<b>C. Cash Flow from Financing Activities:</b>		
शेयर पूंजी	Share Capital	273,000	213,049
शेयर प्रीमियम	Share Premium	10,101,546	10,702,952
आईपीडीआई, गौण बांड तथा अपर टियर II बांड (निवल)	IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	2,057,728	8,393,353
लाभांश भुगतान	Dividend paid	(4,442,954)	(4,286,465)
आईपीडीआई/गौण बांड अपर टियर II बांड पर ब्याज भुगतान	Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(7,702,166)	(7,309,900)
<b>वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)</b>	<b>Net Cash Flow from Financing Activities (C)</b>	<b>287,154</b>	<b>7,712,989</b>
<b>नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क) + (ख) + (ग)</b>	<b>Net Increase in Cash &amp; Cash Equivalents (A)+(B)+(C)</b>	<b>(22,320,276)</b>	<b>62,472,890</b>
<b>1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य का आरंभिक शेष</b>	<b>Opening Cash and Cash Equivalents as at April 1</b>	<b>376,963,632</b>	<b>314,490,742</b>
<b>वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य</b>	<b>Cash and Cash Equivalents as at March 31</b>	<b>354,643,356</b>	<b>376,963,632</b>

11. समेकित वित्तीय विवरणों का सत्य तथा निष्पक्ष छवि न रखनेवाले मूल तथा अनुषंगियों को तथा समेकित विवरणों में प्रकटन न किए गए अभौतिक मदों से संबंधित सूचना का भी अलग वित्तीय विवरण में अतिरिक्त सूचना का प्रकटन करना है।

Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements.

12. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया।

Previous year's figures have been regrouped / rearranged, wherever considered necessary.

## बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक बोर्ड को, बैंक ऑफ़ इंडिया एवं उसकी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2012 को बैंक ऑफ़ इंडिया समूह (बीओआई ग्रुप), के समेकित तुलन पत्र, और उसके साथ संलग्न उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि खाता, और समेकित नकद प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है। बीओआई ग्रुप में बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक), उसकी अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- हमारे द्वारा लेखापरीक्षित मूल बैंक के वित्तीय विवरण।
- अन्य लेखा परीक्षों द्वारा लेखा परीक्षित - एक स्वदेशी अनुषंगी, दो स्वदेशी सहायक कंपनियों, एक स्वदेशी संयुक्त उद्यम, एक विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण।
- चार विदेशी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण जिनकी समीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों ने की है, और
- पांच स्वदेशी सहायक कंपनियों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।

इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी मूल बैंक के प्रबंधन की है और उसे समूह के विभिन्न घटकों के पृथक वित्तीय विवरणों एवं अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर मूलबैंक के प्रबंधन द्वारा किया गया है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है।

- हमने लेखा परीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित और कार्यान्वित करें कि इसमें यह उचित आश्वासन मिले कि तैयार किए गए वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण दृष्टि से, अभिज्ञात वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार तैयार किए गए हैं और उनमें कोई बड़ी गलती नहीं है। लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर राशि को समर्थन देने वाले और वित्तीय विवरणों में प्रकटन करने वाले प्रमाण की जांच शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।
- हम रिपोर्ट करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरण मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक

## AUDITORS' REPORT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF BANK OF INDIA ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF BANK OF INDIA AND ITS SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES

1. We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of Bank of India Group (BOI Group) as at 31st March 2012, the Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto. Bank of India (the Parent Bank), its subsidiaries, joint ventures and associates constitute the BOI Group. In the consolidated financial statements are incorporated the:

- Financial Statements of the Parent Bank audited by us,
- Financial Statements of one domestic subsidiary, two domestic associates, one domestic joint venture, one overseas associate audited by other auditors,
- Financial Statements of four overseas subsidiaries reviewed by other auditors and
- Unaudited Financial Statements of five domestic associates.

These consolidated financial statements are the responsibility of the management of the Parent Bank and have been prepared by them on the basis of separate financial statements and other financial information of the different entities in the group. Our responsibility is to express our opinion on these financial statements based on our audit.

- We have conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the management of the Parent

(एस) 21 के संबंध में "समेकित वित्तीय विवरण", एस 23 के संबंध में "समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक कंपनियों में निवेश के लिए लेखांकन" और एस 27 के संबंध में "संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग" एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

4. बैंक के इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हमने नहीं की है:
- अनुषंगियां जिनकी यथा दिनांक 31 मार्च 2012 को वित्तीय विवरण में कुल आस्तियाँ ₹ 1,821.09 करोड़ एवं इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 150.14 करोड़ दर्शाई गई हैं।
  - संयुक्त उद्यम जिनकी यथा दिनांक 31 मार्च, 2011 को वित्तीय विवरण में कुल आस्तियाँ ₹ 3,047.32 करोड़ एवं इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 1,325.68 करोड़ दर्शाई गई हैं; तथा
  - सहायक कंपनियां जो उस तिथि में समाप्त वर्ष के लिए मूल बैंक के निवल हानि में ₹ 5.53 करोड़ का हिस्सा दर्शा रही हैं।

हमें मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए पाँच सहायक कंपनियों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों पर भी भरोसा किया है जिसके आधार पर वर्ष के निवल लाभ के ₹ 63.80 करोड़ हिस्से को समेकन में लिया गया है।

5. हमारी राय में, जहां तक बैंक की अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के बारे में सम्मिलित राशि का संबंध है जिनकी लेखा परीक्षा/समीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है एवं जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है वह पूर्णतः ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों तथा एक सहयोगी कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर भी पूर्णतः आधारित है।
6. बैंक की हमारी लेखापरीक्षा तथा पृथक वित्तीय विवरण पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार तथा अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तथा अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहायक कंपनियों के अन्य वित्तीय जानकारियों तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी यह राय है कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा लेखा खातों के साथ पठित संलग्न समेकित वित्तीय विवरण आवश्यक तरीके के अनुरूप जानकारी दे रहे हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष विचार देते हैं।
- समेकित तुलनपत्र के संबंध में 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बीओआई समूह के समेकित कार्य की स्थिति,

Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27 - "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India.

4. We have not audited the financial statements of the:
- subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹ 1,821.09 crore as at 31st March, 2012 and total revenue of ₹ 150.14 crore for the year ended on that date;
  - joint venture whose financial statements reflect total assets of ₹ 3,047.32 crore as at 31st March, 2012 and total revenue of ₹ 1,325.68 crore for the year ended on that date; and
  - associates reflecting share of net loss of parent bank amounting to ₹ 5.53 crore for the year ended on that date.

We have also relied on unaudited financial statements of five associates as made available to us by the Parent Bank's management based on which ₹ 63.80 crore being share of net profit for the year has been considered for consolidation.

5. Our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the subsidiaries, joint venture and associates of the Parent Bank which have been audited/ reviewed by other auditors is based solely on the reports of such other auditors as furnished to us.
6. Based on our audit and consideration of report of other auditors on separate financial statements and on consideration of the unaudited financial statements and on the other financial information of the subsidiaries, joint venture and associates and according to the information and explanations given to us, we are of the opinion that the attached Consolidated Financial Statements, read with the significant accounting policies and the notes on accounts, give the information in the manner required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India -
- in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the BOI Group as at 31st March, 2012,

- ii. समेकित लाभ व हानि लेखा के संबंध में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के बीओआई समूह के परिचालनों के समेकित परिणाम, और
- iii. समेकित नकदी प्रवाह विवरणों के संबंध में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बीओआई समूह का समेकित नकदी प्रवाह।

- ii) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the results of operations of the BOI Group for the year ended on that date, and
- iii) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flow of the BOI Group for the year ended on that date.

कृते अग्रवाल एंड सक्सेना  
For **Agarwal & Saxena**  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(फर्म पंजी. सं. 002405सी)  
(Firm Reg No. 002405C)

कृते कर्नावट एंड कंपनी  
For **Karnavat & Co.**  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(फर्म पंजी. सं. 104863डब्ल्यू)  
(Firm Reg No. 104863W)

कृते चतुर्वेदी एंड शाह  
For **Chaturvedi & Shah**  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(फर्म पंजी. सं. 101720डब्ल्यू)  
(Firm Reg. No. 101720W)

(अनिल के. सक्सेना)  
**(Anil K. Saxena)**  
भागीदार  
Partner  
सदस्यता सं. 71600  
M. No. 71600

(शशिकांत गुप्ता)  
**(Shashikant Gupta)**  
भागीदार  
Partner  
सदस्यता सं. 045629  
M. No. 045629

(वितेश डी. गांधी)  
**(Vitesh D. Gandhi)**  
भागीदार  
Partner  
सदस्यता सं. 110248  
M. No. 110248

कृते एल.बी. झा एंड कंपनी  
For **L.B. Jha & Co.**  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(फर्म पंजी. सं. 301088E)  
(Firm Reg. No. 301088E)

कृते शंकरन एंड कृष्णन  
For **Sankaran & Krishnan**  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(फर्म पंजी. सं. 003582S)  
(Firm Reg. No. 003582S)

कृते एसआरबी एंड एसोशिएट्स  
For **SRB & Associates**  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(फर्म पंजी. सं. 310009ई)  
(Firm Reg No. 310009E)

(के.के. भांजा)  
**(K.K. Bhanja)**  
भागीदार  
Partner  
सदस्यता सं. 14722  
M. No. 14722

(एम. के. कुमार)  
**(M.K. Kumar)**  
भागीदार  
Partner  
सदस्यता सं. 202092  
M. No. 202092

(संजीत पात्रा)  
**(Sanjeet Patra)**  
भागीदार  
Partner  
सदस्यता सं. 056121  
M. No. 056121

मुंबई, 7 मई, 2012  
Mumbai, 7<sup>th</sup> May, 2012



## बासल II (स्तंभ 3) - प्रकटन (समेकित) मार्च 2012

तालिका डीएफ -1

अनुप्रयोग का कार्य क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटन

(अ) समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर यह संरचना लागू होती है।

बैंक ऑफ़ इंडिया

(ब) समूह के भीतर लेखांकन और नियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में भिन्नताओं की एक रूपरेखा जिसके साथ संस्था का संक्षिप्त विवरण दिया गया हो।

(i) जो पूरी तरह से समेकित है (ii) जो आनुपातिक आधार पर समेकित है (iii) जिन्हें कटौती बरताव दिया गया है और (iv) जो न तो समेकित है, न ही घटाई गई है (उदाहरणार्थ जहाँ निवेश जोखिम के आधार पर मापा जाता है)।

समेकित वित्तीय विवरणपत्रों को सामान्यतया एक ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रचलित प्रयोजन अवधारणा का अनुसरण कर तैयार किया गया है और भारतीय कार्यालयों/शाखाओं के संबंध में भारत में और विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित कानूनी प्रावधानों एवं प्रथाओं के अनुरूप है सिवाय उस स्थिति के जहाँ अन्यथा सूचित किया गया हो।

मूल बैंक एवं उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरणपत्र भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखागत मानक (एएस) 21 के अनुसार तैयार किए जाते हैं; ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है और उनके साथ ऐसी मदें जैसे आस्तियां देयताएं आय और व्यय जोड़ दी जाती हैं और अन्तर ग्रुप संव्यवहारों, शेष राशि बिना वसूले गए लाय। हानि को उसमें से निकाल दिया जाता है और इसके साथ-साथ ऐसे आवश्यक समायोजन भी किए जाते हैं जो एक लेखागत नीति के अनुरूप उन्हें बनाने के लिए आवश्यक हों किंतु ऐसा ओवरसीज अनुषंगियों/सहभोगियों के मामले को छोड़कर है जहां वित्तीय विवरण पत्र स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के आधार पर तैयार किए जाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणपत्रों में उनके परिणाम को शामिल भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनका उस पर बहुत असर पड़ने की सम्भावना नहीं है। अनुषंगियों के विवरणपत्र उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए गए हैं जो मूल बैंक की रिपोर्टिंग तारीख है और वह तारीख 31 मार्च, 2012 है।

सहायक कम्पनियों में निवेश हेतु लेखांकन इक्विटी पद्धति के अन्तर्गत किया जाता है, जो लेखांकन मानक 23 जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "समेकित विवरण पत्रों में एसोसिएट में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार हैं।

संयुक्त उद्यमों में निवेश हेतु लेखांकन का समेकन, भारतीय सनदी

## Basel II (Pillar 3) - Disclosures (Consolidated) March 2012

Table DF-1

Scope of application

Qualitative Disclosures

(a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies.

BANK OF INDIA

(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and Regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group

(i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).

The Consolidated financial statements have been prepared by following going concern concept, generally on a historical cost basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian Offices/Branches and in respective foreign Countries in respect of Foreign Offices/Branches, except as otherwise stated.

The financial statements of the parent bank and its subsidiaries are prepared in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments wherever required to conform to uniform accounting policies except in case of overseas subsidiaries/ associates, where, the financial statements are prepared based on local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards (IFRS). Impact of the same is not given in Consolidated Financial Statements as the same is not likely to be material. The financial statements of the subsidiaries are drawn upto the same reporting date as that of parent i.e. 31st March 2012.

Accounting for Investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Accounting for Investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of

लेखाकर संस्थान(आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 27 "संयुक्त उद्यमों में निवेशों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार हैं।

Interests in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

**i) कंपनियों जो पूर्णतः समेकित हैं**

उन सहायक कम्पनियों का विवरण निम्नानुसार है जिनके वित्तीय विवरण पत्रों का समेकन बैंक (मूल कम्पनी) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ किया जाता है:-

अनुषंगियों का नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2012 स्वामित्व का अनुपात
<b>देशी अनुषंगियां :</b>		
अ) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. (गैर बैंकिंग)	भारत	51%
<b>विदेशी अनुषंगियां</b>		
ए) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया (बैंकिंग)	इंडोनेशिया	76%
बी) बीओआई तंजानिया लि. (बैंकिंग)	तंजानिया	100%
सी) बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजलैंड) लि. (बैंकिंग)	न्यूजलैंड	100%
डी) बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि. (बैंकिंग)	युगांडा	100%

**i) Entities that are fully consolidated**

The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the bank (the parent) are as under:

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership as on 31.03.2012
<b>Domestic Subsidiaries:</b>		
BOI Shareholding Ltd. (Non-Banking)	India	51%
<b>Overseas Subsidiaries:</b>		
a) PT Bank of India Indonesia Tbk (Banking)	Indonesia	76%
b) BOI Tanzania Ltd. (Banking)	Tanzania	100%
c) Bank of India (New Zealand) Limited (Banking)	New Zealand	100%
d) Bank of India (Uganda) Ltd (Banking)	Uganda	100%

निम्न कंपनियों में बैंक का 20% या अधिक हिस्सा (स्टेक) है :

Bank is having 20% or more stakes in following entities.

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निगमन देश	निगमन देश स्वामित्व का अनुपात प्रतिशत
i)	स्टार दार्-ची लाईफ इन्स्यूरेंस (इन्स्यूरेंस)	भारत	48.00
ii)	सिक्वोरिटी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत	29.96
iii)	एसआरआईसी (भारत) लि.	भारत	26.02
iv)	इण्डो जांबिया बैंक लि.	जांबिया	20
v)	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	भारत	35
vi)	बैतरणी ग्राम्य बैंक	भारत	35
vii)	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	भारत	35
viii)	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35
ix)	वैनगंगा कृष्ण ग्रामीण बैंक भारत	भारत	35

Sr. No.	Name of the Entity	Country of Incorporation	Proportion of ownership percentage
i)	Star Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd (Insurance)	India	48.00
ii)	Securities Trading Corporation of India Ltd	India	29.96
iii)	ASREC (India) Ltd	India	26.02
iv)	Indo-Zambia Bank Ltd	Zambia	20
v)	Aryavat Gramin Bank	India	35
vi)	Baitarani Gramya Bank	India	35
vii)	Jharkhand Gramin Bank	India	35
viii)	Narmada Malwa Gramin Bank	India	35
ix)	Wainganga Krishna Gramin Bank	India	35

**ii) यथानुपात समेकित :**

सिक्वोरिटी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.  
इण्डो जांबिया बैंक लि.  
एसआरआईसी (भारत) लि.  
स्टार यूनियन दार्-ईची लाइफ इश्योरेंस कं.लि.  
बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

**ii) Pro-rata consolidated:**

Security Trading Corporation of India Ltd  
Indo-Zambia Bank Ltd.  
ASREC (India) Ltd  
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.  
5 Regional Rural Banks sponsored by the Bank

- iii) कंपनियों को कटौती ट्रीटमेंट दिया गया : शून्य  
iv) न समेकित न पृथक की गई कंपनियों : शून्य

- iii) Entities given a deduction treatment : Nil  
iv) Entities neither consolidated nor deducted : Nil

मात्रात्मक प्रकटन	
(बी) सभी सहायक कम्पनियों में पूंजीगत भिन्नताओं की कुल राशि जिसे समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात् जिनकी कटौती की जाती है और ऐसी सहायक कम्पनियों के नाम	शून्य

Quantitative Disclosures	
(b) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	NIL

(डी) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की समग्र राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य) जिन्हें जोखिम आधार पर मापा जाता है एवं उनका नाम, निगमन या निवास का उनका देश, स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न है तो इन संस्थाओं में वेटिंग पावर का अनुपात इसके अतिरिक्त इस पद्धति बनाम कठौती पद्धति प्रयोग करने पर नियामक पूँजी पर परिमाणात्मक प्रभाव दर्शाएं	शून्य
--	-------

(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	NIL
---	-----

**तालिका डीएफ-2**

**पूँजीगत संरचना**

**गुणात्मक प्रकटन**

(क) सभी पूँजीगत लिखतों, विशेष रूप से वे पूँजीगत लिखत जो टियर I या अपर टियर 2 में शामिल होने के पात्र हैं, की मुख्य विशेषताओं की शर्तों और निबंधनों के बारे में संक्षिप्त सूचना।

**ए: बैंक ऑफ इंडिया**

1. बैंक की टियर 1 पूँजी में इक्विटी शेयर्स, आरक्षितियां और नवोन्मेषी बेमियादी बाँड्स शामिल हैं।

बैंक ने नवोन्मेषी बाँड्स (टियर I) और अन्य बाँड्स भी जारी किए हैं जो टियर 2 पूँजी में शामिल होने के लिए पात्र हैं। बाँड्स का विवरण निम्नानुसार है:

**क. नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)**

	विवरण		निर्गम की तारीख	परपीचुअल एवं काल विकल्प	कूपन दर	₹ करोड़ में
क)	जर्सी शाखा - एमटीएन	यूएसडी 85 मिलियन	30.03.2007	30.03.2017	6.994%	432.45
ख)	शृंखला I	भारत में	27.07.2007	27.07.2017	10.55%	400.00
ग)	शृंखला II	भारत में	27.09.2007	27.09.2017	10.45%	100.00
घ)	शृंखला III	भारत में	11.10.2007	11.10.2017	10.40%	155.00
ङ)	शृंखला IV	भारत में	10.02.2009	10.02.2019	8.90%	400.00
च)	शृंखला V	भारत में	09.12.2009	09.12.2019	9.00%	325.00
छ)	शृंखला VI	भारत में	09.09.2010	09.09.2020	9.05%	300.00
	<b>कुल</b>					<b>2,112.45</b>

**ख. अपर टियर II बाँड्स**

	विवरण		निर्गम की तारीख	परिपक्वता की तारीख	कूपन दर	₹ करोड़ में
क)	अपर टियर II बाँड्स - शृंखला II	भारत में	31.07.2006	31.07.2021	9.35%	732.00
ख)	लंदन शाखा - एमटीएन	यूएसडी 240 मिलियन	22.09.2006	22.09.2021	6.625%	1,221.10
ग)	अपर टियर II बाँड्स - शृंखला II	भारत में	16.10.2008	16.10.2023	11.15%	500.00
घ)	अपर टियर II बाँड्स - शृंखला III	भारत में	28.07.2009	28.07.2024	8.45%	500.00

**Table DF-2:**

**Capital structure**

**Qualitative Disclosures**

(a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.

**A: BANK OF INDIA**

1. Bank's Tier 1 capital comprises of Equity Shares, reserves and Innovative Perpetual Bonds.

Bank has issued Innovative Bonds (Tier I) and also other bonds eligible for inclusion in Tier 2 capital. Details of the bonds are as under:

**a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)**

	Particulars		Date of Issue	Perpetual & Call Option	Coupon Rate	₹ in crore
a)	Jersey Branch - MTN	USD 85 Mn	30.03.2007	30.03.2017	6.994%	432.45
b)	Series I	In India	27.07.2007	27.07.2017	10.55%	400.00
c)	Series II	In India	27.09.2007	27.09.2017	10.45%	100.00
d)	Series III	In India	11.10.2007	11.10.2017	10.40%	155.00
e)	Series IV	In India	10.02.2009	10.02.2019	8.90%	400.00
f)	Series V	In India	09.12.2009	09.12.2019	9.00%	325.00
g)	Series VI	In India	09.09.2010	09.09.2020	9.05%	300.00
	<b>TOTAL</b>					<b>2,112.45</b>

**b) Upper Tier II Bonds**

	Particulars		Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹ in crore
a)	Upper Tier II Bonds - Series I	In India	31.07.2006	31.07.2021	9.35%	732.00
b)	London Branch - MTN	USD 240 Mn	22.09.2006	22.09.2021	6.625%	1,221.10
c)	Upper Tier II Bonds - Series II	In India	16.10.2008	16.10.2023	11.15%	500.00
d)	Upper Tier II Bonds - Series III	In India	28.07.2009	28.07.2024	8.45%	500.00

ड.)	अपर टियर II बॉण्ड्स - श्रृंखला IV	भारत में	28.08.2009	28.08.2024	8.50%	500.00
च)	अपर टियर II बॉण्ड्स - श्रृंखला V	भारत में	20.01.2010	20.01.2025	8.54%	1,000.00
छ)	अपर टियर II बॉण्ड्स - श्रृंखला VI	भारत में	11.06.2010	11.06.2025	8.48%	1,000.00
	<b>कुल</b>					<b>5,453.10</b>

e)	Upper Tier II Bonds – Series IV	In India	28.08.2009	28.08.2024	8.50%	500.00
f)	Upper Tier II Bonds – Series V	In India	20.01.2010	20.01.2025	8.54%	1,000.00
g)	Upper Tier II Bonds – Series VI	In India	11.06.2010	11.06.2025	8.48%	1,000.00
	<b>TOTAL</b>					<b>5,453.10</b>

**ग) लोअर टियर II बांड्स अर्थात गौण बांड्स**

**c) Lower Tier II Bonds i.e. Subordinated bonds**

विवरण		निर्गम की तारीख	परिपक्वता की तारीख	कूपन दर	₹ करोड में	
क)	श्रृंखला V	भारत में	23.01.2004	30.04.2014	5.88%	350.00
ख)	श्रृंखला VI	भारत में	31.03.2004	30.04.2014	5.90%	200.00
ग)	श्रृंखला VII	भारत में	23.02.2005	23.05.2014	7.10%	300.00
घ)	श्रृंखला VIII	भारत में	16.09.2005	16.04.2015	7.50%	750.00
ड.)	श्रृंखला IX	भारत में	20.03.2006	20.06.2016	8.00%	200.00
	<b>कुल</b>					<b>1,800.00</b>

	Particulars		Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹ in crore
a)	Series V	In India	23.01.2004	30.04.2014	5.88%	350.00
b)	Series VI	In India	31.03.2004	30.04.2014	5.90%	200.00
c)	Series VII	In India	23.02.2005	23.05.2014	7.10%	300.00
d)	Series VIII	In India	16.09.2005	16.04.2015	7.50%	750.00
e)	Series IX	In India	20.03.2006	20.06.2016	8.00%	200.00
	<b>TOTAL</b>					<b>1,800.00</b>

**2. आईपीडीआई की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं -**

**2. The main features of IPDI are as follows:**

- इन लिखतों का इक्विटी (बेमीयादी तथा गैर-संचयी) तथा ऋण (कर कटौती होने पर देय ब्याज) का स्वरूप है।
- जारी किए गए आईपीडीआई साख और अमूर्त अस्तियाँ घटाने के बाद किन्तु निवेश की कटौती से पहले, पिछले वर्ष की कुल टियर I पूँजी की 15% सीमा के भीतर हैं।
- यह लिखतें नियत दर पर जारी की गई हैं।
- यह लिखतें मांग विकल्प तथा 100 बेसिस पॉइंट के साथ 10 वर्ष के बाद आगे बढ़ाने के विकल्प के साथ जारी की गई हैं।

- These instruments have characteristics of equity (perpetual and non-cumulative) and that of a debt (interest payable being tax deducted)
- IPDI issued are included up to 15% of total Tier I capital of previous year after deduction of goodwill and intangible assets but before deduction of investments.
- These instruments have been issued at a fixed rate.
- The instruments have been issued with a call option and a step up option after 10 years with a step up of 100 basis points.

**3. प्रवर टियर II बॉण्ड की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं -**

**3. The main features of Upper Tier II bonds are as follows:**

- इन लिखतों में नवोन्मेष टियर लिखतों के जैसी बहुत सी समानताएं हैं, तथापि यह लिखतें 15 वर्षों की परिपक्वता अवधि पर जारी की गई हैं।
- यह लिखते नियत दर पर जारी की गई हैं।
- यह लिखतें मांग विकल्प तथा 100 बेसिस पॉइंट के साथ 10 वर्ष के बाद आगे बढ़ाने के विकल्प के साथ जारी की गई हैं।

- These instruments have many similarities to innovative Tier I instruments. However these instruments have been issued at a minimum maturity of 15 years.
- These instruments are issued at a fixed rate.
- The instruments have been issued with a call option and a step up option after 10 years with a step up of 100 basis points.

**बी. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)**

**B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)**

टियर I पूँजी, चुकता शेयर पूँजी, प्रीमियम, नियामक आरक्षित नीतियाँ तथा सुरक्षित रखी गई आमदनी से बनी हैं।

Tier I capital consists of Paid-up Share Capital, Premium, Regulatory Reserves and Retained Earnings.

**सी. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी)**

**C: Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary)**

टियर I पूँजी में चुकता शेयर पूँजी तथा आरक्षितियां शामिल हैं। कोई अन्य पूँजी लिखत जो बैंक की बहियों में हैं, टियर I या अपर टियर II पूँजी में समावेशन हेतु पात्र नहीं हैं।

Tier 1 capital comprises of paid up share capital and reserves. No other capital instruments are in the books of Banks eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.

**डी. बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी)**

टियर I पूँजी में चुकता शेयर पूँजी तथा आरक्षितियाँ शामिल हैं। कोई अन्य पूँजी लिखत जो बैंक की बहियों में हैं, टियर I या अपर टियर II पूँजी में समावेशन हेतु पात्र नहीं है।

**मात्रात्मक प्रकटन**

1. बैंक की समेकित टियर पूँजी में निम्न का समावेश है।

(₹ करोड़ में)

i) प्रदत्त शेयर पूँजी	574.52
ii) आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	18,231.44
iii) नवोन्मेष परपेटुअल बॉन्ड	2,112.45
iv) अन्य पूँजी लिखतें	---
घटाएं	
v) टियर I पूँजी से निवेश एवं गुडविल सहित कटौती राशि	326.29
टियर I पूँजी (i+ii+iii+iv-v)	20,592.12

2. टियर 2 की राशि (कटौतियों का शुद्ध) ₹ 7,916.37 करोड़ है।

3. प्रवर टियर 2 पूँजी में समावेश के लिए मात्र ऋण पूँजी लिखते इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

कुल बकाया राशि	5,453.10
जिसमें से वर्ष के दौरान वर्धित राशि	--
पूँजी निधियों के रूप में गणना की जाने वाली पात्र राशि	5,453.10

4. अपर / टियर 2 पूँजी में समावेश के लिए पात्र गौण ऋण इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

कुल बकाया राशि	1,800.00
जिसमें से वर्ष के दौरान वर्धित राशि	0.00
पूँजी निधियों के रूप में गणना की जाने वाली पात्र राशि	950.00

5. पूँजी में से अन्य कोई कटौतियाँ नहीं हैं।

6. कुल पात्र पूँजी में समावेश है।

(₹ करोड़ में)

टियर I पूँजी	20,592.12
टियर II पूँजी	7,916.37
कुल पूँजी	28,508.49

**तालिका डीएफ-3**

**पूँजी पर्याप्तता**

**गुणात्मक प्रकटन**

क) वर्तमान तथा भावी कार्य-कलापों के समर्थन में अपनी पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षेप में विवेचना।

**D: Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary)**

Tier 1 capital comprises of paid up share capital and reserves. No other capital instruments are in the books of Banks eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.

**Quantitative Disclosures**

1. The Tier 1 capital of the consolidated bank comprises:

(₹ in Crores)

i) Paid-up share capital	574.52
ii) Reserves (excluding revaluation reserves)	18,231.44
iii) Innovative Perpetual Bonds	2,112.45
iv) Other capital instruments	---
Deductions	
v) Amounts deducted from Tier I capital including goodwill and Investments	326.29
Tier I Capital (i+ii+iii+iv-v)	20,592.12

2. The amount of Tier 2 capital (net of deductions) is ₹ 7916.37 crores

3. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital are:

(₹ in Crores)

Total amount outstanding	5,453.10
Of which amount raised during the year	—
Amount eligible to be reckoned as capital funds	5,453.10

4. The subordinated debts eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital are:

(₹ in Crores)

Total amount outstanding	1,800.00
Of which amount raised during the year	0.00
Amount eligible to be reckoned as capital funds	950.00

5. There are no other deductions from capital

6. The total eligible capital comprises:

(₹ in Crores)

Tier I Capital	20,592.12
Tier II Capital	7,916.37
Total Capital	28,508.49

**Table DF-3**

**Capital Adequacy**

**Qualitative disclosures**

(a) A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.



**अ. बैंक ऑफ़ इंडिया**

बैंक द्वारा जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को सुलभ पूँजी बनाने हेतु समय समय पर अपनी पूँजीगत आवश्यकताओं का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। भविष्य में कारोबार वृद्धि, पूँजीगत आवश्यकताएं, नीति दिशा निर्देश, मेक्रो आर्थिक परिदृश्य एवं जोखिम क्षमता, आदि का ध्यान रखने हेतु पूँजीगत योजना की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। सभी जोखिमों को व्यापक रूप से देखने हेतु बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) विकसित की है।

**ब. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)**

बैंक की रु. 188.93 करोड़ की पूँजी, वर्तमान आस्ति आधार को सहजता से समर्थन दे सकती है। ऋण की भावी विस्तार की निर्भरता पर अतिरिक्त पूँजी प्रदान की जा सकती है।

**ग. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी)**

पर्यवेक्षण उेश्य हेतु बैंक ऑफ़ तंजानिया (बीओटी) द्वारा कार्यान्वित बासेल समिति द्वारा विकसित दिशानिर्देशों पर आह्रित नियोजित तकनीक पर पूँजी पर्याप्तता तथा नियामक पूँजी की निगरानी प्रतिदिन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना को तिमाही आधार पर बैंक ऑफ़ तंजानिया द्वारा पूर्ण की जाती है।

बैंक के नियामक पूँजी जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है वह दो टियर में विभाजित है :

टियर 1 पूँजी: शेयर पूँजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां। टियर 1 पूँजी के परिकलन में पूर्वप्रदत्त व्यय एवं आस्थगित प्रभार काट लिए जाते हैं।

टियर 2 पूँजी: अर्हता गौण ऋण पूँजी समतेकित क्षतिभत्ता तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर प्राप्त उगाही न की गई।

प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत पाँच जोखिम भार के तारतम्य के जरिए द्वारा जोखिम भारित आस्तियों को सुनिश्चित किया जाता है तथा पात्र संपार्श्विक तथा गारंटी को दृष्टिगत रखते हुए ऋण, बाजार तथा प्रत्येक आस्ति तथा प्रतिपक्ष सहित अन्य संबंधित जोखिमों को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार ऑफ़ बैलेन्स शीट ऋण जोखिम हेतु कार्यप्रणाली अपनाई जाती है जिसमें संभावित हानि के अधिक आकस्मिक प्रकृति का कुछ समायोजन किया जाता है।

**घ. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी)**

पर्यवेक्षण उेश्य हेतु रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूजीलैंड (आरबीएनजेड) के दिशानिर्देशों पर आह्रित नियोजित तकनीक पर पूँजी पर्याप्तता तथा नियामक पूँजी की निगरानी प्रतिदिन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना का प्रकटन तिमाही आधार पर सामान्य प्रकटन विवरण द्वारा किया जाता है। बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रबंधित नियामक पूँजी में केवल टियर 1 शामिल है।

**A: BANK OF INDIA**

The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements from time to time to maintain a comfortable Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR). The capital plan is reviewed on an annual basis to take care of the future growth in business, capital requirements, policy guidelines, macro economic scenarios, risk appetite etc. The Bank has also developed Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively address all risks and maintain necessary additional capital.

**B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)**

The capital of the bank at ₹ 188.93 crores comfortably supports the current asset base. Depending on the future expansion of credit, additional capital may be infused.

**C: Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary)**

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored daily by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines developed by the Basel Committee, as implemented by the Bank of Tanzania (BOT), for supervision purposes. The required information is filed with the BOT on a quarterly basis.

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 capital:- Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings. Prepaid expenses and deferred charges are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 capital:- Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off-balance sheet exposure, with some adjustments to reflect the more contingent nature of the potential losses.

**D: Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary)**

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored daily by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines of the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), for supervision purposes. The required information is disclosed in General Disclosure Statement on quarterly basis. The bank's regulatory capital as managed by its management solely consists of Tier 1 Capital.

टियर 1। पूंजी: शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां।

प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत पाँच जोखिम भार के तारतम्य के जरिए द्वारा जोखिम भारित आस्तियों को सुनिश्चित किया जाता है तथा पात्र संपार्श्विक तथा गारंटी को दृष्टिगत रखते हुए ऋण, बाजार तथा प्रत्येक आस्ति तथा प्रतिपक्ष सहित अन्य संबंधित जोखिमों को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार ऑफ बैलेन्स शीट ऋण जोखिम हेतु कार्यप्रणाली अपनाई जाती है जिसमें संभावित हानि के अधिक आकस्मिक प्रकृति का कुछ समायोजन किया जाता है।

**मात्रात्मक प्रकटन**

(बी)	आर डब्ल्यू ए के 9% ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	
	- मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	₹ 21,325.59 करोड़
	- प्रतिभूतिकरण निवेश	शून्य
(सी)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता:	
	- मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
	- ब्याज दर जोखिम:	₹ 1,059.07 करोड़
	- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण को शामिल कर):	₹ 9.00 करोड़
	- इक्विटी जोखिम :	₹ 169.25 करोड़
(डी)	रिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता :	
	- मूल संकेतक दृष्टिकोण:	₹ 1,496.52 करोड़
(ई)	कुल और टियर 1 पूंजी अनुपात	
	- शीर्ष समेकित समूह के लिए तथा	
	- महत्वपूर्ण बैंक सहायक के लिए किस प्रकार रुपरेखा प्रयुक्त की गई है, उसकी निर्भरता पर अकेले बने रहना या उप-समेकन अकेले बीओआई के लिए	12.03% और 8.69% 11.95% और 8.59%

**तालिका डीएफ-4**

**ऋण जोखिम-सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन**

**गुणात्मक प्रकटन**

क) ऋण जोखिम सहित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें सम्मिलित है:

- पिछले देय की परिभाषा तथा अपसामान्य (लेखाकरण उद्देश्य हेतु)

**क. बैंक ऑफ़ इंडिया**

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमावली का अनुपालन करता है, जिसका सारांश निम्नलिखित है:

*अनर्जक आस्तियाँ*

एक पट्टा आस्ति सहित एक आस्ति जब बैंक के लिए आय जनित नहीं करती है तब वह अनर्जक हो जाती है।

अनर्जक आस्ति (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें :

Tier 1 capital:- Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings.

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off-balance sheet exposure.

**Quantitative disclosures**

(b)	Capital requirements for credit risk at 9% of RWA:	
	• Portfolios subject to standardised approach:	₹ 21,325.59 Crores
	• Securitisation exposures:	NIL
(c)	Capital requirements for market risk:	
	• Standardised duration approach;	
	- Interest rate risk:	₹ 1,059.07 Crores
	- Foreign exchange risk (including gold):	₹ 9.00 Crores
	- Equity risk:	₹ 169.25 Crores
d)	Capital requirements for operational risk:	
	• Basic indicator approach:	₹ 1,496.52 Crores
(e)	Total and Tier 1 capital ratio:	
	• For the top consolidated group; and	12.03% and 8.69%
	• For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied). For BOI Solo	11.95% and 8.59%

**TableDF-4**

**Credit risk: general disclosures for all banks**

**Qualitative Disclosures**

a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:

- Definitions of past due and impaired (for accounting purposes);

**A: BANK OF INDIA**

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below.

*Non-performing Assets*

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- i) मीयादी ऋण के रूप में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/या किस्त अतिदेय रहता है।
- ii) एक ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के सम्बन्ध में, नीचे दर्शाए गए अनुसार “अनियमित” हुआ खाता।
- iii) क्रय तथा बट्टागत बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहने वाले बिल।
- iv) अल्पावधि फसलों हेतु दो फसली मौसमों के लिए, दीर्घावधि फसलों हेतु एक फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहने वाले तथा उसपर मूलधन की किस्त अथवा ब्याज।
- v) दीर्घावधि फसलों हेतु एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा उसपर ब्याज।
- vi) दिनांक 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है तो।
- vii) बुनियादी/गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण, यदि उसे पुनःसंरचित नहीं किया जाता और “मानक आस्ति” के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार (90 दिन का अतिदेय होने पर) वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- viii) किसी बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुनःसंरचित नहीं किया जाता और “मानक आस्ति” के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- ix) किसी गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुनःसंरचित नहीं किया जाता और “मानक आस्ति” के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से छः माह के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- (i) interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- (ii) the account remains ‘out of order’ as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/ CC),
- (iii) the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- (iv) the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- (v) the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- (vi) the amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1,2006.
- (vi) Bank should classify an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.
- (vii) A loan for infrastructure/non-infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue) unless it is restructured and becomes eligible for classification as “Standard Asset”
- (viii) A loan for an infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as “Standard Asset”
- (ix) A loan for an non-infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within six months from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as “Standard Asset”.

### “अनियमित” स्थिति

एक खाता तब “अनियमित” माना जाता है जब स्वीकृति सीमा/आहरण शक्ति से ज्यादा बकाया लगातार बना रहे। उन मामलों में जहाँ प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृति सीमा/आहरण शक्ति से कम है किन्तु तुलन पत्र की तिथि तक 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं है या उस अवधि के दौरान ब्याज नामें करने की राशि न हो तो, इन खातों को “अनियमित” खाता माना जाता है।

### 'Out of Order' status

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

**“अतिदेय”**

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब “अतिदेय” होती है जब बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

**अनर्जक निवेश**

प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है तथा बैंक प्रतिभूतियों पर आय नहीं पाता है तथा निवेशमूल्य में मूल्यहास हेतु यथोचित प्रावधान करता है।

एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) की तरह है जहाँ :

- (i) ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है तथा 90 दिनों से अधिक तक अदत्त है।
- (ii) अधिमानी शेयरों के यथोचित परिवर्तनों सहित जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।
- (iii) इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप नवीनतम तुलन पत्र के अनुपलब्धता पर किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी है तो ऐसे इक्विटी शेयर अनर्जक निवेश माने जाएंगे।
- (iv) निर्गमकर्ता द्वारा यदि कोई ऋण सुविधा प्राप्त की जाती है जो बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है तब इस निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को अनर्जक अग्रिम माना जाएगा तथा विलोमतः।
- (v) डिबेन्चर/बॉड में निवेश, जिसे अग्रिम प्रकृति का समझा जाए वह निवेशों पर लागू अनर्जक अग्रिम के अध्यक्षीन है।

**ख. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)**

ऋण गुणवत्ता का अभिनिर्धारण कारोबार की संभावना, ऋणी का कार्यनिष्पादन और चुकौती क्षमता जैसे तथ्यों के आधार पर किया जाता है। यह प्रत्येक अभिनिर्धारण तथ्य और घटकों तथा संबंधित ऋणी की विशिष्टताओं से संबद्ध अभिनिर्धारण तथ्यों के आधार पर किया जाता है। तदनुसार आस्तियों को चालू, विशेष उल्लेख, अवमानक, संदिग्ध और हानि प्रवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है।

“आस्तियाँ” अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत की जाती हैं। अर्जक आस्तियाँ, राजस्व अर्जित करने के लिए किसी बैंक द्वारा निधियों का प्रावधान है। “अनर्जक आस्तियाँ” बैंक की अर्जक आस्तियों के अलावा हैं जिसमें हानि की संभावना है।

कोई आस्तिक अनर्जक तब होती है जब वह बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करना बंद कर देती है। अनर्जक आस्तिक ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ मूलधन और/या ब्याज 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है।

**‘Overdue’**

Any amount due to the bank under any credit facility is ‘overdue’ if it is not paid on the due date fixed by the bank.

**Non-performing Investments**

In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- (i) Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- (ii) The applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- (iii) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- (iv) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- (v) The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance are subjected to NPI norms as applicable to investments.

**B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)**

The Credit Quality is assessed based on the factors such as business prospects, performance of the debtor and repayment capacity. It is undertaken depending upon the materiality and significance of each assessment factor and components and the relevance of the assessment factors and components to the characteristics of the debtor concerned. Accordingly, the assets are classified into current, special mention, sub-standard, doubtful and loss category.

“Assets” are classified into Earning Assets and Non-earning Assets. Earning Assets are provision of funds by a bank to earn revenues. “Non Earning Assets” are assets of the Bank other than Earning Assets with potential for Loss.

An asset becomes non-performing when it ceases to generate revenue for the bank. A non performing asset is a loan or an advance where the arrears in principal and / or interest exceed 90 days.



गत देय : किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय राशि गतदेय होती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को नहीं किया जाता है।

1 जनवरी, 2010 को पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके ने नई लेखांकन नीति अर्थात् पीएसएके 50 एवं 55 का कार्यान्वयन शुरू किया जो अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक आईएस 32 एवं 39 के समान है जिसके अनुसार वित्तीय आस्ति मूल्य पर, आवश्यक रूप से, प्रस्तुत की जानी चाहिए। पीएसएके 50 एवं 55 के कार्यान्वयन के दौरान बैंक इंडोनेशिया ने यह दिशानिर्देश जारी किए कि यदि बैंक ऐतिहासिक हानि डाटा का रखरखाव ट्रांजिशन अवधि अर्थात् वर्ष 2011 तक नहीं रखता है तो वह ऊपर वर्णित अनुसार वित्तीय आस्तियों की गणना अनर्जक के रूप में कर सकता है।

**ग. बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगियां)**

अगर कोई ग्राहक या किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्षी अपनी संविदागत बाध्यताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो ऋण जोखिम होता है जो बैंक के लिए वित्तीय हानि का जोखिम होता है और वह प्रमुख रूप से ग्राहकों एवं अन्य बैंकों को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा नामे प्रतिभूतियों में निवेश के कारण होता है।

निदेशक मंडल ने अपनी ऋण समिति को ऋण जोखिम की चूक के लिए जिम्मेदारी प्रत्यायोजित की है। ऋण समिति को रिपोर्ट करने वाला ऋण विभाग बैंक के ऋण के जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- संपार्श्विक अपेक्षाओं ऋण अभिनिर्धारण, रिस्क-ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग, दस्तावेजी और विधिक क्रियाविधि एवं विनियामक और सांविधिक अपेक्षाओं को सम्मिलित करते हुए ऋण नीतियाँ बनाना।
- ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए प्राधिकृत करने का ढाँचा स्थापित करना। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति द्वारा ऋण सीमाएँ शामिल होती हैं।
- ऋण जोखिम की समीक्षा एवं अभिनिर्धारण।
- ऋण जोखिम के केन्द्रीयकरण को प्रतिपाटियों, भौगोलिक एवं औद्योगिक दृष्टिकोण से सीमित करना (ऋणों एवं अग्रिमों के लिए)

गत देय एवं अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन उेश्य के लिए);

ओवरड्राफ्ट एवं अन्य ऋण सुविधा बिना विशिष्ट नियत तारीखों के गत देय माने जाएंगे यदि

1. ग्राहक की उधार सीमा से अधिक हो जाए।
2. ग्राहक की उधार सीमा समाप्त हो जाए।
3. गणना किए गए ब्याज और अवधि के लिए नियत ब्याज को पूरा करने के लिए जमाराशियों का अपर्याप्त होना
4. बिल अनादृत कर दिए गए हों।
5. बिल या खाते का भुगतान नियत तारीख पर न किया गया हो।

Past due: Any amount due to the bank under any credit facility is "past due" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

On 1st January 2010, PT Bank of India Indonesia Tbk started implementation of the New Accounting Policy i.e. PSAK 50 & 55 which is similar to the International Accounting Standards IAS 32 & 39 according to which the financial asset must be presented at the fair value. During the implementation of PSAK 50 & 55, Bank Indonesia issued the guidelines that if the Bank does not maintain historical loss data, during the transition period i.e. until the year 2011, it can compute the financial asset impaired as described above.

**C: Bank of India (Tanzania) Ltd & Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries)**

Credit risk is a risk of financial loss to the bank, if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations and arises principally from the bank's loans and advances to customers and other banks, and investment debt securities.

The Board of Directors has delegated responsibility for the oversight of credit risk to its Credit committee. The credit department of the bank, reporting to the Credit committee is responsible for management of the bank's credit risk, including:-

- Formulating credit policies covering collateral requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements.
- Establishing the authorization structure for approval and renewal of credit facilities. The credit limits are governed by the Credit policy, as approved by the board.
- Reviewing and assessing credit risks.
- Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries (for loans and advances).

Definitions of past due and impaired (for accounting purposes);

Overdrafts and other credit facilities without specific due dates shall be considered past due if

- a. Exceeds the customer's borrowing limit.
- b. Customers borrowing limit is expired.
- c. Deposits are insufficient to cover the interest calculated and due for the period
- d. Bill has been dishonored
- e. Bill or account is not paid on due date



ऋण जिनकी चुकौती किस्तों में की जानी होती है, समूचे रूप से गतदेय माने जाते हैं, यदि कोई भी किस्त जो देय हो चुकी है और तीस दिन या ज्यादा अवधि के लिए भुगतान नहीं की गई हो।

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	10%
181-270	सदिग्ध	50%
271 और अधिक	हानि	100%

## बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

### क. बैंक ऑफ इंडिया

1. एक बैंक के पोर्टफोलियों में, एक ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष का उधार, व्यापार समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन के प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की अक्षमता या अनिच्छा से अथवा ऋण नीति में वास्तविक या महसूस किए गए हास से पोर्टफोलियों के बढ़ते मूल्य की एकमुश्त चूक से हानि उत्पन्न होती है।
2. इन कमियों के विरुद्ध बैंक के दीर्घावधि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक दृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, मापन, निगरानी तथा ऋण जोखिम नियंत्रण सम्मिलित है।
3. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में सामान्य स्तर पर बैंक ने विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम की पहचान की है। उत्पाद/प्रक्रियाओं के स्तर पर अधिक कणिकामय पहचान होती है। नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को आरम्भ करने से पहले विभिन्न जोखिमों का आकलन किया जाता है, जिसे जोखिम दृष्टिकोण से जोखिमरहित किया जाता है।
4. ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में तीन विशिष्ट खण्डों को इसकी नीति में समाहित किया गया है जो है - नीति एवं कार्यनीति, संस्थागत ढांचा और परिचालन/प्रणाली।

#### 4.1 नीति और कार्यनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन को अपनाता रहा है, जिससे कठिन समय में भी बैंक अपने संतुलन को बनाए रहा। यद्यपि नए तथा अनछुए क्षेत्रों के संबंध में बैंक की एक खुली नीति रही है तथा नए अवसरों को बैंक ने हमेशा पहचाना है। इस दर्शन के महत्वपूर्ण पक्षों को परिपत्रों में दर्शाया गया है तथा आवधिक तौर पर अनुदेश पुस्तिका से उकेरा गया है।

लाभप्रदता, सामना किए जानेवाले विभिन्न जोखिमों के स्तर, पूँजी स्तर, बाजार परिदृश्य तथा प्रतियोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के कारोबारी उेश्यों और कार्यनीतियों का निर्णय लिया जाता है। बैंक की सोच हमेशा आस्ति गुणवत्ता तथा अर्जन पर रहती है अतएवं वह विवेकपूर्ण ढंग से जोखिम नियंत्रण सहित लाभप्रदता वृद्धि का मेल करता है।

Loans which are payable in installments are considered as past due in their entirety. If any of the installments have become due and unpaid for thirty days or more.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	10%
181-270	Doubtful	50%
271 and More	Loss	100%

## Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

### A BANK OF INDIA

1. In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions or from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality.
2. Against this backdrop a robust risk management framework is necessary for the long-term financial health of a bank. Credit Risk Management encompasses identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures.
3. The Bank has identified various types of credit risk at a generic level in the Credit Risk Management policy. More granular identification is done at the product /process level. Various risks are looked into before introducing new products/processes, which are cleared from the risk angle
4. The Credit Risk Management framework outlined in the policy is built on three distinct building blocks namely **Policy & Strategy, Organisational Set up and Operations/Systems.**

#### 4.1 Policy and Strategy

The Bank has been following a conservative risk philosophy, which has steered the bank through difficult times. However the Bank has an open policy regarding new and unexplored areas and new opportunities are not lost sight of. The important aspects of this philosophy are embodied in the circulars and are periodically codified in the form of Manual of Instructions.

The business objectives and the strategy of the Bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is always conscious of its asset quality and earnings and hence judiciously matches profit maximisation with risk control.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा सार्थक ऋण जोखिम संबंधी नीति जैसे ऋण नीति तथा ऋण अनुप्रवर्तन नीति का अनुमोदन होता है तथा आवधिक तौर पर निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। ऋण नीति अपने में विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जैसे ग्राहक, विपणन, उधार के क्षेत्रवार अभिगम, ऋण सुपुर्दगी, ऋण महत्व, ऋण अवधि, ऋण अर्जन, ऋण निर्धारण (जोखिम स्वीकार मानदंड सहित), मूल्य, ऋण मूल्यांकन, ऋण निर्धारण, ऋण जोखिम मानदंड, उद्योग मानदंड, संपार्श्विक और मार्जिन, रिश्तों की समीक्षा, सांविधिक तथा अन्य नियंत्रण तथा प्रलेखीकरण। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों हेतु ऋण नीति से सहबद्ध है। ऋण मामले में शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक अलग नीति है। इसके अतिरिक्त ऋण जोखिम की पहचान तथा निगरानी ऋण अनुप्रवर्तन नीति के अंतर्गत की जाती है। पुनर्गठन नीति, बैंक जोखिम नीति, देश जोखिम नीति तथा ऋण लेखापरीक्षा नीति भी तैयार है। निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के बाद तथा निवेश नीति में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश अनुबंधित होता है।

#### 4.2 संस्थागत ढांचा

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु बैंक के संस्थागत ढांचे में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल है जो व्यापक दृष्टिकोण रखता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर कॉम) जो कि बोर्ड की उप-समिति है तथा जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं और इसके सदस्य के रूप में ऋण के प्रमुख, बाजार और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति हैं जो ऋण जोखिम सहित समेकित जोखिम प्रबंधन की नीति और कार्यनीति निधारित करते हैं। परिचालनात्मक स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम का दायित्व संभालते हैं। इसके मुख्य कार्यों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन, बृहत आधार पर बैंक के ऋण जोखिम की निगरानी, ऋण प्रत्यायोजन, बृहत ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, पोर्टफोलियों प्रबंधन आदि सहित ऋण मामलों से संबंधित सभी नीतियों का बोर्ड से अनुमोदन हेतु अनुशंसा है।

जोखिम प्रबंधन विभाग महाप्रबंधक पद के मुख्य जोखिम अधिकारी के देखरेख में कार्यरत है जो बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर बृहत आधार पर ऋण जोखिम का मापन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करता है तथा बोर्ड/आर कॉम/सीआरएमसी द्वारा तय जोखिम मानदंडों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करता है। महाप्रबंधक के अंतर्गत कार्यरत ऋण निगरानी विभाग ऋण पोर्टफोलियों का अनुप्रवर्तन करता है, समस्याओं की पहचान है तथा कमियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋण लेखापरीक्षा कार्य द्वारा ऋण समीक्षा/ऋण लेखापरीक्षा की जाती है।

The Credit Risk Management policy and significant credit risk related policies like Credit Policy, and Credit Monitoring Policy are approved and periodically reviewed by the Board of Directors. The Credit Policy covers various areas of credit like Clientele, Marketing, Segmented Approach to Lending, Credit Delivery, Credit Thrust, Tenure of Credit, Credit Acquisition, Risk Rating (including risk acceptance criteria), Pricing, Credit appraisal, Assessment of Limits, Exposure Norms, Industry Norms, Collateral and Margins, Review of Relationship, Scheme of Delegation, Statutory and other Restrictions and Documentation. Credit Policy for International Operations is in place and each centre has its own credit policy dovetailed to the main policy. The delegation of powers for credit matters is covered by a separate policy. In addition Credit Risk is tracked and monitored as per the Credit Monitoring Policy. Restructuring Policy, Write Off and Recovery Policy, Asset Classification and Provisioning Policy, Bank Exposure Policy, Country Risk policy and Credit Audit Policy are also in place. Investments are contracted as per the policy guidelines laid down in the Investment Policy and after clearance by the Investment Committee.

#### 4.2 Organisational Set up

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex levels that have the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (R. Com) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director and whose members also include heads of Credit, Market & Operational Risk Management Committees, devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk. At the operational level the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.

The Risk Management Department headed by the Chief Risk Officer of General Manager rank, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/R Com/M Com. The Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

#### 4.3 परिचालन / प्रणाली / प्रक्रिया

बैंक सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन पहल करता है, जैसे ऋण प्रदान करने के लिए निरंतर एक मानकता, तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली मदों सहित सभी ऋण जोखिमों का अनुरक्षण तथा प्रलेखीकरण, आवधिक व्यक्तिगत बाध्यताधारी समीक्षा, आवधिक निरीक्षण तथा संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली।

ऋण जोखिम सीमा में उद्योग द्वारा बाध्यताधारी सीमा व संकेन्द्रण सीमा, ग्राहकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु प्रणाली व प्रक्रिया हेतु निगरानी तथा सीमा में बकाया नियंत्रण सम्मिलित है। ऋण विस्तार हेतु जांचे तथा अधिशेष है यथा ऋण स्वीकृति से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, सीआरएमसी द्वारा जोखिम दृष्टिकोण से नए उत्पादों तथा प्रणाली का पुनरीक्षण, बहु ऋण अनुमोदक, जोखिम निर्धारण करने की प्रणाली, ग्राहक के जोखिम प्रेंडिंग पर आधारित कीमत सुविधाओं की प्रणाली, जोखिम दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति, ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा, स्वीकृति पूर्व संवितरण पूर्व समीक्षा तथा स्वीकृति पूर्व समीक्षा प्रणाली तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा व जोखिम समीक्षा कार्य निवेशों हेतु प्रस्ताव ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन तथा क्रम निर्धारण के अध्यक्षीन है। प्रवेश स्तर के मामले में, न्यूनतम क्रमनिर्धारण/गुणवत्ता मानक, उद्योग, परिपक्वता, अवधि, निर्गम अनुसार मामले निवेशों हेतु विनिर्धारित किए गए हैं जिससे कि तरलता के जोखिम तथा संकेन्द्रण के विपरीत प्रभाव को कम कर सकता है। अन्य बैंकों पर सकल जोखिम पर केन्द्रीयकृत परिदृश्य प्रदान करने हेतु एक उचित फ्रेमवर्क तथा अर्धवार्षिक समीक्षा की गई है। देश के जोखिम का अनुप्रवर्तन अर्धवार्षिक आधार पर होता है।

जोखिम आस्तियों के विविधतापूर्ण पोर्टफोलियों का अनुरक्षण किया जाता है तथा पोर्टफोलियों के नियमित विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जिससे कि जोखिम संकेन्द्रण के जोखिम नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। अनर्जक अग्रिमों के संबंध में एक संतुलित नीति प्रक्रियागत है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आरम्भ सहित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उन्नतिशील किया गया है जिससे कि बैंक की क्षमताएं बढ़ेगी तथा तुलन पत्र में न आनेवाली अनिवाली सभी गतिविधियों के ऋण जोखिम का बैंक प्रबंधन करेगा।

#### 5. ऋण जोखिम प्रबंधन/न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता है -

##### क) ऋण अनुमोदित करनेवाला अधिकारी-अधिकारों का प्रत्यायोजन

बैंक में बहु स्तरीय जोखिम आधारित अनुमोदित प्रणाली वाली सुस्पष्ट प्रत्यायोजन अधिकार की योजना है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबार के वातावरण की अनिवार्यता

#### 4.3 Operations / Systems / Processes

The Bank has proactive Credit Risk Management practices like consistent standards for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items, periodic individual obligor reviews, periodic inspections and collateral management systems.

Credit risk limits including obligor limits and concentration limits by industry, systems and procedures for monitoring financial performance of customers and for controlling outstanding within limits are followed. Checks and balances are in place for extension of credit viz. separation of credit risk management from credit sanction, vetting of new products and systems from risk angle by the CRMC, multiple credit approvers, system of assigning risk rating, vetting of ratings, mechanism to price facilities depending on the risk grading of the customer, Credit Risk Evaluation committee for vetting credit proposals from risk angle, credit process audit, post sanction pre disbursement review and post sanction review systems and an independent audit and risk review function. Proposals for investments are subjected to credit risk analysis, detailed appraisal and rating. As a matter of entry level, minimum ratings/quality standards, industry, maturity, duration, issue-wise limits are stipulated for investments to mitigate the adverse impact of concentration and risk of liquidity. Investment exposure is taken into consideration while computing exposure to a customer/group. A suitable framework is in place to provide a centralised overview on the aggregate exposure on other banks and half-yearly reviews are undertaken at a single point. The country exposures are monitored on half yearly basis.

A diversified portfolio of risk assets is maintained and a system to conduct regular analysis of the portfolio so as to ensure ongoing control of risk concentrations is in place. A conservative policy for provisioning in respect of non-performing advances is followed. Management Information System (MIS) is being upgraded with introduction of Credit Risk Management System, which would enhance the capabilities of the bank to manage and measure the credit risk inherent in all on- and off-balance sheet activities.

#### 5. The following tools are used for credit risk management/ mitigation -

##### a. Credit Approving Authority – Delegation of Powers

The Bank has a well-defined scheme of risk based delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically

को पूरा करने के लिए जब एवं जैसा आवश्यक होता है, उसे संशोधित किया जाता है।

#### ख) विवेकपूर्ण सीमाएँ

विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ऋण/निवेश के विविध पहलुओं जैसे एकल/समूह उधारकर्ता सीमाओं के संबंध में उपयुक्त विवेकपूर्ण सीमाएँ हैं।

#### ग) जोखिम श्रेणी निर्धारण/मूल्य निर्धारण

ऋण निर्धारण में गुणात्मक सुधार लाने तथा ऋण बही की गुणवत्ता की निरंतर मूल्यांकन के लिए ऋण लेखापरीक्षा/एलआरएम के प्रभावी प्रणाली है।

#### घ) ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था (एलआरएम)

ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था ऋण बही की गुणवत्ता के लगातार मूल्यांकन करने और ऋण प्रबंध में गुणात्मक सुधार लाने हेतु एक प्रभावी साधन है।

#### ड) विश्लेषण के माध्यम से संविभाग प्रबंधन

विभिन्न ऋण पोर्टफोलियों एवं निवेशों की समग्र संरचना और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक उपयुक्त प्रणाली होना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से शुरुआत के लिए बैंक ने एक सरल पोर्टफोलियों निगरानी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है। आगे चलकर बैंक और अधिक परिष्कृत पोर्टफोलियों प्रबंधन मॉडल तैयार करेगा। रु 10 लाख और इससे अधिक वाले खातों में रेटिंग माइग्रेशन छःमाही किया जा रहा है और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट साफ्टवेयर (सीआरएमएस) चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत समय-सीमा के अनुसार एडवांस एप्रोच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है।

and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment

#### b. Prudential Limits

Prudential limits on various aspects of credit/investment like Single/Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

#### c. Risk Rating/Pricing

The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.

#### d. Credit Audit/Loan review mechanism (LRM)

Credit Audit/LRM is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

#### e. Portfolio Management through analysis.

It is also important to have in place a system for monitoring the overall composition and quality of various credit portfolios and investments. With this objective, to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model. Rating Migration of accounts with ₹ 10 lacs and above is being done on half yearly and submitted to Board. Credit Risk Management Software (CRMS) is being implemented phase-wise. Bank is getting prepared for adopting Advanced Approaches.

#### 6. जोखिम मापांकन

वर्तमान में ऋण जोखिम का निर्धारण जोखिम श्रेणी निर्धारण व्यक्तिः स्तर पर करने और पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों के भारांक एवं जोखिमभारांक के आधार पर रखी गई पूँजी के माध्यम से किया जाता है। 31 मार्च 2008 से प्रभावी नवीन पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अन्तर्गत बैंक ने मानक दृष्टिकोण को अपना लिया है।

#### 7. जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली

सभी ऋण संबंधी नीतियाँ अनुमोदन के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सीआरएमसी (जो ऋण जोखिम के लिए परिचालन स्तर की समिति है) द्वारा अनुमति की जाती है। उचित निगरानी करने के लिए विभिन्न ऋण संबंधी सूचनाएँ सीआरएमसी को प्रस्तुत की जाती है।

#### 8. जोखिम समीक्षा

लेखापरीक्षा-ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं साधन भी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्वधीन हैं।

#### 6. Risk Measurement

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights. The Bank has migrated to the Standardized approach under the New Capital Adequacy Framework (Basel II), effective 31st March 2008 –

#### 7. Risk Reporting System: -

All credit related policies are cleared by the CRMC (which is the operational level committee for credit risk) before submission to the appropriate authorities for approval. Various Credit Related reportings are submitted to CRMC to enable proper monitoring.

#### 8. Risk Review:

Audit – Credit Risk Management Systems procedures and Tools are also subjected to internal audit for ensuring effectiveness.



**ख. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)**

बैंक स्वदेशी नाए ऋणों को अनुमोदित करने में चयनात्मक है और विनियामक की अपेक्षा से अधिक उच्चतर ऋण प्रावधान का रख-रखाव करता है। संपार्श्विक आधारित उधार में संपार्श्विक के मूल्य में मार्जिन (हेयर कट) लागू किया जाता है। बैंक का जोखिम प्रबंधक निदेशक अनुपालन को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) ऋण अनुमोदन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण/निरीक्षण करती है। सभी प्रभाग जिसमें आरएमयू शामिल है, का पर्यवेक्षण आंतरिक नियंत्रक कार्यों एवं नीतियों को मजबूत बनाने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा किया जाता है। आरएमसी बोर्ड ऑफ़ कमिश्नर्स को रिपोर्ट करती है।

**ग. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगियां)**

मासिक आधार पर ब्याज लगाया जाना, मानक आस्तियों में संभाव्य ऋण चूक या व्यतिक्रम से निपटने का एक उपयोगी साधन बन गया है। आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बैंक ने निम्नलिखित नीति अपनाई है जिस पर शाखाओं को तुरंत अमल करना चाहिए और :-

- उधारकर्ता के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से अतिदेयता न्यूनतम अनिवार्य राशि वसूल करना।
- अस्थायी रोकड़ प्रवाह के मिसमैच के मामलों में खातों में परिचालन को बनाए रखना।
- अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुसार चुकौती मीयाद को पुनर्निर्धारित करना।
- यदि कोई, पुनर्गठित नीति में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित नकदी प्रवाह एवं नकदी प्रवाह में अंतराल को ध्यान में रखते हुए बकाया पुनर्गठन।

एनपीए होने से पहले खातों में बैंक द्वारा उपरोक्त में एक या अधिक कार्रवाई की गई है।

विशेषकर उल्लिखित खाते/एनपीए खातों के अनुवर्तन हेतु उपाय

एनपीएज़ की निगरानी/निवारण हेतु सामान्यतः बैंक में उपलब्ध विभिन्न उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :-

- एनपीए होने से पहले खाता (विशेष रूप से उल्लिखित खाता)
  - आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वीकृत अवधि के अनुपालन हेतु सघन निगरानी।
  - जहाँ भी अनियमितताएँ पाई गई हैं वहाँ तत्परता से अनुस्मारकों का भेजा जाना।
  - एनपीए प्रवर्ग में खाते का न जाना सुनिश्चित करने हेतु तुरंत अतिदेयों की वसूली करना।
  - वित्तीय डाटा के विश्लेषण के साथ इकाई का आवधिक निरीक्षण एवं आस्ति प्रभार।
  - खातों को एनपीए होने से पहले प्राप्य राशियों को पुनर्संचित

**B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)**

PT Bank of India Indonesia Tbk is selective in approving new credits and maintains higher loan provisions than that required by the Regulator. In collateral based lending, hair cut is applied to the value of collateral. The Risk Manager of the bank reports to the Director Compliance. Risk Management Unit (RMU) supervises/has oversight of the credit approval process. All the Divisions including the RMU are supervised by the Risk Management Committee (RMC) for strengthening the Internal Control functions and policies. The RMC reports to Board of Commissioners.

**C: Bank of India (Tanzania) Ltd & Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries)**

Monthly interest application has become a useful tool to tackle potential delinquencies or defaults in standard accounts. To retain the asset quality, the Bank has adopted the following policy, Branches should promptly act and:-

- Recover the overdues or at least the critical amount through active follow up with borrowers;
- Put the accounts under holding on operations in case of temporary cash flow mismatches;
- Reschedule the repayment terms as per expected cash flows;
- Restructure the dues in keeping with the expected cash flows and gaps in cash flows, if any as per guidelines given in the restructuring policy.

Any one or more of the above actions are taken by the Bank before the account becomes NPA.

**Measures for follow up of Especially Mentioned Accounts / NPA Accounts**

The various means of monitoring / resolving NPAs generally available to the Banks are listed below:-

- Before the account becoming NPA (Especially Mentioned A/c)
  - Close monitoring for compliance of sanction terms to maintain asset quality.
  - Reminders to be sent promptly whenever irregularities are observed.
  - To recover overdues quickly to ensure account does not slip to NPA category
  - Periodic inspection of the unit and charged assets along with analysis of financial data.
  - To restructure the dues before accounts become NPAs. Remedial action includes enhancement



करना, अधिस्थगन अवधि, ब्याज निधि एवं किश्तों के आस्थगन की वृद्धि सहित सुधारात्मक कार्रवाई।

of moratorium period, funding of interest, and deferment of installments.

ख) एनपीए होने के बाद खाता बैंक की प्राप्य राशियों की वसूली हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए। एनपीएज़ के समाधान हेतु निम्नलिखित उपायों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए :-

B) After the account becoming NPA – following measure to be initiated for recovering Bank’s dues. The following means have to be effectively pursued for resolution of NPAs.

- i) बकाया को कम करने हेतु अर्थ सुलभ प्रतिभूतियों (टीडीआर, शेयर, मार्जिन राशि आदि) एवं गिरवी वस्तुओं का विनियोजन
- ii) उधारकर्ताओं के सहयोग से अन्य प्रतिभूतियों का निपटान
- iii) समझौतावार्ता के माध्यम से प्राप्य राशियों का समझौता निपटान
- iv) अग्रिम को रीकॉल करना
- v) अदालत में मुकदमा दाखिल - डिक्री निष्पादन
- vi) अंत में, प्राप्य राशियों की वसूली हेतु सभी उपाय करने के पश्चात्, हम शेष प्राप्य राशियों को बट्टे खाते डाल सकते हैं।

- i) Appropriation of liquid securities (TDR, shares, margin money etc.) and pledged goods, to reduce outstanding
- ii) Disposal of other securities, with the co-operation of borrowers.
- iii) Compromise settlement of dues through negotiation
- iv) Re-calling the advance
- v) Filing suit in Court– Execution of decree
- vi) Lastly, after all the chances of recovery of dues are exhausted, we may resort to writing off of the balance dues

एनपीएज़ के समाधान हेतु इन सभी उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

All these means have to be effectively pursued for resolution of NPAs

**मात्रात्मक प्रकटन**

1. कुल सकल ऋण जोखिम निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

प्रवर्ग	राशि
निधि आधारित	2,52,416
गैर-निधि आधारित	64,467

2. जोखिम का भौगोलिक वितरण

(₹ करोड़ में)

	स्वदेशी	विदेशी
निधि आधारित	1,77,950	74,466
गैर-निधि आधारित	57,904	6,563

3. उद्योगवार जोखिम का वितरण निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	निधि आधारित बकाया राशि	गैर निधि आधारित बकाया राशि
कोयला	54.78	0.00
खदान	1,323.87	291.23
लौह एवं इस्पात	11,396.41	1,207.74
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	3,201.85	320.53
सभी इंजीनियरिंग	1,780.67	1,162.89
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	808.83	111.98
विद्युत	11,304.94	0.00
सूती वस्त्र उद्योग	4,080.22	102.34
जूट वस्त्र उद्योग	99.01	0.26

**Quantitative Disclosures:**

1. The total gross credit exposures are:

₹ in Crores

Category	Amount
Fund Based	2,52,416
Non Fund Based	64,467

2. The geographic distribution of exposure is:

₹ in Crores

	Domestic	Overseas
Fund Based	1,77,950	74,466
Non Fund Based	57,904	6,563

3. Industry type distribution of exposure is as under:

₹ in Crores

Industry Name	Fund Based Amt Outstanding	Non Fund Based Amt Outstanding
Coal	54.78	0.00
Mining	1,323.87	291.23
Iron & Steel	11,396.41	1,207.74
Other Metal & Metal Products	3,201.85	320.53
All Engineering	1,780.67	1,162.89
Of which Electronics	808.83	111.98
Electricity	11,304.94	0.00
Cotton Textiles	4,080.22	102.34
Jute Textiles	99.01	0.26

उद्योग का नाम	निधि आधारित बकाया राशि	गैर निधि आधारित बकाया राशि
अन्य वस्त्र उद्योग	4,377.64	313.30
चीनी	3,639.84	31.93
चाय	0.00	1.11
खाद्य प्रसंस्करण	1,261.82	192.96
वनस्पति तेल एवं वनस्पति	446.09	316.02
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	494.03	16.14
पेपर एवं पेपर उत्पाद	1,084.43	79.51
रबर एवं रबर उत्पाद	2,284.96	329.02
केमिकल, ड्राई, पेंट्स आदि	4,637.99	429.62
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	285.03	1.60
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	1,088.88	153.25
जिसमें से ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स	2,280.29	99.50
सीमेंट	1,182.33	10.48
चर्म एवं चर्म उत्पाद	465.55	11.28
रत्न एवं आभूषण	5,414.26	884.57
निर्माण	1,398.34	1,207.49
पेट्रोलियम	1,338.15	156.89
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	2,150.06	1,029.14
आधारभूत संरचना	16,920.23	6,273.56
जिसमें से पॉवर	7,306.43	2,811.00
जिसमें से दूरसंचार	1,441.02	33.03
जिसमें से रास्ते और पत्तन	6,092.93	1,489.18
अन्य उद्योग	16,738.49	9,777.52
शेष अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	1,55,340.04	40,321.49
<b>कुल</b>	<b>2,52,416.00</b>	<b>64,467.02</b>

- \* संरचनात्मक क्षेत्र का ऋण-जोखिम 6.73% है जो कुल निधि आधारित अग्रिमों का 5% से ज्यादा है।
- \* संरचनात्मक का ऋण-जोखिम 9.74% है जो कुल गैर निधि आधारित बकाया का 5% से ज्यादा है।

4. आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता पैटर्न	अग्रिम*	निवेश (सकल)	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ *
अगले दिन	20,019.17	114.53	3,294.14
2 - 7 दिन	4,449.76	858.99	5,702.08
8 - 14 दिन	4,346.51	1,295.02	4,424.33
15 - 28 दिन	6,850.00	1,301.01	4,798.52
29 दिन - 3 माह	59,772.85	6,531.55	22,243.80
>3 माह - 6 माह	35,109.91	3,892.62	20,951.10
> 6 माह - 1 वर्ष	15,158.50	3,163.16	5,770.28
>1 वर्ष - 3 वर्ष	26,992.20	6,305.67	6,010.65
> 3 वर्ष - 5 वर्ष	30,459.58	13,576.95	7,494.90
> 5 वर्ष	46,545.54	50,203.53	10,461.15

\* ऑकड़े निवल आधार पर दर्शाए गए हैं।

Industry Name	Fund Based Amt Outstanding	Non Fund Based Amt Outstanding
Other Textiles	4,377.64	313.30
Sugar	3,639.84	31.93
Tea	0.00	1.11
Food Processing	1,261.82	192.96
Vegetable Oil & Vanaspati	446.09	316.02
Tobacco & Tobacco Products	494.03	16.14
Paper & Paper Products	1,084.43	79.51
Rubber & Rubber Products	2,284.96	329.02
Chemical, Dyes, Paints etc.	4,637.99	429.62
Of which Fertilisers	285.03	1.60
Of which Petro-chemicals	1,088.88	153.25
Of which Drugs & pharmaceuticals	2,280.29	99.50
Cement	1,182.33	10.48
Leather & Leather Products	465.55	11.28
Gems & Jewellery	5,414.26	884.57
Construction	1,398.34	1,207.49
Petroleum	1,338.15	156.89
Automobiles including trucks	2,150.06	1,029.14
Infrastructure *	16,920.23	6,273.56
Of which Power	7,306.43	2,811.00
Of which Telecommunications	1,441.02	33.03
Of which Roads & Ports	6,092.93	1,489.18
Other Industries	16,738.49	9,777.52
Residuary Other Adv. (to balance with Gross Adv.)	1,55,340.04	40,321.49
<b>Total</b>	<b>2,52,416.00</b>	<b>64,467.02</b>

- \* Exposure to Infrastructure Sector at 6.73% exceeds 5% of total fund based advances
- \* Exposure to Infrastructure at 9.74% exceeds 5% of total non fund based outstanding.

4. The residual contractual maturity break down of assets is:

(₹ in Crores)

Maturity Pattern	Advances*	Investments (gross)	Foreign Currency Assets*
Next day	20,019.17	114.53	3,294.14
2 - 7 days	4,449.76	858.99	5,702.08
8 - 14 days	4,346.51	1,295.02	4,424.33
15 - 28 days	6,850.00	1,301.01	4,798.52
29 days - 3 months	59,772.85	6,531.55	22,243.80
>3 months - 6 months	35,109.91	3,892.62	20,951.10
> 6months - 1 year	15,158.50	3,163.16	5,770.28
>1 year - 3 years	26,992.20	6,305.67	6,010.65
> 3 years - 5 years	30,459.58	13,576.95	7,494.90
> 5 years	46,545.54	50,203.53	10,461.15

\* Figures are shown on net basis

5. सकल एनपीए इस प्रकार हैं -

प्रवर्ग	(₹ करोड़ में)
अवमानक	3,816.52
संदिग्ध - 1	974.03
संदिग्ध - 2	1,039.64
संदिग्ध - 3	73.90
हानि	9.52
<b>कुल</b>	<b>5,913.61</b>

6. निवल एनपीए की राशि ₹ 3,666.18 करोड़ है।

7. एनपीए अनुपात निम्नानुसार है :

क. सकल अग्रिमों पर सकल एनपीए : 2.34%

ख. निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए : 1.47%

8. सकल एनपीए का उतार चढ़ाव निम्नप्रकार है :

(₹ करोड़ में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	4,829.68
ii) वर्ष के दौरान किया गया परिवर्धन	5,414.05
iii) वर्ष के दौरान की गई कटौती	4,330.12
iv) वर्षान्त में अंतिम शेष (i+ii-iii)	5,913.61

9. एनपीए हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष (फ्लोटिंग प्रावधान को छोड़कर)	2,227.49
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	2,076.07
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बटूटे खाते में डालना	2,820.84
iv) वर्षान्त में अंतिम शेष (i+ii-iii)	1,482.72

10. अनर्जक आस्ति निवेश की राशि ₹ 587.01 करोड़ है।

11. अनर्जक आस्ति निवेश हेतु किए गए प्रावधान की राशि ₹ 391.67 करोड़ है।

12. निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	689.72
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	436.89
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बटूटे खाते में डालना	187.13
iv) वर्षान्त में अंतिम शेष (i+ii-iii)	939.48

**तालिका डीएफ-5**

**ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण**

**गुणात्मक प्रकटीकरण**

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए

- किसी भी परिवर्तन हेतु कारणों सहित, उपयोग की गई ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों का नाम

5. The gross NPAs are:

Category	(₹ in Crores)
Sub Standard	3,816.52
Doubtful – 1	974.03
Doubtful – 2	1,039.64
Doubtful – 3	73.90
Loss	9.52
<b>TOTAL</b>	<b>5,913.61</b>

6. The amount of net NPAs is ₹ 3,666.18 crores.

7. The NPA ratios are as under:

a. Gross NPAs to Gross Advances: 2.34%

b. Net NPAs to Net Advances: 1.47%

8. The movement of gross NPA is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening balance at the beginning of the year	4,829.68
ii) Additions during the year	5,414.05
iii) Reductions during the year	4,330.12
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	5,913.61

9. The movement of provision for NPAs is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening balance at the beginning of the year (excluding floating provision)	2,227.49
ii) Provisions made during the year	2,076.07
iii) Write-off/write-back of excess provisions	2,820.84
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	1,482.72

10. The amount of non-performing investment is ₹ 587.01 crores.

11. The amount of provision held for non-performing investment is ₹ 391.67 crores

12. The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening balance at the beginning of the year	689.72
ii) Provisions made during the year	436.89
iii) Write-off/write-back of excess provisions	187.13
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	939.48

**Table DF-5**

**Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardised approach**

**Qualitative Disclosure**

a) For portfolios under the standardized approach:

- Names of credit rating agencies used, plus reasons for any changes;

- ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया है; एवं
- बैंकिंग बही में लोक निर्गम श्रेणी निर्धारण का तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु प्रयुक्त की गई प्रक्रिया का वर्णन

- Types of exposure for which each agency is used; and
- A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book;

**ए: बैंक ऑफ इंडिया**

1. बैंक ने सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए निम्नलिखित ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की सामान्य श्रेणी निर्धारण के उपयोग किए जाने हेतु अनुमोदन किया है। स्वदेशी दावों के लिए सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, फिच इंडिया एवं सीएआरआई तथा अनिवासी कार्पोरेट्स, विदेशी बैंको एवं विदेशी प्रभुसत्ता पर दावों के लिए एस एंड पी, फिच एवं मूडी। एसएमई श्रेणी निर्धारण का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।
2. इन सभी एजेंसियों के श्रेणी निर्धारण का उपयोग, बासेल-II के अंतर्गत सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोणान्तर्गत, श्रेणीकरण के अधीन समस्त ऋण जोखिमों के जोखिम भार प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।  
बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम श्रेणी निर्धारण अंतरण हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया आरबीआई की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है। श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई लोक श्रेणी निर्धारण इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई है। श्रेणी निर्धारण जो केवल संबद्ध श्रेणी निर्धारण एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार प्रभावी है एवं पूर्व 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार पुनरीक्षित की गई है, का उपयोग किया जाता है। विशेष दूसरे पक्ष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक द्वारा श्रेणी निर्धारण के लिए केवल एक ही एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इस अपवाद सहित कि जहाँ केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा ऋण जोखिमों का एक से अधिक बार श्रेणी निर्धारण किया जाता है।
3. जोखिम भार प्रयोजनार्थ पात्रता के लिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि, बाह्य ऋण निर्धारण पर विचार किया जाता है एवं बैंक द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण ऋण राशि के संबंध में ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करें। एक ही पार्टी के दूसरे पक्ष को किसी अन्य ऋण जोखिम के लिए विशिष्ट श्रेणी निर्धारण एक निर्गमकर्ता या निर्गम को विस्तारित करते समय, यह ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि के लिए विस्तारित की जाती है, अर्थात दोनों मूल राशि एवं ब्याज हेतु। एक कार्पोरेट समूह के अंतर्गत एक कंपनी के बाह्य निर्धारण का उपयोग जोखिम भार हेतु उसी समूह की अन्य कंपनियों के लिए नहीं होता है।
4. उन आस्तियों के लिए जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर होती है, लघु अवधि श्रेणी निर्धारण का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण प्रयुक्त की जाती है। नकद उधार ऋण जोखिम के लिए दीर्घ अवधि ऋण जोखिम ली जाती है।
5. जहाँ एक जारीकर्ता की बाह्य दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण सहित दीर्घावधि ऋण जोखिम है जो 150% का ऋण जोखिम समर्थन करता है, तथा

**A: BANK OF INDIA**

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, Fitch India, and CARE for domestic claims and S&P FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns. SME ratings are not being used, as they are not approved by RBI.
2. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II.  
The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.  
For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
3. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. Even while extending an issuer or an issue specific rating to any other exposure on the same counterparty it is extended to the entire amount of credit risk exposure i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
4. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
5. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty,

उसी काउन्टरपार्टी के सभी अमूल्यांकित दावे चाहे वह अल्पावधि की हो अथवा दीर्घावधि की हो, वह 150% ऋण जोखिम वहन करती है, सिवाय उसके जहाँ ऋण जोखिम घटाव तकनीक इन दावों के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्पावधि श्रेणी निर्धारण में मामले में भी एकसमान होगा।

6. दीर्घावधि जोखिमों हेतु मानक अभिगम के अंतर्गत ऋण जोखिमों का सीधा आकलन अनुमोदित मूल्यांकन एजेन्सियों द्वारा समनुदेशित किया जाता है। इसके विपरीत, प्रतिपक्ष का अमूल्यांकित अल्पावधि दावा उसके प्रतिपक्ष के मूल्यांकित अल्पावधि दावों पर लागू ऋण जोखिम से कम से कम एक स्तर ज्यादा ऋण जोखिम वहन करता है। बैंकों तथा निगमों के विरुद्ध मूल्यांकित सुविधा से उत्पन्न दावों हेतु ऋण जोखिम निर्गम विशेष अल्पावधि मूल्यांकन जनित है जो अमूल्यांकित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम ऋण का समर्थन नहीं करता है।
7. यदि योग्य ऋण क्रम निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो निर्धारण दिए जाते हैं जो विभिन्न ऋण जोखिम दर्शा रहा है तो वहाँ उच्च ऋण जोखिम लागू होगा। यदि योग्य ऋण क्रम निर्धारण ऋण एजेन्सियों द्वारा तीन या उससे अधिक मूल्यांकन विभिन्न ऋण जोखिम दर्शा रहे हैं तब दो न्यूनतम ऋण जोखिम का परवर्ती मूल्यांकन संदर्भित किया जाता है तथा उन दोनों ऋण जोखिमों में से उच्च ऋण जोखिम लागू होता है यथा द्वितीय न्यूनतम जोखिम ऋण।
8. निवेश दावे का आर डब्ल्यू चयनित ऋण निर्धारण एजेन्सी द्वारा विशिष्ट श्रेणी निर्धारण पर आधारित होता है, जहाँ एक विशिष्ट निर्धारित निर्गम में दावा एक निवेश नहीं होता है:
  - i) विशिष्ट उधार (जहाँ जोखिम भार में श्रेणी निर्धारण का आकलन, जो गैर दर आधारित दावे पर लागू से कम हो) पर लागू श्रेणी निर्धारण बैंक के केवल अनिर्धारित दावे पर लागू होती है। यदि यह दावा समरूप श्रेणी अथवा सभी दृष्टि से विशेष दर आधारित उधार से वरीय हो एवं जहाँ दर आधारित दावा लघु अवधि दायित्व होता है, को छोड़कर अनिर्धारित दावे की परिपक्वता, दर आधारित दावे की परिपक्वता के बाद न आती हो।
  - ii) यदि निर्गमकर्ता अथवा एकल निर्गम की श्रेणी निर्धारित की गई हो, जो गैर निर्धारित दावों पर लागू की जाती है, के जोखिम भार के या बराबर हो अथवा उच्चतर हो, वही दूसरे पक्ष पर गैर दर आधारित दावे, वही जोखिम भार का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि दर आधारित ऋण जोखिम में लागू होता है, यदि सभी दृष्टि से यह दावा दर आधारित ऋण जोखिम से समरूप या कनिष्ठ श्रेणी का हो।

whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

6. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counterparty attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counterparty. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.
7. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
8. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
  - i. the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
  - ii. if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

**बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)**

पीटी बैंक ऑफ़ इंडोनेशिया टीबीके द्वारा कोई बाह्य ऋण श्रेणी एजेन्सी अनुमोदित नहीं की गई है।

**सी: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी)**

देश में मौजूदा मानदंडों के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है। देश में कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी परिचालन कार्यरत नहीं है।

**B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)**

PT Bank of India Indonesia Tbk has not approved any External Credit Rating Agency

**C: Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary)**

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency. There is no credit rating agency operating/working in the Country.



**डी : बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यू जीलैंड) लि. (अनुषंगी)**

आवश्यकतानुसार तिमाही के आधार पर सामान्य प्रकटीकरण विवरणी द्वारा ऋण जोखिम का प्रकटीकरण किया जाता है।

**मात्रात्मक प्रकटीकरण:**

ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के कम होने के पश्चात ऋण जोखिम की राशि के लिए बैंक की बकाया राशि (दर आधारित एवं गैर दर आधारित) निम्नलिखित तीन बृहत जोखिम क्षेत्रों एवं जिनकी कटौती की जाती है उन क्षेत्रों; का मात्रात्मक प्रकटीकरण किया जाता है।	
बैंक का (मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन) बीओआई सोलो का कुल ऋण (बाजार से संबद्ध तुलन पत्र मदों को छोड़कर) जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत प्रमुख जोखिम क्षेत्र निम्नानुसार है:-	
• 100% जोखिम भार से कम	₹ 2,99,058 करोड़
• 100% जोखिम भार	₹ 1,37,156 करोड़
• 100% से अधिक जोखिम भार	₹ 23,834 करोड़
• कटौती	शून्य

**तालिका डीएफ-6**

**ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन**

**गुणात्मक प्रकटन**

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकताओं में यह शामिल है:

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ;
- बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के प्रमुख प्रकारों का विवरण;
- गारंटी कर्ता काउंटर पार्टी के प्रमुख प्रकार और उनकी ऋण पात्रता; एवं
- लिए गए न्यूनीकरण के भीतर (बाजार अथवा ऋण) जोखिम केंद्रीकरण के बारे में सूचना

**क: बैंक ऑफ़ इंडिया**

1. ऋण जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन का एक अनुकूल साधन है, जो अच्छे एवं बुरे दोनों समय में राजस्व हानि से कंपनी का रक्षण करता है। बैंक उसके दैनिक परिचालनों में आने वाले ऋण जोखिम के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पद्धति और तकनीक अपनाता है। ऐसी प्रक्रिया को ऋण जोखिम न्यूनीकरण का नाम दिया गया है और ऋण जोखिम न्यूनीकरण के कुछ तकनीक को पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्य, मुद्रा असंतुलन और परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार कटौती करने हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई हैं। नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अंतर्गत पहचाने गए विभिन्न ऋण जोखिम प्रशामक (सीआरएम) निम्नानुसार है:

- (1) संपार्श्विकृत संव्यवहार
- (2) ऑन - बैलन्स शीट नेटिंग
- (3) गारंटियाँ

**D Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary)**

Credit risk is disclosed through General Disclosure Statement on quarterly basis as per the requirements

**Quantitative Disclosures:**

b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
The total credit exposure of BOI Solo (excluding market related off balance sheet items) of the bank (subject to standardized approach), are classified under major risk buckets are as under: -	
• Below 100% risk weight:	₹ 2,99,058 Crores
• 100% risk weight:	₹ 1,37,156 Crores
• More than 100% risk weight:	₹ 23,834 Crores
• Deducted	NIL

**Table DF-6**

**Credit risk mitigation: disclosures for standardised approaches**

**Qualitative Disclosures**

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- policies and processes for collateral valuation and management;
- a description of the main types of collateral taken by the bank;
- the main types of guarantor counterparty and their creditworthiness; and
- information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

**A: BANK OF INDIA**

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to protect entity's earnings from loss both in good and bad times. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Such a process is termed as credit risk mitigation and some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. The Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

- (1) Collateralised transactions
- (2) On-balance-sheet-netting
- (3) Guarantees

**2. पात्र वित्तीय संपाश्विक**

मानक अभिगम के अंतर्गत सभी संपाश्विकों को ऋण जोखिम प्रशामक के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। निम्नलिखित वित्तीय संपाश्विक को स्वीकार किया गया है:

- नकदी एवं जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा की जमाराशियों सहित
- स्वर्ण : 99.99% शुद्धता वाले बेंचमार्क सहित
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
- किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
- जीवन बीमा पॉलिसियाँ
- ऋण प्रतिभूतियाँ- श्रेणीकृत शर्तों के अध्यक्षीन
- ऋण प्रतिभूतियाँ-गैर श्रेणीकृत, बैंकों द्वारा जारी, शर्तों के अध्यक्षीन
- म्यूचुअल फंडों की यूनिट शर्तों के अध्यक्षीन

संपाश्विक संव्यवहारों के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध करने हेतु कतिपय अतिरिक्त मानदंड हैं, जिनका संपाश्विक के प्रबंधन पर प्रत्यक्ष वहन है और संपाश्विक प्रबंधन के दौरान इस पहलू का ध्यान रखा जाता है।

**3. तुलन पत्र नेटिंग पर**

ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को ऋणों/अग्रिमों (एक्सपोजर के रूप में माने गए) और जमाराशियों (संपाश्विक के रूप में) तक सीमित रखा जाए, जहाँ पर दस्तावेजों के सबूतों के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार सहित बैंक का कानूनी प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है और जिसका नेट आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

**4. गारंटियाँ**

जहाँ प्रत्यक्ष, निर्धारित, अविकल्पी और बिना शर्त गारंटियाँ हो, बैंक पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु ऐसे ऋण संरक्षण को मान सकता है। पात्र गारंटीदाताओं/काउंटर गारंटीदाताओं की श्रेणी में ये शामिल हैं:

- शासक, शासकीय संस्था (बीआईएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ कतिपय विनिर्दिष्ट एमडीबी, ईसीजीसी और सीजीटीएसएमई), बैंक और काउंटर पार्टी से अन्य निम्न जोखिम भार सहित प्राथमिक व्यापारी;
- ए अथवा उससे बेहतर श्रेणी की अन्य संस्थाएं

5. बैंक की सुपरिभाषित संपाश्विक प्रबंधन नीति है जो संपाश्विक के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह उधार में अंतर्निहित ऋण जोखिम के न्यूनीकरण का प्रमुख घटक है। बैंक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। मूर्त प्रतिभूतियाँ या तो भौतिक स्वरूप की होती हैं अथवा अन्य सामग्री प्रारूप में जैसे कि नकद मार्जिन, बैंक के पास जमाराशियाँ, स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान धातु, शेयर्स, एनएससी/केवीपी/जीवन बीमा पॉलिसियाँ। अमूर्त प्रतिभूतियाँ हैं - बैंक गारंटियाँ/

**2. Eligible financial collateral:**

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognised

- Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
- Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- Securities issued by Central and State Governments
- Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- Life insurance policies
- Debt securities -Rated subject to conditions.
- Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

**3. On-balance-sheet-netting**

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

**4. Guarantees**

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The **range of eligible guarantors/ counter guarantors includes:**

- Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;
- Other entities rated AA or better.

5. The Bank has a well-defined Collateral Management policy, which provides the controlling framework to ensure collateral is used optimally. This is a key component in mitigating the credit risks inherent in lending. The Bank accepts both tangible and intangible securities. Tangible Securities are either in physical form or such other material form like cash margin, Deposits with Banks, Gold or such other precious metals, Shares NSC/KVP/ Life Insurance Policies. The intangible securities are – Bank Guarantees / Letters of Credit, book debts, Letter

साख पत्र, बही ऋण, आश्वासन पत्र, नकारात्मक पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र, अपंजीकृत प्रभार इत्यादि। उधार दिए गए धन हेतु प्रतिभूति प्राप्त करने के सामान्य तरीके हैं - बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक और पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र। बैंक ऋण एक्सपोजर से सृजित की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार/अथवा समरूप आधार पर सामान्य नियम के अनुसार बैंक का प्रभार दर्ज किया जाए।

सामान्यतः जब भी लागू हो/अनुमत होने पर गारंटी का आग्रह किया जाए गारंटीकर्ता के प्रमुख प्रकार हैं:-

- केंद्र/राज्य सरकार और डीआईसीजीसी, सीजीटीएमएसई और ईसीजीसी जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एजेन्सियाँ
- कारपोरेट्स के प्रमोटर/प्रमुख स्वामी
- व्यक्तियों के मामले में रिश्तेदारों की व्यक्तिगत गारंटी

6. संपाश्विक प्रबंधन के विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं -

संपाश्विक को स्वीकार करने हेतु न्यूनतम शर्तें: संपाश्विक को वैध और प्रवर्तनीय बनाने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपाश्विक के रूप में स्वीकार की गई आस्तियाँ बिक्री योग्य, कानूनी प्रवर्तनीय और आवश्यकता पड़ने पर उसको नियंत्रण में लिये जा सकने योग्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आस्ति का बाजार मूल्य सहज निर्धारण योग्य हो अथवा उसे उचित रूप से स्थापित और सत्यापित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य से संपाश्विक के रूप में स्वीकार्य आस्तियों के प्रकार और प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली इन प्रत्येक आस्तियों के मूल्य अनुपात के अधिकतम ऋण की सूची बैंक के पास है। संपाश्विक लेते समय बैंक सांविधिक बाध्यताओं का भी ध्यान रखता है।

ख) संपाश्विक की वैधता

i) प्रवर्तनीयता;

बैंक सुनिश्चित करता है कि संपाश्विक के समर्थन में ऋण दस्तावेजीकरण सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो और उधारकर्ता की बाध्यताओं को विमुक्ति हेतु निर्बाध रूप से संपाश्विक को लागू करने हेतु बैंक को अधिकार देता हो।

ii) हक और स्वामित्व;

बैंक हमेशा संपाश्विक के रूप में आस्ति का स्वीकार करने से पूर्व उसके अस्तित्व तथा स्वामित्व का सत्यापन करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य पक्ष का कथित संपाश्विक पर कोई पूर्व दावा नहीं है। ऋण सुविधा के ड्रॉ डाउन से पूर्व ही बैंक संपाश्विक के नियंत्रण को सुरक्षित करता है। ऋण जोखिम के प्रबंधन के सरलीकरण के लिए शीर्ष प्रबंधन को संपाश्विक पर सूचना आवधिक रूप से दी जाती है। संपाश्विक पर प्रभार तत्परता से, जहाँ भी लागू है, संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किए जाते हैं।

of Comfort, Letter of Negative Lien, Unregistered Charge etc. The common ways for obtaining security for moneys lent are - Mortgage, Pledge, Hypothecation and lien. The assets created out of the bank's credit exposure are as a general rule charged to the bank by way of first charge on pari-passu basis.

Guarantees are normally insisted upon whenever available/permissible

The main types of guarantors are: -

- Central/State Government and Central Government sponsored agencies like DICGC, CGTMSE, and ECGC.
- Promoters/Major owners of corporates.
- Individual Guarantees of relatives in case of individuals

6. The various aspects of collateral management are -

Minimum conditions for the acceptance of collateral: For collateral to be valid and enforceable the bank ensures that the assets accepted as collateral are marketable, legally enforceable and can be taken control of if necessary. It is also ensured that the market value of the asset is readily determinable or can be reasonably established and verified. For internal control purposes, the bank has a list of types of assets acceptable as collateral and the maximum loan to value ratio for each of these assets taken as primary security. The bank also takes into account statutory restriction while taking collaterals.

(b) Validity of collateral;

i) Enforceability

Bank ensures that credit documentation supporting the collateral, is legally enforceable in all relevant jurisdictions and empowers the Bank to apply the collateral freely to discharge the borrower's obligations.

ii) Title and ownership

Bank always verifies the existence and ownership of the assets being received as collateral before acceptance and ensures that there is no prior claim by any other party on the said collateral. Bank secures its control of the collateral prior to the draw down of credit facilities. Information on collaterals is provided to Top Management periodically to facilitate management of credit risk. Charges on collaterals are promptly registered with the relevant authorities wherever applicable.

- ग) मूल्य अनुपात से ऋण;  
बैंक ने प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जाने वाली प्रमुख आस्तियों के लिए मूल्य अनुपात (मार्जिन) से अधिकतम ऋण निर्धारित किया है। ऐसे अनुपात आस्तियों की संबंधित जोखिम के अनुपातिक होते हैं और संपाश्विक की वसूली के समय होनेवाली संभाव्य हानि के विरुद्ध पर्याप्त प्रतिरोध प्रदान करते हैं।
- घ) मूल्यांकन;  
बैंक के एक्सपोजर हेतु स्वीकार की गई संपत्ति मूल्यांकन के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकक की अर्हता और पूनर्मूल्यांकन की बारंबारता बैंक में अनुपालन हेतु निर्धारित की गई है।
- ड) संपाश्विक को सुरक्षित रखना तथा उसमें पहुँच का नियंत्रण;  
संपाश्विक के स्वीकारने, निगरानी अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के अनुमोदन का प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्तियों और विभागों को दिया गया है।
- च) संपाश्विक का प्रतिस्थापन/अतिरिक्त संपाश्विक के अनुरोध की कार्यविधि का स्पष्ट दस्तावेजीकरण किया गया है।
- छ) बीमा;  
सभी पात्र संपाश्विक, जिन्हे विशेष रूप से छूट दी गई है उन्हें छोड़कर, संबंधित जोखिम हेतु बीमा द्वारा संरक्षित हैं और इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।
- ज) संपाश्विक की बिक्री;  
संपाश्विक के समय पर परिसमापन के लिए बैंक की सुस्पष्ट और सख्त कार्यविधि है।
- ख: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)**  
संपाश्विक मूल्यांकन हेतु पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके की नीति एवं कार्य विधि है जो बैंक ऑफ़ इंडोनेशिया विनियमन और बंधक ऋण हेतु राष्ट्रीय विवेक पर आधारित है। यदि संपाश्विक का मूल्य आईएनआर 2.20 करोड़ से अधिक है तो संपाश्विक का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। संपाश्विक के स्वरूप पर आधारित परिसमापन मूल्य की गणना की जाती है। संपाश्विक मूल्य की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। भूमि एवं भवन के रूप में प्रमुख रूप से संपाश्विक स्वीकार किया जाता है। सामान्यता व्यक्तिगत एवं अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जाती। केंद्रीकरण हेतु उधार देने की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित की जाती है। बैंक को संपाश्विक अथवा ऋण जोखिम शामकों की प्रमुख जोखिम की चिंता नहीं है।
- ग: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगियां)**  
बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टि प्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर संपाश्विक प्राप्त किया जाता है। नियामक की
- (c) Loan-to-value ratios  
Bank has specified the maximum loan-to-value ratio (margin) for major types of asset to be accepted as primary security. Such ratios are commensurate with the relative risk of the assets and should be able to provide an adequate buffer against potential losses in realising the collateral
- (d) Valuation  
Bank has a Board approved policy in place for valuation of properties accepted for bank's exposures, where Basis of valuation, Qualification of Valuer and Frequency of revaluation are laid down for compliance across the bank.
- (e) Safe keeping of collateral and control to their access  
Authority and responsibility has been delegated to relevant individuals and departments for approving the acceptance, monitoring or safe custody of collaterals
- (f) Additional / Replacement of collateral;  
Procedures for requesting additional collateral are clearly documented
- (g) Insurance;  
All eligible collaterals except those specially exempted are covered by insurance for relevant risks and detailed guidelines for the same are in place
- (h) Sale of collateral;  
The Bank has clear and robust procedure for the timely liquidation of collateral.
- B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)**  
PT Bank of India Indonesia Tbk has policy and processes for collateral valuation, based on Bank of Indonesia Regulation and national discretions for mortgage loan. Independent appraisal of the collateral is made if the sanction limit of the loan is above INR 2.20 Crores. Liquidation value is calculated based on type of collateral. Collateral value is reviewed every year. The main type of collateral taken is Land & Buildings. Generally personal or third party guarantee is not taken. Sectoral caps in lending are in place to take care of concentrations. The Bank has no major risk concentrations of collaterals or credit risk mitigants.
- C: Bank of India (Tanzania) Ltd & Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries)**  
The collaterals is obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णतः प्रतिभूत)	25%
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	10%
ग) अप्रतिभूत	5%

**मात्रात्मक प्रकटन :**

(ख) मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रकट ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित है। पात्र वित्तीय संपार्श्विक; मार्जिन (हेयर कट) लागू करने के बाद। बीओआई सोलो	₹ 72,784 करोड़
(ग) मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रकट ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित है। गारंटी/क्रेडिट व्युत्पन्न (जब कभी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है।) बीओआई सोलो	₹ 18,400 करोड़

**तालिका डीएफ-7**

**प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन**

**गुणात्मक प्रकटन**

**क: बैंक ऑफ इंडिया**

यथा दिनांक 31.03.2012 बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं था।

**बी : पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)**

क. प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता, जिसमें निम्नानुसार चर्चा शामिल है :

- i. प्रतिभूतिकरण गतिविधि के संपर्क में बैंक का उश्य, इसमें उस हद तक गतिविधियां शामिल है जिसके द्वारा बैंक से दूर अन्य इकाई में अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर का क्रेडिट जोखिम अंतरित होता है;
- ii. प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक की भूमिका और प्रत्येक में बैंक की भागीदारी के हद के संकेत शामिल है; और
- iii. प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए बैंक द्वारा पालन किया जा रहा विनियामक पूंजी दृष्टिकोण

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position	Limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	25%
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	10%
c) Unsecured	5%

**Quantitative Disclosures:**

(b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral: after the application of haircuts. BOI Solo.	₹ 72,784 Crores
(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI). BOI Solo.	₹ 18,400 Crores

**Table DF-7**

**Securitisation: disclosure for standardised approach**

**Qualitative Disclosures**

**A: BANK OF INDIA**

The Bank has no Securitization Exposure as on 31.03.2012.

**B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)**

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of:

- (i) The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities;
- (ii) The roles played by the bank in the securitisation process<sup>31</sup> and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; and
- (iii) The regulatory capital approach that the bank follows for its securitisation activities.



- ख. प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों का सार, जिसमें शामिल है :
- बिक्री पर मुनाफे की पहचान; और
  - प्रतिधारण ब्याज के मूल्यांकन के लिए मुख्य अनुमान, जिसमें अंतिम रिपोर्टिंग अवधि से मुख्य परिवर्तन और ऐसे परिवर्तन का प्रभाव भी शामिल;
- ग. प्रतिभूतिकरणों के लिए उपयोग किए गए ईसीएआई के नाम और उपयोग किए गए प्रत्येक एजेन्सी के लिए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के प्रकार।
- घ. बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत कुल बकाया एक्सपोजर और एक्सपोजर प्रकार द्वारा प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन
- ड. बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर और प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन के लिए :
- प्रतिभूतिकृत अनर्जक/पास्ट ड्यू आस्ति की राशि; और
  - एक्सपोजर प्रकार द्वारा खंडित चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा चिह्नित हानि।
- च. एक्सपोजर प्रकार द्वारा खंडित रखे गए अथवा खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल रकम
- छ. रखे गए अथवा खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल रकम जो अर्थपूर्ण संख्यक जोखिम भारिता बैंड में खंडित किए गए हैं। एक्सपोजर जिसे टियर-1 से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से क्रेडिट बढ़ाने का आई/ओ घटाया गया है और कुल पूंजी से घटाये गए अन्य एक्सपोजर का अंतर्निहित एक्सपोजर प्रकार द्वारा पृथक रूप से प्रकटन किया जाए।
- ज. तुलन पत्र के लेखा टिप्पणी के हिस्से के रूप में प्रतिभूतिकरण गतिविधि की दो वर्षों की तुलनात्मक स्थिति का सार दिया जाए :
- प्रतिभूतिकृत ऋण आस्तियों की कुल संख्या और बही मूल्य-अंतर्निहित आस्तियों के प्रकार द्वारा;
  - प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री राशि और प्रतिभूतिकरण के खाते की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि; और
  - क्रेडिट वृद्धि, चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण के पश्चात आस्ति सर्विसिंग इत्यादि द्वारा दिए गए सेवा का प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य)
- सी : बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगियां)  
लागू नहीं
- (b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:
- Recognition of gain on sale; and
  - Key assumptions for valuing retained interests, including any significant changes since the last reporting period and the impact of such changes;
- (c) Names of ECAs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.
- (d) The total outstanding exposures securitised by the bank and subject to the securitisation framework by exposure type.
- (e) For exposures securitised by the bank and subject to the securitisation framework:
- Amount of impaired/past due assets securitised; and
  - Losses recognised by the bank during the current period broken down by exposure type.
- (f) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type.
- (g) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down into a meaningful number of risk weight bands. Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit -enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital should be disclosed separately by type of underlying exposure type.
- (h) Summary of securitisation activity presenting a comparative position for two years, as a part of the notes on Accounts to the balance sheet:
- Total number and book value of loan assets securitised – by type of underlying assets;
  - Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation; and
  - Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of credit enhancement, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.
- C: Bank of India (Tanzania) Ltd & Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries)**  
Not Applicable

**मात्रात्मक प्रकटन**

- ए :** बैंक ऑफ़ इंडिया  
लागू नहीं
- बी :** पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (सहायक)  
शून्य
- सी :** बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड)  
लि. (अनुषंगियां)  
लागू नहीं

**तालिका डीएफ-8****लेन-देन बही में बाजार जोखिम****गुणात्मक प्रकटन :**

- (क) मानक दृष्टिकोण में शामिल पोर्टफोलियों को शामिल करते हुए बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता

**ए: बैंक ऑफ़ इंडिया**

लेन-देन बही में बैंक निवेशों के "लेन-देन हेतु धारित" (एचएफटी) एवं "बिक्री हेतु उपलब्ध" (एएफएस) पोर्टफोलियों को धारित करता है। शेष आस्तियों- अर्थात् परिपक्वता हेतु धारित पोर्टफोलियों और अग्रिमों के अंतर्गत निवेशों को बैंकिंग बही के रूप में माना जाता है। नीचे बाजार जोखिम प्रबंधन प्रयोजन एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

**(i) कार्यनीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ :**

बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम एवं इक्विटी कीमत जोखिम की निगरानी की जाती है। बैंक वर्तमान में जिन्स (कमाडिटी) में लेन-देन नहीं कर रहा है।

**तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम की निगरानी के लिए गैप विश्लेषण का पाक्षिक आधार पर अनुपालन किया जाता है। संयमी गैप से संचयी आउटफ्लो का प्रतिशत निकालने के लिए प्रूडेंसियल सीमा का उपयोग किया जाता है- 28 दिनों तक के अल्पावधि बकेट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अध्यक्षीय निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रूडेंसियल सीमाएं बाजार उधार दैनिक एवं औसत कॉल उधार, आंतर बैंक देयताएं, खरीदी गयी नीधियां आदि के लिए काम करती।

ऊँचे मूल्य की एकमुश्त जमा राशियों की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जाती है। अल्पावधि डायनामिक तरलता विवरणी तरलता स्थिति का आकलन करने के लिए पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है जो व्यवसाय वृद्धि को ध्यान में रखकर चलती है। एक आकस्मिक निधि योजना तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी है। योजना का तिमाही आधार पर परीक्षण किया जाता है। बैंक को संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर

**Quantitative Disclosures****A: BANK OF INDIA**

Not Applicable

**B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)**

Nil

**C: Bank of India (Tanzania) Ltd & Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries)**

Not Applicable

**Table DF-8****Market risk in trading book****Qualitative disclosures**

- (a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardised approach.

**A: BANK OF INDIA**

In Trading book the Bank holds "Held for Trading "(HFT) and "Available for Sale "(AFS) portfolios of investments. The rest of the assets – i.e. Investments under Held to Maturity portfolio and advances - are treated as Banking Book. Given below is brief description of the Market Risk Management objectives and policies.

**(i) Strategies and Processes:**

Under Market Risk Management, Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, and Equity Price risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

**Liquidity Risk**

Gap analysis is followed for monitoring Liquidity risk on a fortnightly basis. Prudential limit - for percentage of cumulative gap to cumulative outflow - based on Reserve Bank of India guidelines for the short-term buckets up to 28 days is monitored. Besides, prudential limits are in place for market borrowing – Daily and average call borrowing – Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc.

High value bulk deposits are monitored on a weekly basis. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes into account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is tested on a quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis

स्ट्रेस परीक्षण भी किया जाता है। यह ऐसी स्थिति में जब कोई तरलता संबंधी तकलीफ हो और यदि निधियां आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से उठाई जानी हों।

#### ब्याज दर जोखिम

पिछले 12 माह के दौरान एवं अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गैप विश्लेषण उपयोग में लिया जाता है। बैंक अवधि गैप विश्लेषण को भी उपयोग में लेता है। देयताओं की अवधि के लिए प्रूडेंसियल सीमाएं नियत की गयी हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की अवधि आधार पर निगरानी की जाती है।

एसएलआर एवं गैर एसएलआर (देशीय) प्रूडेंसियल सीमाओं के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूति के लिए वीएआर पद्धति अपनायी जाती है। वीएआर के लिए यह नियत की गयी है एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है एवं उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट की जा रही है। दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश सामान्यतया हैज किए जाते हैं एवं ब्याज दर जोखिम निम्नतम है। विदेशी मुद्रा विनिमय में भी वीएआर सीमा नियत की गई है।

स्ट्रेस टेस्टिंग में इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन 200 बेसेस पाईट द्वारा बाजार दर में परिवर्तन का सॉक लगाकर किया जाता है।

#### विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक के विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम डेलाइट एवं ओवरनाइट एक्सपोजर नियत किया है। इसके अलावा, नुकसान रोक सीमा, लाभ सीमा लेना एवं एकल व्यवहार सीमाएं डीलरों के फोरेक्स परिचालनों पर निगरानी रखने के लिए बनायी गयी हैं।

नेट ओपन पोजीशन हेतु प्रूडेंसियल सीमा नियत करके डेरिवेटिव संव्यवहार की निगरानी की जाती है और बकाया डेरिवेटिव पर पीवी 01 का केंप रखा जाता है।

#### इक्विटी कीमत जोखिम

बैंक की स्वदेशी निवेश नीति के इक्विटी डीलरों के लिए नुकसान रोक सीमाएं नियत की हैं। उच्चतम प्रबंधन को दैनिक आधार पर संव्यवहारों एवं लाभ की रिपोर्टिंग की जाती है।

#### (ii) बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढाँचा एवं संगठन:

जोखिम प्रबंधन बोर्ड संचालित कार्य है जिसे तीन स्तरों पर सपोर्ट किया जाता है: देखभाल करने एवं निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, जहाँ कहीं आवश्यक हो/जोखिम प्रबंधन नीतियां आदि अनुमोदित करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एलसीओ) जो नीति विषयों पर विचार करती है एवं एलएम कक्ष के साथ जमीनी स्तर पर सपोर्ट प्रदान करती है। आस्ति देयता प्रबंधन समितियां विदेशी केन्द्रों में भी परिचालन में हैं।

#### (iii) जोखिम रिपोर्टिंग का स्कोप एवं प्रकृति और/अथवा मापांकन प्रणाली

स्वदेशी कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के

and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

#### Interest Rate Risk

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis. Prudential limits have been fixed for duration of liabilities. Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Non SLR (domestic) Prudential limits for VaR have been fixed and daily monitoring is being done and reported to Top Management. Foreign investments in dated securities are normally hedged and the interest rate risk is minimal. VaR limits are also fixed for Foreign Exchange position.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Equity by infusing a shock of change in market rate by 200 basis points.

#### Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed maximum daylight and overnight exposure for foreign exchange exposure in various currencies. Also, stop loss limit, take profit limit and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for net open position and a cap for PV01 on the outstanding derivatives.

#### Equity Price Risk

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily reporting to Top Management on the transactions and profit is done.

#### (ii) Structure and Organisation of Market Risk Management function:

Risk Management is a Board driven function supported by three levels-. Risk Management Committee of the Board for overseeing and issuing directions, wherever necessary / approving Risk Management Policies etc., Asset Liability Management Committee (ALCO) who consider policy issues and with ALM Cell providing support at the ground level. Asset Liability Management Committees are operational at foreign centres also.

#### (iii) Scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

In respect of domestic business the guidelines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as –

लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है - जैसे कि मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाना-दैनिक आधार पर लेन-देन बही में निवेशों का अवधि विश्लेषण-दैनिक आधार पर वीएआर लेन-देन बही निवेश इक्विटी पोर्टफोलियों को छोड़कर-तिमाही आधार पर तरलता जोखिम/बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस परीक्षण करना, स्वदेशी तुलन पत्र का अवधि विश्लेषण और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर तिमाही आधार पर प्रभाव पर समीक्षा की जाती है और एएलसीओ द्वारा कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बाजार उधार लेन-देन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तरलता जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न प्रूडेंसिएल उपाय किए गए हैं। मासिक आधार पर ढांचागत तरलता विवरणी तैयार की जाती है और पाक्षिक आधार पर अल्पावधि डायनमिक तरलता विवरणी तैयार की जाती है और एएलसीओ को रिपोर्ट की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की ढांचागत तरलता कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर की जा रही है।

स्ट्रेस परीक्षण एवं इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का परिणाम एएलसीओ को रिपोर्ट किया जाता है। लेन-देन बही स्थिति अवधि एवं वीएआर दैनिक आधार पर उच्चतम प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है।

**(iv) हैजिंग/अथवा जोखिम कम करने के लिए नीतियां :**

आस्ति देयता प्रबंधन एवं बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नीतियों का कार्यान्वयन हो रहा है जो बाजार जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

**बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)**

बैंक के लिए बाजार जोखिम प्रभाव नगण्य है। पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया को बाजार जोखिम से छूट दी गयी है क्योंकि इसके लेन-देन स्थानीय विनियमन के अनुसार 2 मिलियन, यूएस डॉलर से कम रहते हैं।

**सी: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी)**

- बाजार जोखिम: ब्याज दर, मुद्रा तथा इक्विटी उत्पाद में खुली स्थिति से बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। बोर्ड सीमा निर्धारित करता है तथा जो स्वीकार की जा सकती है, नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।
- तरलता जोखिम: ओवरनाइट जमा से नकदी संसाधन, चालू खाते, परिपक्व जमा राशियां, ऋण आहरण और गारंटियों से उपलब्ध नकद स्रोतों से दैनिक मांग के लिए तथा मार्जिन और अन्य नकद समझौतों पर मांग से बैंक को नकद आरक्षित रखना पड़ता है। ऐसे मांग की पूर्ति करने के लिए परिपक्व निधि के उपलब्ध अंश के आधार पर बोर्ड ने उनके अनुभव पर सीमा निर्धारित की है और अंतर बैंक तथा अन्य उधार सुविधा के न्यूनतम स्तर पर जो मांग की अपेक्षित आहरण को कवर कर सके।

Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis – Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis – VaR calculation of trading book investments on a daily basis excepting the equity portfolio – conducting stress test for liquidity risk / market risk on a quarterly basis. – Duration analysis of domestic balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a quarterly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed on a monthly basis at the foreign centres and on a quarterly basis by ALCO at the corporate level

Various prudential measures have been put in respect of market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on monthly basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to ALCO. Structural liquidity of international operations is being done on a quarterly basis at the corporate level.

The results of the Quarterly study on Stress Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position – Duration and VaR is reported daily to Top Management.

**(iv) Policies for hedging and / or mitigating risk.**

Detailed policies are operational for Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

**B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)**

The Market risk impact for the bank is negligible. PT Bank of India Indonesia is exempted for Market Risk as its transaction is below USD 2 Mn as per local Regulations.

**C: Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary)**

- Market risk: Market risk arises from open positions in interest rate, currency and equity products. The board sets limits and reviews it at regular interval on the risk that may be accepted. Further the exposure is monitored on daily basis.
- Liquidity risk: The bank is exposed to daily calls on its available cash resources from overnight deposits, current accounts, maturing deposits, loans drawn and guarantees, from margin and other calls on cash settlement. The board has set limit based on their experience of the minimum proportion of maturing funds available to meet such calls and on the minimum level of inter-bank and other borrowing facility that should be in place to cover withdrawals at unexpected levels of demand.



- iii. ब्याज दर जोखिम- बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति तथा नकदी प्रवाह पर प्रचलित बाजार ब्याज दर में उतर चढ़ाव के परिणाम के साथ जुड़ी विभिन्न जोखिमों को उठाना पड़ता है। बैंक को जमा राशि ऋण तथा बाजार प्रवृत्ति के परिवर्तन के अनुरूप दरों को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। यह उपाय ब्याज दर जोखिम को बैंक एक्सपोजर न्यूनतम रखते हैं।
- iv. मुद्रा जोखिम : बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की जोखिम उठानी पड़ती है। बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

- iii. Interest rate risk: The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.
- iv. Currency risk: The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

**डी : बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. (अनुषंगी)**

मुद्रा जोखिम :

बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की जोखिम उठानी पड़ती है। बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

**D: Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary)**

Currency risk:

The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

**मात्रात्मक प्रकटन**

बी. निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता	
• ब्याजदर जोखिम	₹ 1,059.07 करोड़
• इक्विटी स्थिति जोखिम एवं	₹ 169.25 करोड़
• विदेशी विनिमय जोखिम	₹ 9.00 करोड़

**Quantitative disclosures**

(b) The capital requirements for:	
• interest rate risk:	₹ 1,059.07 crores
• equity position risk: and	₹ 169.25 crores
• foreign exchange risk:	₹ 9.00 crores

**तालिका डीएफ-9**

**परिचालनात्मक जोखिम**

**गुणात्मक प्रकटन**

साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा के अतिरिक्त जिसके लिए बैंक अर्हता प्राप्त है उस परिचालन जोखिम पूंजी निर्धारण हेतु बैंक का (के) प्रस्ताव।

**ए: बैंक ऑफ़ इंडिया**

बैंक कारोबार की विभिन्न पद्धतियों के तहत समस्त आर्थिक उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के परिचालन जोखिम का सतत निर्धारण और अभिनिर्धारण करता है। समस्त नये उत्पाद, गतिविधियाँ और प्रणालियाँ परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम) के माध्यम से कार्यान्वित होती हैं। उच्च जोखिम उन्मुख उत्पाद तथा कारोबार पद्धति का निर्धारण करने और उसे कम करने के उपाय अपनाने हेतु छमाही आधार पर हानि संबंधी डाटा का विश्लेषण होता है।

निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति (आरकॉम) की मंजूरी के बाद बोर्ड परिचालन जोखिम प्रबंधन पर नीतियों संबंधी निर्णय लेता है। उससे नीचे है, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित सीओआरएम। मुख्य जोखिम अधिकारी, आरकॉम के निदेशों को कार्यान्वित करते हैं और दिन-प्रतिदिन के परिचालन गत जोखिम प्रबंधन की देखभाल करते हैं। कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधको (बीओआरएम) की समिति और जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ स्व-निर्धारण, प्रमुख जोखिम संकेतकों,

**Table DF-9**

**Operational risk**

**Qualitative disclosures**

In addition to the general qualitative disclosure requirement, the approach (es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies.

**A: BANK OF INDIA**

The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Lines of Business on ongoing basis. All new products, activities and systems are being routed through Committee on Operational Risk Management (CORM). The Loss Data analysis is done on half yearly basis to assess the high-risk prone product and business lines and adopt mitigating measures.

The Board after clearance by the Risk Management Committee of Directors (R Com) decides on policies on Operational Risk Management. Down below is the CORM headed by Executive Director. The Chief Risk Officer implements the directives of R.Com and overseas day-to-day Operational Risk Management. The committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Risk Management Specialists gives



कारोबार पद्धति के अनुसार उत्पादों की योजना आदि पर फीड बैक देते हैं। शाखा स्तर के केआरआई को आंचलिक कार्यालय के जरिए और बैंक स्तर के केआरआई को आई एण्ड ए विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा अर्ध वार्षिक आधार पर ट्रैक किया जाता है।

धोखाधड़ी विश्लेषण, लॉस डेटा विश्लेषण और किए गए इम्पैक्ट फ्रिक्वेंसी विश्लेषण की जोखिम रिपोर्टिंग आरकॉम को की जाती है। हाउसकीपिंग मामले, समाधान आदि का जोखिम संबंधित रिपोर्टिंग सीओआरएम को आवधिक रूप में की जाती है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को धोखाधड़ी और उससे संबंधित रिपोर्टिंग की जाती है। बेसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण के जरिए परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार को मापा जाता है। विनियामक रिपोर्टिंग विश्वस्तता और सामयिकता के मापदंड पर परीक्षण की जाती है।

बैंक जोखिम प्रबंधन की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया अपनाता है। जोखिम प्रबंधन विभाग कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधको की समिति तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञों के नजदीकी सहयोग से कार्य करता है तथा निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा जो कि जोखिम आधारित लेखा परीक्षा का कार्य करता है जिससे अतिरिक्त जोखिम कम करने एवं नियंत्रण उपाय में सहायता मिलती है।

**बी: पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)**

बैंक परिचालन जोखिम प्रबंधन हेतु सर्वोत्कृष्ट पद्धति अपनाता है, जैसे कि झूठी का पृथक्करण, प्रशिक्षण, निश्चित रूपसे अधिकथित कार्यप्रणाली आदि।

**सी: बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. (अनुषंगिया)**

परिचालनात्मक जोखिम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि का जोखिम है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है जो बैंक की प्रक्रिया, कार्मिक, प्रौद्योगिकी और आधार संरचना से संबद्ध है और क्रेडिट, बाजार, तरलता जोखिम छोड़कर बाह्य कारक जैसे विधिक और विनियामक जरूरतों और कारपोरेट व्यवहार के आम स्वीकृत मानकों से उत्पन्न होते हैं। परिचालनात्मक जोखिम बैंक की सभी गतिविधियों से उत्पन्न होती है।

वित्तीय हानि एवं कुल लागत प्रभावशीलता सहित बैंक की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाव को संतुलित करने और नियंत्रण कार्रवाई जो पहल एवं रचनात्मकता को प्रतिवर्धित करती है, से बचाव के लिए परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंध करना बैंक का उद्देश्य है।

परिचालनात्मक जोखिम का ध्यान रखने के लिए प्रबंधन विकास एवं कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रत्येक शाखा स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधन हेतु निर्धारित किया गया है। परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु कुल मानकों के विकास उत्तरदायित्व में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक है :-

- संव्यवहार के स्वतंत्र प्राधिकार सहित कार्य के उचित पृथक्करण की आवश्यकता;
- संव्यवहार के समाधान एवं निगरानी की आवश्यकता;
- नियामक एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं सहित अनुपालन;
- नियंत्रण एवं प्रक्रिया का प्रलेखीकरण;
- महसूस किए गए परिचालनात्मक जोखिमों के निर्धारण की आवश्यकता तथा पहचान किए गए जोखिमों का ध्यान रखने के लिए नियंत्रण एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता;

feedback on the Risk and Self-assessment, Key Risk Indicators, mapping of products to Business Lines, etc. Branch levels KRIs are tracked through Zonal office and Bank Level KRIs are tracked through I & A Department H. O. on half yearly basis.

Risk reporting in the form of Fraud Analysis, Loss Data Analysis and Impact Frequency Analysis is done to R.Com. Risk related reporting on Housekeeping matters, Reconciliation etc. is done to CORM periodically. Fraud and related reporting is done to Audit Committee of Board. Operational Risk Capital Charge is quantified through Basic Indicator Approach. The regulatory reporting is tested on reliability and timeliness parameters.

Bank adopts best practices in Risk Management. Risk Management function works in close coordination with the committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Operational Risk Management Specialists and Inspection and Audit function who conduct Risk Based Audit which also helps in putting in place additional risk mitigation and control measures.

**B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)**

Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc

**C: Bank of India (Tanzania) Ltd & Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries)**

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the bank's processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market, liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behavior. Operational risk arises from all the bank's activities.

The bank's objective is to manage the operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and damage to the bank's reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiate and creativity.

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is assigned to the senior management at each branch level. The responsibility is supported by the development of overall standards for management of operational risks in the following areas:-

- Requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorization of transactions;
- Requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- Compliance with regulatory and other legal requirements;
- Documentation of controls and procedures;
- Requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;

- परिचालनात्मक हानि की रिपोर्टिंग एवं प्रस्तावित निवारणात्मक कार्रवाई की आवश्यकता;
- आकस्मिकता योजना का विकास;
- प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास;
- नैतिक एवं कारोबार मानक;
- जोखिम कमी सहित बीमा, जहां यह प्रभावी है।

- Requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
- Development of contingency plans;
- Training and professional development;
- Ethical and business standards;
- Risk mitigation, including insurance where this effective.

**मात्रात्मक प्रकटन : अपेक्षित नहीं**

**Quantitative Disclosure: Not Required**

**तालिका डीएफ-10**

**Table DF-10**

**बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)**

**Interest rate risk in the banking book (IRRBB)**

**गुणात्मक प्रकटन**

**Qualitative Disclosures**

(क) साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा में आईआरआरबीबी और प्रमुख धारणाओं के ऋण भुगतान और अ-परिपक्व जमा का परिचालन संबंधी धारणाओं का स्वरूप तथा आईआरआरबीबी मापांकन की फ्रिक्वेंसी शामिल है।

(a) The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behavior of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement.

**ए: बैंक ऑफ़ इंडिया**

**A: BANK OF INDIA**

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की आम तौर पर तिमाही आधार पर गणना की जाती है। बैंकिंग बही में परिपक्वता हेतु धारित (एचटीएम) संविभाग में धारण किए सभी अग्रिम और निवेश सम्मिलित हैं।

Interest Rate Risk in banking book is calculated generally on a quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.

कार्यनीति और प्रणालियाँ/संरचना और संगठन/जोखिम रिपोर्टिंग संबंधी व्याप्ति और स्वरूप/नीतियों आदि वही हैं जो टेबल डीएफ-8 के तहत रिपोर्ट की गई हैं।

The strategies & processes /structure & organization / scope and nature of risk reporting / policies etc are the same as reported under Table DF-8.

आईआरआरबीबी मेजरमेंट की प्रणाली और प्रमुख धारणाएँ निम्नानुसार हैं:

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows

अग्रिमों तथा जमा राशियों, जो बैंक का 100% कारोबार कवर करती हैं, की शेष परिपक्वता पर नेटवर्क की शाखाओं से प्राप्त मासिक सूचना के आधार पर विभिन्न समय बकेट के साथ ब्याज दर संवेदनशील और विभिन्न आस्तियों व देयताओं की शेष परिपक्वता को ध्यान में लेते हुए संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाता है।

Based on monthly information from data centre on the residual maturity of the advances and the deposits covering around 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.

प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक के रूप में एवं औसत प्राप्ति को कूपन के रूप में तथा भुनाई प्रयोजन के लिए बाजार दर को लेकर परिचालित की जाती है। निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली जाती है, जैसा कि डाटा संपूर्ण ब्योरों सहित उपलब्ध रहता है। निवेशों के संबंध में इस प्रयोग के लिए एएफएस एवं एचएफटी संविभागों को अलग रखा जाता है, जैसा कि बैंकिंग बही में आई आर आर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars. In respect of investments, the AFS and HFT portfolios are excluded for this exercise as the focus is on IRR in the Banking Book.

उक्त के उपयोग से, प्रत्येक बकेट के लिए देयताओं और आस्तियों की आशोधित अवधि परिकलित की जाती है और ब्याज दर में 1% से परिवर्तन के लिए उनके मूल्य पर प्रभाव माना जाता है। उसमें जोड़कर निवल स्थिति परिकलित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि है या अन्यथा

Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned. By adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

**धारणाएँ :**

**Assumptions:**

समस्त टाईम बकेट और समस्त आस्तियों के लिए ब्याज दर सभी समान रूप से चालित होता है।

The interest rate moves uniformly across all time buckets and for all assets.

मांग जमा राशियां-बचत तथा चालू के संदर्भ में इसे भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसरण में स्ट्रेस परीक्षण पर विभाजित किया जाता है।

आम तौर पर, बैंक आईआरआरबीबी की गणना करते समय कूपन दर/भुनाई दर का चयन/परिपक्वता तारीख के रूप में प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु को लेना आदि सहित रिज़र्व बैंक के तनाव परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

बीपीएलआर अग्रिमों/बेस रेट के पुनर्मूल्य निर्धारण को 6 माह से 1 वर्ष के बकेट में लिया गया है।

**बी: पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)**

विद्यमान विनियम के अनुसरण में बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके को आईआरआरबीबी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है। बैंक ऑफ इंडोनेशिया इसे भविष्य में शुरू कर सकता है क्योंकि वह फिलहाल उसके प्रभाव का अध्ययन कर रहा है।

**सी: बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगियां)**

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह पर बाजार ब्याज दरों के वर्तमान स्तरों में अस्थिरता के प्रभाव सहित शामिल विभिन्न जोखिमों से युक्त है। बाजार प्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ बैंक को जमा राशियों, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर में संशोधन करने का विवेकाधिकार है। इन उपायों के कारण बैंक के ब्याज दर जोखिम का क्षेत्र कम होता है।

**मात्रात्मक प्रकटन**

आईआरआरबीबी मापने के लिए प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार उर्ध्वमुखी और अधोमुखी रेट शॉक के लिए उपार्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबद्ध उपाय) में वृद्धि (ह्रास), मुद्रा द्वारा खंडित (जहां कुल पण्यार्वत के 5% से अधिक पण्यार्वत होता है)

In respect of demand deposits – savings and current – the same are distributed as per the RBI guidelines on stress testing.

Generally the bank follows RBI guidelines on stress testing while calculating the IRRBB including selection of coupon rate / discount rate / taking midpoint of each time bucket as the maturity date etc.

Re-pricing of Base Rate/BPLR linked advances has been taken in the 3 to 6 months bucket.

**B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)**

In terms of present Regulation PT Bank of India Indonesia Tbk does not require IRRBB disclosures. Bank of Indonesia may introduce it in future as it is currently making an impact study.

**C: Bank of India (Tanzania) Ltd & Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries)**

The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

**Quantitative Disclosures**

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover).

**बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम**

	कुल	जिसमें से, यूएसडी में (जहाँ कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है)
1. जोखिम पर अर्जन (शून्य)		
वर्ष के लिए 0.50% परिवर्तन पर	₹ 12.36 करोड़	–
2. जोखिम पर इक्विटी का आर्थिक मूल्य		
200 बेसिक पॉइंट शॉक	–	–
% ता के रूप में इक्विटी मूल्य में कमी	–	–

**INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK**

	Total	Of which in USD (where turnover is more than 5% of total turnover)
1. Earnings At Risk (Nil)		
At 0.50% change for 1 year	₹ 12.36 crores	–
2. Economic Value of Equity at Risk		
200 basis point shock	–	–
Drop in equity value in %age terms	–	–

# बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

**Head Office :** Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

## सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की सोलहवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, दिनांक 29 जून, 2012 को अपराह्न 3.00 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 में निम्नलिखित कार्य के लिए आयोजित की जाएगी :

### सामान्य कारोबार

मद सं.1: "बैंक के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र यथा दिनांक 31 मार्च, 2012 एवं दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता, लेखा एवं लेखा परीक्षकों की तुलन-पत्र और खातों पर रिपोर्ट की अवधि में बैंक की कार्यप्रणाली और कार्यकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन देना और स्वीकार करना।"

"मद सं.2: वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना।"

हस्ता./-

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 07.05.2012

(अलोक मिश्रा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## NOTICE

NOTICE is hereby given that the Sixteenth Annual General Meeting of the shareholders of Bank of India will be held on Friday, June 29, 2012 at 3.00 p.m. at Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G-Block, Bandra Kurla Complex Mumbai - 400051 to transact the following business.

### Ordinary Business

Item No. 1: "To discuss, approve and adopt the audited balance sheet as at 31st March 2012, profit and loss account for the year ended 31st March 2012, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

Item No. 2: "To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2011-12."

Sd/-

Place : Mumbai  
Date : 07.05.2012

(ALOK K MISRA)  
Chairman & Managing Director

## टिप्पणियां :

## 1. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा मतदान के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा मतदान हेतु एक परोक्षी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित फार्म उसमें निर्धारित स्थान पर वार्षिक आम बैठक के कम से कम 4 (चार) दिन पूर्व अर्थात शनिवार दिनांक 23 जून, 2012 को या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

## 2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसी कंपनी या अन्य किसी निकाय-कंपनी जो बैंक की शेयरधारक है, का विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि है, द्वारा आम बैठक के दिनांक से 4 (चार) दिन पहले, अर्थात शनिवार दिनांक 23 जून, 2012 को या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में, जिस बैठक में उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा उक्त संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि यदि प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसे बैठक में उपस्थित रहने का, मत देने का अधिकार नहीं होगा।

## 3. लेखाबंदी

शेयरधारकों का रजिस्टर, एवं बैंक का शेयर अंतरण रजिस्टर वार्षिक आम बैठक एवं लाभांश के भुगतान के लिए पात्रता अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार दिनांक 23 जून, 2012 से शुक्रवार दिनांक 29 जून, 2012 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

## 4. पते में परिवर्तन

जिन शेयरधारकों के पास शेयर डिमेट स्वरूप में हैं उन्हें अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना उनसे संबंधित सहभागी निक्षेपागार को देनी चाहिए। जिनके पास शेयर प्रत्यक्ष रूप में हैं, उन्हें अपने पते में परिवर्तन की सूचना बैंक के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर देनी चाहिए:

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि.

यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया,

13, ए बी, समहिता वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स,

साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन, अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका,

अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 072. फोन : 022-67720300/67720400

फैक्स : 022-28591568 ई मेल : boi@shareproservices.com

## 5. लाभांश भुगतान

बोर्ड द्वारा अनुशंसित लाभांश की घोषणा यदि वार्षिक आम सभा में की जाती है तो लाभांश का भुगतान दिनांक 9 जुलाई, 2012 से उन शेयर धारकों को किया जाएगा जिनका नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है:

(क) लाभार्थी मालिक के रूप में दिनांक 22 जून, 2012 को कारोबार समय की समाप्ति पर राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि.

## NOTES:

## 1. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxy need not be member of the Bank. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank not later than 4(four) days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the close of banking hours on Saturday, the 23rd June, 2012.

## 2. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than 4 (four) days before the Annual General Meeting i.e., on or before the close of banking hours on Saturday, the 23<sup>rd</sup> June, 2012.

## 3. BOOK CLOSURE

The Register of the shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Saturday, June 23, 2012 to Friday, June 29, 2012 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and ascertainment of entitlement for payment of dividend.

## 4. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders holding shares in dematerialized form should communicate the change of address, if any, to their Depository Participant. Shareholders who hold shares in physical form should communicate the change of address to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address

M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,

Unit : Bank of India

13AB Samhita Warehousing Complex

Off. Andheri Kurla Road, Sakinaka Telephone Exchange

Lane, Sakinaka, Andheri East, Mumbai - 400 072

Tel. : 22-67720300/67720400. Fax : 22-28591568

E mail : boi@shareproservices.com

## 5. PAYMENT OF DIVIDEND

The dividend, as recommended by the Board, if declared at the Annual General Meeting, will be paid from 9<sup>th</sup> July, 2012 to those shareholders whose names stand registered on the bank's Register of Members:

(a) as Beneficial Owners as at the end of business hours on 22<sup>nd</sup> June, 2012, as per the list to be furnished by



(एनएसडीएल) तथा केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लि. सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत सूची के संबंध में शेयर अमूर्त रूप में रखे गए हैं।

(ख) दिनांक 22 जून, 2012 को या उससे पहले बैंक को जमा किए गए वैध शेयर अंतरण को प्रभाव देने के बाद एक शेयरधारक के रूप में बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of shares held in dematerialized form.

(b) As Shareholders in the Register of Members of the Bank after giving effect to valid share transfer lodged with the Bank, on or before 22<sup>nd</sup> June, 2012.

#### 6. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र सुपुर्द कर दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र में परोक्षी अथवा प्रतिनिधि में से वह जिस रूप में उपस्थित हो रहे हों उसका उल्लेख कर देना चाहिए।

#### 7. अदावाकृत लाभांश

यदि कोई हो वे शेयरधारक जिन्होंने अपने लाभांश वारंट अभी तक नहीं भुनाए हैं या उन्हें पहले की अवधि के कोई वारंट अभी तक नहीं मिले हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे वारंट की अनुलिपि जारी करने के लिए अंतरण एजेंट से संपर्क करें। बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुसार लाभांश की सात वर्ष तक अदत्त राशि या अदावाकृत राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205-सी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अंतरित करनी होती है और इसलिए इसके भुगतान का कोई दावा बैंक पर या आईईपीएफ पर नहीं रहेगा।

#### 6. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry pass is annexed to this Report. Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance slip-cum-Entry pass at the venue. Proxy/Representative of a shareholder should state on the Attendance slip-cum-Entry pass "Proxy" or "Representative" as the case may be.

#### 7. UNCLAIMED DIVIDEND

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants received for previous periods if any are requested to contact the Share Transfer Agent of The Bank for issue of duplicate Dividend Warrants. As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of or Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 205C of The Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either on the Bank or on IEPF.



बैंक ऑफ़ इंडिया  
Bank of India **BOI**



प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

## परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा जाए)

डीपी आईडी नं. \_\_\_\_\_

ग्राहक आई डी नं. \_\_\_\_\_

(यदि डीमेट किया गया हो)

फोलियो क्र. \_\_\_\_\_

(यदि डीमेट न किया गया हो)

मैं/हम \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूँ/हैं और मैं/हम एतद्वारा

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_

को या व न होने पर श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से शुक्रवार दिनांक 29 जून, 2012 को आयोजित

बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

माह \_\_\_\_\_ की \_\_\_\_\_ 2012 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

रसीदी  
टिकट

प्रथम / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

### परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
  - एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
  - संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों।
  - निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
- परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
- कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो। पता: बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
- बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
- विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे।
- परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ़ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।



**Head Office:** Star House, C-5, 'G' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

## PROXY FORM

(To be filled by the shareholders)

Folio No. \_\_\_\_\_ (if not dematerialised)      DP ID \_\_\_\_\_  
 Client ID \_\_\_\_\_ (if dematerialised)

I/We, resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ being a shareholder/shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/Smt. \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ or failing him/her, Shri/Smt. \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Meeting of the Shareholders of Bank of India to be held on the Friday 29 June, 2012 and at any adjournment thereof.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2012.

Name : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

Revenue  
Stamp

\_\_\_\_\_  
Signature of first named/Sole shareholder

### INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
  - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her attorney, duly authorised in writing.
  - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
  - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at Bank of India, Share Department Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.
4. An instrument of proxy deposited with the bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting.
7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.

बैंक ऑफ़ इंडिया

Bank of India **BOI**

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051

**उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र****वार्षिक आम बैठक**

दिनांक : शुक्रवार, 29 जून, 2012 समय : अपराह्न : 3.00 बजे

बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

**ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS****ANNUAL GENERAL MEETING**Date : Friday, 29<sup>th</sup> June, 2012, 3.00 p.m.

At the Bank's Auditorium, Bank of India, C-5, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

**उपस्थिति पर्ची**

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

**ATTENDANCE SLIP**

(To be surrendered at the time of entry)

नाम-स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य / परोक्षी / एआर)  
NAME IN BLOCK LETTERS  
(Member / Proxy / AR)फोलियो क्र. / डीपीआईडी नं. / ग्राहक आईडी नं.  
FOLIO No. / DPID No. /  
CLIENT ID No.शेयरों की संख्या  
No. of  
Shares

उपस्थित शेयरधारक / परोक्षी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Signature of Shareholder/Proxy/Representative present (perforation)

**प्रवेश पत्र**

(पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखें)

**ENTRY PASS**

(To be retained throughout the meeting)

वार्षिक आम बैठक, दिनांक : शुक्रवार, 29 जून, 2012, समय : अपराह्न : 3.00 बजे  
ANNUAL GENERAL MEETING, Date : Friday, 29<sup>th</sup> June 2012, at 3.00 p.m.नाम-स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य / परोक्षी / एआर)  
NAME IN BLOCK LETTERS  
(Member / Proxy / AR)फोलियो क्र. / डीपीआईडी नं. / ग्राहक आईडी नं.  
FOLIO No. / DPID No. /  
CLIENT ID No.शेयरों की संख्या  
No. of  
Shares

बैंक ऑफ़ इंडिया  
Bank of India

**प्रधान कार्यालय:** स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

**Head Office:** Star House, C-5, 'G' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.

## हमारा दृष्टिकोण

“कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदाराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान”।

## हमारा लक्ष्य

“सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना”।

## हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और सरंक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक** बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

## Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and to provide cost effective developmental banking for small business, mass market and rural markets".

## Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".




## Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing **SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART** Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons.







आस्तियों पर आय  
**Return on Assets**




पूँजी पर आय  
**Return on Equity**



प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस)  
**Earning per Share (EPS)**



बुक वैल्यू प्रति शेयर  
**Book Value per Share**



**54 Million + Customers**

**4000 + Branches**

**1600 + ATMs**

**1100 + Cities**

बैंक ऑफ़ इंडिया  
Bank of India

**BOI**



बुक - पोस्ट  
Book Post

यदि वितरित नहीं किया गया तो कृपया वापस करें:  
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट:  
मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि., युनिट: बैंक ऑफ़ इंडिया,  
बिल्डिंग नं 13, एबी समहिता वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स,  
ऑफ़ अंधेरी कुर्ला रोड, साकिनाका टेलिफोन एक्स्चेंज लेन,  
साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400072 (भारत).

If undelivered please return to:  
Registrar and Share Transfer Agents:  
M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,  
Unit: Bank of India, Bldg No. 13  
AB Samhita warehouse Complex,  
Off. Andheri Kurla Road, Sakinaka Telephone  
Exchange Lane, Sakinaka,  
Andheri (East), Mumbai-400072 ( India).